लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

[सातवां सत्र]

6th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 51 (2) (2)
Date 7.X.79

[खंड 26 में अंक 41 से 50 तक हैं]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय–सूची

अंक 42, सोमवार, 23 अप्रैल, 1979/3 वैशाख, 1901 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या	824 से 827, 829, 830, 832, 834, 835, 838 और 842	1—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या	828, 831, 833, 836, 837, 839 से 841, 843 और 844	22—28
अतारांकित प्रश्न संख्या	8002, 8004 से 8040, 8042 से 8057, 8059 से 8087, 8089 से 8145, 8147 से 8149, 8151 से 8183 और 8185 से 8200	28—181
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में		182—184
सभा पटल पर रखे गये पत्र		184—185
सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति		185
12वां प्रतिवेदन		
लोक लेखा समिति		185
128वां प्रतिवेदन		
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		186
42वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश		
नियम 377 के अधीन मामले		186—190
(एक) केरल में नये सवारी डिब्बों के निर्माण की परियोजना		186
श्री बी० के० नायर		
(दो) तमिलनाडु में हिन्दी की पढ़ाई बन्द करने के समाचार		186—187
श्री नवाब सिंह चौहान		

*किसी नाम पर अंकित यह चिह्न † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) सोनाबेड़ा, जिला कोरापुट, उड़ीसा में तेलगू लोगों पर अत्याचार श्री पी० राजगोपाल नायडु	187
(चार) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं को भेजने के लिए रेलवे वैगनों का उपलब्ध न होना श्री धर्मसिंह भाई पटेल	187
(पांच) देश में अखबारी कागज और अन्य प्रकार के कागज की कमी का समाचार डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय	188
(छः) देश में गौवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध को लेकर आचार्य विनोबा भावे द्वारा आमरण अनशन का समाचार प्रो० समर गुह	188—190
अनुदानों की मांगें—1979-80	190—269
पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय	190
श्री पी० राजगोपाल नायडु	190—191
श्री के० एस० चावड़ा	191—195
श्री सौगत राय	195—198
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय	198—202
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	203—206
श्री जगदीश प्रसाद माथुर	206—208
श्री ए० मुरूगेसन	209
श्री रामदास सिंह	210—212
श्री के० ए० राजन	212—215
श्री पूर्ण नारायण सिन्हा	215—218
श्री एस० आर० दामाणी	218—221
चौधरी बलबीर सिंह	221—223
श्री बी० के० नायर	223—226
प्रो० पी० जी० मावलंकर	226—230

विषय	पृष्ठ
श्री दलपत सिंह परस्ते	230—231
श्री अहसान जाफरी	231—234
श्री जनार्दन पुजारी	234—237
श्री के० सूर्य नारायण	237—239
श्री ए० के० राय	239—240
श्री ए० सी० जार्ज	240—242
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	242—267
संचार, शिक्षा और सामाजिक कल्याण, वित्त आदि मंत्रालय	269—270
विनियोग (संख्या–3) विधेयक–पुर : स्थापित	271

लोक सभा

सोमवार, 23 अप्रैल, 1979/3 वैशाख, 1901 (शक)

(लोक सभा ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई)

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तमिलनाडु में दुराग्र फल वृक्ष

*824. **श्री के० टी० कौसलराम :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में दुराग्र फल वृक्षों को लगाये जाने और उन्हें लोकप्रिय बनाने के प्रयोग सफल रहे हैं ;

(ख) क्या अन्य राज्यों में इस फल वृक्ष को लगाने की केन्द्रीय कृषि मंत्रालय की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) संबंधित जानकारी तमिलनाडु सरकार से इकत्र की जा रही है और राज्य सरकार से प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

श्री के० टी० कौसलराम : इस फल की पोषणीय उपयोगिता क्या है और क्या यह खाद्य की सस्ती किस्म है ? यदि ऐसी बात है तो क्या यह गरीबों के लिये अतिरिक्त खाद्य नहीं बन सकेगा ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इस फल के प्रति कोई अधिक रुचि नहीं है। हमने तमिलनाडु से भी स्थिति की जानकारी पाने की कोशिश की है वहां के लोग इसे खाने के प्रवृत नहीं हैं ।

इसका स्वाद रुचिकर नहीं है। मैंने इस फल को देखा है और इसे चखने की भी कोशिश की है। परन्तु बहुत से लोग इसे नहीं चाहते।

श्री के० टी० कौसलराम : क्या सरकार इस फल को लोकप्रिय बनाने के काम को, अपने हाथ में लेने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को निर्देश जारी करेगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इस प्रकार के फल को लोकप्रिय बनाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि देश में इसके प्रति कोई उत्साह नहीं है।

नकली बीजों की बिक्री को रोकने के लिए बीज विक्रेताओं को लाइसेंस दिये जाना

*825. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीज अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत बीज विक्रेताओं को लाडसेंस देने की व्यवस्था करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार को सुझाव दिया है जिससे किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले नकली बीजों की बिक्री को रोका जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय किया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड ने बीज विक्रेताओं का अनिवार्य रूप से पंजीकरण न करने की सलाह दी है। बोर्ड का विचार था कि अभी हम उस स्थिति में नहीं हैं कि वितरण की वर्तमान व्यवस्था में दखल दिए बिना हम इसे लागू कर सकें। बोर्ड का मत है कि बाजार से नकली बोजों को समाप्त करने का उद्देश्य अनिवार्य रूप से पंजीयन करने के स्थान पर विस्तार उपायों के ज़रिए अच्छे कोटि के बीजों का उत्पादन अधिक मात्रा में करने से पूरा हो सकता है। भारत सरकार इस बात को अनुभव करती है कि इन तर्कों पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है तथा अनिवार्य पंजीयन की नोति के सम्बन्ध में शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री एस० आर० दामाणी : अपने विवरण में मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड ने बीज विक्रेताओं का अनिवार्य रूप से पंजीकरण न करने की सलाह दी है। बीजों का बड़ा महत्व है और किसी फसल स्वरूप बीजों के गुण पर निर्भर करता है। यदि किसानों के घटिया दर्जे के बीज बेचे जायें तो, उन्हें भारी हानियां उठानी पड़ती हैं। इस सम्बन्ध में क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हुं वि क्या उन्हें महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सतारा जिलों से, घटिया किस्म के बीजों की पूर्ति के बारे में, कोई शिकायत मिली है ? और यदि मिली है तो, उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : कुछ क्षेत्रों से कुछ शिकायतें मिली हैं कि जो बीज किसानों को दिये गये हैं वे कोई बहुत अच्छी किस्म के नहीं हैं। वस्तुतः अच्छी किस्म के बीज तो हैं।

जब कभी भी इस सम्बन्ध में शिकायतें आती हैं तो हम उन पर ध्यान और उनके पैदा होने के कारणों का पता लगाने की हम कोशिश करते हैं तथा कुछ मामलों में हम कार्यवाही करने का प्रयास भी कर रहे हैं।

श्री एस० आर० दामाणी : क्या अपने किसानों को घटिया किस्म के बीज देने से हुई हानि का पता लगाया है ? घटिया प्रकार के बीजों की पूर्ति के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं । इस समबन्ध में, इन बीजों का विक्रय करने वाले विक्रेताओं का पंजीकरण करने के मार्ग में, कौन सी मुख्य बाधाएं हैं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जो लोग बीजों का विक्रय करते हैं उनका पंजीकरण करना सम्भव नहीं है क्योंकि बीज बेचने वालों की संख्या बहुत है । वे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेचे जाते हैं । बल्कि बीज विक्रेताओं का पंजीकरण तो, अन्ततः अच्छी किस्म के बीज बेचने के मार्ग में कठिनाई उत्पन्न करता है ।

श्री भागीरथ भंवर : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी महाराष्ट्र के बारे में प्रश्न पूछा गया लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि देश के प्रत्येक सूबे में इस प्रकार के खराब बीज दिये जाते हैं और मनमाने ढंग से पैसा वसूल किया जाता है । उनको दो-दो सौ और ढाई, ढाई सौ रुपये किलो के हिसाब से बीज दिये जाते हैं और ऐसी कई दुकानें हैं और कई लोग हैं, जो किसानों को **चीट** भी करते हैं, खराब बीज देकर उनको कष्ट में डाल देते हैं और उनसे ठगी भी करते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे ऐसे उपाय करेंगे, कोई ऐसी कार्यवाही करेंगे जिससे अनधिकृत रूप से जो ऐसा धंधा करते हैं या जो खराब बीज बेचने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अलग अलग प्रदेशों से इस प्रकार से खराब बीज बेचने की और किसानों को **चीट** करने की कितनी शिकायतें उनके पास आई हैं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हमारे पास 1966 का बीज, अधिनियम हैं।

मैं हिन्दी में इनके सवाल का जवाब दूंगा । अगर कोइ आदमी सीड्स एक्ट का उल्लंघन करता है, तो सीड्स एक्ट के अन्तर्गत एक्शन लिया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रोसीक्यूट कर सकती है लेकिन हमारे पास ऐसी कोई एजेन्सी नहीं है कि हम सारे देश में जो इतने सारे सीड्स तैयार किये जाते हैं, सिर्फ इस काम को ही देखें । बीज के काम में बहुत से लोग लगे हुए हैं और कहीं पर तो अच्छे क्वालिटी के सीड्स मिल जाते हैं और कहीं पर कम अच्छी क्वालिटी के सीड्स मिलते हैं।

डा० वसन्त कुमार पंडित : ऐसी बहुत सी शिकायतें मिली हैं, जिनमें घटिया प्रकार के अथवा मिलावटी बीजों के किसानों को बेचे जाने की बात कही गई है । सरकार के पास यह पता लगाने का क्या प्रबन्ध है कि उन पुराने बीजों को जिनकी अकुरण सबलता समाप्त हो चुकी है, बेचा न जा सके । 1966 के बीज अधिनियम के उपबन्ध, यदि उन्हें प्रत्येक विक्रेता पर लागू नहीं किया जा सकता तो क्या इसे कम से कम उन पर लागू नहीं किया जा सकता, जो जिला स्तर पर उनका विक्रय करते हैं, जिससे कि समय पर उस जगह का तो पता चल सके जहां बीजों में मिलावट की जाती है, चाहे प्रत्येक विक्रेता के साथ ऐसा न करके कम से कम मुख्य वितरक के साथ तो यह बात लागू हो सकती है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : बीज अधिनियम तो इन सभी विक्रेताओं पर जो विशेष प्रकार का बीज बेचते हैं लागू होता है और इस अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें विशेष प्रकार के बीज ही बेचने पड़ते हैं। यदि बेचा गया बीज विशेष प्रकार का नहीं है तो, यह पता करने के भी तरीके हैं कि बेचा गया बीज कैसा है। यदि यह पता चल जाता है कि वह विशेष प्रकार की गुणवत्ता के अनुसार बीज नहीं पी रहा है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। ऐसा प्रावधान है कि पहले तो अपराधी को, दोषी व्यक्ति को सजा दी जाये, और फिर जब वह दूसरी बार अपराध करता है तो उसे और कठोर सजा दी जाती है अर्थात् कारावास की सजा।

चौधरी बलबीर सिंह : क्या सरकार कानून बनाएगी ताकि जितने सीड बेचने वाले हैं उन के ऊपर पाबन्दी लग सके और वे लिख कर दें कि कहां से उन्होंने सीड लिया है और इस तारीख को लिया है ताकि यह जो दिक्कत पैदा होती है कि सीड समय से ज्यादा का हो गया है और उसमें पैदा करने की कैपेसिटी नहीं रह जाती है वह दूर हो सके ? क्या सरकार इस किस्म के रूल्ज़ और रेग्युलेशंज़ बनाएगी ताकि किसान को सही किस्म का बीज मिल सके, अच्छी क्वालिटी का बीज मिल सके ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : पहले से ही रूल बना हुआ है। रूल 17 के नीचे जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उस में ये चीज़ें शामिल करनी पड़ती हैं :

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : प्रमाणीकरण टैग में निम्नलिखित विवरण देने होंगे : यथा प्रमाणीकरण अभिकरण का नाम और पता, बीज की किस्म का प्रकार, बीज की खेप संख्या और अन्य चिन्ह, प्रमाणीकृत उत्पादक का नाम और पता, इसके जारी करने की तिथि और इसकी वैधता का प्रमाण पत्र, प्रमाणीकृत बीज को पदनाम देने के लिये उचित हस्ताक्षर और बीज के वर्गीकरण को दिखाने के लिए उपयुक्त शब्द आदि।

चौधरी बलबीर सिंह : कोई नहीं करता है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : कोई नहीं करता है तो उसके विरुद्ध एक्शन लिया जा सकता है।

"अरब प्रिंस बैग्स सिक्स बस्टर्ड" शीर्षक से समाचार

* 826. †**श्री हुक्म चन्द कछवाय** :

श्री छीतूभाई गामित :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय का ध्यान 9 मार्च, 1979 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "अरब प्रिंस बैग्स सिक्स बस्टर्ड" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और क्या वह यह बतायेंगे कि अरब के शहजादे को सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रतिबंध लगे पक्षी के शिकार की अनुमति किसने दी; और

(ख) क्या पहले भी देश का दौरा करने वाले अरब देश के शहज़ादों ने ऐसी कार्यवाही की है और इन शहज़ादों द्वारा की गई अप्रिय कार्यवाही पर नियंत्रण रखने में असमर्थ रहने

के क्या कारण हैं और उन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी जिन्होंने इस दुर्लभ पक्षी की नस्ल समाप्त करने की अनुमति दी, और यदि कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अरब के शहज़ादे द्वारा सौराष्ट्र में 6 बस्टर्ड पक्षियों के शिकार किये जाने की प्रेस रिपोर्ट सही नहीं है ।

(ख) भारत सरकार ने खाड़ी के देशों के कुछ बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों को राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ बहुत ही सीमित संख्या में "लैसर बस्टर्ड" पक्षियों का शिकार करने की अनुमति दी है, जिसके अन्तर्गत दिसम्बर, 1974 और जनवरी, 1979 के बीच 14 शिकार पार्टियों ने शिकार किया । ऐसा इन देशों के साथ भारत के संबंधों को ध्यान में रखते हुए तथा विभिन्न द्विपक्षीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों को दृष्टि में रखते हुये राष्ट्रीय हित में किया गया था ।

श्री हुक्म चन्द कछवाय : वक्तव्य में बताया गया है कि दिसम्बर 74 से जनवरी 79 तक केवल चौदह जानवर मारे गये हैं जो शिकार किया गया है उसमें या चौदह बार शिकार करने की अनुमति बाहर के लोगों को दी गई है यह स्पष्ट नहीं हुआ है ? मैं जानना चाहता हूँ कि शिकार किन-किन जंगलों में किन-किन राज्यों में किया गया है और कौन-कौन जानवरों का शिकार किया गया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस प्रकार से शिकार करने की अनुमति क्या और लोगों को भी दी गई है ? जो चोरी छिपे शिकार करते हैं क्या उस प्रकार के कोई मामले आपकी पकड़ में आए हैं और आए हैं तो कितने और उनमें आप ने क्या कार्रवाई की है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जो जवाब दिया है उस में बहुत ठीक ढंग से लिखा गया है कि: दिसम्बर 1974 और जनवरी 1979 के बीच, भारत सरकार ने खाड़ी के देशों के कुछ अत्यन्त ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जिनमें 14 ऐसे शिकारी दल थे 14 पक्षी नहीं, बल्कि शिकारी दल जिनको राजस्थान के सीमा क्षेत्रों में बहुत ही सीमित पैमाने पर कम संख्या में पाये जाने वाले गोडावण पक्षी के शिकार की अनुमति दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : मारे गये पक्षियों की कुल कितनी संख्या है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह पता लगाना सम्भव नहीं है कि उन्होंने कुल कितने पक्षियों का शिकार किया, क्योंकि उन्होंने विभिन्न प्रकार के पक्षियों का शिकार किया । कभी उन्होंने तीतरों का शिकार किया तथा कभी-कभी वहां पाये जाने वाले अन्य पक्षियों और पशुओं का शिकार किया । पक्षियों की कुल संख्या मालूम करना असम्भव है परन्तु मेरे पास उन दलों के नाम हैं जिन्हें यह स्वीकृति दी गई । वह सूचना तो मेरे पास उपलब्ध है ।

श्री हुक्म चन्द कछवाय : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा प्रश्न कीजिये ।

श्री हुक्म चन्द कछवाय : पहले प्रश्न का उत्तर तो पहले आना चाहिये । मंत्री महोदय ने कहा है कि बहुत से महत्वपूर्ण लोगों को शिकार की अनुमति दी गई । मैंने यह जानना चाहा है कि जब आप इस प्रकार की अनुमति देते हैं तो क्या कोई सीमा लगाते हैं कि इतने जानवरों

या पक्षियों का आप शिकार कर सकते हैं और साथ ही साथ यह भी प्रतिबन्ध आप लगाते हैं कि इन-इन जानवरों या पक्षियों का आप शिकार कर सकते हैं और इन-इन का नहीं कर सकते हैं ? मैं यह भी जानना चाहता था कि इन लोगों ने किन-किन जानवरों का शिकार किया और कितनी संख्या में किया ? साथ ही इनको कितनी देर तक शिकार करना चाहिए था और कितनी देर इन्होंने शिकार किया ?

अध्यक्ष महोदय : अन्य जानवरों के बारे में वह उत्तर नहीं दे सकते ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जब किसी को इजाज़त दी जाती है तो प्रोहिबिटेड जानवर या पक्षी हैं जिनको मारा नहीं जा सकता है, उनको बता दिया जाता है कि इन का आप शिकार नहीं करेंगे । दूसरों का वे कर सकते हैं ।

श्री हुक्म चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मुझे दूसरा सवाल पूछने दीजिये । अभी तक मैंने पहले सवाल को रिपीट किया है क्योंकि उसका जवाब ठीक नहीं आया था ।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई ऐसा दिन भी है जिस दिन आपके प्रश्न का उत्तर दिया गया हो ?

श्री हुक्म चन्द कछवाय : आपने कहा है कि विभिन्न द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को ध्यान में रखते हुए शिकार की अमुमति दी जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने देश हैं जिनके साथ अपने सम्बन्धों और उनके हितों को ध्यान में रखकर उन्हें शिकार करने की अनुमति दी जाती है ? और क्या शिकार करना ही अच्छे सम्बन्धों की कसौटी है ? और अगर उन्हें शिकार करने की अनुमति नहीं देंगे तो क्या सम्बन्ध बिगड़ेंगे ? ऐसे कौन से देश हैं, उनकी जानकारी हमें दी जाये ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : 14 पार्टियां जो देशों की बताई गयी हैं इनमें अबुधाबी है, यू०ए०ई० है · · ·

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या यह द्विपक्षीय समझौता है ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं है। यह तो केवल उन्हें दी गई एक छूट मात्र है ।

श्री छीतूभाई गामित : कई दिनों पहले गुजरात के सौराष्ट्र एरिया में अरब के शहज़ादों ने आकर सौराष्ट्र के पक्षियों का शिकार किया था । उसके बारे में गुजरात के अखबारों में खबर निकली थी और टाइम्स आफ इन्डिया में खबर निकली थी । और इस खबर के बाद गुजरात सरकार के वन वरिष्ठ अधिकारी ने इस खबर का खंडन किया है । मंत्री जी ने जो जवाब हमें दिया है यहां पर उसमें बताया गया है कि कुछ सीमित संख्या में शिकार करने के लिये अनुमति दी गई है । तो गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने जो स्टेटमेंट दिया था जो गुजरात के अखबारों में छपा है कि उन्होंने शिकार नहीं किया है, ऐसा बताया गया है । और यहां पर कहा गया है कि उन्होंने शिकार किया है । तो गुजरात के सौराष्ट्र एरिया में साहबजादों ने किन-किन स्थानों पर कौन-कौन से पक्षियों और पशुओं का शिकार किया ? और जो शिकार किया क्या गुजरात सरकार को उनके बारे में खबर दी थी कि नहीं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जो हमें सूचना मिली है उसके मुताबिक एक श्री जयदीप सिंह हैं गुजरात में जो कि एम० एल० ए० हैं बेरिया के, उनका बयान इस बारे में लिया गया। गुजरात सरकार ने उसके आधार पर कहा है। उन्होंने बताया कि "तीन सहायकों और दो बाजों के अनुचरवर्ग के साथ साउदी अरब के राजकुमार फहाद बिन मोहम्मद ने उसके व्यक्तिगत अतिथि के रूप में, बम्बई से बारिया का दौरा किया।" यह उन्होंने बताया 3 मार्च, 1979 को, उनके पास वह कुछ एक, दो दिन थे। ऐसे तो श्री जयदीप सिंह जी ने उनको यह लिखा है कि जैनावर क्षेत्र में जो सुन्दरनगर जिले में है 4 मार्च को वहां ले गये और 5 मार्च को स्माल हंटिंग कैम्प का डमान्स्ट्रेशन जयदीप सिंह ने दिया जिसमें उन्होंने बताया कि हमने उनको यह डेमान्स्ट्रेशन दिया। लेकिन जो बाहर के इनके मेहमान आये हुए थे उन्होंने कोई शिकार नहीं मारा। हमने कुछ पैट्रिजेज़, तीतर, सेंडगूज़ और खरगोश मारे, जिसका लाइसेंस श्री जयदीप सिंह जी के पास है। और उन्होंने कोई शिकार खुद नहीं किया।

डा० कर्ण सिंह : वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, दुर्लभ पक्षियों और जातियों का शिकार करना बिल्कुल बन्द है और भारत का बड़ा गोडावण पक्षी तो संसार के दुर्लभतम पक्षियों में से एक है। इसका तो विलोप होने ही वाला है। गोडावण के बारे में समाचार-पत्रों में दी गई खबर के बारे में कुछ उलझनें हैं, क्योंकि लघुकाये भारतीय गोडावण, जिसे पाईलर भी कहा जाता है, एक प्रवासी पक्षी है जो कि सोवियत रूस से आता है, जबकि गोडावण जो कि बड़ा भारतीय गोडावण है, संसार के दुलर्भतम पक्षियों में से एक है। जब यह समाचार फैला तो, सरकार ने स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित नहीं किया कि आया किसी गोडावण का शिकार किया गया है या नहीं अथवा क्या उन्हें पाईलर का शिकार करने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने वहां शिकारी बाजों की सहायता से शिकार किया। अब देखना यह है कि इसके बारे में, क्या आश्वासन दिया गया है? मेरा मतलब है कि हम अच्छे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं---यदि आप इसमें कुछ जोड़ना ही चाहते हैं तो, परन्तु आपको इतना तो देखना ही होगा कि गोडावण का शिकार न किया जाए, क्योंकि वह तो विश्व के दुर्लभतम पक्षियों में से एक है और सारे ही संसार के संरक्षक इस बात पर गहनरूप से दुःखी हैं। क्या मंत्री महोदय कृपया इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, यह जो विशालकाय भारतीय गोडावण है, यह तो वास्तव में ही एक दुर्लभ पक्षी है और किसी भी व्यक्ति को बाज या बन्दूक द्वारा उस पक्षी को मारने की अनुमति नहीं दी जाती। अतः, ऐसा कोई समाचार नहीं मिला। हम राज्य सरकारों से पता लगाते रहे हैं तथा ऐसी कोई रिपोर्ट उन्होंने नहीं भेजी है कि वहां गये उन अतिथियों ने, किसी विशालकाय भारतीय गोडावण का शिकार किया है।

श्री मृत्युंजय प्रसाद : मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आखिर आपने पाबन्दी लगाई तो उस पाबन्दी की शक्ल क्या थी और वह पाबन्दी लोगों ने मानी इसके लिए आपने क्या प्रीकौशन्ज या सावधानी बरती, या उसके खिलाफ कार्यवाही हुई तो उसकी जानकारी आपको मिली या नहीं मिली ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैंने तो पहले ही जवाब दिया है कि श्री जयदीप सिंह जी खुद उनके साथ थे, उनके सामने ही जो कुछ हुआ वह हुआ, जयदीप सिंह जी ने खुद ही अपने आप शिकार खेल कर दिखाया। जो वहां से आये थे, उन्होंने शिकार खेला नहीं, ऐसी इत्तिला हमको मिली है उनका ब्यान रिकार्ड किया गया है। दूसरी भी जो इत्तिला है उसके मुताबिक बाहर के जो गैस्ट आये थे, उनको बता दिया गया था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर पाबन्दी है, इसका शिकार नहीं करना है और हमारे पास कोई इत्तिला नहीं है कि एक भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वहां मारा गया।

कर्नाटक, केरल और लक्षीप में मछली पकड़ने की पर्सेसीन्स नौकायें

*827. †**श्री पी० एम० सईद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक से समुद्री उत्पादों का निर्यात सर्वाधिक होने की संभावना है और 2 करोड़ रुपये का रिकार्ड स्तर प्राप्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गत दो वर्षों के दौरान मछली पकड़ने की पर्सेसीन्स नौकाओं को प्रयोग में लाने के कारण और मछुओं के लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ रोज़गार संवर्धन कार्यक्रमों को लागू करने के कारण ही यह सम्भव हो सका है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल, संघ राज्य क्षेत्र, लक्षद्वीप और अन्य राज्यों से अपने-अपने राज्यों में मछुओं के लाभ और प्रोत्साहन के लिए इस पद्धति को अपनाने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस बारे में राज्यों को कोई वित्तीय सहायता भी दी जाएगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :

विवरण

(क) 1977 में प्राप्त किए गए 11.69 करोड़ रुपयों के सर्वोच्च स्तर की तुलना में कर्नाटक में मंगलौर से समुद्री उत्पादों का निर्यात 1978 में 10.85 करोड़ रुपये के मूल्य का था।

(ख) पर्सेसीन्स नौकाओं से मछली पकड़ने के निर्यात पर केवल मामूली प्रभाव पड़ा। निर्यात की वर्तमान दर को प्राप्त करने में सामान्य योजना के अंतर्गत और 'रोजगार संवर्धन कार्यक्रम' के अन्तर्गत प्रयोग में लाए गए छोटे ट्रालरों का मुख्य तौर पर हाथ था।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार सभी तटवर्ती राज्यों को बहुविध मत्स्यन, विशेषकर पर्सेसीन्स नौकाओं से मछली पकड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मार्गदर्शी आधार पर बहुविध मत्स्यन शुरू करने के लिए उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के राज्य मात्स्यकी निगमों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी गई है। लक्षद्वीप में पर्सेसीन्स नौकाओं से मछली पकड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि इस समय पोल और लाइन मत्स्यन पर अधिक बल दिया जा रहा है।

श्री पी० एम० सईद : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय द्वारा दिये गए विवरण से यह स्पष्ट है कि परसीसेईंग द्वारा मत्स्यन से, मधली पकड़ने का काम आगे नहीं बढ़ा है, अपितु ऐसा तो छोटी मछुआ नावों के कारण हो सका है। महोदय, आप तो मंगलौर के निवासी हैं, और आप जानते हैं कि पलपेई, मोनावर तथा इनके साथ-साथ मंगलौर बन्दरगाह से भी परसीसेईंग नौकाएं अर्थात् बड़ी वाली नौकाएं, हल्की लहरों और वहां इकट्ठी होने वाली समुद्री गाद के कारण, बहुदा अपने सुभीते अनुसार, मछली पकड़ने के लिए नहीं जा सकतीं। बन्दरगाह विकास तथा मत्स्य विभागों में समन्वय की कमी है। मछली पकड़ने के काम में सुधार न हो पाने का कारण, परसीसेईंग नौकएं नहीं हैं, अपितु इन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो सका।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न की बात करें।

श्री पी० एम० सईद : महोदय, सही प्रश्न पर बोलते हुए मेरा कहना है कि इस योजना को रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के अधीन लागू किया गया है। माननीय मंत्री महोदय का कहना है कि केन्द्र द्वारा शतप्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि चूंकि बहुत से शिक्षित व्यक्ति भी अब इस क्षेत्र में पदार्पण कर चुके हैं, तो सही-सही, कितनी धन-राशि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल और लक्ष्यद्वीप को दी गई है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, ये राशियां दी गई हैं : उड़ीसा के मेरीटाईम और चिलका क्षेत्र विकास निगम को 60 लाख रुपये, आंध्र प्रदेश मत्स्य निगम को 43,95,000 रुपये, तमिलनाडु मत्स्य विकास निगम को 1,09,50,000 रुपये ; केरल मत्स्य विकास निगम 65,50,000 रुपये और कर्नाटक के मत्स्य विकास निगम को 42,12,000 रुपये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पश्चिमी बंगाल के लिए कितने रुपये दिये गए हैं ?

श्री पी० एम० सईद : महोदय, आपने द्वितीय पूरक प्रश्न को पूछने से पहले, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बन्दरगाह विभाग और मत्स्य विभाग के मध्य कोई समन्वय स्थापित करने जा रही है, जिससे कि परसीसेईंग नौकाएं अक्सर आ जा सकें .....

अध्यक्ष महोदय : यह तो आपका द्वितीय पूरक प्रश्न है।

श्री पी० एम० सईद : नहीं, महोदय, वह तो मेरे प्रथम प्रश्न का ही एक भाग है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह योजना राज्यों को भेजी जा रही है। अब यह केन्द्र के पास नहीं रही।

श्री पी० एम० सईद : मेरा द्वितीय पूरक प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह व्यक्त किया है कि राज्यों की नीति, विविध प्रकार से मछली पकड़ने के काम को विकसित करने की है। यह बड़ी ही विचित्र बात है कि जहां पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं वहां पर तो परसीसेईंग नौकाएं दी गई हैं और जहां पर सुविधाएं हैं वहां उनको उपलब्ध नहीं कराया गया है। मैंने लक्ष्यद्वीप के बारे में पूछा है। उन्होंने अपने वक्तव्य (विवरण) में बताया है कि अब

मछली पकड़ने की पोल और लाईन विधि पर अधिक बल दिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं यह तो मछली पकड़ने का पारम्परिक और रूढ़िगत तरीका है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मछली के बारे में तो जानता हूं, परन्तु मछली पकड़ने की मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री पी० एम० सईद : इसका क्या कारण है कि लक्ष्यद्वीप में, परसीसेईंग तरीके से मछल पकड़ने की विधि को लागू नहीं किया जा रहा है ? क्या जानकारी की कमी के कारण ऐसा हो रहा है अन्यथा वहां पर सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण, ऐसा हो रहा है। चूंकि ताईवान की और जापानी नौकाएं परसीसेईंग तरीके से, हमारी समुद्री सीमा के अन्दर और बाहर मछली पकड़ने का काम करती रहती हैं तो, इसका क्या कारण है कि इस ढंग से मछली पकड़ानेकी काम लक्ष्यद्वीप में और उसके चारों और शुरू क्यों नहीं किया जाता ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मुझे भेजी गई सूचना में यह कहा गया है कि लक्ष्यद्वीपमें अधिकतर स्किप जैक और टयूना नस्ल की मछलियां ही पाई जाती हैं और उनको पकड़ने के लिए अब तक पोल और लाईन तरीका ही सर्वोत्तम बताया गया है। यही सूचना मुझे भेजी गई है। मैं कोई इस बात का विशेषज्ञ तो हूं नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चलो, अब हम विचारों का आदान-प्रदान बन्द करें।

श्री पी० एम० सईद : उन्होंने लक्ष्यद्वीप के लिए निश्चित की गई धन-राशि का ब्यौरा नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : लक्ष्यद्वीप के लिए कितना धन रखा गया है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : पहले इस तरह की कोई धन-राशि लक्ष्यद्वीप के लिए आवंटित नहीं की गई थी।

श्री जनार्दन पुजारी : दिये गये उत्तरानुसार समुद्रीय उत्पादन में गिरावट आई है। **(व्यवधान)** इसके दो कारण हैं, अर्थात् कुछ सीमा तक अत्याधिक शोषण और उन नये मछुआरों की अन्धाधुन्ध मछली पकड़ना, जो कि थोड़े समय में ही अधिक लाभ कमाने की धुन में रहते हैं। वे तो 'प्रवंस' जैसी लोकप्रिय मछली तक को भी बढ़ने का अवसर नहीं देते तथा वे तो अण्डे देने के मौसम में भी मछलियां पकड़ते हैं। पश्चिमी देशों में प्रजनन काल में मछलियां पकड़ना निषिद्ध है। दूसरे, वहां पर तो, जो ऐसा करते हैं, उन्हें कड़ी सजा दी जाती है। और फिर डीजल के अभाव में, मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए डीजल नहीं मिल पाता। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार प्रजनन काल में मछली पकड़ने पर रोक लगाने जा रही है और उन पर कड़ी सजा लगाने जा रही है जो प्रजनन काल में मछली पकड़ते हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए डीजल उपलब्ध कराने जा रही है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : एक में ही अनेक प्रश्न जड़ दिए गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : केवल दो ही तो प्रश्न हैं।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जहां तक अत्यधिक शोषण का प्रश्न है, कोई सीमा से बाहर कार्य नहीं हो रहा तथा हमारा समुद्री किनारा बहुत दूर तक फैला हुआ है जिसे अभी तो हमने दोहना है। साधनों के बारे में तो हम नहीं जानते। उनका पता लगाने का प्रयास तो हम सर्वेक्षणों द्वारा कर रहे हैं। 'शरीम्प' मछली का कुछ अधिक ही शोषण हो रहा है और इसीलिए तो हम विविध प्रकार से मछलियां पकड़ने के चालू कर रहे हैं, जिससे कि शरीम्प को पकड़ने पर अधिक जोर न रहे, क्योंकि उसको तो केवल निर्यात करने के लिए पकड़ा जाता है। हमने परसीसेईंग पद्धति इसलिए लागू की, क्योंकि परसीसेईंग द्वारा जिस प्रकार की मछली पकड़ी जाती है वह तो स्वयं अपने देश में ही प्रयोग में लाई जाती है। डीजल के बारे में, मैं यह नहीं कह सकता कि क्या हमें डीजल दे सकेंगे या नहीं। **(व्यवधान)**।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर देते समय यह कहा गया है कि मछली पकड़ने की वे छोटी नौकाएं जिन्हें सामान्य योजना के अधीन और "रोजगार संवर्धन कार्यक्रम" के अधीन चालू किया गया था, निर्यात के वर्तमान स्तर को, जो कि उच्चत्तर है, प्राप्त करने में मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इस संदर्भ में, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन क्षेत्रों में, छोटी नौकाओं को मछली पकड़ने की अनुमति देने से पूर्व, जो कि देशी नावों के मालिकों और लकड़-नावों के मालिकों के एकाधिकार में रहे हैं तथा परम्परागत रूप में भी उनके ही हिस्से में पड़ते हैं, जिन्हें मछली पकड़ने के काम से पूर्ण रूप से बेकार कर दिया गया है, और क्या सरकार उन मछुआरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ कारगर कदम उठा रही है, जो कुछ क्षेत्रों में, परम्परागत रूत से और पीढ़ी-दर-पीढ़ी, मछली पकड़ने का काम करते रहे हैं।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यहां 'छोटी नौका' शब्द का गलत प्रयोग किया गया है। ये छोटी यन्त्र चालित नावें हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक है—लगभग 1400 यन्त्र चालित नौकाएं कर्नाटक के समुद्री तट पर कार्यरत हैं। यह तो इन छोटी नावों की बात है, बड़ी-बड़ी नावों की नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : परन्तु वे तो बड़े-बड़े जालों द्वारा जिनमें छोटी जालियां लगी होती हैं, बड़ी-बड़ी नावों में बैठकर मछलियां पकड़ते हैं। वे तो प्रजनन को ही नष्ट कर रहे हैं। **(व्यवधान)**।

राजर्षि शाहू महाराज की स्मृति में स्मारक डाक टिकट का निकाला जाना

***829. श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजर्षि शाहू महाराज की स्मृति में डाक टिकट जारी करने के लिए उन्हें कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी, हां।

(ख) शाहू छत्रपति के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी कर दिया जाएगा। और एक मई, 1979 को जारी कर दिया जाएगा।

श्रीमती मृणाल गोरे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर के अन्त में जोड़ दिया है कि 1 मई 1979 को जारी कर दिया जाएगा, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद।

बड़े नगरों में नए और बड़े टेलीफोन एक्सचेंज

*830. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए और बड़े टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना देश के बड़े नगरों में ही करने के क्या कारण हैं ;

(ख) बेहतर टेलीफोन एक्सचेंज और तत्सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध करने के मामले में छोटे जिलों की उपेक्षा क्यों की जा रही है; और

(ग) छोटे कस्बों और दुरस्थ क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध करने के संबंध में सरकार की समग्र नीति क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) बड़े शहरों में नए एक्सचेंजों की व्यवस्था तब करनी पड़ती है जबकि मौजूदा एक्सचेंज मांग की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते । टेलीफोन कनेक्शनों के लिए जनता की मांग के अनुरूप एक्सचेंजों की उपस्कर क्षमता को बनाये रखना पड़ता है ।

(ख) टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था करने में छोटे स्थानों की उपेक्षा नहीं की जा रही है तथा बड़े शहरों की तुलना में नए टेलीफ़ोन कनेक्शनों के लिए अन्ततः कहीं कम समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है । फिर भी हजारों छोटे कस्बों और गांवों में स्वचल तथा एस०टी०डी० सुविधाओं का तेजी से विस्तार करने में अभी समय लगेगा और खर्चा करना पड़ेगा ।

(ग) सरकार ने देश के छोटे कस्बों, ग्रामीण और जनजाति क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था करने पर विशेष बल देने का निर्णय किया है । मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार इस लिए किया जा रहा है ताकि चालू छठी योजना अवधि के अन्त तक मांग पर कम या अधिक टेलीफोन कनेक्शन दिये जा सकें । ग्रामीण और जनजाति क्षेत्रों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के वित्तीय विवेचक मापदण्ड को बहुत हद तक उदार बना दिया गया है तथा ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं । बहुत दूरवर्ती क्षेत्रों को दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वीकृत घरेलू उपग्रह परियोजना के माध्यम से शुरूआत की जाएगी ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम : मंत्री जी ने सदन में बताया है "छोटे स्थानों की अवहेलना नहीं की की जा रही है . . ."

मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या छोटे-छोटे कस्बों के लिए जिनकी ढाई हजार की आबादी है, चालू वित्त वर्ष में कोई विशेष योजना टेलीफोन देने की बनाई है, यदि बनाई है तो वह योजना क्या है ?

श्री बृजलाल वर्मा : जी, हां । एक वर्ष में जिन छोटे-छोटे स्थायों में 35,163 टेलीफोन की जरूरत थी, हमने वहां पर गये साल में दुगने अर्थात् 66,817 टेलीफोन दिये हैं। इस प्रकार जो हमारा लक्ष्य था उससे हमने दुगने टेलीफोन छोटे-छोटे स्थानों पर दिये हैं । छोटे-छोटे स्थानों पर हम बड़े स्थानों की बजाय ज्यादा टेलीफोन दे रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम : इसके लिए मैं मन्त्री जी का आभारी हूं लेकिन एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर एक जिला है उसका टेलीफोन एक्सचेंज

बदायुं में है। जबकि आजादी की लड़ाई में वहां के श्री अशफाकउल्ला खां, पंडित रामप्रशाद बिस्मिल और ठाकुर रोशनसिंह जी शहीद हुए थे। उसके बाद वहां के लोगों को परमवीर चक्र भी प्राप्त हुआ। इसलिए मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि शाहजहांपुर का टेलीफोन डिविजन जोकि बदायूं में है उसको शाहजहांपुर में लगाने की कृपा करेंगे या नहीं ?

श्री बृजलाल वर्मा : यह सवाल तो इससे उठता नहीं है। परन्तु अगर आवश्यक होगा तो जरूर करेंगे।

श्री कंवरलाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने उत्तर दिया है, उसमें यह कहा है—

> "ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में, लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोलने का वित्तीय मानदण्ड बड़ी सीमा तक उदार बनाया गया है तथा उच्चतर लक्ष्य प्राप्त किये गये हैं।"

आपने यह कहा है कि ट्राइबल एरियाज़ में भी आप दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने पिछले दो वर्षों में में ट्राइबज एरियाज़ कितने टेलीफोन और पब्लिक काल दिये हैं और अगले दो वर्षों में कितने देने वाले हैं ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि बड़े-बड़े शहरों में आपने एक्सचेंज तो लगाये, बहुत टेलीफोन भी दिये, उसके लिए आपका धन्यवाद, लेकिन जो टेलीफोन सर्विस है वह जो डिटोरियेट हो रही है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री बृजलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसमें से यह सवाल तो उठता नहीं है। आप कहें तो मैं जवाब दे सकता हूं, जवाब बहुत लम्बा है। अभी तक जो हमने ट्राइबल एरियाज़ को टेलीफोन दिये हैं प्लेंस एरियाज़ से दुगने टेलीफोन ट्राइबल एरियाज़ को दिये हैं। फिगर्स आप कहेंगे तो मैं टेबिल पर रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उसका प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री विनोद भाई बी० सेठ : मैं अनुभव करता हूं कि कुछ मामलों में सरकार भारी किराया अदा कर रही है और वर्ष भर में लाखों रुपये की देनदारी बकाया रह जाती है। जब किराये का अनुबन्ध समाप्त हो जाता है तो, तब भी सरकार भवन को खाली नहीं करती। मैं आशा करता हूं कि सरकार अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने पर, भवन को खाली कर देगी। अन्यथा, जनता सरकार पर विश्वास करना छोड़ देगी।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से, यह बात नहीं उठती।

श्री सईद मुर्तजा : मान्यवर स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये से मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप छोटी-छोटी जगहों पर टेलीफोन दे रहे हैं लेकिन हमारे मुजफ्फरनगर जिले में शामली, कांधला, धानाभावन आदि कस्बों में टेलीफोन लगे हुए हैं लेकिन सुबह से शाम तक कोई टेलीफोन नहीं मिलता है। इन कस्बों की आबादी 25-25 हजार से ज्यादा की होगी। अरजेंट टेलीफोन भी मिलाइये तो भी सुबह से शाम तक नहीं मिलता है, कोई रिसपोंस नहीं मिलता है। फिर ऐसे टेलीफोनों का क्या फायदा है। मेरे इलाके में 6-7 जगहें

ऐसी हैं जिनकी 25-25 हजार की आबादी है लेकिन टेलीफोन नहीं मिलते हैं और कोई उन्हें चैक करने भी नहीं आता है। इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आपकी शिकायत सही है। परन्तु इस प्रश्न में से ऐसी बात नहीं उठती।

दिल्ली बोर्ड की प्रैक्टीकल परीक्षाओं में निगरानी

*832. **श्री के० मालन्ना** : क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन को कक्षा X तथा XII की बोर्ड की प्रैक्टीकल परीक्षाओं के लिए निगरानी हेतु कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ा था चूंकि दिल्ली स्कूलों के अध्यापक 21 मार्च, 1979 से परीक्षाओं का 'बहिष्कार' कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित करने के लिए परीक्षकों की कमी थी। तदनुसार, प्रायोगिक परीक्षाओं के केन्द्रों की संख्या कम कर दी गई थी। और दिल्ली प्रशासन के परामर्श से उन्हें चलाने के लिए उचित व्यवस्था कर दी गई थी।

(ख) दिल्ली के अध्यापकों की हड़ताल।

श्री के० मालन्ना : महोदय, न केवल दिल्ली, अपितु अध्यापकों की स्थिति के बारे में, सारा ही देश जानता है। इससे न केवल दिल्ली के सामान्य जीवन में बाधा पड़ी है, अपितु छात्रों और अभिभावकों के ऊपर भी बुरा असर पड़ा है। चाहे कुछ भी हो, आखिर उनकी मांग है क्या ? उनकी मांग थी, विधेयक को विपस लिये जाने के लिये, परीक्षाओं का बहिष्कार करना और आन्दोलन शुरू करना। उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ? अध्यापकों को सबसे कम वेतन मिलता है। हम सब उनको बड़ा आदर-मान दे तेहैं। वे तो मानव जीवन के अभियन्ता हैं तथा नई पीढ़ी को ढालने वाले हैं। इन सब बातों के बावजूद हम उन पर भारी पाबन्दियां थोप रहे हैं। हड़ताल को टालने के लिये, सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये। क्या अध्यापकों की मांगें पूरी की जायेंगी और यदि हां तो, किस सीमा तक की जायेंगी ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : हड़ताल कई दिनों तक चलती रही और हड़ताली अध्यापकों ने अपने संघ के माध्यम से मुझसे सम्पर्क स्थापित किया तथा मेरी प्रार्थना पर उन्होंने हड़ताल समाप्त कर दी। अब हड़ताल नहीं चल रही है। यह कहना सही नहीं है कि उनकी केवल एक मांग है। उनकी 10 मांगें हैं और मामले पर गौर किया जा रहा है।

श्री के० मालन्ना : जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूँ, छात्रों और अभिभावकों को केवल भारी असुविधा ही नहीं उठानी पड़ी, अपितु अध्यापकों के एक बहुत बड़े वर्ग को जेलों में ठूंस दिया गया। उनको तथा उनके परिवारों को तंग किया गया। उनके विरुद्ध बदले की भावना से कार्यवाही की गई। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार अध्यापकों के साथ हुई

ज्यादतियों और गन्दे व्यवहार की जांच करायेगी तथा क्या सरकार यह स्पष्ट आश्वासन देती है कि जहां तक अध्यापकों का सम्बन्ध है, उन्हें तंग नहीं किया जाऐगा, और उनके प्रति अत्याचारतमक तथा प्रतिशोधात्मक रवैया नहीं अपनाया जायेगा ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यह बात तो इस प्रश्न में से उठती ही नहीं है ।

सताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । इस आशय का आश्वासन तो पहले ही दे दिया गया है ।

बाढ़ पूर्वसूचना प्रणाली के लिये तन्त्र

***834. श्री हलीमुद्दीन अहमद :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा पूर्व चेतावनी के रूप में बाढ़ पूर्वसूचना प्रणाली के लिए तन्त्र की स्थापना की जा रही है ;

(ख) क्या उसके लिए सभी औपचारिकतायें पूरी कर ली गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक की जानी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) देश में बाढ़ पूर्वानुमान की व्यवस्था 1959 में शुरू की गई थी जब केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली के लिए यमुना नदी पर इस सुविधा की व्यवस्था की गई थी । इस सुविधा का विस्तार धीरे-धीरे देश के असुरक्षित क्षेत्रों विशेषतः अन्तर्राज्यीय बेसिनों में किया जा रहा है । चौथी योजना के अन्त तक केन्द्रीय सरकार द्वारा गंगा और उसकी सहायक नदियों, नर्मदा, तापी, तीस्ता, उड़ीसा की तटवर्ती नदियों और ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों के संबंध में पूर्व-सूचना जारी करने के लिए दिल्ली, लखनऊ, पटना, सूरत, जलपाइगुड़ी, भुवनेश्वर और गोहाटी में सात बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्र स्थापित किये जा चुके थे ।" डिब्रूगढ़, आसनसोल, झांसी, हैदराबाद और गांधीनगर में पांच और केन्द्र स्थापित करके इस सुविधा का और विस्तार किया गया । इस समय, 50 से भी अधिक नियंत्रण कक्षों से पूर्वानुमानों की सूचना जारी की जाती है । कुछ राज्य सरकारों ने भी कुछ ऐसी नदियों के लिए, जो केवल उनके राज्य के अन्दर बहती हैं, ऐसे केन्द्र स्थापित किये हैं ।

श्री हलीमुद्दीन अहमद : मेरे प्रश्न के उत्तर में सभा पटल पर रखा गया वक्तव्य है :

"चौथी योजना के अन्त तक केन्द्रीय सरकार द्वारा गंगा और उसकी सहायक नदियों, नर्मदा, तापी, तीस्ता, उड़ीसा की तटवर्ती नदियों और ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों के संबंध में पूर्व-सूचना जारी करने के लिए दिल्ली, लखनऊ, पटना, सूरत, जलपाइगुड़ी, भुवनेश्वर और गोहाटी में सात बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं ।"

यह बात भली प्रकार विदित है कि 1978-79 के दौरान भारी बाढ़ों के कारण अधिकांश राज्यों में जान-माल तथा फसलों की भारी क्षति हुई । बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को हाल के बाढ़ के प्रकोप से भयंकर क्षति पहुंची । वर्ष के

दौरान कुल क्षति 1091 करोड़ रुपए की हुई। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं 1978-79 में मौसम सम्बन्धी भविष्यवाणी करने वालों से इन क्षेत्रों को कितना लाभ प्राप्त हुआ ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : 1978 के मोनसून में अर्थात् बाढ़ों के दौरान कुल 7385 भविष्यवाणियां की ग जिसकाई लाभ कुछ क्षेत्रों को प्राप्त हुआ क्योंकि इन क्षेत्रों में 24 से 72 घंटे पूर्व जानकारी प्राप्त हो गई थी।

श्री हलीमुद्दीन अहमद : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या राज्यों को कोई अग्रिम योजना सहायता 1978-79 के दौरान दी गई थी और उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : बाढ़ों से प्रभावित राज्यों को अग्रिम योजना सहायता दो गई थी। वे कई सौ करोड़ों में है। प्रश्न यह नहीं है। अतएव मैं विस्तार से उत्तर नहीं दे सकूंगा। बाढ़ों की पूर्वसूचना के लिए 1979-80 की योजना में 1,17,00,000 की व्यवस्था की गई। 1978 से 1983 की योजना में 9 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

प्रो० समर गुह : जब श्री के० एल० राव सिंचाई मंत्री थे तब बाढ़ पर चर्चा के दौरान उन्होंने इस सभा में आश्वासन दिया था कि पश्चिम बंगाल जैसे तटीय क्षेत्रों में जहां बाढ़ों के साथ तूफान भी आते हैं, तूफानों की चेतावनी देने वाले केन्द्रों की कन्नड़, उड़ीसा, आन्ध्र क्षेत्रों में स्थापना की जायेगी। परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उस आश्वासन का क्या बना तथा क्या सरकार उन क्षेत्रों में तूफानों की सूचना देने वाले केन्द्रों की शीघ्र स्थापना करेगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह प्रश्न प्रस्तुत प्रश्न से पैदा नहीं होता। परन्तु मैं जानता हूं कि बहुत से स्थानों पर तूफान चेतावनी केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

प्रो० समर गुह : मेरे निर्वाचन क्षेत्र .....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का संबन्ध आपके निर्वाचन क्षेत्र से नहीं है।

प्रो० समर गुह : इन क्षेत्रों में बाढ़ों के साथ सदा तूफान आते हैं। मैं नहीं समझता सिंचाई मंत्री ने यह किस प्रकार कह दिया। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैं सभी केन्द्रों से जानकारी एकत्र करके माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदत : उन्हें सूचना देनी चाहिए।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : पूर्व चेतावनी देने की व्यवस्था, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया 20 वर्ष से जारी है। यह सच है कि सरकार जितनी जल्दी संभव हो उतनी पूर्व चेतावनी देने की सुविधा लगभग सभी नदियों के क्षेत्रों में दे रही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अधिकांश बृहत नदियां बहुत क्षति पैदा करती हैं क्या वह इन मामलों को प्राथमिकता होगें। दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं, जैसा कि वक्तव्य के उत्तर के अन्त में कहा है कि कुछ राज्यों ने ऐसे केन्द्रों की स्थापना की है, ऐसे कौन से राज्य हैं तथा प्रभावित लोगों तथा क्षेत्रों में किस प्रकार की अतिरिक्त, उपयोगी सूचना ये केन्द्र देते है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इस समस्या का महत्व इसी बात से स्पष्ट है कि तीन सर्कलों की स्थापना की गई है। उन तीन सर्कलों में बहुत से डिवीजनों की, जिनके मुख्यालय प्रत्येक जिला मुख्यालयों में है, स्थापना की गई है। पिछली मानसून के दौरान 115 चेतावनी केन्द्रों से चेतावती दी जाती थी। कुछ राज्यों ने अपनी नदियों के लिए ऐसे ही केन्द्रों की स्थापना की है।

श्री पी० वेंकटा सुब्बया : सभा पटल पर रखे गये पत्र में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में बाढ़ पूर्वानुमान पद्धति जारी की है। क्या मैं मंत्री महोदय का ध्यान जैसा कि प्रो० समर गुह ने बताया, कि तटीय क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं? तीन वर्ष पूर्व आन्ध्र प्रदेश को तूफान से बहुत बुरी क्षति हुई। हैदराबाद में यह पद्धति शुरू की गई है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हुं कि विजयवाड़ा में भी वैसी पद्धति शुरू की जाये क्योंकि वहां पर अधिक बाढ़ें आती हैं? यदि वहां पर ऐसी पद्धति शुरू की जाती है तो लोगों को अधिक लाभ होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : कृष्णा तथा गोदावरी दोनों नदियों के लिए केन्द्र हैदराबाद में हैं, वहीं से बाढ़ों की पूर्व सूचना आसानी से दी जाती है। अन्य स्थानों पर केन्द्रों की आवश्यकता नहीं है।

श्री राम सेवक हजारी : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ की पूर्व सूचना देने के लिए जो स्टेशंस हैं उनका पिछले कई वर्षों का अनुभव यह रहा है कि जब बाढ़ से नुकसान हो जाता है या साइक्लोन से नुकसान हो जाता है तब उसके बाद एनाउन्समेन्ट किया जाता है जबकि उन्हें बाढ़ आने से पूर्व ही सूचना देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पूना का जो वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी भी जो मदद और सहयोग लेना चाहिए वह भी नहीं लिया जा रहा है जबकि दूसरे कन्ट्री वाले उसकी मदद ले रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ इन स्टेशंस को सक्षम बनाने के लिये और बाढ़ से हर साल जो करोड़ों रुपए की क्षति होती है उसको रोकने के लिये वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना की मदद लेकर आप कोई स्थायी व्यवस्था करने जा रहे हैं या नहीं?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : फ्लड वार्निंग 24 से 72 घंटे पहले दी जाती है, ऐसा नहीं है कि फ्लड आने के बाद दी जाती है। जैसा मैंने पहले अर्ज किया है, बाढ़ से क्षति तो एडवांस्ड कन्ट्रीज में भी हो रही है, आपने सुना होगा अमरीका में मिसिसिपी में बाढ़ से 600 मिलियन डालर्स का नुकसान हो चुका है और दूसरे इलाके भी अफेक्टेड हो रहे हैं।

पूना में जो इंस्टीट्यूट है उससे जो कुछ भी फायदा हम लेना चाहते हैं वह ले रहे हैं लेकिन फोरकास्टिंग के लिए उसका कोई फायदा हम नहीं ले सकते हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् का आन्ध्र प्रदेश में प्रादेशिक केन्द्र

*835. **श्री पी० राज गोपाल नायडू** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने सरकार को लिखा है कि आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय शैक्षिफ अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् का प्रादेशिक केन्द्र स्थापित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) ऐसा कोई पत्र पिछले कुछ दिनों में प्राप्त हुआ प्रतीत नही होता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री पी० राज गोपल नायडू : मैं अपनी सरकार को लिखूंगा कि एक प्रति मंत्री महोदय को भेज दें। आन्ध्र प्रदेश के सभी सदस्यों ने मंत्री महोदय से निवेदन किया है कि आन्ध्र प्रदेश में एन०सी०ई०टी०आर० के एक केन्द्र की स्थापना की जाये।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं पहले ही स्थिति सदस्य महोदय से स्पष्ट कर चुका हूं। एन० सी० ई० टी० आर० की पूरी कार्यविधि का पुनरीक्षण किया जा रहा है। हमने यह कार्य भारत के प्रशासनिक सटाफ कालेज को सौंपा है। इस पूरे पहलू पर विचार करने के बाद हम उनके निवेदन पर ध्यान देंगे।

आसाम तथा उसके पड़ोसी राज्यों में गेहूं के मूल्यों में वृद्धि

***838. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम तथा उसके पड़ोसी राज्यों में गेहूं की कमी के कारण उसके मूल्यों में वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि आसाम तथा उसके पड़ोसी राज्यों के लोगों को कम मूल्यों पर गेहूं उपलब्ध हो सके ; और

(ग) सरकार के पास गेहूं का भारी स्टाक होने के बावजूद देश में कुछ लोगों के लिए गेहूं की कमी होने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) पिछले कुछ महीनों के दौरान रेल परिवहन में बाधाएं आने के कारण असम और उसके पड़ोसी राज्यों में पर्याप्त मात्रा में स्टाक भेजने में कुछेक कठिनाइयां आई हैं। अरुणाचल प्रदेश की सरकार को छोड़कर, जिन्होंने खुले बाजार में गेहूं के मूल्य में वृद्धि होने के बारे में सूचित किया है, उक्त क्षेत्र की किसी अन्य सरकार ने गेहूं के मूल्य में वृद्धि होने के बारे में कोई सूचना नहीं दी है। तथापि, सरकार इन राज्यों में खाद्यान्न भेजने के लिए अपने पूरे प्रयत्न कर रही है। न्यू बोगाय-गांव से भी आगे सड़क द्वारा संचलन कर रही है ताकि वहां पर उपलब्ध नौकान्तरण सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि की जा सके और इन राज्यों को और अधिक स्टाक भेजा जा सके।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उन प्रदेशीय सरकारों के द्वारा केन्द्रीय सरकार से गेहूं मांगा गया है। यदि मांगा गया है तो कितनी मात्रा में गेहूं मांगा गया है और क्या वह केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजा गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, जितनी मात्रा में वहां गेहूं या दूसरा अनाज पहुंचना चाहिए था, वह पिछले दो, तीन महीनों से नहीं पहुंच रहा है और इसका कारण यह है कि शुरू में तो बाढ़ आई, जिस से रेलों का आना-जाना डिसरप्ट हो गया। फिर बिहार में काफी दिनों तक उपद्रव

चलते रहे, जिसमें रेलों के डिब्बों का वहां से पास होना कठिन था और उसके बाद रेलवे कर्मचारियों ने तरह-तरह के आन्दोलन किए, हड़ताल की और गो-स्लो टैक्टिक्स एडोप्ट की।

श्री हुकम चन्द कछवाए : कितना मांगा गया था ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : वहां 70 हजार टन की जरूरत थी और उसमें कुछ कमी हो गई लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने कदम उठाए हैं और उम्मीद यह है कि वह कमी पूरी हो जाएगी और पूरा अनाज वहां पहुँचेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि देश के उन क्षेत्रों में जहां गेहूं का उत्पादन कम होता है, भविष्य में इस प्रकार की कमी न हो और वर्ष भर वहां की जनता को सस्ते मूल्यों पर गेहूं उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार भविष्य में क्या योजना बना रही है और किस तरह से गेंहू को आदि वहां की जनता को सुचारू रूप से उपलब्ध कराएगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, इन सारी कठिनाइयों के बावजूद भी गल्ला पहुंच जाएगा, इसका आश्वासन दे रहे हैं। कोई कमी वहां नहीं पड़ी है क्योंकि पहले का स्टाक था। अब हमारा रिजर्व कम हो गया है और उसको पूरा करने के लिए सभी संभव उपाय अपनाए जा रहे हैं। रेलवे ने भी अपने प्रशासन को चुस्त किया है और अब वहां डिब्बे भी पहुँच रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम ने एफ० सी० आई० के द्वारा ट्रक्स से काफ़ी माल न्यू बौंगाई गां से उठा कर आसाम में पहूंचाने की बात की है।

भविष्य की बात ऐसी है कि हम हमेशा इसके लिए सतर्क रहते है लेकिन कब बाढ़ आ जाएगी या कब और मुसीबत आ जाएगी, यह कहा नहीं जा सकता और जब ऐसा होगा, तब देखा जाएगा।

श्री विनायक प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, अब गेहूं काटने का समय है और गेहूं कट कर किसानों के पास तैयार है और वह उसको बेचने के लिए तैयार हैं। बिहार में सरकार ने गेहूं की कीमत 115 रुपये प्रति क्वींटल तय की है लेकिन बिहार में गेहूं को ....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का सम्बन्ध आसाम से है।

श्री विनायक प्रसाद यादव : लेकिन बिहार में गेहूं के दाम 70, 80 रुपये प्रति क्वींटल हो गए हैं जबकि किसानों को लगभग डेढ़ सौ रुपये एक क्वींटल गेहूं पैदा करने में खर्च करना पड़ता है। जो सरकार ने सपोर्ट प्राइस तय की है, उस पर गेहूँ लेने के लिए बिहार में कोई तैयार नहीं है और इससे किसानों को जबर्दस्त घाटा हो रहा है। मैं आपके जरिये सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसा इन्तज़ाम किया है जिससे जो सपोर्ट प्राइस गेहूं की सरकार ने धोषित की है, उससे कम में उनका गेहूं न बिके ? इसके लिए कौन-सी कार्यवाही सरकार करने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बेदव्रत बरुआ : हर समय कमियां होती हैं, अब जब कि देश भर में अनाज की बहुतात है, परन्तु आसाम में कोई स्टोक नहीं है। मुझे दर्जनों तारें प्राप्त हुई हैं। मंत्री महोदय

के इस कथन के बावजूद कि कार्यवाही की जा रही है, अभी भी कुछ नहीं किया गया। क्या मंत्री महोदय भारतीय खाद्य निगम से वास्तव में माल भेजने तथा गोदामों के निर्माण के लिए जोर डालेगी ताकि वस्तुएं वास्तव में वहां पर मिल सकें। आज व्यवहारतः सभी मिलें गेंहूं न मिलने से बन्द हो रही हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं बता चुका हूँ कि रेलवे ने अपना प्रशासन सुदृढ़ कर दिया है तथा माल-डिब्बे उपलब्ध होने लगे हैं। हमने परिवहन व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया है तथा शीघ्र ही स्थिति में सुधार आयेगा।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : हमारी मंत्री महोदय से पूरी सहानुभूति है। कुछ कठिनाइयों के कारण वह आसाम में गेहूं नहीं भेज सके। परन्तु इस्पात अधिकरण सभी राज्यों की राजधानियों को इस्पात भेज पाते हैं। उसी प्रकार परिवहन का जो भी साधन उपलब्ध होता हो उपयोग में लाया जाना चाहिए। उन्हें फरक्का के मामले में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्या मंत्री महोदय वही नीति अपनायेंगे जो इस्पात के परिवहन में अपनायी जा रही है, राज्य के व्यय पर उत्तर-पूर्वीय क्षेत्र में जितनी भी गेहूं की आवश्यकता है वे रेल, सड़क अथवा किसी भी प्रकार से भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पहुंचाया जाये ?

श्री भानु प्रताप सिंह : कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है। भारतीय खाद्य निगम अतिरिक्त व्यय देगा।

अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन पर राज्य सरकारों के विचार

***842. डा० रामजी सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन पर राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) कितने राज्यों ने तीन स्तरीय व्यवस्था का विकल्प दिया है और कितने राज्यों ने खंड पंचायतों का ;

(ग) कितने राज्य दलगत आधार पर पंचायती चुनाव चाहते हैं और कितने राज्यों ने इसका विरोध किया है ;

(घ) कितने राज्य चाहते हैं कि आय के स्रोत उन्हें सौंप दिये जायें जैसा कि प्रतिवेदन में सुझाव दिया गया है ; और

(ङ) कितने राज्य इस बात को मानते हैं कि प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुसार उत्तरदायित्व एवं शक्तियां उनको सौंपी जायें ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) अब तक नौ राज्यों तथा दो केन्द्र शासित क्षेत्रों ने अशोक मेहता पंचायती राज समिति की रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां भेजी हैं, जिनसे मोटे तौर पर यह पता चलता है कि उन्होंने रिपोर्ट को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है।

(ख) अब तक प्राप्त टिप्पणियों के अनुसार, छः राज्य तथा एक केन्द्र शासित क्षेत्र वर्तमान त्रिस्तरीय प्रणाली को जारी रखने के पक्ष में है।

सभी 8 राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों ने खण्ड पंचायतों को पसन्द किया है।

(ग) अब तक प्राप्त टिप्पणियों के अनुसार, दो राज्य दलगत आधार पर पंचायती राज निकायों के सभी स्तरों के चुनाव के पक्ष में हैं। एक राज्य केवल जिला परिषद् के चुनावों के बारे में इसके पक्ष में है। चार राज्य तथा एक केन्द्रशासित क्षेत्र दलगत आधार पर चुनाव कराये जाने के विरुद्ध हैं। दो राज्यों तथा एक केन्द्रशासित क्षेत्र ने कोई टिप्पणी नहीं दी है।

(घ) अब तक प्राप्त उत्तरों से पता चलता है कि चार राज्य तथा एक केन्द्रशासित क्षेत्र पंचायती राज निकायों को आय के स्रोत सौंप जाने के पक्ष में हैं।

(ङ) जैसा कि अब तक प्राप्त टिप्पणियों से मालूम हुआ है, चार राज्य यह स्वीकार करते हैं कि रिपोर्ट में सिफारिश किए गए उत्तरदायित्वि तथा शक्तियां पंचायती राज निकायों को हस्तांतरित कर दी जानी चाहिए।

डा० रामजी सिंह : पंचायत परिषद् पंचायतों की एक बड़ी संस्था है। अशोक मेहता समिति की जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसमें उनका कुछ मत वैभिन्य है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में पंचायत परिषद् से विचार-विमर्श करके समाधान निकालने की कोशिश करेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह : पंचायत परिषद् के विचार भी हमें प्राप्त हुए हैं। हम राज्य सरकारों से भी विचार प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक केवल नौ दस राज्यों ने ही अपने विचार लिखकर भेजे हैं। जब सभी राज्य सरकारों के आ जायेंगे उसके बाद ही सरकार अपना मत बना सकेगी।

डा० रामजी सिंह : पंचायत परिषद् का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसमें पंचायतों का जो बुनियादी सिद्धान्त है उसकी ओर ध्यान दिलाने का प्रयास किया गया था और यह भी उसने कहा था कि ग्राम पंचायत का यूनिट क्या हो इसके सम्बन्ध में पंचायत परिषद् के कुछ अपने विचार हैं। पंचायत परिषद् की कमेटी की जो रिपोर्ट है और अशोक मेहता कमेटी की जो रिपोर्ट है इन दोनों में जो बुनियादी फर्क है इसको देखते हुए अगर सरकार मेहता कमेटी की संस्तुति को स्वीकार कर लेती है तो पंचायतों का जो स्वाभाविक स्वरूप है क्या वह उससे नष्ट नहीं हो जाता है ? अगर यह स्वाभाविक स्वरूप नष्ट हो जाता है तो उसको प्रतिष्ठित करने के लिए सरकार कुछ उपाय करेगी क्योंकि पंचायत परिषद् के विचार में अशोक मेहता कमेटी की जो रिपोर्ट है वह पंचायतों की अन्तर्रात्मा पर कुठाराघात करती है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली यह है कि सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है। दूसरी यह है कि पंचायत परिषद् के विचारों से हम अवगत हैं। साथ ही जिन राज्य सरकारों की प्रतिक्रियायें प्राप्त हुई हैं उनमें से अधिकांश गांवों को ही पंचायती इकाई के रूप में मानने के पक्ष में हैं, उनके पक्ष में ही उन्होंने अपना मत दिया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेगिस्तानी क्षेत्रों में पौधे उगाने के लिए पात्र सिंचाई पद्धति

*828. **श्री दयाराम शाक्य**: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने रेगिस्तानी क्षेत्रों में सब्जियों और पौधों की खेती के लिए पात्र सिंचाई पद्धति का विकास किया है जिसके अन्तर्गत वाष्पन को 90 प्रतिशत से कम करके 50 प्रतिशत तक लाया गया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार देश में रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए उक्त पद्धति को अपनाने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) प्रमुख भारतीय विदेशी पत्रिकाओं में प्रकाशित वैज्ञानिक साहित्य के आधार पर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को पाकिस्तान द्वारा विकसित पात्र सिंचाई की किसी विशिष्ट प्रौद्योगिकी की जानकारी नहीं है।

(ख) भारत में पात्र सिंचाई की प्रौद्योगिकी बहुत समय से ज्ञात है और इस प्रणाली की कुशलता का परीक्षण केन्द्रीय मरू क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, कृषि महाविद्यालय, जोबनेर तथा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में किया गया है। किन्तु परिणाम बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहे। फसलें उगाने की इस प्रौद्योगिकी की कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि पात्रों की कमजोरी, विस्तृत क्षेत्रों में पात्रों के भरने में कठिनाई, छिद्रों का बन्द होना और जहां सिंचाई हेतु अच्छी क्वालिटी का पानी उपलब्ध नहीं है वहां पात्रों की अनुपयुक्तता।

सस्ते और कम वजन वाले डायलाइजर का विकास

*831. **श्री आर० के० महालगी**: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पोवई-बंबई के एक छात्र ने सस्ते और कम वजन वाले डायलाइजर (कृत्रिम गुर्दे) का सफलतापूर्वक विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या जरूरतमन्द लोगों को यह उपकरण उपलब्ध करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) और (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के छात्रों द्वारा अपने शैक्षिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सस्ते और कम वजन वाले एक डायलाइजर (कृत्रिम गुर्दे) के लिए कुछ विकास कार्य करने का प्रयास किया गया है। कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है और अभी तक जारी है।

(ग) क्योंकि कार्य अभी पूरा होना है अतः ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार करने का समय अभी नहीं आया है।

शिक्षा की 10+2 प्रणाली आरम्भ करने के लिए मध्य प्रदेश को सहायता

***833. श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में शिक्षा की नई प्रणाली अर्थात् 10+2 प्रणाली लागू की जा रही है ; और यदि हां, तो इस योजना पर कितना व्यय होने की संभावना है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दिए जाने का विचार है और यह कब तक दी जाएगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) स्कूली शिक्षा की नई पद्धति मध्य प्रदेश में जुलाई, 1979 से आरम्भ होने की सम्भावना है। प्रारूप राज्य योजनाओं के अनुसार 1978-83 और 1979-80 के दौरान नई स्कूली शिक्षा के लिए प्रस्तावित राशियां क्रमशः 14.03 करोड़ रुपए और 3.78 करोड़ रु० हैं।

(ख) और (ग) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता की योजना के अन्तर्गत सभी 45 जिलों में व्यावसायिक सर्वेक्षण करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को राज्य योजनाओं के कुल योजना प्रावधान व अतिरिक्त अभी तक 4.50 लाख रु० दिए जा चुके हैं। 1979-80 से आगे कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाएगी क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन० डी० सी०) के निर्णय के अनुसार यह योजना राज्य क्षेत्र में स्थानांतरित कर दी गई है।

भारतीय बस्टर्ड वाले इलाकों में कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग

***836. श्री एफ० पी० गायकवाड़** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय बस्टर्ड़ के गृह के आस-पास के क्षेत्रों में कीटनाशी दवाइयों के अन्धाधुंध प्रयोग से और इनके शिकार के परिणामस्वरूप इनके अस्तित्व को बड़ा जबरदस्त धक्का पहुंचा है।

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इस पक्षी का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका प्रजनन काल बहुत दीर्घ है और वन में सामान्यतः केवल एक अंडे से ही बच्चा निकल पाता है।

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बस्टर्ड के शिकार पर रोक लगाने के लिए विशेष उपाय करने का है जिसका वंश तेजी से समाप्त हो रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उन उपायों की रूप-रेखा क्या है।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सरकार को भारतीय बस्टर्ड के गृह के आसपास के क्षेत्रों में कीटनाशी दवाइयों के अन्धाधुंध प्रयोग की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) भारतीय बस्टर्ड के संरक्षण के लिए अपनाए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972, जिसे अब लगभग सभी राज्यों ने अपना लिया है, के बन जाने से, भारतीय बस्टर्ड सहित खतरे में पड़ी हुई वन्य जातियों को बचाने के लिए विशेष कानूनी संरक्षण मिला है तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है ।

(2) भारतीय बस्टर्ड सहित खतरे में पड़ी अधिकांश जातियों के निर्यात व्यापार पर नियन्त्रण लगाया गया है, विशेषकर 1976 से, जब से भारत वन्य वनस्पति एवं जीव-जन्तुओं की खतरे में पड़ी जातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विषयक सम्मेलन का सदस्य बना है ।

(3) राजस्थान में मरुस्थल राष्ट्रीय पार्क, जिसमें भारतीय बस्टर्ड का वास स्थल भी शामिल है, की स्थापना का प्रस्ताव, भारत सरकार के विचाराधीन है ।

(4) सम्बन्धित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे राष्ट्रीय उद्यान एवं आश्रय स्थलों के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना तैयार करने की दृष्टि से वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत भारतीय बस्टर्ड के आश्रय स्थलों की स्थापना करने की संभावनाओं का पता लगायें ।

सोन नदी आयोग की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच समझौता

*837. **श्री भारत सिंह चौहान :**

श्री छबि राम अर्गल :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोन नदी आयोग की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के बीच कोई समझौता हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग की स्थापना कब तक की जायेगी ; और

(ग) इस आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं और आयोग के समक्ष मुख्य विचारार्थ विषय क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां ।

(ख) आयोग को शीघ्र स्थापित करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है परन्तु इस समय कोई निश्चित तारीख बताना संभव नहीं है ।

(ग) आयोग के गठन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । इसके विचारार्थ विषयों में ये शामिल होंगे—जलवैज्ञानिक तथा जल-मौसम वैज्ञानिक आंकड़ों का एकत्रण और विश्लेषण,

सोन नदी के जल के वर्तमान तथा प्रस्तावित उपयोग तथा सोन नदी के जल के इष्टतम उपयोग के लिए व्यापक बेसिन तथा क्षेत्रीय योजनाओं का तैयार करना ।

टेलीफोन सैटों का आयात

*839. **श्री सी० आर० महाटा :**

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 2 लाख टेलीफोन सैटों का आयात करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) 2 लाख सामान्य टेलीफोन सैटों का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन 90,000 'प्लान' टाइप के स्विचिंग किस्म के उपस्कर आयात करने पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) 90,000 'प्लान' उपस्कर के टेंडर आमंत्रित किये गए थे । इनका मूल्यांकन किया जा रहा है ।

'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई किए गए गेहूं और चावल की किस्म की जांच

*840. **श्री एन्थू साहू** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई किया गया गेहूं और चावल मानव उपभोग के उपयुक्त नहीं हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से अच्छे किस्म का चावल सप्लाई किया जाये ; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खराब किस्म के चावल की सप्लाई न होने देने के लिए क्या तरीके निर्धारित हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं । यह कहना सही नहीं है कि उड़ीसा में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई किया गया चावल मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है ।

(ख) व (ग) भारतीय खाद्य निगम के प्राधिकारियों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई किए गए खाद्य उचित औसतन क्वालिटी के अनुरूप हों, तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों की सप्लाई में किसी प्रकार की शिकायत न हो । काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोग के लिए खाद्यान्नों की सुपुर्दगी लेने से पूर्व, राज्य सरकारों को हरेक की क्वालिटी की जांच करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है । कोई भी खाद्यान्न जो उचित

औसतन क्वालिटी के अनुरूप न हो, उनके द्वारा स्वीकार किए जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यक हो, तो उन्हें सुपुर्दगी लेने से पूर्व खाद्यान्नों की क्वालिटी का संयुक्त निरीक्षण कर लेना चाहिए तथा यदि कोई शिकायत हो, तो उसे हमारे ध्यान में लाना चाहिए।

दहेज

*841. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

श्री एडुआर्डो फैलीरो :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गत दो वर्षों में देश में दहेज के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस वृद्धि के कारणों का विश्लेषण किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य के लिए सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का समर्थन लेकर इस बुराई के विरुद्ध जनमत बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(घ) सरकार पहले ही केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और स्वयंसेवी संगठनों को लिख चुकी है कि शिक्षा के माध्यम से इस समस्या से निपटने के लिए बोध-अभियान संगठित किये जाएं।

पंजाब वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

*843. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :**

श्री मोहम्मद शमसुल हसन खान :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पंजाब वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों के विरुद्ध 1974 से 1977 तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच की जानकारी है और क्या इस बारे में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रत्यक्षतः भ्रष्टाचार के मामले बनते हैं ; और

(ग) क्या इन पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच रिपोर्ट के अनुसार, सभी सात आरोपों के मूल रूप में कुछ सत्यता है जिन की जांच की गई और इस बात की काफी शंका है कि भूतपूर्व

पंजाब वक्फ बोर्ड के कुछ पदाधिकारी अनियमितता, अस्थायी आपराधिक विश्वास भंग आदि जैसे दण्डात्मक अपराधों में लिप्त हो सकते हैं । मौजूदा पंजाब वक्फ बोर्ड को कहा गया है कि उनके पास उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वह तथ्य और ब्यौरे प्रस्तुत करें जिस से इस बात की पुष्टि की जा सके कि इन आरोपों से संबंधित कोई वास्तविक मामला तो नहीं बनता । पंजाब वक्फ बोर्ड से मांगी गई सूचना प्राप्त होने पर आगे की आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

काजू विकास परियोजनायें

*844. **श्री शंकर सिंह जी वाघेला :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में काजू के लिये कोई विकास परियोजनायें तैयार कर ली हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ; और

(ग) क्या इन परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक ने कोई सहायता दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान विभिन्न राज्यों में क्रियान्वयन के लिये स्वीकृत योजना की मुख्य बातें विवरण में दी गई हैं, जो सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं । तथापि केरल में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक परियोजना में, जिसमें मुख्य बल नारियल पर दिया गया है, काजू का भी एक छोटा सा भाग रखा गया है । इसमें राज्य के अधीन 2280 हैक्टार क्षेत्र के बागानों का पुनर्रोपण तथा 1470 हैं क्टार क्षेत्र में नई पौद लगाने की व्यवस्था है जिसके लिए 90 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है ।

विवरण

वर्ष 1979-80 के दौरान भारत में काजू के विकास के लिये क्रियान्वित की जाने वाली निम्नांकित योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है । सहायता के स्वीकृत पैटर्न के अनुसार इन योजनाओं की लागत केन्द्र और राज्यों के द्वारा 50:50 के आधार पर वहन की जाएगी ।

(i) **उत्पादकों के बगीचों में प्रदर्शन प्लाटों की व्यवस्था करना :** यह कार्य काजू की खेती की उन्नत तकनीकों को अपनाने, अर्थात् खाद देने और क्रमियों तथा रोगों से वनस्पति की रक्षा करने, के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिये किया गया है । इस उद्देश्य के लिए उत्पादकों को 3 वर्ष के लिये राज-सहायता के रूप में 500/–रुपये प्रति हेक्टार की दर से धनराशि प्रदान की जाती है । 9.28 लाख रुपये की कुल लागत से 0.8 हैक्टार के 900 प्लाट तैयार करने का प्रस्ताव है ।

(ii) **पौद-उद्यान लगाना :** यह कार्य अनुसंधान केन्द्रों में विकसित श्रेष्ठ बीजों और अच्छी किस्म के अधिक उपज देने वाले पेड़ों से प्राप्त काजुओं के 'क्लोनल' बगीचे

लगाने के लिये किया जा रहा है ताकि भविष्य में इसका संवर्धन सामग्री के स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सके। 9.09 लाख रुपये की लागत से कुल 690 हैक्टार क्षेत्र इसके तहत लाया जाना है।

उपर्युक्त दो योजनायें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गोवा में चल रही हैं।

(iii) **आन्ध्र प्रदेश में काजू की श्रेष्ठ किस्म के बीजों का उत्पादन** : इसका उद्देश्य कई वर्षों के उत्पादन रिकार्डों के आधार पर अधिक उपज देने वाले मूल वृक्षों का पता लगाना है ताकि भावी संवर्धन के लिये बीजों के मूल स्रोत के रूप में उनका उपयोग किया जा सके। इस उद्देश्य के लिये राज्य के वन विभाग के अधीन 50 हैक्टार का एक उद्यान चुना गया है और वर्ष 1979-80 के दौरान 0.50 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(iv) **वानस्पतिक संवर्धन द्वारा काजू में सुधार लाना** : यह कार्य कलम लगा कर या मुकुलन द्वारा नये लगाये गये वर्तमान बागानों की उत्पादन में सुधार लाने के लिये है, ताकि उनको अधिक उपज देने वाले अच्छी किस्म के पेड़ों के रूप में बदला जा सके। आलोच्य वर्ष के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और गोवा राज्यों में 8.0 लाख रुपये की कुल लागत से 2825 हैक्टार क्षेत्र इसके अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है।

(v) **विभागीय तथा गैर-विभागीय क्षेत्रों में काजू के राज-सहायता प्राप्त बागान लगाना** : यह योजना विभागीय क्षेत्रों (सरकारी भूमि) के 60,000 हैक्टार क्षेत्र में तथा गैर-विभागीय क्षेत्रों (निजी भूमि) के 85,000 हैक्टार क्षेत्र में 5 वर्षों की अवधि के दौरान एक क्रमबद्ध तरीके से काजू के बागान लगाने की दृष्टि से वर्ष 1976-77 में स्वीकृत की गयी थी। इस योजना के तहत दो वर्षों की अवधि के लिये सरकारी बागानों के लिये प्रति हैक्टार 500 रुपये तथा निजी पौध-रोपण के लिये प्रति हैक्टार 300 रुपये की राज सहायता दी जाती है। वर्ष 1979-80 के दौरान 15,700 हैक्टार क्षेत्र में नयी पौध-रोपण तथा विभागीय और गैर-विभागीय दोनों क्षेत्रों में पहले रोपित किये गये 35,750 हैक्टार क्षेत्र के रख-रखाव के लिये राज सहायता हेतु 93.50 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गयी है। यह योजना केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और गोवा में क्रियान्वित की जा रही हैं।

सौंदर्य प्रतियोगितायें

8002. डा० रामजी सिंह :

श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सौंदर्य प्रतियोगिताओं के बारे में बढ़ते हुये आन्दोलन के बारे में जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार के विचार में ऐसी प्रतियोगितायें स्त्री जाति का अपमान है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ऐसी प्रतियोगितायें आयोजित करने के लिए प्रोत्साहन और अवसर क्यों देती है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) कुछ समय पूर्व समाचारपत्रों में छपी खबरों से "सौंदर्य प्रतियोगिताओं" के विरुद्ध नाराज़गी और उद्वेग का पता चलता है ।

(ख) कोई दृष्टिकोण निर्धारित कर सकने से पहले ऐसी प्रतियोगिताओं के स्वरूप और रूपात्मकताओं की सतर्कता से जांच आवश्यक होगी ।

(ग) सरकार ने ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रोत्साहित नहीं किया है ।

नारियल विकास निदेशालय के मुख्यालय को कासरगोड स्थानान्तरित करना

8004. श्री सी० के० चद्रापन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नारियल विकास निदेशालय के मुख्यालय को कोचीन से कासरगोड स्थानान्तरित करने के बारे में एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उक्त संस्थान के कर्मचारी संघ ने इसका विरोध किया है और एक संकल्प स्वीकृत किया ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) तथा (घ) नारियल विकास निदेशालय के कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें सुझाव दिया गया था कि नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय कोचीन में होना चाहिए । इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

लारेन्स रोड, नई दिल्ली में मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों में घटिया सामग्री का प्रयोग

8005. श्री सरत कार :

श्री पायस टिर्की :

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लारेन्स रोड में मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों में घटिया सामग्री प्रयोग में लाये जाने के बारे में 8 मार्च, 1979 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार ठीक है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ग) अलाटियों को क्या राहत दी जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कोटि नियन्त्रण कक्ष ने लारेन्स रोड में सी०–2 पाकेट के मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के निर्माण के बारे में शिकायतों की जांज की। निरीक्षण में घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग के बारे में नहीं बताया गया परन्तु कारीगरी में त्रुटियां पाई गईं। इनमें फर्शों की घुटाई, पाइपों के त्रुटिपूर्ण जोड़ों के कारण पानी के रिसने, कुछ मामलों में पलस्तर की भली भांति तराई न होने के, कुछ मामलों में सीमेंट पेन्ट की कम तराई करने आदि जैसी त्रुटियां शामिल हैं।

(ख) संरचनात्मक किस्म की त्रुटियों अथवा कारीगरी में त्रुटियों को ठेकेदार के जोखिम और उसकी लागत पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दुरुस्त किया जा रहा है। जो त्रुटियां स्पष्टतया आबंटियों के अनुरक्षण की कमी के कारण हैं उनका उत्तरदायित्व दिल्ली विकास प्राधिकरण का नहीं है।

(ग) सुधार-कार्य किए जा रहे हैं जैसे कि उपर्युक्त (ख) में बताया गया है।

गोलाघाट आसाम के अवशेषों का ऐतिहासिक महत्व

8006. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आसाम राज्य में शिबसागर जिले के गोलाघाट सब डिवीजन में दीमापुर, कच्छमारी, पत्थर, देवपर्वत तथा अन्य स्थानों पर पुराने कछारी अवशेषों को परिरक्षित स्मारक घोषित किया है ;

(ख) क्या इन अवशेषों के ऐतिहासिक महत्व का पता लगाने के लिए विशेषों ने इनकी जांच की थी ;

(ग) इन अवशेषों के ऐतिहासिक महत्व के बारे में उन्होंने वस्तुतः क्या अनुमान लगाया ; और

(घ) क्या इन क्षेत्रों को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) केन्द्रीय सरकार ने दीमापुर में किले के अवशेषों (दीमापुर के खंडहरों) दाह परबतिया में मंदिर के टीले और खंडहरों तथा शिबसागर जिले में उन्नीस स्मारकों/स्थलों को संरक्षित घोषित किया है। शिबसागर जिले के केन्द्र संरक्षित स्मारकों/स्थलों का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जबकि दाह परबतिया में ध्वस्त मन्दिर का सूक्ष्मरूप से उत्कीर्ण मूर्तियों वाली द्वार-चौखट (5वीं छठी ई० शताब्दी) गुप्त कालीन कलासिकी कला-परम्परा का उत्कृष्ट उदाहरण है, अन्य स्थानों के स्मारक बाद के हैं तथा कछारी और अहोम राजवंश के हैं।

शिबसागर जिले के संरक्षित स्मारक, जो अधिकतर ईसा की 17वीं 18वीं शताब्दी के हैं अहोम काल की मूर्तिकला और वास्तुकला की उपलब्धि के अनोखे नमूने हैं।

(घ) फिलहाल पर्यटक-आकर्षण की दृष्टि से इन स्थानों के विकास के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग की कोई योजना नहीं है।

विवरण

असम राज्य

शिबसागर जिला

क्र० सं०	स्थान	स्मारक-स्थल का नाम
1.	गढ़गांव	अहोन राज प्रसाद
2.	गौरी सागर	विष्णु दोल
3.	,,	देवीदोल
4.	,,	शिवदोल
5.	जयसागर	विष्णुदौल
6.	,,	देवीदोल
7.	,,	घनश्याम भवन
8.	,,	गोलकघर या शत्रागार
9.	जय सागर (शिलाकुटि और मेटेका बोनगांव मौजा)	अहोम राजाओं के कारेंगघर
10.	,,	रंगघर अवशेष
11.	जयसागर	शिवदोल
12.	कसोमारी पाथर	एकाश्मक
13.	भेटेका	रंगनाथ दोल
14.	नेग्रितिग	शिवदोल
15.	शिवसागर	विष्णुदोल
16.	,,	देवीदोल
17.	,,	शिवसागर तालाब के किनारे पर अहोमकालीन आठ तोपे
18.	,,	शिवदोल
19.	चराईदेव	चार सुन्दरियों का समूह

युवा नीति

8007. श्री श्याम सुन्दर लाल : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चण्डीगढ़ में आयोजित राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में, राष्ट्रीय विकास के उद्देश्य से युवा संबंधी नीति को समेकित करने की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया गया था ;

(ख) क्या उक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कोई कारगर कदम सुझाये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनका ध्यान इस महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाया गया है और इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) युवा कार्यकलापों की सरकारी नीति पर एक राष्ट्रमंडलीय बैठक मार्च 1979 में आयोजित की गई थी । विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रख कर बैठक में सामान्य तौर पर विचार-विमर्श युवा नीति से संबंधित था । तथापि, बैठक के कार्यवृत अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं । कार्यवृत्त प्राप्त होने के बाद केन्द्रीय सरकार कार्यवृत्त में निहित सिफारिशों पर उचित विचार करेगी ।

वर्ष 1979-80 में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अधीन गेहूं और चावल

8008. श्री पवित्र मोहन प्रधान : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1979-80 में काम के बदले अनाज योजना के अनुसार विभिन्न राज्यों को, राज्यवार कितनी मात्रा में व कितने मूल्य के गेहूं और चावल सप्लाई किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या 'काम के बदले अनाज' योजना के अन्तर्गत राजस्थान को सबसे अधिक मात्रा में अनाज मिलता है और इस प्रयोजन के लिए उड़ीसा दूसरे स्थान पर आता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1979-80 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यों के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए के मूल्य के 15 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के प्रभावकारी उपयोग का एक अनन्तिम लक्ष्य निर्धारित किया गया है । राज्यवार आबंटन तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) जी, हां ।

(ग) 1978-79 के दौरान राजस्थान सरकार को बंटित मात्रा 261 लाख मीटरी टन थी तथा उड़ीसा के लिए यह 203 लाख मीटरी टन थी ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पोर्ट ब्लेयर के श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिकों के साथ हाथापाई

8009. श्री मनोरंजन भक्त : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के श्रमिकों ने फरवरी, 1979 में विभाग के वैज्ञानिकों के साथ बेरहमी के साथ हाथापाई की, यदि हां, तो उसका ब्यौरा और कारण क्या है;

(ख) क्या सरकार ने संबंधित दोषी श्रमिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(ग) क्या ये दोषी श्रमिक किसी राजनीतिक दल अथवा किसी राजनीतिक दल द्वारा नियंत्रित ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं, यदि हां, तो उसका नाम क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां, श्रीमान। केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर (अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह) के निदेशक और वहां के चार अधिकारियों पर, दिनांक 6 फरवरी, 1979 को शाम के समय जब कि वे कार्यालय से लौट रहे थे, हमला किया गया। बताया जाता है कि ये अपराधी कुछ ऐसे नैमित्तिक मजदूर थे जिनकी सेवाएं मौसमी कार्य होने के कारण समाप्त कर दी गई थीं।

(ख) स्थानीय पुलिस में इस मामले को दर्ज करा दिया गया है जो आगे इसकी छानबीन कर रही है ।

(ग) इस स्थिति में यह कहना संभव नहीं है कि कथित अपराधी किसी राजनैतिक दल से अथवा राजनैतिक दल द्वारा नियन्त्रित किसी ट्रेड यूनियन से सम्बन्धित थे क्योंकि पुलिस की छानबीन अभी तक पूरी नहीं हो पायी है ।

ईस्ट मोतिया बाग, बाग कड़े खां और पदम नगर, दिल्ली का विकास

8010. श्री पायस टिर्की : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्ट मोतिया बाग, बाग कड़े खां और पदम नगर को वर्ष 1943 से गन्दी बस्ती घोषित किया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गन्दी बस्तियों को हटाने, जो निकट स्थित डी० डी० ए० की रिहायशी कालोनियों के लिये खतरा बनी हुई हैं और दुकानें, समाज सदन, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि का निर्माण करने जैसे चहुंमुखी विकास के लिये, जोकि उक्त क्षेत्रों में मानवीय जीवन के लिये बहुत आवश्यक हैं तथा जिनके अभाव में उक्त कालोनियों के निवासिणें को बहुत अधिक असुविधा हो रही है, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर हां में है तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यहां के निवासियों को यह सुविधाएं देने और उन्हें उपरोक्त कठिनाइयों से राहत देने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पूनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं। परन्तु ये क्षेत्र 1957 में 'गन्दी बस्ती' क्षेत्र घोषित किये गये थे ।

(ख) बाग कड़े खां तथा पदम नगर दिल्ली नगर निगम द्वारा पहले ही अनधिकृत कालोनी के रूप में नियमित किये जा चुके हैं। सराय रोहिल्ला पुनर्विकास योजना का पूर्वी मोतिया बाग नामक भाग को भी उन्हीं आधारों पर नियमित किये जाने पर विचार किया जा रहा है। इस क्षेत्र के पुनर्विकास योजना में शापिंग सेन्टर, समाज सदन, औषधालय, पुलिस-चौकी इत्यादी के लिये स्थान निर्धारण कर लिया गया है।

(ग) शापिंग सेन्टर के विन्यास नक्शों का अनुमोदन कर लिया गया है और औषधालय का निर्माण कार्य प्रगित पर है।

सिन्ध-गंगा बेसिन में भूमि संरक्षण और वन लगाने की योजना

8011. श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि संरक्षण और वन लगाने की क्रियान्विति के लिये सिन्ध-गंगा बेसिन कार्यवाही योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो किसने (किसी व्यक्ति अथवा एजेंसी ने) योजना तैयार की है और इस पर कितना खर्च आएगा; और

(ग) इस योजना से उत्तर प्रदेश का कौनसा भाग प्रभावी होगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने एक अंतः विभागीय और इन्टर डिसिप्लीनरी कार्यकारी दल गठित किया था, जिसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस दल ने सिन्ध-गंगा बेसिन की अठारह बाढ़ प्रवण नदियों के स्वण क्षेत्रों में (1) पनधारा प्रबंध, (मृदा संरक्षण तथा वन रोपण)/ अपस्ट्रीम तथा (2) इंजीनियरी निर्माणकार्य डाउन स्ट्रीम समेत बाढ़ नियंत्रण के लिये एक समेकित कार्य योजना का उल्लेख करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों के लिए पनधारा प्रबंध, इंजीनियरी निर्माणकार्य, बाढ़ के पूर्वानुमान, चेतावनी और सर्वेक्षण के लिए कुल 1727.12 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की गई है।

(ग) उत्तर प्रदेश में अपर यमुना, अपर गंगा, गोमती राप्ती, तथा सोन के स्वण क्षेत्रों में प्राथमिकता वाली पनधाराओं के क्रियान्वयन के लिए पनधारा प्रबंध का सुझाव दिया गया है।

वजीरपुर, दिल्ली में झुग्गियों का गिराया जाना

8012. श्री युवराज : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने वजीरपुर और जे० जे० कालोनी में सरकारी जमीन से 500 झुग्गियों को हटाया;

(ख) क्या रेलवे स्टेशन के सामने दंगल मैदान में 'जनता सस्ता भोजनालय' भी गिरा दिया गया; और

(ग) क्या इस क्षेत्र से 600 डेरियों को अब तक हटाया जा चुका है और यदि हां, तो सरकार द्वारा दिये गये वचन के अनुसार इन निम्न आय वर्ग के लोगों को अधिकृत भूमि आबंटित करके उनका पुनर्वास न करने के क्या कारण हैं; और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इस क्षेत्र के सभी डेरी मालिकों को डेरी कालोनियों में प्लाटों की पेशकश की गई है ।

सीवर कनेक्शन की मजूरी के लिए विकास शुल्क के भुगतान की पूर्व शर्त

8013. श्री अमर राय प्रधान : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम की इस नीति के विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि मकानों को सीवर के कनेक्शन तब तक नहीं दिये जायें, जब तक मकान मालिक विकास शुल्क का भुगतान न कर दें;

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली नगर निगम को इस आशय का निर्देश देने का है कि वह दिल्ली में कम से कम उन मकान मालिकों को सीवर के कनेक्शन के लिये अनुमति दे दें, जिनके मकान 20 वर्ष से भी पहले बनाये गये थे और जिनमें मकान मालिक इस समय स्वयं रहते हैं और उन्हें विकास शुल्क का भुगतान सुविधाजनक किस्तों में करने की अनुमति दी जाय;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली नगर निगम का कब तक ऐसी अनुमति प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वन संरक्षण

8014. श्री बागुन सुम्बरुई :

श्री नाथू सिंह :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के अधीन वन सम्पदा के संरक्षण की कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) जो, हां। देश में शंकुधारी तथा कठोर काष्ठ वाले दुर्गम वनों के संरक्षण के लिए पानी के हवाई छिड़काव की

तकनीकों द्वारा "भारत में आधुनिक वन अग्नि-शमन विधियों की शुरूआत" नामक एक परियोनजा तैयार की गई है। यह परियोजना सहायता हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग द्वारा यू० एन० डी० पी० देश कार्यक्रम के द्वितीय चक्र में शामिल की गई है, यह परियोजना किस प्रकार तैयार की जाए, इसे कैसे क्रमबद्ध किया जाए और किस तरह धनराशि की व्यवस्था की जाए, इनकी विधियों के बारे में आर्थिक कार्य विभाग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बीच बातचीत चल रही है।

जामजोधपुर तालुक जिला जामनगर के गांव सेठ बडाला में टेलीफोन एक्सचेंज

8015. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के जिला जामनगर के जामजोधपुर तालुक के गांव सेठ बडाला में टेलीफ़ोन एक्सचेंज संभवतः कब तक चालू हो जाएगा ;

(ख) इस गांव के कितने लोगों ने टेलीफ़ोन कनेक्शनों के लिये रुपया जमा करा रखा है और कितनी राशि कब तथा कहां जमा करा रखी है ; और

(ग) इस गांव में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने तथा कनेक्शन देने के विलम्ब में क्या कारण हैं और ऐसा कब तक कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) गांव सेठ बडाला में इस समय टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की कोई योजना नहीं है।

(ख) शून्य।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

असाधारण छुट्टी लेने वाले अध्यापकों को वेतन-वृद्धियां दिया जाना

8016. श्री दुर्गा चन्द : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को, जिन्हें एक से लगभग तीन वर्षों की लम्बी अवधि के लिए बिना वेतन असाधारण छुट्टी दी जाती है ; लम्बी अवधि तक वेतन वृद्धियां नहीं दी जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि बिना वेतन के असाधारण छुट्टी लेने वाले ऐसे अध्यापकों को उनके कनिष्ठ अध्यापकों की तुलना मे कम वेतन मिल रहा है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन विसंगतियों को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के जिन शिक्षकों को,

लगभग 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की लम्बी अवधि के लिए बिना वेतन असाधारण अवकाश मंजूर किया जाता है, उन्हें वेतन-वृद्धियां नहीं दी जाती हैं ।

(ख) वर्तमान नियमों (मु० नि० 26) के अन्तर्गत जो व्यक्ति असाधारण अवकाश का लाभ उठाते हैं, उनकी वार्षिक वेतन-वृद्धियां स्थगित कर दी जाती हैं परन्तु शर्त यह है कि राष्ट्रपति किसी भी मामले में यदि इस बात से संतुष्ट हों कि असाधारण अवकाश बीमारी के कारण, अथवा किसी ऐसे अन्य कारण से, जो सरकारी कर्मचारी के काबू से बाहर है या उच्च वैज्ञानिक तथा त्तकनीकी अध्ययन करने के लिए लिया गया है तो वे यह निदेश दे सकते हैं कि असाधारण अवकाश वेतन-वृद्धियों के लिए गिना जाएगा ।

(ग) यह सामान्य नियमों के अनुसार उनकी वेतन-वृद्धियों के स्थगन के कारण है ।

(घ) कोई उपचारात्मक कार्रवाई आवश्यक नहीं है क्योंकि वेतन-वृद्धि का स्थगन सामान्य नियमों के अनुसार है ।

कामरूप और ग्वालपाड़ा में नदी द्वारा कटाव

8017. श्री अहमद हुसैन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नदी के कटाव के कारण विशेष रूप से कामरूप तथा ग्वालपाड़ा में हजारों परिवार बेघरबार हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन अपनी कृषि भूमि खो रहे हैं ;

(ख) 1976,1977 और 1978 में कितने परिवार बेघरबार हुये, कितनों ने अपनी कृषि योग्य भूमि खोई तथा कितनी भूमि कटाव से प्रभावित हुई तथा उपरोक्त अवधि में केन्द्र ने खंडवार कितनी क्षतिपूर्ति अदा की ; और

(ग) इस प्राकृतिक आपदा से लोगों को बचाने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर क्या कार्रवाई की गई है/करने का विचार है और ग्रामीण निर्धन किसानों को इस खतरे से बचाने के लिये अलग से एक योजना (ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड से भिन्न) क्यों नहीं बनाई जाती और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) यह एक सुविदित तथ्य है कि सभी जलोढ़ नदियों के किसी न किसी भाग में भिन्न-भिन्न पैमाने पर तट-कटाव होता है । ब्रह्मपुत्र नदी के टेढ़े-मेढ़े बहने के स्वभाव के कारण इस नदी के बहुत से स्थलों पर कटाव गम्भीर रूप से होता है । यह कटाव डिब्रूगढ़, कामरूप और गोलपाड़ा जिलों में विशेष रूप से होता है और शिवसागर तथा दारंग जिलों में कुछ कम पैमाने पर होता है । ब्रह्मपुत्र नदी में अत्यधिक तट-कटाव बहुत से कारणों से होता है जिनमें से मुख्य ये हैं :—सहायक नदियों में और मुख्य नदी में भी अत्यधिक गाद का होना, नदी की बहुत पहले समय से दक्षिण की ओर हटाने की प्रवृति और इस क्षेत्र में बार-बार भूकम्प आना ।

असम सरकार द्वारा किये गए अध्ययनों पर आधारित एक रिपोर्ट के अनुसार 1954-55 से 1968-69 तक 253 गांव, जिनमें 8091 हेक्टेयर भूमि थी तथा 6053 परिवार थे,

कटाव से प्रभावित हुए थे । तट-कटाव से क्षति के बारे में उसके बाद के वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को प्राकृतिक-संकटों के कारण निःशुल्क सहायता देने में, राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय के संबंध में हर वर्ष "मार्जिन राशि" उपलब्ध करती है । सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों का दौरा करने वाले केन्द्रीय दलों के मूल्यांकन और उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर 'मार्जिन' से अधिक हुए कुल व्यय के 75 प्रतिशत तक योजना-भिन्न अनुदान राज्य सरकार को दिया जाता है ।

कटाव-रोधी उपाय राज्यों के बाढ़ नियंत्रण सेक्टर के भाग हैं और उन पर होने वाले व्यय की पूर्ति राज्यों को आबंटित योजना-व्यवस्थाओं में से उनके द्वारा तैयार की गई स्कीमों के अनुसार की जाती है । 1954 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के शुरू होने से लेकर, असम सरकार ने महत्वपूर्ण नगरों आदि की सुरक्षा के लिए पचास स्थानों पर कटाव-रोधी कार्य हाथ में लिए हैं।

बाढ़ नियंत्रण सेक्टर में अब तक हुई प्रगति की विवेचनात्मक समीक्षा करने और 1978-83 की पंचवर्षीय अवधि के लिए कार्यप्रणाली, नीतियां तथा कार्यक्रमों की सिफारिश करने के लिए गठित बाढ़ नियंत्रण कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि साधारणतया कटाव-रोधी कार्यों को उन नगरों तथा अत्यधिक जनसंख्या वाले ग्रामों के समूहों, रेलवे लाइनों तथा सड़कों को, जिनकी तकनीकी-आर्थिक आधार पर अन्य स्थानों पर पुनः स्थापना सम्भव नहीं है, सुरक्षा के लिए और उन तटबंधों के भागों की सुरक्षा के लिए जिनसे बहुत बड़े क्षेत्र को लाभ पहुंचता है, और जहां पर रिटायरमेंट सम्भव नहीं है, हाथ में लिया जाना चाहिए । कार्यकारी दल की इस सिफारिश को राज्यों के सिंचाई मंत्रियों के हाल के सम्मेलन में कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया था । तट-कटाव के नियंत्रण के लिए अपेक्षित निर्माण कार्यों की ऊंची लागत के कारण कृषि क्षेत्रों में अक्सर ऐसे सुरक्षा उपायों का वित्तीय औचित्य सम्भव नहीं होता । राज्य सरकार के बाढ़ नियंत्रण संगठन के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने, ब्रह्मपुत्र बेसिन के बाढ़ नियंत्रण के लिए मास्टर योजना तैयार करने के लिए, ब्रह्मपुत्र नदी बोर्ड का गठन करना है । इस योजना को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए जल-विद्युत उत्पादन, सिंचाई, नौवहन, आदि जैसे जल संसाधनों के विकास के अन्य लाभों को शामिल करके एक बहूद्देश्यीय कार्यप्रणाली अपनाने का प्रस्ताव किया गया है । इस उद्देश्य से एक अधिनियम राज्य सभा में पारित किया गया है और इसे इस सत्र में लोक सभा में विचार के लिए प्रस्तुत करने का विचार है ।

दिल्ली के स्कूल में क्राफ्ट अध्यापकों के वेतनमान

8018. श्री महीलाल : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री दिल्ली के स्कूलों में क्राफ्ट अध्यापकों के वेतनमानों के बारे में 18 दिसम्बर, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3823 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है तथा यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत कृषि परियोजनाओं को मंजूरी देने में विलम्ब

8019. श्री बापू साहिब परूलेकर : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कितनी बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मंजूरी दी जानी है और इस संदर्भ में प्रस्तुत तिथिवार और योजनावार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि 1970, 1974, 1975 और 1976 में प्रस्तुत कुछ परियोजनाओं को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अभी भी मंजूरी दी जानी है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है जिससे केन्द्रीय जल आयोग इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दे दे ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) महाराष्ट्र से प्राप्त 13 बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं मंजूरी के लिए पड़ी हुई हैं । इनमें से 4 मध्यम परियोजनाओं को योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अपनी फरवरी, 1979 में हुई बैठक में मंजूरी दे दी गयी है ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है । इन परियोजनाओं की जांच शीघ्रता से करने के लिए, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) लम्बित (पेंडिंग) परियोजनाओं की जांच की स्थिति की तिमाही समीक्षा तैयार की जाती है ।

(2) विलम्ब दिखाई पड़ने पर, आयोग के विशेषज्ञता प्राप्त निदेशालयों और अन्य संबंधित विभागों को समय-समय पर अनुस्मारक भेजे जाते हैं ।

(3) जांच में लगने वाले समय को कम करने के लिए, परियोजना से संबंधित निर्णायाधीन मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए परियोजना-इंजीनियरों को बुलाया जाता है ।

(4) तकनीकी जांच निदेशालयों को सुदृढ़ बनाना ।

(5) परियोजनाओं के अन्वेषण, आयोजन और उन्हें तैयार करने के बारे में राज्यों को मार्गदर्शक-सिद्धांत जारी करना ताकि परियोजनाओं को निर्धारित मानकों के अनुसार तैयार किया जाए, जिससे परियोजनाओं की जांच में लगने वाले समय को कम किया जा सके ।

राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, परियोजनाओं की प्राथमिकताएं निर्धारित करें ताकि सभी परियोजनाओं के बारे में एक-साथ कार्रवाई करने के स्थान पर परियोजनाओं की जांच और अनुमोदन का कार्य सूत्रबद्ध ढंग से किया जा सके।

विवरण

महाराष्ट्र से प्राप्त बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, जो मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं।

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	लाभ (हजार हैक्टेयर में)	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	जांच की स्थिति
1	2	3	4	5	6
नई स्कीमें					
बृहद					
1.	बावनथाड़ी (मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त उद्यम)	2347.36	50.986 (महाराष्ट्र 23.652) मध्य प्रदेश 27.334)	26.7.73	टिप्पणियां मार्च और अक्तूबर, 1976 में भेजी गई थीं। राज्य से उत्तरों की प्रतीक्षा है।
2.	नांदूर मधमेश्वेर	3626.51	37.65	11.8.75	आंशिक टिप्पणियां मार्च, 1976 में भेजी गई थीं। शेष टिप्पणियां अक्तूबर, 1977 में भेज दी गई थीं। उत्तर अक्तूबर, 1978 और दिसम्बर, 1978 में प्राप्त हुए। हाल ही में राज्य के इंजीनियरों से विचार-विमर्श किया गया है। राज्य द्वारा इसकी अनुपालना की जानी है।

1	2	3	4	5	6
3.	लोअर तीरना	2000.36	21.57	13.12.77	टिप्पणियां जनवरी, 1979 में भेजी गई थीं। राज्य से उत्तरों की प्रतीक्षा है।
4.	लोअर गोदावरी	2515.00	89.50	4.10.75	टिप्पणियां जुलाई और नवम्बर, 1976 में भेजी गई थीं। राज्य से उत्तर प्राप्त होने की प्रतीक्षा है।
5.	कोलगांव में सोना	1486.96	16.83	26.2.76	टिप्पणियां मार्च, 1977 में भेजी गई थीं। राज्य से उत्तरों की प्रतीक्षा है।
6.	अपर तापी चरण-दो	8793.00	106.54 (59.85 महाराष्ट्र 46.69 मध्य प्रदेश)	1.2.74	टिप्पणियां मार्च, 1975 और अगस्त, 1976 में भेजी गई थीं। राज्य से अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए।
7.	वारणा परियोजना	8197.00	85.39	9.11.76	टिप्पणियां मई, 1978 में भेजी गई थीं। राज्य से उत्तर प्राप्त नहीं हुए।
8.	तिल्लारी सिंचाई परियोजना	4787.13	36.87 (7.53 महाराष्ट्र) (29.34 गोवा)	18.2.77	टिप्पणियां जुलाई, 1978 में भेजी गई थीं। राज्य से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुए।
9.	गिरना परियोजना की नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	372.52	8.141 (स्थिरीकरण के (अलावा 51.403)	18.2.78	टिप्पणियां दिसम्बर, 1978 में भेजी गई थीं। राज्य से उत्तर प्राप्त नहीं हुए।

1	2	3	4	5	6
10.	लोअर वर्धा परियोजना	3915.00	60.08	6.5.78	टिप्पणियां फरवरी, 1979 में भेजी गई थीं। राज्य से उत्तरों की प्रतीक्षा है।
11.	लोअर वेना (पुन्ना) परियोजना	2483.00	22.87	17.1.79	जांच की जा रही है।
12.	अरुणावती जलाशय परियोजना	1913.72	30.87	17.1.79	जांच की जा रही है।
13.	कर्वा सिंचाई परियोजना	659.24	10.32	19.2.79	जांच की जा रही है।
नई स्कीमें					
मध्यम					
1.	हिवरा	198.38	3.46	27.8.77	दिसम्बर, 1978 में राज्य के इंजीनियरों से विचार-विमर्श किया गया। राज्य से और आगे स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।
2.	कल्याण परियोजना	176.984	2.02	21.9.77	अक्तूबर, 1978 में राज्य के इंजीनियरों से विचार-विमर्श किया गया है। राज्य से और स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।
3.	चिकुत्रा परियोजना	428.49	4.696	1.11.77	तकनीकी सलाहकार समिति को उसकी 27.2.79 की बैठक में प्रस्तुत की गई और स्वीकार्य पाई गई।
4.	कसरी परियोजना	615.18	9.458	1.11.77	—तदेव—
5.	काडवी परियोजना	347.30	9.219	14.11.77	—तदेव—
6.	कालू सिंचाई परियोजना	276.26	3.540	25.1.78	—तदेव—

1	2	3	4	5	6
7.	अंजनी नदी परियोजना	294.69	3.64	10.2.78	टिप्पणियां दिसम्बर, 1978 में भेजी गईं। राज्य से उत्तरों की प्रतीक्षा है।
8.	नेयूपुर परियोजना	146.027	2.041	11.4.78	टिप्पणियां दिसम्बर, 1978 में भेजी गई थीं। राज्य से उत्तरों की प्रतीक्षा है।
9.	करवाया नाला परियोजना	338.733	5.252	11.7.78	टिप्पणियां नवम्बर, 1978 में भेजी गईं। उत्तर प्राप्त नहीं हुए।
10.	पालशी परियोजना	246.89	2.831	18.12.78	टिप्पणियां मार्च, 1979 में भेजी गईं। उत्तर प्रतीक्षित है।

झालावाड़ और कोटा जिला में उप डाकघरों में टेलीफोन सुविधा

8020. श्री चतुर्भुज: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झालावाड़ और कोटा जिलों में कितने उप डाकघर हैं जिनमें टेलीफोन सुविधायें दी जाती हैं और अन्य स्थानों के नाम क्या हैं जिनमें इस वर्ष 31 मई तक सुलीफोन प्रविधायें दी जायेंगी और उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : झालावाड़ और कोटा जिलों में क्रमशः 17 और 47 ऐसे उप डाकघर हैं जिनमें टेलीफन की सुविधा उपलब्ध है। झालावाड़ जिले के रतलाई नामक स्थान पर टेलीफोन की सुविधा 31-5-79 तक प्रदान किए जाने का सुस्ताव है।

आस्ट्रेलियायी कृषि विज्ञान शिष्टमण्डल का दौरा

8021. श्री जनार्दन पुजारी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च 1979 में आस्ट्रेलिया से एक कृषि विज्ञान शिष्टमंडल भारत आया था और उनके मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान। आस्ट्रेलिया के कृषि विज्ञानियों के 8 सदस्यों के प्रतिनिधि मण्डल ने, श्री जे० पी० लोनेरगान, प्रथम सहायक सचिव, विज्ञान तथा पर्यावरण विभाग, आस्ट्रेलिया सरकार, के नेतृत्व

में, भारत में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग संबंधी प्रस्तावों पर कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 28 मार्च, 1979 से 4 अप्रैल, 1979 तक दौरा किया था। सहयोग के लिए जिन विस्तृत क्षेत्रों का मोटे तौर पर पता लगाया गया, उन्हें विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

1. धास तथा चारा की फली वाली फसलें, वार्षिक तथा बहुवर्षीय दोनों ;
2. शुष्क क्षेत्र अनुसंधान ;
3. फसल कटाइ के बाद की तकनीकी (कृषि औजार तथा संसाधन सहित) ;
4. सौर ऊर्जा ;
5. बागबानी (विशेष रूप से अर्ध शुष्क क्षेत्र में) ;
6. कृषि-मौसम-विज्ञान (जलवायु अध्ययन) ;
7. लवणता नियन्त्रण (सिंचाई तथा जल प्रबन्ध) ;
8. पशु विज्ञान शिक्षा ;
9. उष्णकटिबन्धों के लिए पशु प्रजनन ;
10. चावल में समाकलित कीट नियन्त्रण ;
11. सूखे की स्थितियों के अन्तर्गत फसल शरीर-विज्ञान ; तथा
12. उष्णकटिबन्धीय खाद्य फसलें (कंदवर्गीय फसलें)।

आशा की जाती है कि सहयोग (i) वैज्ञानिक सूचना (ii) जनन द्रव्य तथा (iii) विज्ञानियों के विनिमय के रूप में होगा।

कृषि के अन्तर्गत भूमि

8022. श्री रौबिन सैन : क्या **कृषि और सिंचाइ** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कृषि योग्य कुल कितनी भूमि है, वर्ष 1977-78 में वास्तव में कुल कितनी भूमि पर खेती की गई तथा यदि शेष भूमि पर खेती नहीं की गई, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) वर्ष 1977-78 में कितने प्रतिशत भूमि में नकदी फसलों की खेती की गई और वर्ष 1977-78 में कितने प्रतिशत भूमि में विभिन्न खाद्यान्नों की खेती की गई ; और

(ग) वर्ष 1977-78 में देश में कितने प्रतिशत खाद्यान्नों की खपत हुई और कितने प्रतिशत खाद्यान्न फालतु रहे, वर्ष 1977-78 में यदि खाद्यान्न आयात किये गये तो उसकी प्रतिशतता क्या है और वर्ष 1977-78 में कुल उत्पादन की तुलना में बाजार में कितने प्रतिशत खाद्यान्न 'वस्तु' के रूप में बेचे गए ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला : (क) वर्ष 1975-76 के दौरान (अद्यतन उपलब्ध) भारत में कुल कृषि योग्य भूमि, जिसमें कास्तविक बोया गया क्षेत्र, चालू परती

अन्य परती भूमि, विभिन्न किस्म के बागान और बागों के अन्तर्गत भूमि, जो वास्तविक बोये गये क्षेत्र में शामिल नहीं है, तथा अन्य कृष्य परती भूमि शामिल है, 1857.6 लाख हैक्टार आंकी गई है। इसमें से 1975-76 में वास्तविक कृष्ट क्षेत्र का अनुमान 1547.4 लाख हैक्टार लगाया गया है। शेष क्षेत्र या तो वैकल्पिक उपयोग के लिये उपलब्ध है, जिससे कुछ आय प्राप्त होती है या उसमें कृषि योग्य बेकार भूमि या अन्य परती भूमि शामिल है, जहां लाभकारी खेती करना संभव नहीं है।

(ख) वर्ष 1977-78 के लिए विभिन्न खाद्यान्नों तथा वाणिज्यिक फसलों के लिए कृष्ट भूमि की प्रतिशतता को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) देश में खाद्यान्नों के उपभोग तथा फालतू खाद्यान्नों का निश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं है। मानव उपभोग के लिए खाद्यान्नों की कुल आवश्यकता काफी हद तक लचीली होती है, जोकि फल तथा सब्जी, दूध और दुग्ध उत्पादों, भास, मछली, अण्डे आदि जैसे सहायक खाद्यों की उपलब्धि तथा उनके तुलनात्मक मूल्यों एवं आय आदि के स्तरों पर निर्भर करती है। तथापि1978 के दौरान मानव उपभोग के लिए (1977-78 के उत्पादन की तुलना में) खाद्यान्नों की वास्तविक उपलब्धि का अनुमान 1097 लाख मीटरी टन लगया गया है। व्यापारियों और उत्पादकों द्वारा रखे गये भण्डार के संबंध में आंकड़ों के अभाव में उपलब्धि का अनुमान वास्तविक उत्पादन (बीज, आहार और छीजन निकालने के बाद) वास्तविक आयात तथा सरकारी भण्डार में परिवर्तन होने पर आधारित होता है। इस वर्ष के दौरान खाद्यान्नों का आयात नहीं किया गया। 1978 के दौरान बाजार में बेचे गये खाद्यान्नों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1975-76 के आंकड़ों के आधार पर ग्रामों से चावल (धान को मिलाकर जिससे—चावल निकाला गया); ज्वार, गेहूं और चने की थोक बाजार में आवक उत्पादन का क्रमश : 25.8 प्रतिशत, 11.1 प्रतिशत, 30.5 प्रतिशत तथा 35.6 प्रतिशत बैठता है।

विवरण

उस भूमि की प्रतिशतता, जिस में 1977-78 में खाद्यान्नों तथा मुख्य नकदी फसलों के उत्पादन के लिए खेती की गयी (अस्थाई)।

फसल	कुल फसलाधीन क्षेत्र की तुलना में अलग-अलग फसलों के अन्तर्गत के क्षेत्र की प्रतिशतता
1	2
1. **खाद्यान्न**	
चावल	23.4
ज्वार	9.5
बाजरा	6.4
मक्का	3.3
रागी	1.5

1	2
छोटे कदन्न	2.8
गेहूं	12.4
जौ	1.2
चना	4.8
तुर	1.5
अन्य दलहन	7.4
कुल खाद्यान्न	74.2
2. गैर-खाद्यान्न	
कुल 5 मुख्य तिलहन*	7.4
कपास	4.5
ग्वार बीज	1.4
गन्ना	1.9
पटसन और मेस्ता	0.7
आलू	0.4
तम्बाकू	0.3
अन्य फसल	9.2
कुल फसल क्षेत्र (अनुमानित)	100.0

*मूंगफली, तिल, एरेड बीज, तोरिया के बीज, सरसों तथा अलसी को प्रकट करता है।

डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था

8023. श्री हरी शंकर महाले : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०आई०जैड० एरिया, नई दिल्ली के विभिन्न सेन्ट्रल गवर्नमैंन्ट एम्पलाईज वेलफेयर एसोसियेशन से आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में प्राप्त पत्रों पर ध्यान नहीं दिया जाता है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) अप्रैल, 1978 से मार्च, 1979 की अवधि के दौरान निर्माण संबंधी त्रुटियों को दूर करने और अतिरिक्त छत के पंखों आदि की व्यवस्था करने के लिए विभिन्न वेलफेयर एसोसियेशनों से सीधे अथवा वेलफेयर आफिसर गृह मंत्रालय के द्वारा संबंधित मंत्री और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण के अधिकारियों ने एक वर्ष की अवधि में डी०आई०जैड० एरिया में विभिन्न ब्लाकों के टाईप-एक के क्वार्टरों में निर्माण-संबंधी त्रुटियों को अभी तक दूर नहीं किया है और इन त्रुटियों को दूर किए बिना ही इन क्वार्टरों को मेंटीनेन्स डिवीजन को सौंप दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) विभिन्न सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट एम्प्लाइज़ रेज़ीडेन्ट्स एसोसिएशनों के अभ्यावेदनों का उत्तर यथा सम्भव शीघ्र दे दिया जाता है । तथापि, चूंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के संबंधित मण्डलों से सूचना एकत्र की जानी होती है, इसलिए उत्तर भेजने में कुछ समय लग ही जाता है ।

(ख) नये बने क्वार्टरों में छतों के अतिरिक्त पंखे आदि लगाने और निर्माण संबंधी त्रुटियों को दूर करने के बारे में अप्रैल, 1978 से मार्च, 1979 तक की अवधि के दौरान विभिन्न कल्याण संघों से 18 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(ग) निर्माण संबंधी त्रुटियों के बारे में शिकायतें मिलते ही उन्हें दूर किया गया था । मार्च, 1979 में अनुरक्षण मण्डल को क्वार्टरों का हस्तान्तरण कर दिया गया था । फरवरी, 1979 के दौरान प्राप्त केवल तीन शिकायतों को क्वार्टरों के हस्तान्तरण के साथ ही उन्हें अनुरक्षण मण्डल को भेज दिया गया था ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मंत्रालय में सरकारी उपक्रमों द्वारा प्रचार

8024. श्री एम० ए० हनान अलहाज :
श्री सचीन्द्र लाल सिंहा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन एककों के एकक-वार प्रचार व्यय का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में इन एककों ने वर्षवार, एकक-वार प्रचार के लिये किन-किन दैनिकों और पत्र पत्रिकाओं का उपयोग किया ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अन्तर्गत 10 सरकारी उपक्रम हैं। वे नीचे दिए हैं :—

क्रम सं०	सरकारी उपक्रम	जिन विभागों के अन्तर्गत काम कर रहे हैं उनके नाम
1.	राज्य फार्म निगम लि०	कृषि विभाग
2.	राष्ट्रीय बीज निगम लि०	कृषि विभाग
3.	केन्द्रीय मात्स्यकी निगम लि०	कृषि विभाग
4.	भारतीय डेरी निगम लि०	कृषि विभाग
5.	वन रोपण विकास निगम, पोर्ट ब्लेयर	कृषि विभाग
6.	भारतीय खाद्य निगम	खाद्य विभाग
7.	केन्द्रीय भांडागार निगम	खाद्य विभाग
8.	मोडर्न बेकरीज़ (इंडिया) लि०	खाद्य विभाग
9.	जल तथा विद्युत विकास परामर्शदात्री सेवाएं (इंडिया) लि०	सिंचाई विभाग
10.	केला तथा फल विकास निगम लि०	ग्राम विकास विभाग

(ख) तथा (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

यूनियन/संघ की सदस्यता के लिए घोषणा

8025. श्री भगत राम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक तथा तार विभाग के प्रत्येक कर्मचारी से यह मांग की है कि वह यूनियन अथवा संघ की अपनी सदस्यता की घोषणा करें ;

(ख) क्या उन्हें ज्ञात है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कथित प्रभुत्व वाली एक डाक तथा तार कर्मचारी संगठन को हाल में मान्यता दी गई है ;

(ग) क्या उपरोक्त तथ्य को देखते हुए कर्मचारियों से इस प्रकार की घोषणा कराना अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रभुत्व वाली ऐसे संगठन का सदस्य बनने के लिए प्रभाव डालना है और दबाव डालना है ;

(घ) क्या डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों ने इस नीति का विरोध किया है और किसी एक यूनियन के लिए गोपनीय तरीके से मतदान द्वारा चुनाव कराने की मांग की है ; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहीर प्रसाद साय) : (क) डाक तथा तार विभाग के प्रत्येक कर्मचारी से घोषणा-पत्र को प्राप्त करने का निश्चय किया गया है जिसमें वह किस यूनियन अथवा संघ का सदस्य है, का नाम निर्दिशत करेगा।

(ख) भारतीय डाक तथा तार कर्मचारी संघ को 17-11-78 को मान्यता दे दी गई है। सरकार के पास ऐसा निदर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि हाल में मान्यता प्राप्त तीसरा संघ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रभुत्व वाला है।

(ग) कर्मचारियों से सीलबन्द लिफाफों में घोषणा-पत्र प्राप्त करने से उन सभी संभव प्रभावों और दबावों पर रोक लग जाती है जो कि कोई भी संगठन, कर्मचारियों को, किसी विशेष संघ या महासंघ जिसमें हाल में मान्यता प्राप्त भारतीय डाकतार कर्मचारी संघ भी शातिल है, का सदस्य बनाने के लिए डाल सकता है।

(घ) कुछ संगठनों ने विरोध किया है और गोपनीय तरीके में मतदान द्वारा चुनाव कराने की मांग की है।

(ङ) सत्यापन करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर डाक तार प्राधिकारियों ने संघों और महासंघों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। गोपनीय तरीके से मतदान द्वारा चुनाव कराने के उनके सुझाव की एक से अधिक बार जांच की गई। स्टाफ को पूर्व निर्धारित निश्चित स्थानों पर बुलाने की व्यवस्था करना, इस तरीके में कार्यालय का कार्य अस्तव्यस्त होना जैसी दुर्लंध्य दिक्कतों के कारण इस गोपनीन मतदाय के लिये व्यवस्था करना संभव नहीं पाया गया। और फिर लक्ष्य तो मौजूदा संगठनों की वास्तविक संख्या निश्चित करना है, न कि एकमात्र मान्यता के लिए एक संगठन का चुनाव करना।

तमिलनाडु में ग्रामीण विकास के अन्तर्गत ऐच्छिक संगठन

8026. श्री आर० कोलनथाईवेलु : क्या **कृषि और सिचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में ग्रामीण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कोई ऐच्छिक संगठन कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है वर्ष 1978-79 में ऐसे कितने और कौन-कौन से, ब्लाकों को ग्रामीण विकास का काम सौंपा गया है ;

(ग) अभी तक किस प्रकार का कार्य पूरा हुआ ; और

(घ) वर्ष 1979-80 के लिए किन ब्लाकों का चयन किया गया है और इस बारे में कितनी राशि आबंटित की गई है ?

कृषि और सिचाई मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क), (ख), (ग) व (घ) सूचना एकत्र की जा रही है जिसे यथाशीघ्र लोक सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

गुजरात में सरस्वती नदी पर मोकेश्वर बांध का निर्माण

8027. श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या **कृषि और सिचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सरस्वती नदी पर मोकेश्वर बांध का निर्माण करने के लिये कोई योजना तैयार की जा रही है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है, यदि नहीं, तो इसे कब तक मंजूरी दी जायेगी ;

(ग) इससे व्यय में कितनी वृद्धि होगी और इसके परिणामस्वरूप कितनी भूमि की सिंचाई होगी ; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितने गांव और उनकी भूमि पानी में डूब जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने सरस्वती नदी पर मुक्तेश्वर सिंचाई स्कीम को, जिस पर 383.74 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है, प्रशासनिक मंजूरी दे दी है और परियोजना रिपोर्ट केन्द्र के पास स्वीकृति के लिए भेजी जा रही है ।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस परियोजना से राज्य के मेहसाना और बंसकंठा जिलों में 4086 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लाभ प्राप्त होंगे । राज्य सरकार द्वारा परियोजना के प्रारम्भिक कार्यों पर 21 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं और इस स्कीम के लिए उन्होंने छठी योजना में 100 लाख रुपये की व्यवस्था की है ।

(घ) राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि इस परियोजना के निर्माण से पांच गांव नामश: मुक्तेश्वर, वसाई, जसपुरैया, डालमा और पांडवा जलमग्न हो जाएंगे और दो गांवों नामश: चेलना और राजपुर के कुछ क्षेत्र भी प्रभावित होंगे । कुल 580 हैक्टेयर क्षेत्र के जलमग्न हो जाने की सूचना मिली है जिसमें 167 हैक्टेयर क्षेत्र सरकारी भूमि है और 413 हैक्टेयर निजी भूमि है ।

भारत में लिखित भाषाएं

8028. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं ;

(ख) उनमें से कितनी भाषाएं लिखित रूप में हैं ;

(ग) संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई ;

(घ) केन्द्रीय और राज्य स्तर पर साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई ; और

(ङ) राज्यों और भारत सरकार के विचार से भारत में मौखिक भाषाओं का भविष्य क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) भारत के महा-निबंधक (रजिस्ट्रार) के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार 1971 की जनगणना में तीन हजार से अधिक भाषाएं/मातृ-भाषाएं दर्ज की गई थीं । जांच के बाद उन्होंने अन्तिम रूप से 1,312 भाषाएं/मातृ-भाषाएं सूचीबद्ध कीं । उनके पास लिखित रूप वाली भाषाओं का कोई रिकार्ड नहीं है ।

(ग) संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाएं सूचीबद्ध की गई हैं। ये हैं: असमी, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू और उर्दू ।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित 15 भाषाओं के अतिरिक्त साहित्य अकादमी ने अकादमी पुरस्कारों के प्रयोजन के लिए सात और भाषाओं अर्थात् डोगरी, अंग्रेजी, मणिपुरी, मैथिली, नेपाली, राजस्थानी और कोंकणी को मान्यता प्रदान की है। राज्य अकादमियों द्वारा भाषाओं को मान्यता प्रदान किए जाने से साहित्य अकादमी का कोई संबंध नहीं है ।

(ङ) मैसूर स्थित भारतीय भाषाओं का केन्द्रीय संस्थान, अन्यों के साथ-साथ जनजातीय और सीमान्त भाषाओं, जिनमें से अधिकांश की कोई लिपि नहीं है, की प्रोन्नति और विकास का कार्य कर रहा है ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के न्यायालय में चल रहे मामलों पर व्यय

8029. श्री मनोहर लाल : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के अधिकारियो और वकीलों को यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के बारे में 19 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3632 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरोप पत्र, नौकरी से हटाए जाने और बर्खास्त किए जाने के नौटिस एक वैयक्तिक मामले से संबंधित ;

(ख) संबंधित कर्मचारी/कर्मचारियों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक को किस प्रकार के नोटिस दिए गए ;

(ग) उन समाचारपत्रों के नाम क्या हैं, जिनमें नोटिस प्रकाशित किए गए थे और उनमें से प्रत्येक समाचारपत्र को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ; और

(घ) क्या रजिस्टर्ड डाक से नोटिस देने का कोई प्रयास किया गया था और यदि हां, तो डाक अधिकारियों ने उनके बारे में क्या सूचना दी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) 19 मार्च 1979 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न सं० 3632 के उत्तर के भाग (क) (III) में संदर्भित कारण बताओ नोटिस अथवा सेवा समाप्ति के आदेशों के विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित करने से संबंधित खर्चे का 2 मामलों से संबंध है अर्थात् (i) श्री जे० एन० माट्टू, जिसे सेवा बरखास्तगी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस दिया गया था और (II) श्री बी० एल० शर्मा, जिसे नौकरी से हटाने के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया था ।

(ग) विवरण संलग्न है ।

(घ) एक रजिस्टर्ड पत्र जो श्री माट्टू के कानपुर के पते पर भेजा गया था वह डाक प्राधिकारियों द्वारा इस टिप्पणी कि "लेने से इन्कार कर दिया" के साथ लौटा दिया गया था

उनके श्रीनगर के पते पर भेजा गया रजिस्टर्ड ए० डी० पत्र इस टिप्पणी कि "वह लौट गए हैं" के साथ लौटा दिया गया ।

श्री बी० एल० शर्मा, के संबंध में चपरासी के माध्यम से भेजे गए पत्र को जब उन्होंने लेने से इन्कार कर दिया तब एक रजिस्टर्ड पत्र भेजा गया और इसके साथ-साथ उन्हें नौकरी से हटाने के संबंध में ज्ञापन भी प्रकाशित कर दिया गया । वह पत्र, हिन्दी में निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ डाकघर द्वारा लौटा दिया गया :

"बार-बार सूचना देने के बाद भी प्रेषिती ने पत्र नहीं लिया और न ही वह मिल सका । ऐसा लगता है कि वह इसे लेना नहीं चाहता । अतः वापिस लौटाया जाता है ।"

"लेने से बच रहा है । अतः वापिस लौटाया जाता है ।"

विवरण

अखबार का नाम	किया गया भुगतान
1.	2.
श्री जे० एन० माट्टू का मामला	
1. हिन्दुस्तान टाईम्स, नई दिल्ली	480.00 रु०
2. टाईम्स आफ़ इंडिया, नई दिल्ली (बिल प्राप्त नहीं हुआ है)	
3. ट्रिब्यून, अम्बाला	389.50 रु०
4. इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली	462.00 रु०
5. नेशनल हेराल्ड, लखनऊ	493.50 रु०
6. पाईनियर, लखनऊ	327.18 रु०
7. नार्दरन इंडियन पत्रिका, इलाहाबाद	885.78 रु०
8. आज, कानपुर	341.10 रु०
9. दैनिक जागरण, कानपुर	499.20 रु०
10. डेली सैसत जदीद, कानपुर	282.10 रु०
योग	4160.36 रु०
श्री बी० एल० शर्मा का मामला	
1. हिन्दुस्तान टाईम्स, नई दिल्ली	300.00 रु०
2. टाईम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली (बिल प्राप्त नहीं हुआ है)	

1	2
3. इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली	280.50 रु०
4. नेशनल हेराल्ड, लखनऊ	470.00 रु०
5. पाईनियर, लखनऊ	223.44 रु०
6. नार्दरन इंडियन पत्रिका, इलाहाबाद	590.52 रु०
7. आज, कानपुर	231.20 रु०
8. दैनिक जागरण, कानपुर	312.00 रु०
9. डेली सैसत जदीद, कानपुर	201.60 रु०
योग	2609.26 रु०

डाक कर्मचारियों के साथ समझौता

8030. श्री उग्रसेन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा लाखों डाक कर्मचारियों के साथ जिन्होंने हाल ही में आन्दोलन एवं सत्याग्रह किये हैं, किये गये समझौतों की शर्तें क्या हैं; और ;

(ख) क्या उनके पूरे ब्यौरे देने वाले एक विवरण की प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) संबंधित विरोध/सत्याग्रह के ब्यौरे के अभाव में इस विषय पर निश्चित सूचना देना सम्भव नहीं है ।

दरभंगा में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

8031. श्री सुरेन्द्र झा सुमन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दरभंगा में एक केन्द्रीय विद्थालय खोलने के लिए भूमि, भवन-परिसर तथा अन्य सुविधाओं के पूर्ण ब्यौरे वाला एक प्रस्ताव वहां के जिला अधिकारी को प्राप्त हुआ था ;

(ख) क्या यह मामला शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक में भी उठाया गया था और वर्ष 1979-80 के दौरान इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए एक अश्वासन दिया गया था ; और

(ग) क्या सरकार तदनुसार चालू वर्ष के दौरान एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के संबंध में पहल करेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) विवरण सलग्न है ।

विवरण

(क) दरभंगा में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का एक प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट से जनवरी, 1977 में प्राप्त हुआ था। जिला मजिस्ट्रेट को असैनिक क्षेत्र में नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने के मानदण्डों से अवगत करा दिया गया था और उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अपेक्षित पूर्ण सूचना भेजने का भी अनुरोध किया गया था। अपेक्षित सूचना सहित प्रस्ताव फरवरी, 1978 में प्राप्त हुआ था। इसकी जांच की गई थी और यह पाया गया था कि भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में कोई पक्का वायदा नहीं किया गया था, क्योंकि भूमि किसी प्राइवेट पार्टी की थी। इसके अलावा एक विद्यालय खोलने के लिए अपेक्षित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या उक्त स्थान पर उपलब्ध नहीं थी। अतः वर्ष 1978-79 के दौरान दरभंगा में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव समाप्त कर दिया गया और जिला मजिस्ट्रेट को तदनुसार सूचित कर दिया गया था।

(ख) शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की 20 तथा 21 जून, 1978 को हुई दूसरी (अन्तर-सत्र) बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया था। मंत्रालय ने बताया था कि प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या बहुत अधिक है तथा सिविल स्थानों पर खोले जाने वाले नये केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या प्रतिवर्ष केवल 4 तक सीमित (उस समय) है। यह भी बताया गया था कि इसको ध्यान में रखते हुए, सभी प्रकार से सम्पूर्ण सभी प्रस्तावों पर इक्कठे, अखिल भारतीय आधार पर, तुलनात्मक प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए विचार किया गया था और जिन चार प्रस्तावों को उच्चतम प्राथमिकता दी गई थी केवल उन्हीं को स्वीकार किया गया था।

(ग) दरभंगा में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई ठोस प्रस्ताव यदि बिहार राज्य सरकार से प्राप्त होता है, जो सभी प्रकार से पूरा है, तो उस पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा ऐसे अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

प्रकाशकों द्वारा लेखतों को रायल्टी की उचित राशि न दिया जाना

8032. श्रीमती पार्वती देवी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में प्रकाशक लेखकों को रायल्टी की उचित राशि नहीं देते और देश के महान लेखक और नेता भी इस बुराई के शिकार हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रकाशन व्यवसाय से इस बुराई को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) यह लेखकों और प्रकाशकों के बीच निजी अनुबंध का मामला है। तथापि, ऐसे मामलों में जब दोनों में से कोई एक पक्ष अपकृत महसूस करता हो तो वह कानूनी कार्यवाई का सहारा ले सकता है।

औद्योगिक गृहों तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन कम्पनियों द्वारा मछली पकड़ने वाला उद्यम स्थापित करना

8033. श्री के० ए० राजन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़े और औद्योगिक गृहों तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत काम करने वाली कम्पनियों को मत्स्य नौकाओं का प्रयोग करके मछली पकड़ने के लिए प्रोत्साहन दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं कारण क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) अधिक जोखिम, उद्योग के पूंजी उन्मुखी स्वरूप और उच्च योग्यता वाली प्रबन्ध सम्बन्धी विशेषज्ञता की आवश्यकता होने के कारण यह आवश्यक समझा गया कि गहरे समुद्र में मत्स्यन के लिए बड़े घरानों को भी अनुमति दी जाए। यदि गहरे समुद्र में मत्स्यन से बड़े घरानों को अलग कर दिया जाए तो भारत के एकमात्र आर्थिक क्षेत्र का ठीक ढंग से उपयोग करना सम्भव नहीं होगा।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग से सम्बद्ध बड़े औद्योगिक घरानों की एक सूची नीचे दी गई है :—

1. यूनियन कार्बाइड (इंडिया) लिमिटेड।
2. इंडियन टोबैको कम्पनी लिमिटेड।

बाल निधि के लिए अपील

8034. श्री निहार लास्कर :

श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

श्री पी० एम० सईद :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने लोगों से बाल निधि में उदारता से धन देने की अपील की है ;

(ख) यदि हां, तो इस निधि में अब तक कितना धन प्राप्त हुआ है ;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में इस निधि का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ; और

(घ) क्या निधि के लिए जो धन दिया जाता है इस पर आयकर देने से छूट है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) 18 अप्रैल, 1979 तक 7,98,258.64 रुपये प्राप्त हुए।

(ग) राष्ट्रीय बाल कोष का उद्देश्य निराश्रित बच्चों विशेष रूप से स्कूल पूर्व बच्चों, के पुनर्वास सहित बाल कल्याण कार्यक्रम चलाने के लिए राष्ट्रीय राज्य और जिला स्तरों पर स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान देने हेतु राशियों का उपयोग एवं उसकी व्यवस्था करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिमजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों के कल्याण के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी। किसी विशेष वर्ष के दौरान कोष के उद्देश्यों हेतु दी जाने वाली धन राशि का आबंटन और कुल धनराशि को देखते हुए अनुपात का निर्धारण करना प्रबंधक बोर्ड का उत्तरदायित्व होगा जिसकी बैठक अपना कार्य करने के लिए समय-समय पर होगी। जहां तक राज्य स्तर के कोष का संबंध है, बोर्ड प्रत्येक राज्य के लिए एक कार्यकारी समिति की नियुक्ति करेगा और उन समितियों को अपने अधिकारों का प्रवर्तन करेगा। अधिक सम्भावना यह है कि राज्यों के माध्यम से प्राप्त धनराशि कोष के उद्देश्यों के लिए राज्य कार्यकारी समितियों को सौंप दी जाएगी। उपर्युक्त राष्ट्रीय बाल कोष का प्रबन्ध किसी विशेष वर्ष के संदर्भ बिना होगा।

(घ) राष्ट्रीय बाल कोष में दिये गये अंशदान पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत आयकर से छूट दी गई है।

दिल्ली में नियुक्त परन्तु दिल्ली टेलीफोन्स के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले अधिकारी के निवास स्थान पर टेलीफोन

8035. श्री आर० एल० कुरील : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी ऐसे डाक तथा तार अधिकारी/कर्मचारी के निवास स्थान पर सर्विस टेलीफोन कनेक्शन दिया जा सकता है जो दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र में काम करता है परन्तु दिल्ली टेलीफोन्स के कार्य क्षेत्र से बाहर रहता है; और

(ख) (एक) यदि हां, तो गत दो वर्षों अर्थात् 1977-78 व 1978-79 में निवास स्थानों पर कुल कितने सर्विस टेलीफोन कनेक्शन दिये गये, संबंधित अधिकारी/अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम, पदनाम, निवास स्थान के पते क्या हैं और टेलीफोन कनेक्शन लगाने की तिथि और टेलोफोन नम्बर क्या हैं; और

(द) क्या जिन विशिष्ट नियम/परिस्थिति के अधीन ऐसे सर्विस टेलीफोन कनेक्शन दिये जाते हैं उनकी प्रति सप्लाई की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी, हां।

(ख) (i) ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे कुछ कनेक्शन दिये गये हैं, किन्तु यह बताना बहुत कठिन है कि पिछले दो वर्षों के दौरान निवास-स्थानों पर ऐसे कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं, क्योंकि ऐसे कनेक्शन दिल्ली में प्रचालित कोई भी सर्किल अध्यक्ष मंजूर कर सकता है और दिल्ली के अन्तर्गत संबंधित उन सर्किल अध्यक्षों को सूचित कर सकता है जिसको कनेक्शन देने पड़ते हैं। इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ii) डाक-तार नियम पुस्तक भाग XII से संबंधित उद्धरण संलग्न विवरण (एक) में दिया जा रहा है।

विवरण (एक)

डाक-तार नियम पुस्तक भाग XII से लिया गया उद्धरण

नि : शुल्क विभागीय कनेक्शन

326. सर्किल/जिला अध्यक्ष की इच्छा से मंडलीय इंजीनियर, तार/वरिष्ठ अधीक्षक, डाकघर और इससे ऊपर के स्तर के सभी विभागीय अधिकारियों के कार्यालयों और निवास-स्थानों पर टेलीफोन कनेक्शन दिये जा सकते हैं। अन्य कनेक्शनों के बारे में, टेलीफोन जिले और सर्किल के अध्यक्ष ऐसे विभागीय कर्मचारियों के कार्यालयों और निवास के लिये निःशुल्क टेलीफोन कनेक्शन मंजूर कर सकते हैं जहां वे यह समझते हैं कि समय-समय पर डाक-तार महानिदेशक के अनुदेशों के अनुसार ऐसी व्यवस्था करना सेवाहित के लिये आवश्यक है। ऐसे सर्विस कनेक्शन मंजूर करते समय उस क्षेत्र की टेलीफोन की सामान्य स्थिति और अभ्यर्थी सूचियों को ध्यान में रखकर विचार करना आवश्यक होता है।

327. (क) प्राइवेट शाखा एक्सचेंजों से भी ऐसे निः शुल्क टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी उस प्राधिकारी की पूर्वानुमति के दे सकते हैं जिसको कि एक्सचेंज कार्यालयों या विभाग अधिकारियों को किराए पर दिया गया हो बशर्ते कि ऐसे कनेक्शन की आवश्यकता सेवाहित में हो।

(ख) सर्किल के तार/टेलीफोन के विभागीय इंजीनियर, और टेलीफोन जिले के महाजिला प्रबन्धक, टेलीफोन उन स्थानों पर विभागीय टेलीफोन एक्सचेंजों से निःशुल्क टेलीफोन लगाने की मंजूरी दे सकते हैं जहां डाक-तार विभाग के अधिकारी यात्रा पर ठहरे हों या वे अपने मुख्यालय से बाहर अवकाश पर हों किन्तु शर्त यह है कि ऐसा अधिकारी मंडलीय इंजीनियर, तार से कम हैसियत का न हो और ऐसे कनेक्शन लागत का ध्यान रखे बिना दिये जायेंगे और यह भी कि ऐसे कनेक्शन सेवाहित में देना आवश्यक हो।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क

8036. चौधरी बलबीर सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में टेलीफोन बुक करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल दस दस रुपये था ;

(ख) यदि हां, तो इसे बढ़ाकर एक हजार रुपये करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या 1000 रुपये की जमा राशि पर जब तक टेलीफोन नहीं मिलता है, ब्याज अदा किया जाता है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी, हां।

(ख) इसका प्रयोजन मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करना होता था कि रजिस्ट्रेशन वास्तविक था, क्योंकि पहली योजना में बहुत से उम्मीदवार उस समय मना कर देते थे, जब उन्हें टेलीफोन दिया जाता था।

(ग) जमा की तारीख से लेकर टेलीफोन मंजूर होने की तारीख तक ब्याज दिया जाता है। मंजूरी की तारीख से पेशगी जमा राशि को जमानत जमा, स्थापना प्रभार, और तिमाही किराया पेशगी में समायोजित कर दिया जाता है।

वैनिस से एक किराये के जहाज से यूरिया लाये जाने की लागत

8037. श्री शंकर सिंह जी वाघेला :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री के० मालन्ना :
श्रीमति मोहसिना किदवई :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा एक ईस्ट एशिया वैसल, टाप्रोबेन गुडरिच वैनिस से यूरिया लाने के लिये 3000 डालर प्रति दिन के हिसाब से किराये पर लिये जाने से दफतरशाही लापरवाही के कारण देश को विदेशी मुद्रा में लाखों रुपये देने पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जहाजरानी और परिवहन मन्त्रालय ने 2800/1400 अमरीकी डालर की दर पर निलम्ब शुल्क/प्रेषण शुल्क सहित 25.0 अमरीकी डालर प्रति टन के भाड़े पर टाप्रोबेन गुडरिच नामक जलयान किराए पर लिया था। जलयान द्वारा 20-4-79 तक माल उतार दिए जाने की संभावना है। जलयान द्वारा माल उतार दिए जाने के तीन महीने के भीतर देय विलम्ब शुल्क/प्रेषण शुल्क का हिसाब लगा लिया जाता है। तथ्यों का विवरण और अन्य दस्तावेज आदि तैयार होते ही देय विदेशी मुद्रा की राशि का हिसाब लगाया जाएगा।

(ख) विलम्ब शुल्क/प्रेषण शुल्क के व्यय के कारणों की जांच की जा रही है।

उर्वरक का वजन कम पाया जाना

8038. श्री के० एस० वीरभद्रपा : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से कम प्राप्त हुये उर्वरकों की मात्रा और मूल्य के बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस प्रकार की क्षति को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1975-76 से 1977-78 के प्रत्येक वर्षों के दौरान, जिनके लिए सूचना उपलब्ध है, कम प्राप्त हुए उर्वरकों की मात्रा व उसकी राशि निम्नलिखित है :—

वर्ष	कम प्राप्त हुई माल की मात्रा	सनिहित राशि
1975-76	29,421.803 मीटरी टन	568.0 लाख रुपये
1976-77	8,712.762 मीटरी टन	86.1 लाख रुपये
1977-78	13,328.594 मीटरी टन	98.1 लाख रुपये

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री प्रणालियों और कानूनों के अनुसार ऐसी हानियों को पूरा करने के लिए कार्यवाही की गई है। इसके अतिरिक्त, ऐसी हानियों को कम करने के लिए माल चढ़ाने और उतारने के स्थलों पर कठोर नियन्त्रण लागू किए गए हैं।

विशेषकर जबकि आयात भारी मात्रा में हो, उर्वरकों के लदानों में कम माल प्राप्त होता है। इन मामलों में की गई कार्यवाही के परिणामों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1975-76 से 1977-78 के वर्षों के लिये कम प्राप्त हुए उर्वरकों, उनका मूल्य और उन पर की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाखों में)

की गई कार्यवाही	1975-76		1976-77		1977-78	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1. कार्यवाही नहीं की गई	72	264.9	25	24.6	4	1.95
2. पंच फ़ैसले के लिए भेजे गए (भारत तथा विदेश)	29	103.4	21	22.1	17	19.19
3. भारत में दायर किए गए मुकदमे	66	133.5	13	18.0	4	10.25
4. निर्णीत	19	17.7	15	8.4	1	0.21
5. जांच के अन्तर्गत	11	47.6	7	13.0	66	66.57
	197	568.0	81	86.1	92	98.17

'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल को जारी किये गये केन्द्रीय निवेश

8039. श्री गदाधर साहा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' के अन्तर्गत सप्लाई किये गये अनाज के उपयोग किये जाने के बारे में पश्चिम बंगाल की वामपन्थी सरकार को कोई निदेश जारी किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो निदेश क्या हैं ; और

(ग) कृषि भूमि की सफाई करने और बाढ़ से बह जाने पर मकानों के पुनर्निर्माण के लिए 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' के अन्तर्गत सप्लाई किये गये अनाज का उपयोग न्यायोचित नहीं समझा जाता है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सामान्य मार्ग-दर्शक सिद्धान्त पश्चिमी बंगाल सहित सभी राज्य सरकारों को जारी किए गये हैं ।

(ख) मार्गदर्शक सिद्धान्तों की प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है ।

(ग) काम के बदले अनाज कार्यक्रम के मूल उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है । यह कार्यक्रम सामुदायिक लाभभोगी योजना होने के कारण, इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभभोगी निर्माण-कार्य स्वीकार्य नहीं हैं । व्यक्तिगत किसानों के खेतों से रेत के ढेर हटाने तथा बाढ़ से बह गये निजी मकानों का पुन-र्निर्माण करने जैसे निर्माण-कार्य स्वभावतः कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आते हैं तथा इसलिए वे कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** क्रम संख्या एल० टी० 4354/79]

लहसुन का उत्पादन

8040. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास निगम द्वारा लहसुन संबंधी तकनीकी जानकारी की सप्लाई के संबंध में कुछ बाधायें पैदा की जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की नीति के अनुसार इस कार्य के लिए तकनीकी जान-कारी तुरन्त सप्लाई की जानी चाहिए ;

(ग) यदि हां, तो देश में लहसुन का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है और उसका निर्यात किये जाने की भी काफी गुंजाइश है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में रुकावट अथवा प्रतिबन्ध होने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, नहीं । भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास निगम की नीति सामान्यतया तकनीकी जानकारी की सप्लाई करना है ।

(ख) देश में आठ पार्टियों को लहसुन चूर्ण के उत्पादन के लिए तकनीकी जानकारी दी गयी है । इस प्रक्रिया में अब भी और लाइसेंस दिये जा सकते हैं । तथापि राष्ट्रीय अनुसंधीन तया विकास निगम उन क्षेत्रों में, जहां पहले ही एकक विद्यमान हैं, अन्य एकक स्थापित करने के पक्ष में नहीं हैं, ताकि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से बचा जा सके तथा कच्ची सामग्री के मूल्यों में वृद्धि रोकी जा सके ।

(ग) 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान देश में लहसुन का उत्पादन क्रमशः 1.296 लाख मीटरी टन तथा 1.323 लाख मी० टन था । शुष्क लहसुन की मात्रा के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

केन्द्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय तिलहन बोर्ड का गठन किया जाना

8042. डा० पी० वी० पेरियासामी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय तिलहन बोर्ड का गठन करने का कोई प्रस्ताव है जिसमें किसानों, तेलों पर आधारित उद्योगों, उपभोक्ताओं, अनुसंधान कर्त्ताओं एवं सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि हों ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संगठनों की स्थापना कहां पर की जाएगी तथा अन्य सम्बद्ध जानकारी क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक केन्द्रीय तेलहन अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था तथा यह महसूस किया गया था कि तेलहन आठ या नौ विभिन्न फसलों के समूह का नाम है अतः इसके उद्देश्य की पूर्ति एक संस्थान नहीं कर सकता था क्योंकि सभी तेलहन फसलें किसी एक ही स्थान में सफलतापूर्वक नहीं उगाई जा सकतीं। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, यह निश्चय किया गया कि तेलहनों के सुधार के लिए अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना को मजबूत करने के अतिरिक्त मूंगफली, तिल, कुसुम, तोरिया तथा सरसों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जाये। जहां तक मूंगफली का संबंध है, एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र जूनागढ़ में स्थापित करने के लिए पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। अन्यों के संबंध में, प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय तेलहन बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, तेलहन विकास परिषद जिसमें कि किसानों, तेलहन व्यापार, तेलहन अन्वेषकों तथा सरकार के प्रतिनिधि हैं, पहले से ही कार्य कर रही है। तेलहन पर अनुसंधान, उत्पादन तथा व्यापार के मामलों के सम्बन्ध में यह एक सरकार को सलाह देने वाली सलाहकार निकाय है।

गोदरवाड़ा और जबलपुर के बीच ट्रंक लाइनों में वृद्धि

8043. निर्मल चन्द्र जैन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दाल मिलर्स एसोसिएशन गोदरवाड़ा, जिला नरसिमपुर और अन्य व्यक्तियों ने कई बार इस आशय के अभ्यावेदन दिये हैं कि गोदरवाड़ा से जबलपुर को इकहरी ट्रंक लाइन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है अतः दूसरी लाइन को भी बढ़ाया जाये ;

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या गोदरवाड़ा से जबलपुर को होने वाली दैनिक ट्रंक काल का औसत 100 से 125 काल हैं ;

(घ) सरकार का विचार एक इकहरी लाइन पर कालों के इस भार को कैसे वहन कराने का है ; और

(ङ) क्या सरकार स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न करेगी और यदि हां, तो वह तरीका क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क, ख, ग, घ और ङ) जी हां, गोदरवाड़ा और जबलपुर के बीच 31-3-1979 से एक दूसरा ट्रंक परिपथ चालू किया गया है। अब तार परियात सुचारू रूप में चल रहा है। नागपुर-जबलपुर माइक्रोवेव रूट को चालू करने के बाद ट्रंक सेवा को और आगे सुधारने के उद्देश्य से अतिरिक्त परिपथों की व्यवस्था की जाएगी।

तार तथा टेलीफोन की सुविधाओं से रहित जिला तथा तहसील मुख्यालय

8044. श्री गंगा भक्त सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐसे भी कोई जिला तथा तहसील मुख्यालय हैं जहां तार तथा टेलीफोन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) वहां उक्त सुविधाएं संभवत: कब तक प्रदान कर दी जाएंगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) विवरण के अनुसार :—

विवरण

दूरसंचार सर्किल का नाम	जिला मुख्यालय		तहसील मुख्यालय		टेलीफोन और तार सुविधाओं की व्यवस्था कब तक हो सकेगी।
	कितनों में टेलीफोन सुविधा नहीं है	कितनों में तार सुविधा नहीं है	कितनों में टेलीफोन सुविधा नहीं है	कितनों में तार सुविधा नहीं है	
1	2	3	4	5	6
1. जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	6	6	1979-80
2. उत्तर पूर्वी सर्किल जिसमें असम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा शामिल हैं	शून्य	शून्य	148	148	1979-83
3. उत्तर पश्चिमी सर्किल (हिमाचल-प्रदेश)	2	शून्य	5	शून्य	जिला मुख्यालयों में 1979-80 और तहसील मुख्यालयों में 1979-81

1	2	3	4	5	6
4. उड़ीसा सर्किल	शून्य	शून्य	6	3 (पिछले कालम की 6 संख्या में से)	(i) दो तहसीलों को टेलीफोन और तार सुविधा 1979-80 के दौरान दे दी जाएगी। (ii) दो तहसीलों को केवल टेलीफोन सुविधा 1979-80 में दी जाएगी (तार-सुविधा वहां पहले से है) (iii) एक स्थान पर तार और टेलीफोन सुविधा और एक दूसरे स्थान पर केवल टेलीफोन सुविधा देना इस समय तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है।

कलकत्ता में विहार उद्यान

8045. श्री जी० एम० बनातवाला

श्री श्याम सन्दर गुप्त :

डा० विजय मण्डल :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 500 करोड़ रुपये की राशि खर्च करके कलकत्ता में एक विहार उद्यान (प्लेजर गार्डन) बनाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसे कब तक बना दिया जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) तक पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार डिसनी लैण्ड के माडल पर एक पर्यटक पार्क की स्थापना करने के लिए फरवरी, 1979 में श्री के० के० बिरला से एक अस्थाई प्रस्ताव की रूपरेखा प्राप्त

हुई थी । उस प्रस्ताव में लागत का कोई संकेत नहीं था । इस योजना पर पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी विचार नहीं किया है ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, नई दिल्ली में क्रय अधिकारियों की भरती

8046. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

श्री के० लकप्पा :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, नई दिल्ली ने क्रय सहायकों की भरती के लिए नवम्बर, 1978 में विज्ञापन दिया था और प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ 2 रुपये का पोस्टल आर्डर मांगा था ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है तथा उक्त भरती के लिए कितने पद रिक्त हैं ;

(ग) भरती करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और भरती पूरी करने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को बुलाने के लिए यदि कोई मापदण्ड निर्धारित किया गया है अथवा इस भरती के लिए कोई अन्य तरीका अपनाने का विचार है तो वह क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां । एक अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के प्रत्याशी से 50 पैसे का तथा एक सामान्य प्रत्याशी से 2.00 रुपये का पोस्टल आर्डर मांगा था ।

(ख) रिक्तियों को भरने के लिए एक सूची तैयार कर ली गई है । यह जी 20 मार्च, 1980 तक चालू रहेगी । उस तारीख तक होने वाली रिक्तियां इसी सूची में भरी जायेंगी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) निर्धारित योग्यता तथा अनुभव रखने वाले प्रत्याशियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था । अनुभव की अपेक्षा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के मामले में शिथिल कर दी गई थी ।

वर्ष 1974-75 के दौरान आयोजित वन मंत्रियों का सम्मेलन और जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त

8047. श्री ए० के० राय : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन विकास के बारे में एकीकृत समन्वय नीति बनाने के लिए वर्ष 1974-75 में दिल्ली में वन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था ; यदि हां, तो इस सम्मेलन का ब्यौरा क्या है और इसमें अपनाये गये संकल्प क्या हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय स्तर पर यह निर्णय भी लिया गया था और यह मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाया गया था कि फल वाले पौधों और अन्य उपयोगी वृक्षों को काट कर उनके स्थान पर अन्य पौधे न लगाए जायें चाहे वे वाणिज्यिक दृष्टि से कितने भी उपयोगी क्यों न हों ; और

(ग) क्या बिहार के सिंहभूम जिले में वन निगम ने साल के स्थान पर सागवान के वृक्ष लगाकर इस मार्गदर्शी सिद्धान्त का उल्लंघन किया था और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, नहीं। तथापि, उन वन मंत्रियों ने जो केन्द्रीय वानिकी बोर्ड के सदस्य हैं, 14 और 15 अक्तूबर, 1974 को नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय वानिकी बोर्ड की 14वीं बैठक में भाग लिया था। राष्ट्रीय वन नीति, 1952 के संशोधन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के बारे में इस बैठक की कार्यवाही के सम्बद्ध उद्धरण संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अतः मार्गदर्शी सिद्धांतों के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं होता।

विवरण

14 और 15 अक्तूबर, 1974 को नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय वानिकी बोर्ड की 14वीं बैठक की कार्यवाही से लिया गया उद्धरण।

कार्यसूची मद सं० 3 (1)

राष्ट्रीय वन नीति का संशोधन

बोर्ड ने महसूस किया कि परिचालित किए गए राष्ट्रीय वन नीति के मसौदा संकल्प के बारे में गहन अध्ययन और ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, जोकि बोर्ड की बैठक में नहीं किया जा सकता है। अतः बोर्ड ने सिफारिश की कि अध्यक्ष संशोधित वन नीति की छानवीन करने के लिए राज्यों के वन मंत्रियों तथा तकनीकी विशेषज्ञों की एक उप-समिति गठित करें, ताकि आवश्यकतानुसार मसौदे को उपयुक्त ढंग से संशोधित किया जा सके। यह उप-समिति वनों के संरक्षण, प्रबंध तथा विकास के सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्यों के उत्तरदायित्व के उचित विभाजन की भी जांच करेगी।

बोर्ड ने यह भी सिफारिश की कि उपर्युक्त उप-समिति द्वारा संशोधित वन नीति तैयार करने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को भी ध्यान में रखा जाए :—

(1) इस बात को स्पष्ट रूप से अभिज्ञात किया जाए कि इस नीति के अन्तर्गत न केवल वन भूमि पर उगाए जाने वाले वृक्ष बल्कि प्राइवेट तथा फार्म भूमियों पर उगाए जाने वाले वृक्ष भी लाए जायें।

(2) सामान्यतः यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी वृक्ष की तब तक कटाई न की जाए जब तक दूसरे का रोपण न कर दिया जाए तथा पौधों की पर्याप्त देखभाल की जाए।

(3) वानिकी तथा कृषि के बीच समन्वय होना चाहिए और यदि इसे प्राप्त कर लिया जाए तो इससे वन क्षेत्रों का कृषि भूमि के रूप में परिवर्तन बन्द हो जाएगा।

(4) वानिकी तथा उद्योगों के बीच भी समन्वय होना चाहिए, जिससे रोपण वानिकी के कार्यक्रम को स्पष्ट दिशा मिलेगी।

(5) वनों के संरक्षण और विकास के मामले में जनता को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

(6) सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, रेलवे लाइनों के इर्द-गिर्द तथा बांधों और फार्मों की सीमाओं पर तेजी से बढ़ने वाली किस्मों को बड़े पैमाने पर वनरोपण शुरू करना चाहिए।

(7) वनों में तथा वन क्षेत्रों के इर्द-गिर्द रहने वाले आदिवासियों के हितों की समुचित सुरक्षा की जानी चाहिए। वन विभागों को आदिवासी कल्याण कार्यक्लापों की भी देखभाल करनी चाहिए।

(8) ग्रामीण बेरोज़गारी तथा अपूर्ण रोज़गार के समाधान में इस नीति का प्रभाव।

(9) नीति के विषय अथवा समन्वेषी नोट में उन क्षेत्रों को अभिज्ञात किया जाए जहां कानूनी उपाय अपनाए जाने हों अथवा मौजूदा अधिनियमों को कठोर बनाया जाना हो।

राष्ट्रीय दृष्टिहीन केन्द्र, देहरादून में अधिष्ठापित की गयी मशीनें

8048. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय दृष्टिहीन केन्द्र, राजपुर रोड, देहरादून के एककों के लिए (क) नेत्रहीन वयस्कों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, (ख) नेत्रहीनों के लिए शेल्टर्ड वर्कशाप और (ग) ब्रेल औजारों के निर्माण के लिए वर्कशाप में कितनी नई मशीनें अधिष्ठापित की गई हैं; इनका मूल्य क्या है और वे किन फर्मों से खरीदी गई थीं और इनके अधिष्ठापन और परिवहन पर खर्च की गई राशि सहित इन पर कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) इन मशीनों से कुल कितना उत्पादन हुआ और मुद्रण पर व्यय किस सीमा तक अब तक वर्षवार बचत हुई है;

(ग) क्या मशीनों की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस क्षमता का कम उपयोग किये जाने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी का विवरण-पत्र संलग्न है।

(ग) और (घ) पर्याप्त क्रेता-आदेशों की कमी के कारण नई मशीनों में से केवल एक का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया।

विवरण

क्रम सं०	एकक का नाम	पिछले तीन वर्षों में खरीदी गई मशीनों की कुल लागत	उन फर्मों का नाम जिन से ये खरीदी गई	अब तक का कुल उत्पादन
1.	वयस्क दृष्टिहीनों का प्रशिक्षण केन्द्र	——	——	——
2.	शैल्टर्ड वर्कशाप	1. पर्न्स वाइंडिंग मशीन (2886.00 रु०) 2. बोबिन वाइंडिंग मशीन (2991.00 रु०)	अमर मशीनरी कम्पनी, अमृतसर ।	ये पूरक मशीनें हैं जिनका उपयोग बुनाई खण्ड को दिए जाने हेतु पर्न और बौबिन की लपेट के लिए किया जाता है, उनके उत्पादन के मूल्य का अनुमान नहीं लग सकता ।
		3. कैप्सटन लेथ (अतिरिक्त पुर्जों इत्यादि सहित) (59,228.69 रु०)	एलफ्रेड-हर्बर्ट इंडिया लि० नई दिल्ली ।	3443.30 रुपये (जून, 77 से दिसम्बर, 78 तक)
3.	ब्रेल औज़ार बनाने हेतु वर्कशाप	——	——	——

इनमें से किसी एकक पर मुद्रण कार्य नहीं होता । अतः मुद्रण पर होने वाले व्यय में कुछ बचत नहीं हुई ।

दिल्ली में विभिन्न केन्द्रों पर सेंट्रल बोर्ड की परीक्षाएं

8049. डा० बापू कालदाते : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेंट्रल बोर्ड आफ एज्यूकेशन की हाल की परीक्षाएं कुछ केन्द्रों पर नहीं हुई हैं ;

(ख) क्या अनेक केन्द्रों पर गलत प्रश्न-पत्र सप्लाई कर दिये गये थे ;

(ग) क्या बोर्ड के किसी कर्मचारी को मुअत्तिल किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पहले दिन अर्थात् 21 मार्च, 1979 को तीन केन्द्रों पर परीक्षा नहीं हुई थी। उक्त केन्द्रों के छात्रों के लिए उक्त प्रश्न-पत्र की परीक्षा 8 अप्रैल, 1979 को आयोजित की गई थी।

(ख) दो केन्द्रों के केन्द्र अधीक्षकों ने प्रश्न पत्रों के दो गलत लिफाफे खोल लिए थे। छात्रों को तत्काल ही ठीक प्रश्न पत्र दे दिये गये थे।

(ग) और (घ) जहां तक केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का संबंध है, उसने दोनों केन्द्रों के अधीक्षकों और निरीक्षकों को परीक्षा कार्य से वंचित कर दिया है।

अरुणा शुगर्स से गन्ने की बकाया राशि

8050. श्री वी० अरुणाचलम् : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अध्यादेश जारी होने के समय अरुणा शुगर्स की ओर गन्ना उत्पादकों की कितनी बकाया राशि देय थी ;

(ख) क्या इस संबंध में तमिलनाडु सरकार द्वारा कोई सिफारिश की गई है ;

(ग) उक्त वकाया राशि की पूरी अदायगी करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और यदि उक्त बकाया राशि 10 प्रतिशत से अधिक है तो उक्त कारखाने को अपने हाथ में लेने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ;

(घ) क्या पैसे की अदायगी न किए जाने के कारण किसानों ने कारखाने को गन्ने की सप्लाई करने से इन्कार कर दिया ; और

(ङ) क्या तमिलनाडु सरकार द्वारा हस्तक्षेप के फलस्वरूप इस मामले में कोई समझौता हुआ है और यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मानु प्रताप सिंह) : (क) राज्य सरकार की सूचना के अनुसार 15 नवम्बर, 1978 को अन्तरिम गन्ना मूल्य पर आधारित गन्ने के मूल्य की बकाया राशि 8282 लाख रुपए थी।

(ख) राज्य सरकार ने बताया था कि मैसर्स अरुणा शुगर्ज की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने में उनकी मदद करने के लिए उनके अनुरोध पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही थी और भारत सरकार राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होने के बाद अध्यादेश के उपबंधों के संदर्भ में कोई कार्रवाही करने का निश्चय कर सकती है।

(ग) बाद में, राज्य सरकार ने सूचित किया कि मिल ने गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का भुगतान कर उसे 10 प्रतिशत से नीचे ला दिया था। अतः अध्यादेश के अधीन कोई कार्रवाई करना आवश्यक नहीं पाया गया था।

(घ) राज्य सरकार से मालूम हुआ था कि गन्ना उत्पादक, उनके द्वारा मांगे गये अंतिम ऊंचे मूल्य का भुगतान होने तक, कुछ समय के लिए फैक्ट्रियों को गन्ना सप्लाई करने से इन्कार कर रहे थे।

(ङ) 4 जनवरी, 1979 को एक त्रिपक्षीय बैठक हुई थी जो कि अन्तिम मूल्य को तय नहीं कर सकी। बाद में एक अंशधारी ने उच्च न्यायालय से अन्तरिम तयशुदा मूल्य से अधिक मूल्य का भुगतान रोकने के लिए एक व्यादेश प्राप्त कर लिया था। बाद में मिल को गन्ना सप्लाई किया गया था और प्रतिष्ठान ने 21-1-79 से उत्पादन शुरू कर दिया था।

युवा सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता

8051. श्री जी० मल्लिकार्जुन राव : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में युवा सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को राज्यों से उन्हें दी जाने वाली वर्तमान वित्तीय सहायता में वृद्धि करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) क्या सरकार को और अधिक वित्तीय सहायता देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) वर्तमान वर्ष के लिए अब तक राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यान्वयन तथा नेहरू युवक केन्द्रों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संग्लन है।

(ख) वित्तीय सहायता को बढ़ाये जाने के लिए किसी राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि कुछेक राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए आंबटित छात्रों से और अधिक छात्रों के आबंटन हेतु अनुरोध किया है। तमिलनाडु के मामले को छोड़कर जिसकी अभी जांच की जा रही है, सभी अनुरोधों को स्वीकार कर लिया गया है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार से अभी तक कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	राष्ट्रीय सेवायोजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता	नेहरू युवक केन्द्रों के लिए किया गया आवंटन
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	17,85,000	11,48,000
2.	असम	4,72,500	5,74,000
3.	बिहार	12,60,000	7,38,000
4.	गुजरात	12,60,000	4,92,000

1	2	3	4
5.	हरियाणा	6,30,000	1,64,000
6.	जम्मू और कश्मीर	2,70,000	82,000
7.	हिमाचल प्रदेश	1,05,000	6,56,000
8.	कर्नाटक	14,17,500	8,20,000
9.	केरल	10,50,000	6,56,000
10.	मध्य प्रदेश	14,17,500	12,30,000
11.	महाराष्ट्र	23,10,000	1,64,000
12.	उड़ीसा	10,50,000	8,20,000
13.	मणिपुर	1,05,000	1,64,000
14.	मेघालय	1,31,250	1,64,000
15.	नागालैंड	52,500	1,64,000
16.	पंजाब	10,50,000	7,38,000
17.	राजस्थान	6,30,000	13,12,000
18.	सिक्किम	2,450	82,000
19.	तमिलनाडु	21,00,000	5,74,000
20.	त्रिपुरा	49,875	1,64,000
21.	उत्तर प्रदेश	31,50,000	22,96,000
22.	पश्चिम बंगाल	21,00,000	6,56,000

कालेजों के भवनों के लिए दिल्ली के कालेजों को अनुदान

8052. श्री एच० एल० पी० सिन्हा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान कालेज भवनों के निर्माण के लिए दिल्ली क्षेत्र के विभिन्न कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कितनी धनराशि के अनुदान दिये गये ;

(ख) उन वस्तु शिल्पियों के नाम क्या हैं, जिनकी सेवायें इस बारे में प्राप्त की गई थीं ; और

(ग) क्या दिल्ली क्षेत्र के बाहर के अन्य राज्यों के कालेजों को अनुदान देने के लिए

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसी प्रकार के नियमों का पालन किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सेन्ट्रल स्कूलों में शिक्षकों के लिये सेवा नियम

8053. श्री राघवजी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल स्कूल संगठन के अन्तर्गत देश में कितने शिक्षक कार्य कर रहे हैं ;

(ख) उनमें स्थायी और अस्थायी शिक्षकों की संख्या कितनी है ;

(ग) ऐसे शिक्षकों की संख्या कितनी है जो 3, 5, 7 वर्ष और इससे अधिक की सेवा के बाद भी अस्थायी हैं ; और

(घ) क्या शिक्षकों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थायीकरण आदि को नियमित करने के लिये इस संगठन में निश्चित सेवा नियम लागू किये गये हैं ; यदि हां, तो नियमों का ब्यौरा क्या है और वे कब से लागू हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) 31-7-1978 की स्थिति के अनुसार 11,384

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अपने कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और स्थायीकरण से सम्बन्धित नियमावली तैयार कर ली है। इस नियमावली का शीर्षक है "केन्द्रीय विद्यालय संगठन (नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता इत्यादि) नियमावली, 1971" रखा गया है। विस्तृत ब्यौरों सहित इस नियमावली की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में रख दी गई हैं। ये नियम 19 अगस्त, 1971 से लागू हैं।

वयस्क शिक्षा के लिए 'यूनेस्को' से सहायता

8054. श्री नाथू सिंह :

श्री चतुर्भुज :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष गांधी जयन्ती दिवस पर आरंभ किए गए राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए 'यूनेस्को' ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) यद्यपि यूनेस्को के विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठकों के दौरान यूनेस्को द्वारा इस तरह का कोई

विशिष्ट आश्वासन नहीं दिया गया था, फिर भी उन्होंने भारत सरकार को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग और सहायता देने का आश्वासन दिया था।

(ख) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए यूनेस्को से निम्नलिखित सहायता प्राप्त हुई :–

(I) प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के लिए छोटे आकार के आफ सेट कार्य के लिए 21300 अमरीकी डालर का छपाई उपकरण।

(II) तंजानिया, वियतनाम और थाईलैण्ड के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में अध्ययन के लिए शिक्षावृत्तियां।

(III) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जन शिक्षा के एकीकरण पर सेमिनार आयोजित करने के लिए 2000 अमरीकी डालर की आंशिक सहायता।

(IV) गैर-स्कूली जन शिक्षा कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय आयोजना और विकास संबंधी बैठक आयोजित करने के लिए 3000 अमरीकी डालर की आंशिक सहायता। इसके अतिरिक्त शैक्षिक नवीकरण और विकास के एशियाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 'प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में प्रलेखन सेवा विकास' पर सहयोगात्मक अध्ययन के रूप में सहायता।

शहीद जतेन्द्र नाथ दास के सम्मान में स्मारक डाक-टिकट

8055. प्रो० समर गुह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह बात नोट कर ली है कि इस वर्ष (1979 में), 13 सितम्बर, 1979 को शहीद जतेन्द्र नाथ दास की शहीदी स्वर्ण जयन्ती मनाई जायेगी क्योंकि 50 वर्ष पूर्व इस दिन लाहौर जेल में उनका निधन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस महान शहीद जतेन्द्र नाथ दास के सम्मान में उक्त अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विशेष वानिकी कार्यक्रम के बारे में अनुसन्धान सर्वेक्षण और देखभाल सम्बन्धी परियोजनाएं

8056. श्री एस० आर रेड्डी :

श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्यों से विशेष वानिकी कार्यक्रम के बारे में अनुसंधान सर्वेक्षण और देखभाल सम्बन्धी केन्द्रीय क्षेत्र की कोई योजना प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या छोटे वन के रखरखाव की कोई योजना भी सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है और योजना को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार को अपेक्षित वित्तीय सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के बारे में अनुसंधान, सर्वेक्षण और देखभाल सम्बन्धी योजना को एक समय पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का प्रस्ताव था। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों तथा अरुणाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र ने और पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय तथा महात्मा फुले विश्वविद्यालय ने कुल 37.04 लाख रु० की राशि के लिए अपने प्रस्ताव भेजे हैं। परन्तु यह योजना स्वीकृत नहीं हुई और पांचवी योजना में शामिल नहीं की गई। अतः ये प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं किये जा सके।

(ख) जी, हां। सामाजिक वानिकी से सम्बद्ध दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात् (1) बंजर भूमि और पंचायती भूमि आदि में मिश्रित पौध रोपण और (2) काटे गये वनों में वृक्षारोपण तथा रक्षा पट्टियां बनाना, सन् 1976-77 से ही विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सड़कों तथा नहरों के किनारे सामुदायिक बंजर भूमि में वृक्षारोपण करना और ईंधन के लिए तथा कृषि एवं घरेलू उपयोग के लिए इमारती लकड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु काटे गये वन क्षेत्रों में पुनः वृक्षारोपण करना तथा उनका विकास करना है। इन योजनाओं से देश में छोटे-छोटे वनस्थल तैयार हो जाएंगे।

(ग) बंजर भूमि आदि में मिश्रित पौध रोपण की योजना कर्नाटक को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 1976-77 के दौरान दी गई सहायता लागत का 75 प्रतिशत थी और प्रति हैक्टार 750 रु० तक सीमित थी। काटे गये वनों में वृक्षारोपण तथा रक्षा पट्टियां बनाने की योजना मेघालय, नागालैण्ड और सिक्किम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 1976-77 के दौरान केन्द्रीय सहायता का पैटर्न 50 प्रतिशत तक अनुदान देने का था जो प्रति हैक्टार 500 रु० तक सीमित था। वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान दोनों योजनाओं के तहत केन्द्रीय अनुदान बढ़ाकर प्रति हैक्टार 1000 रु० कर दिया गया। इन योजनाओं के तहत अनुदान के रूप में निम्नांकित राशि निर्मुक्त की गयी :

	(लाख रु० में)
1976-77	163.28
1977-78	737.59
1978-79	920.31

तीन वर्ष की अवधि के दौरान इन योजनाओं के तहत निम्नांकित वास्तविक उपलब्धि होने की आशा है :—

वर्ष	बंजर भूमि आदि में मिश्रित पौधरोपण	काटे गये वनों में वृक्षारोपण तथा रक्षा पट्टियां बनाना
1976-77	1765 हैक्टार 105 आर० के० एम० एस०	13100 हैक्टार 1250 आर० के० एम० एस०
1977-78 (लक्ष्य)	17600 हैक्टार	43600 हैक्टार 5400 आर० के० एम० एस०
1978-79 (लक्ष्य)	36630 हैक्टार 300 आर० के० एम० एस०	83700 हैक्टार 37000 आर० के० एम० एस०

राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णयानुसार वर्ष 1979-80 से इन योजनओं को बिना निधी का निर्धारण किये हुए, राज्य क्षेत्र में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है ।

भूमिगत जल का मानचित्र

8057. श्री हरगोविन्द वर्मा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का भूमिगत जल का प्रथम वैज्ञानिक मानचित्र तैयार हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां ।

(ख) विश्व के भूगर्भीय मानचित्र आयोग ने 1974 में केन्द्रीय भुमिगत जल बोर्ड को भारत का प्रथम भूजल विज्ञान संबंधी मानचित्र तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा था 1976-77 में 1:5,000,000 के स्केल में तैयार किए गए मानचित्र में देश के भूजल विज्ञान से सम्बद्ध मौमिकी, संरचना, धरातल की आकृति, जलवायु विज्ञान तथा जल विज्ञान के संबंध में सभी उपलब्ध सूचना का संश्लेषण किया गया है । मानचित्र में, जिसमें 41 बिन्दुपरिमाण हैं, देश के उप-सतही संरचना में उपलब्ध जल की उत्पत्ति, उपलब्धि, गति तथा किस्म दिखाई गई है । देश में भूजल विज्ञान संबंधी ढांचे को तीन उपप्रभागों में सामान्यीकृत किया गया है, जिसमें असमेकित, अर्ध-समेकित तथा समेकित संरचनाओं वाले क्षेत्र शामिल हैं । मानचित्र में सख्त चट्टानी तथा जलोढ़, दोनों क्षेत्रों में पानी वाले विभिन्न संस्तरों की उत्पादन क्षमता दिखाई गई है । इसे देश के भूमिगत जल संसाधनों के विकास और प्रबंध के नियोजन हेतु प्रत्यक्ष आधार माना जा सकता है ।

राजस्थान में भारतीय टेलीफोन उद्योग के एकक की स्थापना

8059. श्री भानु कुमार शास्त्री : क्या संचार मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य में टेलीफोन उपकरण, सूक्ष्म तरंग और अन्य उपकरणों का

निर्माण करने के लिए भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० का एक या दो एककों की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) क्या इस बारे में श्रम, रियायती दरों पर औद्योगिक भूमि और बिजली उपलब्ध करने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रस्ताव किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त मामले में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): (क) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का, राजस्थान राज्य में टेलीफोन उपकरण बनाने वाले कारखाने की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज की योजना है कि वह छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्विचिंग एवं पारेषण, दोनों तरह के उपकरणों की अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करें ।

(ख), (ग) और (घ) जी, हां । इस तरह का एक प्रस्ताव मिला था । इस पर इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा छठी योजना काल में लगाई जाने वाली मैकेनिकल कामन कण्ट्रोल स्विचिंग फैक्ट्री के लिए स्थान चुनने हेतु, भारत सरकार द्वारा नियुक्त स्थान चयन समिति ने पुरी तरह विचार किया था । इस समिति ने स्विचिंग कारखाने के लिए राजस्थान के किसी भी स्थान को उपयुक्त मानकर शिफारिश नहीं की है ।

भारत तथा बंगलादेश के बीच दूरसंचार प्रणाली

8060. श्री चित्त बसु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत और बंगलादेश के बीच दूरसंचार साधनों की अत्यधिक कमी के बारे में पता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बंगलादेश के साथ सीधा दूरसंचार सम्पर्क तुरन्त बनाना अनिवार्य समझती है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार के मार्ग में क्या बाधायें हैं; और

(घ) बंगलादेश से मंत्री संबंध बढ़ाने के उद्देश्य से इन बाधाओं को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां, सरकार को इसकी जानकारी पहले से ही है कि दोनों देशों के बीच दूरसंचार की सुविधायें अपर्याप्त हैं ।

(ख) सीधी दूरसंचार (टेलीफोन और तार) सेवा पहले से ही उपलब्ध है । तथापि, इसमें विस्तार करने की आवश्यकता है ।

(ग) चालू प्रादेशिक सर्किट खुले तार की लाइन और विद्युतीकृत केबिल को मिलाकर बहु-सम्पर्क प्रणाली पर तैयार किया जाता है । इस प्रकार के सम्पर्क का कार्यकरण बहुत अच्छा नहीं है ।

(घ) लम्बी अवधि के उपाय के रूप में, भारत और बंगलादेश के बीच बरास्ता कृष्णानगर और चौदंगा एक माइक्रोवेव प्रणाली लगाने की योजना है। इस सम्पर्क के चालू होने पर सेवा के किस्म और परिमाण में सुधार होगा।

भूदान के अन्तर्गत आवंटित भूमि और उसका उपयोग

8061. श्री राम देनी राम : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री विनोबा भावे द्वारा आरम्भ किये गये भूदान आन्दोलन के परिणामस्वरूप देश में राज्यवार कुल कितनी भूमि उपलब्ध करायी गयी और इस भूमि का अब तक कैसे उपयोग किया गया ;

(ख) प्रत्येक राज्य में इसमें से भूमि के कितने क्षेत्र का आवंटन भूमिहीन हरिजनों में किया गया और इसके परिणामस्वरूप देश में भूमि की समस्या कहां तक हल हुई और भूमिहीन हरिजनों को कितना वित्तीय लाभ हुआ ; और

(ग) क्या श्री विनोबा भावे ने जमींदारी के हृदय परिवर्तन और जातिहीन समाज स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दे दी गई है। भूमिहीन हरिजनों को आबंटित भूमि क्षेत्र के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) श्री विनोबा भावे द्वारा चलाये गये सामाजिक आन्दोलन का मूल्यांकन सारांश में नहीं किया जा सकता। आन्दोलन की सफलता एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न रही है, लेकिन प्राय: सभी जगह इससे भूमि के असमान-वितरण तथा सुधार की आवश्यकता के सम्बन्ध में जागृति पैदा हुई है।

विवरण

भूदान भूमि

राज्य/संघ शासित प्रदेश	दान किया गया क्षेत्र	वितरित क्षेत्र
1	2	3
असम	5,000	63
आन्ध्र प्रदेश	2,84,000	44,390
बिहार	22,32,000	4,27,665
गुजरात	76,000	50,984
हरियाणा		1,502

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	2,000	
जम्मू और कश्मीर	13,000	1,988
कर्नाटक	13,000	1,988
केरल	29,000	उ० न०
मध्य प्रदेश	68,000	1,97,869
महाराष्ट्र	1,09,000	80,215
उड़ीसा	2,86,000	1,40,817
पंजाब	16,000 (हरियाणा शामिल है)	उ० न०
राजस्थान	3,84,000	84,772
तमिलनाडु	57,000	20,409
उत्तर प्रदेश	5,86,000	2,23,195
पश्चिम बंगाल	12,000	30
दिल्ली		
कुल	41,59,000	12,73,899

स्रोत : सर्व सेवा फार्म, मदुराई

समुद्र उत्पादों का निर्यात और उसका देश में मछली के मूल्य पर प्रभाव

8062. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1979-80 में अधिक मात्रा में समुद्री उत्पादों का निर्यात करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

(ग) वर्ष 1975-76 से 1978-79 तक वर्षवार कितने मूल्य के समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया ; और

(घ) क्या उनके ध्यान में यह बात लाई गई है कि समुद्री उत्पादों के निर्यात में भारी वृद्धि के कारण मछली का उपभोग करने वाले राज्यों में मछली के भावों में भारी वृद्धि हुई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) बम्बई डक और पांम्फ्रेट को छोड़ कर जिनके लिये अधिकतम सीमा लगाई गई है, समुद्री उत्पादों के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। प्राउन, शार्कफिन, फिश मौस, बीच डिमेयर तथा बम्बई डक और अन्य

शुष्क शेल फिश के अतिरिक्त, अन्य सुखाई गई मछलियों का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है ।

(ग)

1975-76	124.53 करोड़ रुपये
1976-77	189.12 करोड़ रुपये
1977-78	180.95 करोड़ रुपये
1978-79 (अप्रैल 1978 से जनवरी, 1979 तक)	185.52 करोड़ रुपये

(घ) समुद्री उत्पादों का निर्यात कुल मछली उत्पादन का लगभग पांच प्रतिशत है, जिसमें अधिकांशतः अधिक मूल्य के उत्पाद तथा वे उत्पाद शामिल होते हैं जिनकी घरेलू मांग बहुत कम होती है । अतः इससे मछली के घरेलू मूल्य प्रभावित नहीं होते हैं ।

सरकारी आवास प्राप्त अनुसूचित जातीय/ अनुसूचित जनजातीय कर्मचारी

8063. श्री राम चरण : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में प्रत्येक टाईप के कितने-कितने क्वार्टरों में सरकारी कर्मचारी रह रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर आबंटित किये गये हैं ; और

(ग) यदि कोटा पूरा नहीं भरा गया है तो उसे भरने के लिये क्या प्रयास किये जा रहें हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 31-3-1979 को सामान्य पूल में मकानों की संख्या इस प्रकार है :—

टाईप	
ए	13,035
बी	16,388
सी	5,885
डी	5,121
ई	1,875
ई-1	487
ई-2	102
ई-3	35
योग	42,928

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जो कर्मचारी सामान्य पूल के मकानों में रह रहे हैं उनकी कुल संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं रखी जाती है। किन्तु वर्ष 1970 से 31-3-79 तक की अवधि के दौरान, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 1602 कर्मचारियों को टाईप ए०, बी०, सी० तथा डी० में उन्हें आरक्षित कोटे के अन्तर्गत वास का आबंटन किया गया था। किन्तु वर्ष 1970 और 1971 के दौरान टाईप ए० के किए गए आबंटन इसमें शामिल नहीं हैं जिसके लिए सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए, टाईप ए० और बी० में स्पष्ट रिक्तियों का 10 प्रतिशत और टाईप सी० और डी० में स्पष्ट रिक्तियों का 5 प्रतिशत का आरक्षण है। इसकी सूचना रखी जा रही है। इसका संबंध मकानों की कुल संख्या से नहीं है।

छठी योजना में उड़ीसा में वैतरणी नदी पर भीमकुण्ड सिंचाई परियोजना

8064. श्री बैरागी जेना : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में वैतरणी नदी पर भीमकुण्ड सिंचाई परियोजना को क्रियान्वयन हेतु छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; परियोजना का कमाण्ड क्षेत्र कितना होगा और परियोजना का कार्य कब प्रारम्भ होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार से भीमकुण्ड परियोजना की रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में अगस्त, 1974 में प्राप्त हुई थी। आयोग में रिपोर्ट की जाँच की गई थी और समय-समय पर राज्य सरकार को टिप्पणियां भेजी गई थीं। राज्य सरकार को अन्तिम टिप्पणियां अगस्त, 1977 में और 1978 के शुरू में भेजी गई थीं, और राज्य सरकार द्वारा उनका अनुपालन किये जाने की प्रतीक्षा की जा रही है। लेकिन उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि वे इन टिप्पणियों का यथासंभव शीघ्र उत्तर भेजने के लिए कदम उठा रहे हैं।

उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि भीमकुण्ड परियोजना एक बहूद्देश्यीय परियोजना है, जिसके अन्तर्गत बाढ़-नियंत्रण, विद्युत और सिंचाई लाभ प्राप्त होंगे। परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 189.89 करोड़ रुपया है। इस परियोजना से खरीफ में 0.780 लाख हैक्टेयर और रबी में 1.317 लाख हैक्टेयर को सिंचाई लाभ प्राप्त होंगे।

संसद् सदस्यों के वेस्टर्न कोर्ट होस्टल, नई दिल्ली का रखरखाव

8065. प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नई दिल्ली में जनपथ पर वेस्टर्न कोर्ट में, जो मुख्य रूप से संसद् सदस्यों का होस्टल है, खान-पान, सफाई सामान्य सेवा, संचार आदि की अनेक कमियां और त्रुटियां हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी पता है कि ऐसी स्थिति के कारण संसद् सदस्यों, जो वेस्टर्न कोर्ट में रहते हैं, के कर्त्तव्यों के निवेदन में गम्भीर बाधा उत्पन्न होती है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार उक्त स्थिति से किस प्रकार निपट रही है और उक्त स्थिति में सुधार करने के लिए क्या अविलम्ब उपाचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) वैस्टर्न कोर्ट होस्टल के निवासियों से भोजन-प्रबन्ध तथा अन्य सेवाओं के बारे में कभी-कबार शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें ऐसी मदों के बारे में थीं जिन पर तुरन्त ध्यान दिया जाना था और उन्हें सही समय पर दूर किया गया था। तथापि, किसी भी निवासी से सेवाओं की किसी विशेष मद के बारे में निरन्तर रूप से कोई शिकायत नहीं है।

(ग) होस्टल में भोजन-प्रबन्ध के प्रश्न पर संसद् के दोनों सदनों की हाउस कमेटियों के अध्यक्ष की संयुक्त समिति की बैठकों में विचार-विमर्श किया गया था तथा यह निर्णय किया गया है कि इस प्रबन्ध को भारतीय पर्यटन विकास निगम के सुपूर्द कर दिया जाये। आशा है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा 1 मई, 1979 से इस प्रबन्ध को अपने हाथ में ले लिया जायेगा।

मध्य आय वर्ग के फ्लैटों के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या

8066. श्री राम विलास पासवान : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1976, 1977 और 1978 में मध्य आय वर्ग के मकानों के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं ;

(ख) इन वर्षों के दौरान कितने मकान निर्मित किये गये और कितने मकान आंबटित किये गये ; और

(ग) इस समय बकाया पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कितनी है और इस बारे में निर्धारित किये गये, लक्ष्य के अनुसार इन पंजीकृत व्यक्तियों को मकानों का आंबटन कब तक कर दिया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की पिछली पंजीकरण योजना के अधीन 1976 में 10,058 व्यक्तियों ने मध्यम आय वर्ग फ्लैटों के लिए पंजीकरण करवाया था। वर्ष 1977 और 1978 के दौरान कोई पंजीकरण नहीं किया गया था।

(ख) वर्ष 1975-76 से 1978-79 तक के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मध्यम आय वर्ग के 3029 फ्लैट बनाए तथा 3491 फ्लैट आबंटित किए।

(ग) कुल मिलाकर, मध्यम आय वर्ग फ्लैटों के लिए पंजीकृत 8103 व्यक्ति 31-3-79 को फ्लैटों के आबंटन की प्रतीक्षा में थे। यद्यपि इन व्यक्तियों की मांग पूरी करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण को आशा है कि इस मांग को लगभग दो वर्षों में पूरा कर दिया जायेगा।

अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं पर व्यय

8067. श्री गणनाथ प्रधान : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत योजना अवधि में सैन्ट्रल इन्स्टीच्यूट आफ इंग्लिश एण्ड फोरन लैंग्युएजिस, हैदराबाद के माध्यम से अंग्रेजी के विकास पर और केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा तथा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, दिल्ली के माध्यम से हिन्दी के विकास पर और सैन्ट्रल इन्स्टीच्यूट आफ इंडियन लैंग्युएजिस, मैसूर के माध्यम से अन्य सभी भारतीय भाषाओं के विकास पर सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की है ;

(ख) क्या प्राथमिक तथा प्रौढ़ शिक्षा पर जोर दिये जाने के संदर्भ में भारतीय भाषाओं के विकास के लिये पर्याप्त धनराशि नियत की गई है ; और

(ग) वर्ष 1979-80 में उपरोक्त सभी संस्थाओं के लिये बजट में कितनी धनराशि रखी गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क), (ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बिहार के वर्मो कोयला क्षेत्रों में टेलीफोन लाइनों का खराब होना

8068. श्री राम दास सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि वर्मो कोयला क्षेत्रों में टेलीफोन लाइनें काफी समय से खराब पड़ी हैं ;

(ख) क्या वर्मो-धनबाद तथा वर्मो-हजारी बाग के बीच केवल दो ही मुख्य लाइनें हैं जो महीने में 20 दिन खराब पड़ी रहती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो गत वर्षों से उनकी मरम्मत क्यों नहीं की गई है और क्या इन टेलीफोन लाइनों को शीघ्र ही ठीक करने के लिये कोई प्रभावी कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) वर्मो में तीन ट्रंक लाइनें जाती हैं जिनमें से धनवाद, गोमिया और बोकारी के लिये पृथक-पृथक एक-एक लाइन है । पिछले दो महीनों के दौरान इनका कार्य सामान्यतः संतोषजनक रहा है ।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इस लाइन की मरम्मत के संबंध में की गई कार्रवाइ की बाबत सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय इसे संसद् के सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

इन लाइनों की कार्यक्षमता में और सुधार करने के लिये कदम उठाया जा चुका है ।

नकद फसलों के लिए वस्तु प्रबंध बोर्ड

8069. श्री ईश्वर चौधरी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नक़द फसलों के उत्पादन, मांग, निर्यात तथा आयात के प्राक्कलन तैयार

करने के लिये तथा उत्पादकों के हितों का भी खयाल रखने के लिये एक वस्तु प्रबंध बोर्ड की स्थापना के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है और यह संभवत: कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला : (क) तथा (ख) सरकार नकदी फसलों के उत्पादन, मांग, निर्यात तथा आयात के प्राक्कलन तैयार करने के लिए तथा उत्पादकों के हितों पर निगरानी रखने के लिए एक वस्तु प्रबंध बोर्ड की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

तथापि, वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत, काफी, चाय, रबड़, इलाइची तथा तम्बाकू के लिए अलग-अलग वस्तु बोर्ड कार्य कर रहे हैं । कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत नारियल विकास बोर्ड की स्थापना करने के लिए हाल ही में एक अधिनियम बनाया गया है ।

सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में भूमि अधिग्रहण

8070. श्री रशीद मसूद : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरोजिनी नगर, नई दिल्ली के 'के' और 'एल' ब्लाकों के निकट खसरा संख्या 85 के अन्तर्गत 'आबादी' भूमि पर नई दिल्ली नगरपालिका ने गत आपात स्थिति की अवधि में एक अस्थाई स्टोर और एक नीचे के पुल का निर्माण किया था ;

(ख) क्या उपरोक्त निर्माण के लिए प्रभावित भूमि का अधिग्रहण विधि की प्रक्रिया के अनुसार किया गया था ; और

(ग) क्या भूमि के मालिकों अथवा उनके उत्तराधिकारियों को कोई मुआवजा दिया गया था ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में परीक्षाओं में सामूहिक नकल

8071. श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

श्री निहार लास्कर :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री टी० एस० नेगी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा समाचार प्रैस में प्रकाशित हुआ है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 10वीं कक्षा की परीक्षाओं में कुछ सामूहिक रूप से नकल हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अध्यापकों की हड़ताल के कारण निगरानी करने वालों की कमी थी और कुछ केन्द्रों में कुछ विद्यार्थियों को इस कार्य पर लगाया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो किन केंन्द्रों में सामूहिक नकल हुई और सरकार का विचार उन केन्द्रों के विद्यार्थियों की प्रतिपूर्ति किस प्रकार करने का है जहां नकल नहीं होने दी गयी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं में तथाकथित बड़े पैमाने पर नकल की रिपोर्टें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थीं। बोर्ड द्वारा इन रिपोर्टों की जांच-पड़ताल की गई और यह पाया गया कि बड़े पैमाने पर कोई नकल नहीं हुई।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची को पूरा करने के लिए टेलीफोन परियोजना का विस्तार

8072. श्री के० लकप्पा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसा कि महाप्रबंधक, दिल्ली टेलीफोन्स ने कहा है, दिल्ली में पर्याप्त संख्या में टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए परियोजनाओं के विस्तार के मार्ग में उपकरण की कमी के कारण रुकावट आ गई है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली टेलीफोन्स को अपेक्षित उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाई करने का विचार है ताकि प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को शीघ्र टेलीफोन दिए जा सकें ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध साधनों का विभिन्न स्टेशनों के बीच उचित आबंटन किला जा रहा है तथा छोटे स्टेशनों की मांगों को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

दिल्ली में 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान निम्न टेलीफोन एचसचेंजों के विस्तार को पूरा किए जाने की योजना है :—

1979-80

1.	गाजियाबाद-II	2000 मुख्य
2.	तीस हजारी	10000 मुख्य
3.	राजौरी गार्डन	10000 मुख्य
4.	राजौरी गार्डन-II	6000 मुख्य
5.	चाणक्यपुरी	300 (6200–6500)
6.	नेहरू प्लेस	400 (2000–2400)
7.	जनकपुरी	1200 मुख्य
8.	अलीपुर	100
9.	बादली	200

	1980-81	
1.	फरीदाबाद	900 (3000–3900)
2.	नेहरू प्लेस	10000 मुख्य
3.	करोल बाग	10000 मुख्य
4.	हौजखास	600 (4000–4600)

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्नातकोत्तर स्तर की हिन्दी पुस्तकों का प्रकाशन

8073. श्री लालजी भाई : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की हिन्दी पुस्तकों का प्रकाशन करने की कौन-कौन सी विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं तथा प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत ऐसी अनुमानतः कुल कितनी पुस्तकें उपलब्ध हो चुकी हैं ; और

(ख) विभिन्न विषयों पर हिन्दी में पुस्तकों को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के निर्माण से सम्बन्धित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत हिन्दी में विभिन्न विषयों पर विश्वविद्यालय स्तर की अब तक 1110 पुस्तकों का निर्माण किया जा चुका है ।

(ख) हिन्दी में सभी विषयों पर विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के पर्याप्त संख्या में निर्माण किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को 1979-80 से संशोधित स्वरूप में कार्यान्वित किया जाएगा । संशोधित योजना के अन्तर्गत ऐसी पुस्तकों के उत्पादन पर जोर दिया गया है जो छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके तथा ऐसे विषयों पर लिखी गई हों जिन पर इस समय उपयुक्त पुस्तकें उपलब्ध न हों । आशा है कि छठी योजना के अन्त तक विश्वविद्यालय स्तर के सभी विषयों पर पर्याप्त संख्या में पुस्तकें उपलब्ध हो जाएंगी ।

पेय '77' के उत्पादन पर लाभ

8074. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977-78 के दौरान पेय '77' के उत्पादन पर माडर्न बेकरीज को कोई लाभ हुआ है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार पेय '77' के लिए विपणन व्यवस्था का पुनर्गठन करने पर विचार करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आपातकाल के दौरान बेदखल किये गये लोगों का पुनर्वास

8075. श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी :

श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन लोगों का पुनर्वास करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है जिनके मकान को आपातकाल के दौरान गिरा दिया गया था ;

(ख) इस प्रक्रिया को पूरा करने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) क्या अनधिकृत कालोनियों को नियमित किये जाने को दृष्टि में रखते हुए सरकार उन लोगों को प्राथमिकता देगी जिनके मकान बिना पूर्व नोटिस के गिरा दिये गये थे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्हें कुल मिलाकर 2167 आवेदन पत्र उन व्यक्तियों से प्राप्त हुए थे जिनकी इच्छा उन क्षेत्रों में पुनः बसने की थी जहां से उन्हें आपात् स्थिति के दौरान हटाया गया था। उसने अर्जुन नगर, गौतम नगर और शास्त्री नगर में वैकल्पिक प्लाटों के आबंटन के मामले पर पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी है और 168 व्यक्तियों को आबंटन कर दिये हैं। 14 अन्य मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आबंटन की पेशकश भेज दी है। 759 मामले रद्द कर दिये हैं। शेष मामलों पर कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा, दिल्ली विकास प्राधिकरण तुर्कमान गेट/सराय खलील के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए उसी क्षेत्र में फ़्लैटों का निर्माण भी कर रहा है।

दिल्ली प्रशासन ने भी सूचित किया है कि उसे उन व्यक्तियों को वैकल्पिक प्लाटों का आबंटन करने के लिए 10,300 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपर्युक्त पुनर्वास कार्यक्रम के अर्न्तगत नहीं आते। प्रशासन ने एक पृथक पुनर्वास और बन्दोबस्त कक्ष स्थापित किया है जिसने पहले ही 2000 आवेदन पत्रों पर कार्यवाही कर दी है।

(ख) तथा (ग) आपात स्थिति के दौरान हटाये गये व्यक्तियों के पुनर्वास को उनके गुणावगुणों के अनुसार अग्रता दी जा रही है जोकि अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण से भिन्न है। लेकिन इस प्रयोजन के लिये कोई समय सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है।

सब्जी-बीज उत्पादन केन्द्र

8076. डा० वसंत कुमार पंडित :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या कृषि **और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने सब्जी-बीज उत्पादन केन्द्र स्थापित करने की योजना प्रायोजित की है ;

(ख) यदि हां, इनकी संख्या क्या है और यह केन्द्र कहां कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में बीज उत्पादन केन्द्र आरम्भ करने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो कब और यह कहां स्थापित किया जाएगा ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सब्जी बीज उत्पादन विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना के राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम का एक घटक है ।

(ख) ये केन्द्र आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों में कार्य कर रहे हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

भूमि के परीक्षण के आधार पर फसल योजना

8077. श्री रुद्रसेन चौधरी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भूमि के परीक्षण के आधार पर देशव्यापी फसल योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, नहीं । इस प्रकार की कोई योजना नहीं है । तथापि इष्टतम उत्पादन के लिए फसलों के आवश्यक उपयुक्त पोषक तत्वों का निर्धारण करने के लिए मृदा परीक्षण पद्धति को प्रयोग में लाया जाता है । देश के विभिन्न भागों में प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख मृदा नमूनों के विश्लेषण की क्षमता की मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के एक नेटवर्क की स्थापना की गई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

दिल्ली में क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्यकरण के बारे में शिकायतें

8078. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी के वर्तमान क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्यकरण के बारे में उन्हें असंख्य शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एक्सचेंजों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने के बावजूद तीसहजारी में 10,000 लाइनों के एक अन्य क्रासबार एक्सचेंज लगाने में क्या बाध्यकारी कारण हैं; और

(ग) देश में कितने क्रासबार एक्सचेंजों को चालू किया गया है और उनके कार्यकरण के बारे में जानकारी क्या है और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इन क्रासबार एक्सचेंजों को अब तक चालू किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) क्षेत्र में लम्बे समय से अनिर्णीत पड़ी मांगों को पूरा करने के लिए एक्सचेंज

क्षमता को 10,000 लाइनों तक बढ़ाना आवश्यक था। हौजखास, नई दिल्ली में पिछले एक साल से उस टाइप का क्रासबार एक्सचेंज अत्यन्त सन्तोषजनक कार्य कर रहा है।

(ग) देश में फिलहाल 87 स्थानीय क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं। इन एक्सचेंजों तथा इनकी क्षमताओं का विवरण इनकी सूची सहित सभा-पटल पर रखा जा रहा है। पहले क्रासबार एक्सचेंजों में से कुछ एक्सचेंजों में कठिनाई होती थी किन्तु अब इन एक्सचेंजों का कार्य सन्तोषजनक है ।

विवरण

31-3-1979 तक चालू किए गए स्थानीय क्रासबार एक्सचेंज

क. पेंटाकोटा एक्सचेंज	लाइन
1. मद्रास-माम्बलम (बी टी एम)	8,000
2. बंबई-सिटी I (बी टी एम)	10,000
3. बंबई-सिटी III (बी टी एम)	10,000
4. दिल्ली-करोलबाग (,,)	9,000
5. दिल्ली-जोरबाग (,,)	6,000
6. बंम्बई-सिटी-II (,,)	10,000
7. मैसूर	5,000
8. एर्नाकुलम	8,000
9. शिलांग	3,000
10. पटना-राजेन्द्रनगर	4,000
11. गुन्टूर	4,500
12. दिल्ली-ओखला	7,000
13. बंबई-गामदेवी	10,000
14. रांची	6,000
15. रूसा-II	3,000
16. जोधपुर	5,000
17. झरिया	2,000
18. अम्बाला कैंट	2,000
19. ग्वालियर	4,000
20. जनपथ-I	3,000
21. बंबई-मतुंगा	6,000
22. इलाहाबाद	5,000
23. कटक	5,000

24. त्रिवेन्द्रम	6,000
25. लुधियाना-I	10,000
26. अजमेर	3,000
27. भुवनेश्वर	4,000
28. दिल्ली-चाणक्यपुरी	6,200
29. कलकत्ता-पानीहाटी	2,000
30. मद्रास-अवदी	1,000
31. लखनऊ-आलमबाग	2,000
32. मद्रास-कोदाम्बकम	5,000
33. बेलगांव	4,000
34. तिरुप्पुर	2,400
35. तूतीकोरीन	2,000
36. मद्रास-अदियार	4,000
37. पूना सिटी	11,000
38. नवरंगपुरा-I	10,000
39. बंबई-मंडवी-III	9,000
40. बंगलौर-संकरापुरम	11,000
41. कलकत्ता-कालीघाट	2,000
42. बंबई-शिवाजी पार्क-II	6,000
43. अम्बाला-सिटी	2,000
44. बड़ौदा-II	6,000
45. कानपुर बेनाझाबर	7,000
46. मद्रास-केल्लियस	4,000
47. वेल्लोर	3,000
48. त्रिचुर	4,000
49. कलकत्ता-रूसा-III	6,000
50. दिल्ली-जनपथ-I	2,000
51. कलकत्ता-सर्कस	5,000
52. दिल्ली-शाहदरा पूर्व	4,000
53. बंबई-अंधेरी II	7,200
54. कलकत्ता-जोरसंको	4,800
55. सिलीगुड़ी	3,000
56. मद्रास-माउंट रोड	5,000

57. कलकत्ता-बागबाजार	3,000
58. बंबइ-सी टी ओ	5,000
59. बंबई-मलाद-II	4,400
60. बंबई-थाना-II	3,200
61. जबलपुर	6,000
62. दिल्ली-हौजखास I	4,000
63. दिल्ली जनपथ-II	3,000
64. कलकत्ता-उत्तरपाड़ा	2,000
65. कलकत्ता-जादवपुर	4,000
66. हैदराबाद-सैफाबाद	3,000
67. कलकत्ता बेहाला	4,000
68. बंबई-कूपरेज I	5,400
69. कलकत्ता-कोसीपोर	6,000
70. बंबई-बाइकुला II	5,000
71. अहमदाबाद-रेलवेपुरा II	3,000
72. नई दिल्ली-राजौरी गार्डन I	5,000
73. कानपुर-लाजपत नगर	2,000
74. कबकत्ता-ईस्ट II	4,000
75. बंबई-कूपरेज II	5,000
76. दिल्ली-जनपथ (जे 5 एक्स)	2,000
77. हैदराबाद-सिकन्दराबाद	2,000
78. कलकत्ता-सरामपोर	2,400
योग :	38;25000

ख. अन्य आयातित एक्सचेंज

1. दिल्ली-ईदगाह II (एल एम ई स्वीडन)	10,000
2. दिल्ली-हौजखास II (एन ई सी-जापान)	10,000
3. अहमदाबाद-रेलवेपुरा III (हिटैची जापान)	10,000
4. कलकत्ता-तिरेता बाजार II (,,)	10,000
5. कलकत्ता-तिरेता बाजार III (,,)	10,000
6. बंबई-मालाबार हिल्स I (,,)	10,000
7. बंबई-मालाबार हिल्स II (,,)	10,000

8. दिल्ली-तीस हजारी III (एन ई सी जापान)		10,000
9. दिल्ली-शक्ति नगर (,,)		10,000
	योग :	90,000
1. आई टी आई और बी टी एम (पेंटाकोटा) (78 एक्सचेंज)		3,82,500
2. अन्य आयातित (9 एक्सचेंज)		90,000
87 एक्सचेंज	कुल योग :	4,72,500

कृषि वैज्ञानिकों की कार्य परिस्थितियों के बारे में ज्ञापन

8079. श्री गंगा भक्त सिंह : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृषि वैज्ञानिकों से ज्ञापन मिला है कि उनकी कार्य की परिस्थितियों में सुधार एवं विकास किया जाये; और

(ख) क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) वैज्ञानियों से उनकी कार्य दशाएं सुधारने और विकास के लिये कभी-कभी अभिवेदन प्राप्त होते हैं ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में विज्ञानियों की कार्यदशाएं कृषि अनुसंधान सेवा चालू करने से अत्यधिक सुधारी जा चुकी हैं जिसके अधीन बिना किसी रिक्ति के हुए विज्ञानियों की पदोन्नति उनके कार्यों के पांचवर्षीय मूल्यांकन के आधार पर 1500-2000 रु० के ग्रेड तक की जा सकती है । वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार निदेशकों, प्रभाग अध्यक्षों और क्षेत्रीय केन्द्रों के अध्यक्षों को दिये गये हैं । विज्ञानियों को आवासीय सुविधाएं इस प्रयोजन के लिये उपलब्ध निधि की सीमा के अन्दर बढ़ाने के लिये पग उठाये गये हैं । इनके अलावा, यदि परिषद के ध्यान में लायी जायें तो संस्थानों में उपकरणों, प्रयोगशालाओं, क्षेत्रीय सुविधाओं के मामलों में कमियों को दूर करने के लिए द्रुत कदम उठाये जा रहे हैं ।

कर्नाटक में सूरजमुखी के बीजों तथा सोयाबीन का उत्पादन करने के लिये किसानों को सहायता

8080. श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरजमुखी का तेल अन्य खाद्य तेलों से उत्तम होता है;

(ख) क्या कर्नाटक तथा अन्य राज्यों में कुछ उत्साही किसानों ने सूरजमुखी के बीजों तथा सोयाबीन की काश्त की थी परन्तु इन उत्पादों का कोई खरीदार ही नहीं मिला; और

(ग) इन किसानों को सहायता देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) बहु-असंतृप्त वसायुक्त अम्लों की अधिक मात्रा के कारण सूरजमुखी के तेल को अच्छी किस्म का खाद्य तेल समझा जाता है ।

(ख) तथा (ग) कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में सूरजमुखी और सोयाबीन की खेती शुरू की गयी है । भारत सरकार ने 1978-79 के लिए इन फसलों का समर्थन मूल्य 175 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित किया है और समर्थन मूल्य पर खरीद करने का कार्य राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को सौंपा है । जहां कहीं भी कीमतों में समर्थन स्तरों में गिरावट की प्रवृति दिखायी दी, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ने बाजार में प्रवेश किया व समर्थन मूल्य पर खरीद की । तदनुसार, उन्होंने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से 65,000 मीटरी टन से अधिक सोयाबीन खरीदा है ।

जैसलमेर, किशतवार और तमिलनाडु तट पर संरक्षण परियोजनायें

8081. डा० कर्ण सिंह : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसलमेर में मरुस्थल राष्ट्रीय पार्क, किशतवार में पर्वतीय राष्ट्रीय पार्क और तमिलनाडु तट के लिये समुद्रतटीय राष्ट्रीत पार्क बनाने के लिये प्रस्ताव तैयार किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन तीन महत्वपूर्ण संरक्षण परियोजनाओं के बारे में प्रगति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) राजस्थान सरकार ने जैसलमेर क्षेत्र में मरुस्थल राष्ट्रीय पार्क का निर्माण करने के लिये एक प्रस्ताव तैयार किया है । इस समय केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताव की जांच कर रही हैं ।

किशतवार में पर्वतीय राष्ट्रीय पार्क बनाने के सम्बन्ध में जम्मू व काश्मीर सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी । तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि वे इस समय तमिलनाडु तट के लिये एक समुद्रतटीय राष्ट्रीय पार्क बनाने की परियोजना को तैयार कर रहे है ।

दिल्ली के शकरपुर डाकघर में सार्वजनिक टेलीफोन

8082. डा० विजय मण्डल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शकरपुर डाकघर दिल्ली-110092 के लिए सर्विस टेलीफोन 6 अक्तूबर, 1978 को मंजूर किया गया था ;

(ख) क्या इस डाकघर के लिए सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की मंजूरी दी गई थी जैसा कि पोस्टमास्टर जनरल, दिल्ली द्वारा श्री कुलदीप सिंह, वाइस प्रेसिडेन्ट, रेसिडेन्ट्स वैलफेयर एसोसिएशन को लिखे पत्र संख्या डी० ओ०/टी० ई० सी०/टी०-2/77 दिनांक 29 नवम्बर, 1977 द्वारा सूचित किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या ये टेलीफोन लगा दिये गये हैं और यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं और वे कब तक लगा दिये जाएंगे ।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क), (ख) और (ग) जहां तक सर्विस टेलीफोन का प्रश्न है शाहदरा एक्सचेंज से शकरपुर की दूरी लगभग 10 से 12 कि० मी० है और टेलीफोन की व्यवस्था के लिए केबुलों की उच्च घेराबन्दी की जरूरत है। केबुल प्राप्त हो चुके हैं और यह कार्य 2 से ड महीने की अवधि में पूरा हो जाने की संभावना है।

जहां तक सार्वजनिक टेलीफोन का प्रश्न है सूचना एकत्र की जा रही है

कृषि श्रमिक

8083. श्री अहसान जाफरी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में कृषि मजूरी पर कितने परिवार जीवन निर्वाह करते हैं अथवा निर्भर रहते हैं, उसके राज्यवार तथा कुल आंकड़े क्या हैं ;

(ख) हमारे देश में तथा प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्ति कृषि मजदूरों के रूप में कार्य करते हैं;

(ग) कितने राज्यों में न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू है ; और किस राज्य में कृषि के मामले में इसे लागू नहीं किया गया है; और

(घ) इसे क्रियान्वित न किये जाने अथवा इसके त्रुटिपूर्ण क्रियान्वयन के दोषों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) 1971 की संगणना के अनुसार कृषि श्रमिकों की जनसंख्या लगभग 475 लाख थी। राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 सिक्किम को छोड़कर (जहां यह अभी लागू किया जाना है) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है। इस अधिनियम के अन्तर्गत जम्मू तथा कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में कृषि श्रमिकों के लिये अभी न्यूनतम मजदूरी निधारित नहीं की गई है तथा लक्षद्वीप में कोई भी कृषि श्रमिक नहीं है।

(घ) कृषि से संबंधित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागु करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी लागू करने पर निगरानी रखने के लिये स्थानीय स्तरों पर क्रियान्वयन समितियों को नियुक्त करने पर विचार करें।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि श्रमिकों की संख्या (हजारों में)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	6,829
असम	406
बिहार	6,806

1	2
गुजरात	1,888
हिमाचल प्रदेश	54
हरियाणा	430
जम्मू और कश्मीर	42
कर्नाटक	2,717
केरल	1,908
मध्य प्रदेश	4,062
महाराष्ट्र	5,393
मेघालय	44
मणिपुक	13
नागालैण्ड	4
उड़ीसा	1,938
पंजाब	787
राजस्थान	749
तमिलनाडु	4,490
त्रिपुरा	86
उत्तर प्रदेश	5,454
पश्चिम बंगाल	3,272
सिक्किम	5
संघ राज्य क्षेत्र	117
अखिल भारत	47,494

कपास, चावल और प्याज के विपणन के बारे में सर्वेक्षण प्रतिवेदन

8084. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास, चावल और प्याज के विपणन के बारे में वर्ष के दौरान जो सर्वेक्षण किये गये थे उनके प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदनों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार किसी अन्य प्रमुख कृषि उत्पाद के विपणन के बारे में भी सर्वेक्षण करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ ने हाल ही में कपास और प्याज के बारे में बुलेटिन प्रकाशित किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, इन दो वस्तुओं के विपणन के पहलू भी शामिल हैं। चावल के विपणन के बारे में कोई सर्वेक्षण प्रतिवेदन अभी हाल ही में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) कपास और प्याज के बारे में प्रतिवेदनों की मुख्य बातें ये हैं :—

कपास

(1) औसतन 50 से 60 प्रतिशत कपास की उपज देश की मुख्य मण्डियों में विक्रय हेतु लाई जाती है। मुख्य उत्पादन क्षेत्रों में आवकों का प्रतिशत महत्वपूर्ण रूप से अलग-अलग होता है।

(2) सहकारी सोसायटियों द्वारा कपास के विपणन की महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 1975-76 के दौरान गुजरात में कपास विपणन हेतु शीर्ष परिसंघ की स्थापना इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी।

(3) कपास के क्रय और विक्रय के बारे में सहकारी विपणन सोसायटियों ने निम्नलिखित पद्धतियों को अपनाया : —

(क) गुजरात में एकत्रीकरण पद्धति।

(ख) महाराष्ट्र में कपास अधिप्राप्ति की योजना।

(ग) प्रत्यक्ष क्रय।

(घ) सहकारी बुनकर मिलों से सम्बन्ध।

(4) विशेष अवधि में विपणन आवकों के जमा हो जाने के कारण कपास की कीमतों में व्यापक तौर पर उतार-चढ़ाव होता है। मुख्य विपणन अवधि प्रायः नवम्बर से मार्च तक होती है तथा इस अवधि में कीमतें सामान्यतः कम रहती हैं।

(5) कपास की औटाई और प्रेसिंग इसके विपणन का अनिवार्य पूरक है। 1977-78 के अन्त तक सहकारी क्षेत्र में औटाई और प्रेसिंग एककों की संख्या 318 तक पहुंच गई है।

प्याज

(1) व्यापारियों और विचोलिए के शोषण से उत्पादकों को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी महत्वपूर्ण उत्पादन वाले राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर नियमित मण्डियों को गठित करने पर बल दिया जाना चाहिए।

(2) क्रय, भण्डारण तथा बंटन हेतु एक सुविचारित योजना को तैयार करना होगा, ताकि अभाव के मौसम में पर्याप्त आपूर्तियां सुलभ कराई जा सकें।

(3) महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार और आन्ध्र प्रदेश में प्याज की विस्तृत खेती की जाती है।

(4) प्याज की दक्षिण भारतीय किस्मों पर उत्पादन-व्यय अधिक होता है, तथा वे पारम्परिक रूप से निर्यात अभिमुखी फसलें हैं।

(5) देश में कुल उपलब्ध आपूर्तियों में से यह अनुमान है कि विपणन के दौरान छीजन (सूखन सहित) के कारण 10 प्रतिशत की क्षति होती है।

भण्डारण की परम्परागत प्रणालियों के अन्तर्गत, क्षति का अनुमान 10-20 प्रतिशत लगाया गया है। इसे 2 से 5 प्रतिशत तक घटाया जाना संभव है यदि शीत भंडारों में 0^0 सेन्टीग्रेट तापमान वाले तत्व रखे जाएं।

(ग) आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू, बिहार में पटसन तथा पंजाब और हरियाणा में गेहूं के विपणन से संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल खोला जाना

8085. श्री अमरसिंह पी० राठवा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में और विशेष रूप से गुजरात में आदिवासी क्षेत्र शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान उन क्षेत्रों में प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल खोलने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) प्रत्येक राज्य के लिए योजना हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार, 6—14 आयु-वर्ग के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के सरकार के कार्यक्रम के सिलसिले में, राज्य सरकारों से इस समस्या के स्वरूप का पता लगाने तथा आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकारों द्वारा ऐसे क्षेत्रों के लिए उप-योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल खोलने के संबंध में उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :—

(1) स्कूलों के स्थान निर्धारण में दूरी के मानदंडों में छूट दी गई है, तथा

(2) आश्रम (आवासीय) स्कूल खोलने की व्यवस्था की गई है ; क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में आबादी बहुत कम है।

गुजरात ने वर्ष 1978-83 के लिए जनजातीय क्षेत्रों की अपनी उप-योजना प्रारूप में निम्नलिखित प्रस्तावों की सूचना दी है :—

(1) बिना स्कूल के सभी गावों को केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी के अन्दर ही प्राथमिक स्कूल उपलब्ध किये जाएंगे, इनमें जन जातीय क्षेत्रों में अतिरिक्त 200 प्राथमिक स्कूल खोलना भी शामिल है ; तथा

(2) 150 माध्यमिक स्कूलों को खोलने के अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों के एक ही अध्यापक वाले 2521 स्कूलों में से 1000 को 2 अध्यापक वाले स्कूलों में परिवर्तन करना।

(ग) प्रारम्भिक शिक्षा के लिए निर्धारित क्षेत्रीय आबंटन पूरे राज्य के लिए है। क्योंकि अधिकांश प्रारम्भिक स्कूल, शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में होंगे, अतः प्रारम्भिक शिक्षा के निर्धारित आबंटन से जनजातीय क्षेत्रों को लाभ होने की संभावना है। तथापि, राज्यवार आबंटन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

चीनी का उत्पादन तथा बिक्री

8086. श्री डी० डी० देसाई : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह की बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू चीनी मौसम के पहले पांच महीनों के दौरान चीनी का उत्पादन उत्साह-वर्धक रहा है ;

(ख) क्या आन्तरिक बिक्री में भी वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या चीनी पर से नियंत्रण हटाये जाने के लाभकारी परिणाम दिखायी देने लगे है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मानु प्रताप सिंह) : (क) 1978-79 मौसम के पहले पांच महीनों अर्थात 1-10-1978 से 28-2-1979 के दौरान चीनी का उत्पादन 35.30 लाख मीटरी टन हुआ था जबकि 1977-78 मौसम के उन्हीं महीनों के दौरान 33.80 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था। 1978-79 मौसम के दौरान 7 अप्रैल तक चीनी का कुल उत्पादन 48.48 लाख मीटरी टन हो गया है जबकि 1977-78 मौसम की उसी अवधि तक 47.73 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

(ख) 1978-79 मौसम के दौरान 7 अप्रैल, तक आन्तरिक खपत के लिए चीनी की निकासी 31.62 लाख मीटरी टन हुई है जबकि 1977-78 मौसम में उसी तारीख यह मात्रा 22.59 लाख मीटरी टन थी।

(ग) और (घ) 1977-78 मौसम में 64.62 लाख मीटरी टन चीनी के रिकार्ड उत्पादन, चीनी अर्थ व्यवस्था में चीनी के स्टाक के ऊंचे स्तर, चीनी फैक्ट्रियों के पास चीनी के बढ़ते हुए स्टाक को समाप्त करने के लिए चीनी की घरेलु खपत ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की परमावश्यकता उपभोक्ता को अधिक उत्पादन का लाभ पहुंचाने आदि पर विचार करते हुए 16 अगस्त, 1978 से चीनी से नियंत्रण उठा लिया गया था। 1978-79 मौसम के दौरान 7 अप्रैल, 1979 तक चीनी की आन्तरिक खपत में 1976-77 और 1977-78 के मौसमों में उसी तारीख तक की तुलना में क्रमशः लगभग 68 प्रतिशत और 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गोदमों का निर्माण करने के लिए प्राईवेट पार्टियों से प्रस्ताव प्राप्त होना

8087. श्री पी० के० कोडियन : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में और उनके आसपास गोदामों का निर्माण

करने और भारतीय खाद्य निगम को उन्हें किराये पर देने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने प्राइवेट पार्टियों से प्रस्ताव आमन्त्रित किये थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्वयं ही उक्त कार्य न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों में 16 लाख मीटरी टन क्षमता के लिए प्राइवेट पार्टियों से अपनी भूमि पर भारतीय खाद्य निगम की निर्दिष्टियों के अनुसार गोदामों का निर्माण करवाने और उन्हें निगम को 3 से 5 वर्ष के गारंटीबद्ध अधिभोग पर किराये पर देने के लिए विज्ञापन द्वारा 30.4.1979 तक पेशकश मांगी है । गोदामों की न्यूनतम क्षमता 5000 मीटरी टन होनी चाहिये ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम अपने गोदाम आप बनवाता है। तथापि, मौजूदा क्षमता पर दबाव अतिरिक्त क्षमता को शीघ्र प्राप्त करने की आवश्यकता की दृष्टि में भूमि अधिग्रहण करने में लगने वाले समय और इस तथ्य की दृष्टि में कि प्राइवेट पार्टियों के पास अपनी भूमि है, उपर्युक्त योजना के अधीन गोदाम प्राप्त किए जा रहे हैं ।

चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास

8089. श्री श्याम लाल धुर्वे :

श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए उनके कार्यालयों के आस पास सरकार रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण कर रही है ;

(ख) वर्ष 1978 में क्वार्टरों के आबंटन की प्रतीक्षा सूची में से अन्तिम किस नम्बर तक क्वार्टरों का आबंटन कर दिया गया है और वर्ष 1979 में अनिर्णीत पड़े नम्बरों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उन अन्य वेतन भोगी कर्मचारियों की आवास समस्या का, जो लगभग 15 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, शीघ्र ही समाधान किया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) किसी कर्मचारी द्वारा ली जाने वाली परिलब्धियों के आधार पर आबंटन किया जाता है । वर्ग 'डी' के अधिकतर कर्मचारी टाईप 'ए' वास के पात्र हैं । दिल्ली में सामान्यपूल में वर्ग 'डी के कर्मचारियों के लिए आवास सेमल बाग (डी०आई० ज़ेड क्षेत्र) मिन्टो रोड, आराम बाग तथा बदरपुर महरौली रोड क्षेत्र में निर्माणाधीन हैं या निर्माण के लिए प्रस्तावित हैं ।

(ख) 30-11-1978 को समाप्त होने वाले आबंटन वर्ष के अन्त में टाईप 'ए' में प्रतीक्षा सूची की अन्तिम क्रम सं० 2417 है जिसको आबंटन किया गया है। 1-12-1978 से आबंटन के लिए मंगाए गए आवेदन पत्रों के आधार पर आबंटन आरम्भ हुआ तथा 15-4-79 को क्रम सं०

500 तक को आबंटन किया जा चुका है। चालू आबंटन वर्ष 1978-1980 के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर तैयार की जा रही सम्पूर्ण प्रतीक्षा सूची में अन्तिम क्रम सं० 5425 है।

(ग) इससे पहले के वर्षों में निर्माण के लिए पहले ही स्वीकृत लगभग 5,700 मकानों के अतिरिक्त सरकार ने दिल्ली में 1978-79 के दौरान 15,300 मकान बनाने की स्वीकृति दी है।

राष्ट्रीय प्रतिभा परीक्षाओं में केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों का कार्य निष्पादन

8090. श्री वसन्त साठे : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय परीक्षाओं में केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों की प्रतिशतता में गत दो वर्षों में कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो गत चार वर्षों में राष्ट्रीय प्रतिभा परीक्षाओं में केन्द्रीय विद्यालयों के कार्य-निष्पादन सम्बन्धी मुख्य बातों का वर्ष-वार महत्वपूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन परीक्षाओं में विशेष रूप से दिल्ली, बम्बई, नागपुर, पुणे, मद्रास, बंगलौर, कलकत्ता और अन्य 'बी' श्रेणी के शहरों में केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों के शामिल होने और उनकी सफलता दर में सुधार करने के लिए क्या विशेष उपाय किये गये हैं अथवा करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) छात्रों की विशेष पढ़ाई के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अध्यापकों को क्या प्रोत्साहन दिए गए अथवा देने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख), (ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली दुग्ध योजना में हिन्दी के कार्य के लिए स्वीकृत किये गए पद

8091. श्री मोहन लाल पिपिल : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना में केवल हिन्दी कार्य के लिए स्वीकृत विभिन्न प्रकार के पदों का ब्यौरा क्या है और 1 अप्रैल, 1979 को कितने पद पांच महीने से अधिक समय से रिक्त पड़े हुए हैं और इन पदों को न भरने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या हिन्दी कार्य के लिये बनाये गये वर्तमान पद काम को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो हिन्दी के कार्य के पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना में केवल हिन्दी कार्य के लिए स्वीकृत पदों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम सं०	पदनाम	वेतन मान (रु०)	पदों की संख्या	
			मंजूर किए गए पद	पांच महीने से अधिक समय से रिक्त पद
1	2	3	4	5
1.	हिन्दी अधिकारी	650–1200	1	1
2.	हिन्दी अनुवादक	550–800	1	—
3.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	425–700	2	2
4.	हिन्दी अध्यापक	330–560	1	1
5.	उच्च श्रेणी लिपिक	330–560	1	—
6.	हिन्दी टाइपिस्ट	260–400	2	—

हिन्दी अधिकारी तथा कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के पद 25 सितम्बर, 1978 को सर्जित किए गए थे। इन पदों के लिए भर्ती नियम बनाए जा रहे हैं। भर्ती नियमों के बनने तक, ये पद गृह मंत्रालय, राज भाषा विभाग के परामर्श से तदर्थ आधार पर भरे जा रहे हैं। जहां तक हिन्दी अध्यापक के पद का संबंध है, रोजगार कार्यालय से नाम मांगे जा रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

आंतरिक क्षेत्र, आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

8092. श्री राजाराम शंकरराव माने : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के आदिवासी क्षेत्र के आंतरिक भाग व पर्वतीय भागों में शत-प्रतिशत आधार पर कृषि भूमि का विकास, पशुपालन परियोजना व लघु कृषि आधारित उद्योग आरम्भ करने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो योजनाओं और उनके क्षेत्रों के नाम क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (ख) आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्र उप योजनाओं के अन्तर्गत संबंधित राज्यों में देश के आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि भूमि, पशुपालन तथा लघु कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं तथा इन उप-योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

16 राज्यों तथा 2 केन्द्रशासित क्षेत्रों के उप-योजना क्षेत्रों में 180 समन्वित आदिवासी विकास परियोजनाएं चालू रहेंगी तथा उनके अन्तर्गत कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों सहित सभी विकासात्मक कार्यक्रमों को शुरू किया जाएगा ।

दूरसंचार विंग के जूनियर इंजीनियरों द्वारा वेतन स्वीकार न किया जाना

8093. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरसंचार विंग के 20000 जूनियर इंजीनियरों ने अपना वेतन लेने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी, हां । कुछ जूनियर इंजीनियरों ने अपना वेतन नहीं लिया था । फिर भी जिन जूनियर इंजीनियरों ने 2-4-79 को अपना वेतन नहीं लिया था, उनकी सही संख्या ज्ञात नहीं है ।

(ख) और (ग) जैसा कि जै०ई०टी०ए० ने बताया है, जूनियर इंजीनियरों ने उनकी दो आधार भूत मांगों अर्थात् वेतन मानों का संशोधन और बेहतर पदोन्नति विषयक लाभों पर समझौता न होने के विरोध में नाराजगी प्रदर्शन करने के लिए तारीख 2-4-79 को वेतन-बहिष्कार किया । विभाग द्वारा इन मांगों पर यथोचित ध्यान दिया जा रहा है ।

मोतीनगर, दिल्ली में पानी की ऊपरी टंकी

8094. श्री दाजीबा देसाई : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बीस हजार की आबादी वाली मोतीनगर और करमपुरा कालोनिय में पानी की कोई ऊपरी टंकी उपलब्ध नहीं करायी गयी है और इसके अभाव में दूसरी मंजिल पर कभी पानी नहीं मिलता जिससे वहां रहने वालों को बहुत कठिनाई होती है ;

(ख) क्या पानी की ऊपरी टंकी उपलब्ध कराये जाने के लिये निरन्तर मांग होती रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है और टंकी का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) दिल्ली की मोती नगर व करमपुरा कालोनियों में ऊपरी टंकी बनाने की मांग की गई है परन्तु दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान द्वारा ऐसी टंकी का निर्माण आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि इस क्षेत्र में पानी का दबाव अपेक्षाकृत सन्तोषजनक पाया गया है ।

पश्चिम बंगाल में आवास योजनाएं

8095. श्री सचीन्द्र लाल सिंघा : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "हुडको" द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार आवास बोर्ड तथा पश्चिम बंगाल आवास

विभाग की सहायियत 16 योजनाओं का ब्यौरा क्या है, उनको मंजूर किस तारीख को किया गया और किस क्षेत्र को उनके अन्तर्गत लिया गया है तथा प्रत्येक योजना के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई हैं ;

(ख) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और कितने मकानों का निर्माण हुआ तथा प्रत्येक योजना में कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा ; और

(ग) "हुडको" के पास वित्तीय सहायता मंजूर करने के बारे में इस समय लम्बित आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) पश्चिम बंगाल राज्य के लिए मंजूर की गई 24 योजनाओं के विस्तृत ब्यौरों का एक विवरण–1 संलग्न है जिसमें स्थान, मंजूरी की तारीख और योजनावार मंजूर की गई राशि दर्शायी गई है ।

(ख) आवास तथा नगर विकास निगम की मंजूरी के पश्चात् इन योजनाओं का निष्पादन संबंधित ऋण अभिकरणों द्वारा किया जाता है जिनकी प्रगति का प्रबोधन आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा किया जाता है। अभिकरणों द्वारा आवास तथा नगर विकास निगम को प्रस्तुत प्रगति रिपोर्टों के अनुसार 687 रिहायशी एकक पूर्ण हो चुके हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि सभी 24 योजनाओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात् 7000 से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा । प्रत्येक योजना की वास्तविक स्थिति विवरण–I में दर्शायी गई है ।

(ग) ऋण राशि के साथ-साथ योजनाओं के नाम जो हुडको के विचाराधीन हैं संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 4355/79]

मायापुरी, नई दिल्ली में चारों ओर निकासी व्यवस्था का विकास

8096. श्री टी० एस० नेगी : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम दिल्ली नगर निगम के बारे में 26 फरवरी, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 812 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मायापुरी में पानी रुक जाने की समस्या का समाधान करने के लिए चारों ओर जल निकासी व्यवस्था का विकास करने संबंधी योजना को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ; यदि हां, तो ज़ोन के किस क्षेत्र में यह व्यवस्था की जाएगी और अन्य संबंधित ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस संबंध में दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच क्या मतभेद थे जिसके कारण दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव को समस्या हल करने के लिए कहा गया था ; और

(ग) क्या इनका समाधान हो गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) : जी, नहीं ।

(ख) ये मतभेद प्राथमिक तौर पर उनके क्षेत्राधिकार में स्थित क्षेत्रों के बारे में थे ।

(ग) जी, हां । मायापुरी कालोनी में पक्की नालियों के पानी को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए कच्चे नाले में गिराया है तथा इस नाले के पानी को मायापुरी रोड के साथ वाले बड़े नाले में गिराया जाता है ।

दिल्ली के डाकघरों में लिफाफों और डाक सामग्रियों का उपलब्ध न होना

8097. श्री अनन्तराम जायसवाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में उन डाकखानों के नाम क्या हैं जहां 1 अप्रैल, 1978 से 31 मार्च, 1979 की अवधि के दौरान डाक सामग्री उपलब्ध नहीं थी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : जी, नहीं । फिर भी दिल्ली सर्किल के कुछ डाकघरों में 1979 की पहली तिमाही के दौरान डाक टिकटों और डाक सामग्री की कुछ वस्तुओं की कमी रही । उपचारात्मक कार्यवाही किये जाने के परिणामस्वरूप दिल्ली सर्किल में इस समय इन वस्तुओं की कोई कमी नहीं है ।

माडर्न बेकरीज द्वारा ब्राउन डबलरोटी बनाया जाना

8098. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माडर्न बेकरीज केवल मैदा की बनी डबलरोटी बनाते हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि मैदा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ;

(ग) क्या इस कारण माडर्न बेकरीज को उनके लिए ब्राउन डबलरोटी (सारी गेहूं की) बनाने को कहा जाएगा जो मैदे की अपेक्षा इसे पसंद करेंगे ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । मैदा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है ।

(ग) और (घ) कम्पनी ने परीक्षण के तौर पर ब्राउन डबलरोटी के उत्पादन तथा बिक्री का कार्य शुरू किया था लेकिन इसके प्रति उपभोक्ताओं की अभिरुचि उत्साहवर्धक नहीं रही थी ।

चीनी कारखानों के सम्मुख वित्तीय संकट

8099. श्री नटवरलाल बी० परमार :

श्री बागुन सुम्बरुई :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि चीनी से नियंत्रण हटा लिये जाने के बाद देश के विभिन्न भागों में चीनी कारखानों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या बहुत से राज्यों ने इन कारखानों को सहायता देने के लिये केन्द्र से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) अगस्त, 1978 में चीनी से नियंत्रण उठाने के तुरन्त बाद चीनी के मूल्यों में भारी गिरावट आयी थी जिसके परिणामस्वरूप चीनी फ़ैक्ट्रियों को कुछ वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। हाल ही में चीनी के मूल्यों में बढ़ोतरी हुई है और उद्योग के भुगतान साधन और उसकी सक्षमता में कुछ सुधा हुआ है।

(ख) और (ग) कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया था । उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में सहकारी और सरकारी क्षेत्र के युनिटों के बारे में गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 20 करोड़ रुपये का एक ऋण दिया गया था । गुजरात और तमिलनाडु की राज्य सरकारों से ऋण देने के लिए प्राप्त अनुरोधों पर विचार-विमर्श किया गया था लेकिन ऋण के लिए उनके अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं था। आन्ध्र प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों के अनुरोधों की जांच की जा रही है और उन पर बहुत जल्द निर्णय लिया जायेगा ।

गन्दे पानी के उपयोग का काम राज्य सरकार को सौंपना

8100. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्दे पानी के उपयोग का काम राज्य सरकारों को सौंपने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार, गन्दे पानी के उपयोग का कार्य जो स्थानीय खाद संसाधनों के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अधीन किए जाते हैं, को राज्य क्षेत्र को अन्तरित किए जाने हैं ।

(ख) योजना आयोग द्वारा अन्तरण संबंधी ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिये पानी की कमी

8101. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश राज्य में, विशेषकर मध्य प्रदेश (जिला शाहडोल के आदिवासी) क्षेत्रों में, जहां उस क्षेत्र के लोगों को अपने परिश्रम का उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता, सिंचाई के लिये पानी की भारी कमी है और खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में उन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय और विदेशी ब्रांड की शराब की खपत

8102. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री शंकर सिंह जी वाघेला :
श्री रघुवीर सिंह विर्क :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान देश में भारतीय और विदेशी ब्राण्ड की शराव की कुल खपत का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में शराब की खपत को कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) जानकारी एकित्रत की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) सरकार ने मद्यनिषेध के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सुझाव के तौर पर मार्गदर्शिकाएं भेजी हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ, देश में शराब की खपत में कमी के उपाय भी शामिल हैं।

कई राज्य सरकारों ने शराब की खपत घटाने के उपाय किये हैं जैसे अल्कोहल-कोटा में कमी, खुश्क दिनों की संख्या में वृद्धि, दुकानों की संख्या में कमी इत्यादी। कुछ राज्यों ने अनेक जिलों को पूर्णतया 'खुश्क' घोषित कर दिया है।

निष्क्रांत सम्पत्ति का अन्तरण

8103. श्री अमृत कासर : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ, दमन और दीव सरकार ने केन्द्रीय सरकार से संघ राज्य क्षेत्र में निष्क्रान्त सम्पत्ति के परीक्षक में निहित सम्पत्ति को उसमें रहने वाले किरायेदारों को देने के लिये अनुमति देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) निष्क्रांत भूमि में खेती कर रहे मुजारों को मालिकाना अधिकार देने की दृष्टि से गोआ, दमन और दीव निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1964 में संशोधन करने के लिए स्थानीय प्रशासन से एक विधेयक प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है।

शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए आरक्षण

8104. श्री बालक राम : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए आरक्षण के बारे में 14 अगस्त, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4101 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य विश्वविद्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र इस बीच उन्हें भेज दिए गए हैं

और यदि हां, तो आमतौर पर विश्वविद्यालयों से तथा विशेषकर दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालयों से क्या प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ख) क्या सरकार ने ऐसे संस्थानों और विश्वविद्यालयों में शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं जो सीधे इसके नियत्रंण में हैं जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आदि, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण कारण हैं, ओर इस शैक्षिक वर्ष के इस श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) जी, हां। शेष विश्वविद्यालयों को 4-9-1978 को लिखा गया था। 45 विश्वविद्यालयों ने सिद्धांत रूप से आरक्षण स्वीकार कर लिया है जिनमें वे 18 विश्वविद्यालय भी शामिल हैं जो मेरे 14-8-1978 के उत्तर में उल्लिखित थे; हालांकि कुछ विश्वविद्यालयों ने कुछ विषयों तक ही इस को सीमित रखा है और कुछ अन्यों ने थोड़ी प्रतिशतता स्वीकार की है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा के विश्वविद्यालयों के संबंध में स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) यह मामला भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आदि के साथ उठाया जा रहा है।

विवरण

क्रम सं०	विश्वविद्यालय का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	दिल्ली विश्वविद्यालय	किसी अन्तिम निर्णय की सूचना नहीं है।
2.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
3.	हरियाणा	हरियाणा के तीन विश्वविद्यालयों के बारे में स्थिति निम्न प्रकार है :–

(1) **कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय**

कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित उत्तर दिया है :–

"....इस विश्वविद्यालय ने पहले ही विकलांग छात्रों (जो दृष्टिहीन हैं या जो एक हाथ/पैर विहीन हैं) के लिए विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों और विश्वविद्यालय द्वारा वितपोषित/मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कला, विज्ञान तथा वाणिज्य पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए हुए हैं। इसके अतिरिक्त हम ने इस विश्वविद्यालय द्वारा वितपोषित/मान्यता प्राप्त शिक्षा के महाविद्यालयों में विकलांग छात्रों के प्रवेश के लिए 2 प्रतिशत स्थान भी आरक्षित किये हुए हैं।"

(2) **महाऋषि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक**

किसी अन्तिम निर्णय की सूचना नहीं भेजी है।

(3) **हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार**

उन्होंने आरक्षण स्वीकार नहीं किया है।

मोरना सिंचाई परियोजना, सांभली, महाराष्ट्र को मंजूरी

8105. श्री अन्ना साहिब गोटाखिंडे : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के जिला सांगली में मोरना सिंचाई परियोजना को सरकार (योजना आयोग) द्वारा हाल ही में मंजूरी दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी अनुमानित लागत एवं निर्माण कार्यक्रम आदि के बारे में समयावधि क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) महाराष्ट्र के सांगली जिले की मोरना सिंचाई परियोजना को योजना आयोग द्वारा अगस्त, 1978 में स्वीकार्य पाया गया था ।

(ख) इस परियोजना में यह परिकल्पना की गई है कि सांगली जिले में मोरना नदी पर (जो कृष्णा बेसिन की वारण नदी की एक सहायक नदी है) 20.74 मिलियन घन मीटर की सकल क्षमता वाला एक जलाशय बनाया जाए ताकि जलाशय से नदी में बह कर आने वाले जल को पम्प करके प्रतिवर्ष 2240 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जा सके । इस परियोजना पर 221.56 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है । राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रोफार्मा रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना को 4 वर्ष में पूरा किये जाने का कार्यक्रम है ।

राजभाषा अधिनियम का क्रियान्वयन

8106. श्री राम नरेश कुशवाहा : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रालय में राजभाषा अधिनियम के क्रियान्वयन, हिन्दी प्रकाशन तथा अनुवाद कार्य आदि हेतु क्या व्यवस्था की गई है तथा इस हेतु श्रेणीवार कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) राजभाषा उप समिति, राजभाषा कार्य के लिए प्रभारी संयुक्त सचिव और निदेशक ने अनेक कार्यालयों का निरीक्षण किया है और यह सिफारिश की है कि स्थिति में सुधार लाने और इसकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न श्रेणियों में पदों का निर्माण किया जाये ;

(ग) यदि हां, तो जल आयोग, ग्रामीण विकास विभाग और भारतीय खाद्य निगम में अपेक्षित संख्या में पदों की मन्जूरी न देने तथा उन्हें न भरे जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) निरीक्षण प्रतिवेदनों की सिफारिशों को क्रियान्वित करने और विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राजभाषा अधिनियम के क्रियान्वयन, हिन्दी प्रकाशन तथा अनुवाद कार्य आदि हेतु मन्त्रालय के विभिन्न विभागों में प्रदत्त कर्मचारियों की स्थिति विवरण (एक) में दी गई है ।

(ख) और (ग) इस संबंध में स्थिति विवरण (दो) में दी गई है ।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं होता ।

विवरण (एक)

कृषि विभाग

	पद का नाम	पद/पदों की संख्या
1.	निदेशक (राजभाषा)	1
2.	वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी	1
3.	हिन्दी अधिकारी	4
4.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	3
5.	हिन्दी अनुवादक	1
6.	हिन्दी सहायक	1
7.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	6
8.	उच्च श्रेणी लिपिक	2
9.	अवर श्रेणी लिपिक	9

टिप्पणी :— राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट का अनुवाद के लिए एक वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, दो हिन्दी अधिकारी, तीन वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा दो अवर श्रेणी लिपिकों के पद 31-8-1979 तक मंजूर किए गए हैं।

खाद्य विभाग

	पद का नाम	पद/पदों की संख्या
1.	हिन्दी अधिकारी	1
2.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	2
3.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	2
4.	हिन्दी टाईपिस्ट	2

ग्राम विकास विभाग

	पद का नाम		पद/पदों की संख्या
1.	हिन्दी अधिकारी		1
2.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक		1
3.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक		2
4.	हिन्दी टाईपिस्ट		1
1.	निदेशक (मूल साहित्य)		1
2.	सहायक सम्पादक		1
3.	उप-सम्पादक		2
4.	प्रसार सहायक	प्रकाशन	1
5.	वरिष्ठ प्रूफ रीडर	के कार्य	1
6.	टाईपिस्ट	के लिए	1

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)

	पद का नाम	पद/पदों की संख्या	
1.	वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी	1	
2.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1	(गत कए वर्ष से पद रिक्त है)
3.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	2	
4.	हिन्दी सहायक	1	
5.	अंग्रेजी टाईपिस्ट	1	
6.	हिन्दी टाईपिस्ट	1	
7.	हिन्दी आशुलिपिक	1	

सिंचाई विभाग

	पद का नाम		पद/पदों की संख्या
1.	हिन्दी अधिकारी		1
2.	हिन्दी अनुवादक (ग्रेड—1)		2
3.	हिन्दी अनुवादक (ग्रेड—2)		2
4.	हिन्दी आशुलिपिक (ग्रेड—3)		1
1.	सहायक सम्पादक	प्रकाशन के कार्य के लिए	1
2.	हिन्दी अनुवादक (ग्रेड—1)		1
3.	व्यावसायिक सहायक		1
4.	आशुलिपिक		1

विवरण (दो)

इस प्रश्न में संदर्भ शायद संसदीय राजभाषा समिति की द्वितीय उप-समिति से है। इस उप समिति ने मंत्रालय के अधीन कई कार्यालयों का मुआइना किया और इनमें से अधिकांश मुआइनों में इस मंत्रालय के निदेशक (राजभाषा) भी समिति के साथ गए थे। सम्बन्धित कार्यालयों के अधिकारियों से चर्चा के दौरान, राजभाषा के सम्बंध में कानूनी दायित्वों को पूरा करने के लिए, आवश्यक पदों के निर्माण हेतु समिति ने सुझाव दिए हैं। इन सुझावों को संबंधित अधिकारियों को विभिन्न कार्यालयों में आवश्यक पदों का निर्माण करने की सिफारिशों के साथ भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त, निदेशक (राजभाषा) ने भी मंत्रालय के अधीन कार्यालयों को स्वतंत्र रूप से मुआइना किया है व कुछ पदों के निर्माण की सिफारिश की है। इस सम्बन्ध में मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की स्थिति इस प्रकार है :—

कृषि विभाग

अधिकांश मामलों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न वर्गों में हिन्दी सम्बंधी पदों के निर्माण हेतु की गई सिफारिशों को क्रियन्वित किया जा चुका है और निम्नलिखित

पदों के लिए की गई सिफारिशों पर सम्बन्धित प्रगामी में सक्रिय तौर पर विचार किया जा रहा है :—

हिन्दी अनुवादक	3
हिन्दी टाईपिस्ट	2

खाद्य विभाग

हिन्दी के प्रभागी प्रयोग के सम्बन्ध में विभिन्न वर्गों के पदों के सृजन के विषय में समिति के सचिवालय से अभी तक कोई सिफारिश नहीं प्राप्त हुई है।

ग्रामीण विकास विभाग

उप समिति ने ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न कार्यालयों में एक हिन्दी अधिकारी, दो हिन्दी अनुवादक तथा पांच टाईपिस्टों के पदों के सृजन की सिफारिश की थी। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के क्षेत्रीय एवं उप-कार्यालय में हिन्दी के पदों के सृजन का प्रस्ताव चलाया गया है तथा इस मामले पर इस विभाग के आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक तथा समेकित वित्त द्वारा विचार किया जा रहा है। जहां तक राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान, हैदराबाद का संबंध है उसमें एक हिन्दी अधिकारी, एक हिन्दी अनुवादक तथा एक हिन्दी टाईपिस्ट के पदों को भरा जा चुका है। अभी तक किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकृत नहीं किया गया है।

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

हिन्दी स्टाफ को बढ़ाने के संबंध में की गई सिफारिशों को अधिकांश मामलों में कार्यान्वित किया जा चुका है तथा शेष मामले विचाराधीन हैं।

सिंचाई विभाग

केन्द्रीय जल आयोग में हिन्दी अनुवादक ग्रेड-1 का एक पद सृजित करके भरा जा चुका है और केन्द्रीय जल अयोग में वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी का पद सृजित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

ओमन स्थित भारतीय टेलीफोन उद्योग एकक को हानि

8107. श्री श्रीकृष्ण सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि सरकारी क्षेत्र के भारतीय टेलीफोन उद्योग को, जिसने ओमन में 3,000 टेलीफोन कनेक्शन लगाने के लिए 1977 में दो करोड़ रु० का ठेका प्राप्त किया था, भारत से कार्य का निरीक्षण करने हेतु भेजे गये व्यक्तियों द्वारा फिजूल खर्ची से रहने के कारण, 40 लाख रुपये से अधिक की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में जांच करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) मैसर्स इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर ने ओमन सल्तनत के संचार मंत्रालय के साथ एक करार पर दिसम्बर 1976 में हस्ताक्षर किये थे। इस करार के अनुसार 199 लाख रुपयों की लागत की पूरी तरह तैयार एक प्रायोजना का काम पूरा करना था जिसमें ओमन के नगर मस्काट में 3,000 टेलीफोन कनेक्शन देने की व्यवस्था हो। यह प्रायोजना अब पूरी हो रही है। अनुमान है कि इसमें काफी अच्छा फायदा हुआ है

(ख) और (ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

विश्वविद्यालयों में नई पीरक्षा पद्धति

8108. श्री मुकुन्द मंडल : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में अनुचित तरीके अपनाये जाने की प्रवृति को देखते हुए परीक्षा की एक नई पद्धति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार विभिन्न विश्वविद्यालयों को राष्ट्र-व्यापी नई परीक्षा पद्धति अपनाने के लिये परामर्श देगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग और सरकार, परम्परागत परीक्षा प्रणाली की खामियों और परीक्षाओं में व्यापक रूप से अनुचित साधनों के प्रयोग से बहुत चिन्तित है । इस स्थिति को ठीक करने के लिये वर्तमान परीक्षा प्रणाली में बुनियादी तथा संरचनात्मक परिवर्तन करने आवश्यक हैं । इस प्रयोग के लिए, पिछले कुछ वर्षों से विश्वविद्यालयों को सलाह दी जाती रही है कि वे निम्नलिखित बातों पर जोर देते हुए अपनी परीक्षाओं में सुधार लागू करने के लिए कदम उठाएं :—

1. वर्तमान अंतिम परीक्षा के पूरक के रूप में सतत सात्रिक मूल्यांकन होना चाहिए;

2. परीक्षा-पत्र बनाने के कार्य सम्बन्धी कमियों को दूर करने के लिए प्रश्न बैंक विकसित करने के लिये प्रयास किए जाने चाहिए;

3. विश्वसनीयता बढ़ाने तथा विभिन्न विषयों में बेहतर तुलनात्मकता के लिए अंक देने की वर्तमान प्रणाली की जगह ग्रेड प्रणाली लागू करना ; और

4. अधिक लचीलेपन के लिए सात्रिक प्रणाली लागू करना ।

मुख्य सिंचाई परियोजनाओं की क्षमता का उपयोग न किया जाना

8109. श्री रामानन्द तिवारी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य सिंचाई परियोजनाओं की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान इन साधनों की क्षमता के उपायों के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) किसी एक वर्ष में बृहद और मध्यम सिंचाई स्कीमों के मामले में समुपयोजन के आंकड़ों की तुलना उस सिंचाई क्षमता के साथ की जाती है जो उससे पिछले वर्ष के अन्त में उपलब्ध हों । समूचे देश भर में 1976-77 के अन्त तक बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से सृजित क्षमता 33.54 मिलियन हैक्टेयर थी और इसकी तुलना में सृजित क्षमता का उपयोग 1977-78 के अन्त तक 22.15 मिलियन हैक्टेयर अर्थात 94 प्रतिशत था । जिन परियोजनाओं में क्षमता का उपयोग विशेष रूप से कम हुआ, वे हैं :— गंडक, कोसी, उकई, ककरापार, चम्बल और राजस्थान नहर चरण-एक । इनकी ओर संबंधित राज्यों द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

(ख) पिछले पांच वर्षों अर्थात 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान बृहद और मध्यम सिंचाई स्कीमों से उपलब्ध की गई सिंचाई क्षमता और उसके उपयोग का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया ।

विवरण

बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से क्षमता तथा समुपयोजन

(हजार हैक्टेयर)

क्रम सं	राज्य का नाम	के अन्त तक लाभ									
		1973-74		1974-75		1975-76		1976-77		1977-78	
		क्षमता	समुपयोजन	क्षमता	समुपयोजन	क्षमता	समुपयोजन	क्षमता	समुपयोजन	क्षमता	समुपयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	2570	2522	2601	2527	2638	2577	2743	2637	2805	2697
2.	असम	33	12	33	14	33	15	46	20	76	35
3.	बिहार	1865	1236	1954	1301	2084	1375	2183	1455	2301	1555
4.	गुजरात	655	434	713	476	794	497	869	515	958	585
5.	हरियाणा	1529	1491	1557	1492	1604	1515	1664	1514	1708	1650
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	जम्मू और काश्मीर	84	80	86	83	88	85	95	90	99	93
8.	कर्नाटक	847	718	914	746	951	791	982	888	1004	964
9.	केरल	379	379	390	390	405	405	423	423	453	453
10.	मध्य प्रदेश	987	796	1012	841	1084	870	1172	955	1303	1078
11.	महाराष्ट्र	837	487	879	479	944	558	1059	629	1144	830
12.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13. मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. उड़ीसा	1139	1128	1175	1147	1234	1229	1278	1241	1326	1326
16. पंजाब	2144	2140	2165	2161	2195	2191	2232	2227	2254	2248
17. राजस्थान	1167	1094	1215	1150	1272	1222	1330	1192	1385	1218
18. सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. तमिलनाडु	1128	1119	1159	1150	1161	1151	1163	1153	1176	1160
20. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. उत्तर प्रदेश	4104	3864	4395	4061	4736	4268	4928	4511	5472	4846
22. पश्चिम बंगाल	1225	1178	1247	1317	1290	1343	1358	1246	1443	1403
संघ राज्य क्षेत्र	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
कुल अखिल भारत	20703	28688	21505	19345	22523	20102	23535	20706	24916	22151

बान सागर बड़ी सिंचाई परियोजना

8110. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बान सागर बड़ी सिंचाई परियोजना के लिये गठित केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय कार्यकारी समिति ने वर्ष 1978 में एक सर्किल और पांच डिवीजनों को मंजूरी दी थी लेकिन इस समय इस बारे में केवल एक डिवीजन कार्य कर रहा है और यदि हां, तो केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड के निर्णय के अनुसार नहरों के निर्माण के लिये पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की वहां कब तक नियुक्ति की जायेगी ;

(ख) क्या मुख्य बान सागर बांध और नहरों पर निर्माण कार्य अप्रैल, 1979 से आरम्भ हो जायेगा ; और

(ग) वर्ष 1979-80 में इस पर कुल कितना खर्च (करोड़ों रुपये) में करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री(श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा गठित बाणसागर नियंत्रण बोर्ड की कार्यकारिणी समिति ने मई, 1978 में बाणसागर बांध के लिए एक सर्किल और आठ डिवीजनों के निर्माण की मंजूरी दी थी । मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनमें से एक सर्किल और पांच सर्किलों के सृजन को मंजूरी फरवरी 1979 में दे दी गई थी और उन्होंने 27-2-1979 से काम करना शुरू कर दिया था । इस प्रकार पहले से काम कर रहे एक सर्किल और दो डिवीजनों को शामिल करके, इस समय दो सर्किल और डिवीजन काम कर रहे हैं । जहां तक नहर संबंधी निर्माण कार्यों का संबंध है, मध्य प्रदेश सरकार के बृहद परियोजनाओं संबंधी नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सर्किल और पांच डिवीजनों में से, राज्य सरकार द्वारा एक नहर सर्वेक्षण डिवीजन को मंजूरी फरवरी, 1979 में दी गई थी और उसका गठन तत्काल कर दिया गया था । आशा है कि राज्य सरकार द्वारा एक अन्य सर्किल और दो डिवीजनों के सृजन की मंजूरी शीघ्र ही दे दी जाएगी । परियोजना का प्रारम्भिक कार्य पहले से ही चल रहा है ।

(ग) 1979-80 के दौरान 8.60 करोड़ रुपया व्यय करने का प्रस्ताव है ।

चम्बल घाटी में वनरोपण

8111. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चम्बल घाटी में किन क्षेत्रों में वनरोपण की योजनाएं बनाई गई हैं ;

(ख) वनरोपण के अन्तर्गत अब तक कितनी भूमि लाई गई है ; और

(ग) इन वनों में कौन से पेड़ लगाये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) तक : संबंधित राज्यों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने के लिये राष्ट्रीय जल ग्रिड

8112. श्री केशवराव घोंडगे :

श्री के० लकप्पा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में सिंचाई सुविधाओं को उपलब्ध कराने की दृष्टि से गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ कर एक राष्ट्रीय जल ग्रिड बनाने हेतु कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ;

(ग) इसमें कितनी राशि खर्च होगी ;

(घ) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ङ) सूखा-प्रवण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फालतू जल के कुछ भाग का उपयोग करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ने कुछ वर्ष पहले एक राष्ट्रीय जल ग्रिड बनाने का एक प्रस्ताव तैयार किया था जो फालतू जल वाले नदी बेसिनों से जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल का ट्रांस्फर करने के लिए था। गंगा को कावेरी से जोड़ना ऐसे ग्रिड का एक भाग है। गंगा-कावेरी लिंक में, जो कागज़ी अध्ययनों पर आधारित एक धारणा है विशेष रूप से इस क्षेत्र के सूखा प्रवण क्षेत्रों की जल की मांग को पूरा करने के लिए अधिक प्रवाह अवधि के दौरान लगभग 150 दिन गंगा के जल को पम्प करने तथा गंगा को कावेरी के साथ एक ऐसी नहर द्वारा जोड़ने की परिकल्पना की गई है, जो सोन, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा और पैनार बेसिनों में से होकर गुजरेगी। इस स्कीम में पटना के निकट एक बराज का निर्माण करके गंगा से 1700 क्यूमेक्स जल को लिफट करने और दायें तट पर एक नहर निकालने का प्रस्ताव किया गया है। पम्प किए गए जल में से, 290 क्यूमेक्स जल दक्षिणी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी बिहार के सूखा प्रवण क्षेत्रों को सप्लाई किया जाएगा और शेष 1410 क्यूमेक्स (केवल अधिक प्रवाह वाली अवधि के दौरान) बेसिन के बाहर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के लगातार सूखे से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों को जल की मांग को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए सप्लाई किया जाएगा।

सरकार का विचार है कि जल के अन्तर्बेसिन ट्रांसफर की किसी बड़े पैमाने की स्कीम को हाथ में लेने से पहले ऐसे अध्ययन किए जाने चाहिए कि प्रत्येक नदी बेसिन और उप-बेसिन में किस स्थान पर और किस समय पर कितना जल फालतू होगा और कितने जल की कमी होगी और कमी वाले क्षेत्रों को जल उपलब्ध कराने के मानदन्ड और अन्य विचारणीय बातें क्या होंगी। आवश्यक विस्तृत अध्ययन करने के लिए, केन्द्रीय जल आयोग में एक संगठन की स्थापना की गई है। इन अध्ययनों में सूखा-प्रवण क्षेत्रों का पता लगाना, इस समय जल उपलब्धता की मात्रा, स्थानीय रूप से उपलब्ध जल को जुटाने की गुंजाइश, और फालतू जल वाले क्षेत्रों से इन क्षेत्रों को जल के ट्रांसफर की संभावना का पता लगाना शामिल है। इस प्रकार के देशव्यापी

अध्ययनों और अन्वेषणों का स्वरूप ऐसा है कि इनमें काफी समय लगेगा। इसके अतिरिक्त इसमें राष्ट्रव्यापी स्तर पर तकनीकी व्यवहार्यता, आर्थिक सक्षमता, कानूनी और पर्यावरण संबंधी पहलुओं जैसे कई विषय अन्तर्ग्रस्त हैं और इनका भी अध्ययन किया जा रहा है।

भाड़े की दर में वृद्धि के कारण खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि

8113. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :
श्री निहार लास्कर :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बजट में भाड़े की दरों में वृद्धि के कारण चावल और गेहूं जैसे खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि होने की सम्भावना है ;

(ख) मूल्यों में कितनी वृद्धि होगी ; और

(ग) इस वृद्धि का दालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) रेल टैरिफ जांच समिति ने चावल तथा गेहूं के भाड़े में 1.37 पैसे प्रति किलो की औसत वृद्धि होने का हिसाब लगाया है। क्योंकि चावल तथा गेहूं के मूल्यों पर भाड़े की वृद्धि का भार नगण्य है इसलिए चावल तथा गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) जहां तक दालों का सम्बन्ध है, उपर्युक्त समिति ने इसके भाड़े में 1.62 पैसे प्रति किलो की औसत वृद्धि होने का हिसाब लगाया है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यवार नष्ट किया गया अनाज

8114. श्री वयालार रवि : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने वर्ष 1977-78 में प्रत्येक राज्य में कितने टन क्षतिग्रस्त अनाज को नष्ट किया ;

(ख) इसके क्या कारण थे ; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : वर्ष 1977-78 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा भण्डारित खाद्यान्नों की कुल 161 लाख मीटरी टन की मात्रा में से क्षतिग्रस्त खाद्यन्नों की 2244.67 मीटरी टन मात्रा नष्ट कर दी गई या कूड़े में डाल दी गई थी। नष्ट की गई (कूड़े में डाली गई) खाद्यान्नों की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) कारण इस प्रकार थे :—

(1) मार्ग में वर्षा, (2) गोदामों में रिसन, (3) भारी वर्षा के कारण बाढ़, (4) तूफान, (5) कैप स्टोरेज में पोलीथीन कवरों को बहुत तेज़ हवा चलने से क्षति जिससे अनाज को धूप और वर्षा से क्षति पहुंचना, और (6) विभिन्न कीटाणु और कीड़े आदि।

(ग) जो उपाय किए गये वे इस प्रकार हैं :—

(1) अपने गोदामों में उपयुक्त प्लिंथ और क्रेटों की व्यवस्था, (2) मानसून पूर्व जांच और मरम्मत, (3) आधुनिक कीट नियंत्रण उपाय लागू करने के लिए योग्यता प्राप्त प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ द्वारा नियमित निरीक्षण की प्रणाली, (4) ढ़लाई के लिए ढके हुए वैगनों का अधिक से अधिक प्रयोग, (5) खुले वैगनों की स्थिति में तिरपालों या पोलीथीन कवरों से अच्छी तरह ढकना ; और (6) नमी के कारण क्षति को रोकने के लिए नियमित वातन करने के अलावा. खुले भण्डारण के लिए प्लिंथ को ऊंचा करना, लकड़ी के क्रेट, नायलोन लैंशिंग, नेट, कवर, टाप्स और समय-समय पर पोलीथीन कवरों को बदलना ।

वैज्ञानिक ढंग से निर्मित क्षमता बनाने और किराये की अवमानक क्षमता और कैप जैसी अस्थायी भण्डारण क्षमता पर निर्भरता कम करने की दृष्टि से सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से 36 लाख मीटरी टन क्षमता के ढके हुए गोदाम बनाने का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है ।

विवरण

वर्ष 1977-78 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा, राज्यवार, क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की नष्ट की गयी (कूड़े में डाली गई) मात्रा को बताने वाला विवरण ।

क्रम सं०	राज्य का नाम	नष्ट की गई मात्रा (मी० टन में)
1.	उत्तर प्रदेश	45.000
2.	जम्मू और कश्मीर	10.100
3.	कर्नाटक	7.136
4.	हरियाणा	19.000
5.	पंजाब	24.000
6.	गुजरात	45.386
7	मध्य प्रदेश	107.200
8	महाराष्ट्र	6.900
9	आन्ध्र प्रदेश	1968.000
10.	आसाम	6.940
	तमिलनाडु	2.415
12.	केरल	2.292
	जोड़	2244.669

राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों के साथ एस० टी० डी० सुविधा द्वारा जोड़ा जाना

8115. श्री लक्ष्मी नारायण नायक : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों की सम्बद्ध राजधानियों के साथ सभी जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० सुविधा द्वारा जोड़े जाने सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उसे कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) सरकार ने एस०टी०डी० द्वारा सभी जिला मुख्यालयों की उनकी संबंधित राजधानियों के साथ जोड़ने का लक्ष्य अपनाया है । इसके लिए इनकी आवश्यकता है :

i) जिला मुख्यालयों में अभी भी करचल एक्सचेंज हैं उन्हें स्वचल एक्सचेंज बनाना ।

ii) इन एक्सचेंजों को आपस में जो उनके लिए ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों की संस्थापना और

iii) उन्हें जोड़ने के लिए उच्च ग्रेड के भरोसेमंद सर्किटों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करना ।

(ख) कार्य का विस्तार इतना है कि इसका कार्न्यावयन चरणबद्ध रूप में किया जा रहा है जोकि आगामी 10-15 वर्षों में पूरा होगा ।

पंजाब के ऐसे गांव जिनमें प्रतिदिन डाक नहीं बांटी जाती

8116. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के कितने गांवों में प्रतिदिन डाक नहीं बांटी जाती ; और

(ख) पंजाब के गांवों के छोटे कार्यालयों से डाक टिकट तथा पोस्टकार्ड आदि उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों की वर्ष 1979-80 में कितने गांवों में व्यवस्था की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) पंजाब राज्य के सभी गांव दैनिक वितरण योजना के अन्तर्गत आते हैं ।

(ख) पंजाब राज्य के सभी गांव पहले ही दैनिक वितरण योजना के अन्तर्गत आ चुके हैं । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और अधिक ग्रामीण डाक कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है । टिकट तथा पोस्टकार्ड आदि सभी 3176 ग्रामीण डाकखानों में तथा 1280 गांवों में उपलब्ध हैं जिन्हें चलते-फिरते डाकखानों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है ।

मिजोरम में चूहों द्वारा उत्पन्न संकट

8117. श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिज़ोरम में चूहों द्वारा उत्पन्न संकट पर काबू पा लिया गया है ; और

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं कि चूहों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप कृषि-उत्पादन कार्यक्रम को हानि न पहुंचे ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां । संघ शासित प्रदेश मिज़ोरम से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार फसलों की बुवाई वाले खेतों तथा ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों में कारगर चूहा नियंत्रण उपाय शुरू किये गये थे ।

(ख) (1) चूहा नियंत्रण तकनीकों में प्रशिक्षित राज्य सरकार के अधिकारियों ने चूहा नियंत्रण उपायों के विषय में राज्य के कृषकों को प्रशिक्षण दिया है ।

(2) भारत सरकार ने मिज़ोरम को शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता देने के लिये 8.15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना मंजूर की है ताकि 50,000 हेक्टार क्षेत्र में तथा खेतों के आस पास स्थित 50,000 घरों में चूहा नियंत्रण कार्य प्रभावी तौर से शुरू किया जाए। इस योजना के कार्यान्वयन के लिये 4.075 लाख रुपये का आग्रिम भुगतान कर दिया गया था । मिज़ोरम के कृषि निदेशक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञों द्वारा चूहा नियंत्रण के सम्बन्ध में सुझाई गई विधि के अनुसार इस योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है। योजना को जनता और स्वैच्छिक एजेन्सियों के सक्रिय सहयोग से खेतों तथा झूम के आस पास के वन क्षेत्रों में सफलता से क्रियान्वित किया गया है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पूछताछ कार्यालय में कामकाज की भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग

8118. श्री के० राममूर्ति : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सभी पूछताछ कार्यालयों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि उन्हें अपने नाम के बोर्ड केवल हिन्दी में लगाने चाहिए ;

(ख) क्या सरकारी कालोनियों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों से कहा जाता है कि वे अपनी शिकायतें केवल हिन्दी में पूछताछ कार्यालयों को भेजें अन्यथा इन कार्यालयों के कर्मचारी ऐसी शिकायतें दर्ज करने से इन्कार कर देते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो जब नई दिल्ली क्षेत्र में विभिन्न राज्यों के लोग रहते हैं तो मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के एकपक्षीय निर्णय किए जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में लघु तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर किया गया व्यय

8119. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में कितने हेक्टेयर भूमि में वर्ष 1979 में सिंचाई के नये प्रबन्ध किये जायेंगे ;

(ख) क्या बिहार ने केन्द्र सरकार को 1979 के लिये एक व्यापक योजना भेजी है ; और

(ग) यदि हां, तो बिहार सरकार को इस योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के लिये कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है और कितने हेक्टेयर भूमि में इस नई सिंचाई योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1979-80 के दौरान देश में सर्जित की जाने वाली नई सिंचाई क्षमता को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अस्थायी रूप में इसका लक्ष्य 32 लाख हैक्टेयर की नई सिंचाई क्षमता की व्यवस्था करना है। इसमें बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का 11.2 लाख हैक्टार क्षेत्र शामिल है।

(ख) तथा (ग) बिहार सरकार ने 1979-80 के लिए वार्षिक योजना प्रस्ताव संबंधी एक प्रारूप भेजा है जिसमें बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 162 करोड़ रु० के योजना क्षेत्र के परिव्यय की व्यवस्था है। 1979-80 के लिए योजना के आवंटन पर योजना आयोग विचार कर रहा है।

जूनियर इंजीनियरों की टी०ई०एस० ग्रुप 'बी' में पदोन्नति

8120. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

श्री आर० एल० कुरील :

श्री सूरज भान :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग में जूनियर इंजीनियरों की टी० ई० एस० ग्रुप 'बी' में तदर्थ आधार पर पदोन्नति की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो (एक) वह मानदंड प्रक्रिया क्या है जिसके आधार पर यह पदोन्नति की जाती है ; (दो) 1-4-1979 से लेकर आज तक डाक तथा तार निदेशालय टी० आर० सी० और आई० सी० पी० में कुल कितनी पदोन्नति की गई है ; और

(ग) क्या टी० ई० एस० ग्रुप 'बी'। टी० टी० एस० ग्रुप 'बी'। टी० ई० एस० ग्रुप 'ए'। टी० टी० एस० ग्रुप 'ए' में पदोन्नति के मामले में तदर्थ आधार पर की गई पदोन्नतियों के लिये कोई सेवा अवधि निर्धारित है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री [illegible] प्रसाद साय) : (क) जी, नहीं।

(ख) (i) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ii) शून्य

(ग) टी० ई० एस० टी०। टी० एस० ग्रुप 'ए' के प्रवर समयमान तक के किसी भी संवर्ग में तदर्थ आधार पर कोई पदोन्नतियां नहीं की जाती हैं। केवल अल्प-कालिक रिक्तियों के स्थान पर स्थानीय स्थानापन्न रूप से प्रबन्ध कर दिया जाता है जो सेवा अवधि पर नहीं, बल्कि वरिष्ठता व योग्यता पर आधारित होता है।

भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

8121. श्री हुकमदेव नारायण यादव : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कृषि योग्य भूमि की प्रति व्यक्ति औसत उपलब्धता कितनी है ; और

(ख) उनकी प्रति व्यक्ति औसत बढ़ाने के लिए सरकार किन योजनाओं पर विचार कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) वर्ष 1975-76 के लिए (नवीनतम वर्ष जिसके लिए भूमि के उपयोग सम्बंधी आंकड़े उपलब्ध हैं) कृषि योग्य क्षेत्र की प्रति व्यक्ति उपलब्धि 0.30 हैक्टार बैठती है । इसमें सामान्य रूप से कुल मिलाकर बोया हुआ निक्ल क्षेत्र, चालू परती, अन्य परती भूमि, बोये हुए निवल क्षेत्र में शामिल न किए गए विभिन्न किस्म के वृक्षों तथा झाड़ियों के अंतर्गत का क्षेत्र तथा अन्य कृषि योग्य बेकार भूमि शामिल होती है । कृषि योग्य भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में वृद्धि होने की कोई सम्भावना नहीं है । तथापि एक से अधिक बार बुवाई किए जाने वाले क्षेत्र में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि अतिरिक्त सिंचाई की सुविधाओं, बहुफसली खेती और अल्पावधि फसलों की खेती के जरिए उपलब्ध कृषि योग्य भूमि से बेहतर लाभ प्राप्त किए जा सकें ।

महानगरों में दूध की सप्लाई

8122. **श्री लाखन लाल कपूर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा हैदराबाद जैसे शहरों में रहने वाले लोगों को, विशेषरूप से उन स्थानों पर जहां से गैर-सरकारी दुग्ध डेरियों को हटाया गया है, दुग्ध की प्रर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रबंध किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : देश में कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और हैदराबाद सहित महानगरों में शहर में रहने वालों को तरल दूध की सप्लाई के लिए सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में डेरी संयंत्रों की स्थापना की गई है। इसके अलावा, इन शहरों के लोगों को तरल दूध की सप्लाई के लिए गैर-सरकारी डेरियां भी कार्य कर रही हैं ।

नई दिल्ली नगरपालिका में शराब पीने के मामले

8123. **श्री सरत कार** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 में नई दिल्ली नगरपालिका, सिविल इंजीनियरी विभाग, और सम्बद्ध पूछताछ कार्यालय के प्रांगण में शराब पीने के कितने मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है या उनके सम्बन्ध में सरकारी स्तर पर जांच कराई गई है ;

(ख) अपराधी पाए गए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या विभागीय कार्यवाही की गई थी ; और

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका, सिविल इंजीनियरी पूछताछ कार्यालय के प्रांगण में किए जा रहे इन अवैध तथा अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) 1979 के दौरान एक मामले का पता चला है जिसमें 9 कर्मचारी शामिल हैं जिनके विरुद्ध नियमित विभागीय जांच करने के लिए आरोप पत्र जारी किए जा रहे हैं ।

(ग) ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए आकस्मिक जांच को तीव्र कर दिया गया है।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री तथा भूतपूर्व संसद् सदस्यों की ओर नई दिल्ली नगरपालिका के नगरीय कार्यों की बकाया राशि

8124. श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री पी० एम० सईद :

क्या **निर्माण और आवास** तथा **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका ने अपने द्वारा किए गए नगरीय कार्यों के लिए बकाया राशि वसूल करने हेतु भूतपूर्व प्रधान मंत्री तथा भूतपूर्व संसद् सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने सदस्यों ने बकाया राशि अदा नहीं की है ; और

(ग) क्या सरकार ने नई दिल्ली नगरपालिका को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका ने बताया है कि पानी और बिजली की देयताओं के मामले में इस प्रकार कार्यवाही की जाती है :--

(I) भूतपूर्व संसद् सदस्यों के मामले में, यदि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद अदायगी नहीं की जाती है तो इन देयताओं की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(II) मौजूदा सदस्यों के मामले में, इस मामले को लोक सभा और राज्य सभा की आवास समिति के ध्यान में लाया गया है और संसद् के दोनों सदनों के अध्यक्षों की संयुक्त समिति का भी ध्यान इस ओर दिलाया गया है।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका ने सूचित किया है कि संसद् के मौजूदा 217 सदस्यों ने बकाया देयताओं का भुगतान करना है।

(ग) सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। किन्तु दिल्ली प्रशासन ने नई दिल्ली नगरपालिका का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया है कि मौजूदा वसूली कानून की दृष्टि से संसद् सदस्यों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों एवं आम लोगों के बीच कोई अन्तर नहीं है।

कृषि विभाग में कार्यरत तदर्थ निम्न श्रेणी लिपिकों को नियमित किया जाना

8125. श्री अहमद हुसैन : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक विभाग ने वर्ष 1963 में तत्कालीन निम्न श्रेणी लिपिकों (तदर्थ) के लिये तत्सम्बन्धी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में पद बनाने तथा उन्हें नियमित करने के लिये एक परिपत्र जारी किया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे यदर्थ निम्न श्रेणी लिपिकों की संख्या कितनी है जो 29 नवम्बर 1972 से मई, 1973 के दौरान कृषि विभाग में कार्य कर रहे थे, उनमें से कितने लिपिकों को कृषि विभाग के विभिन्न सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों में खपा लिया गया है और कितने ऐसे लिपिकों को अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में स्थायी रूप से खपा लिया गया है और क्या उन्हें पिछली सेवा का लाभ दिया गया है ;

(ग) क्या विभाग ने उन लिपिकों को पिछली सेवा का लाभ नहीं दिया है जो अन्य केन्द्रीय विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों में खपाये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) तक : प्रश्न नहीं होता ।

कृषक समुदाय पर अतिरिक्त प्रत्यक्ष कर

8126. श्री भगत राम : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने राज्य सरकारों को एक परिपत्र भेज कर कहा है कि कृषक समुदाय पर अतिरिक्त प्रत्यक्ष कर न लगाये जायें ; और

(ख) क्या यह परिपत्र योजना आयोग की इस विषय पर सिफारिशों के विपरीत है और पश्चिमी बंगाल सरकार के ग्रामीण सम्पन्न व्यक्तियों से अतिरिक्त कर जुटाने के प्रस्तावित उपायों के साथ भी इसका मेल नहीं बैठता ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राज्य सरकारों को ऐसा कोई परिपत्र नहीं भेजा गया है जिसमें कृषक समुदाय पर अतिरिक्त प्रत्यक्ष कर न लगाने के लिय कहा गया हो ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

केन्द्रीय मंत्रियों के लिए निवास स्थान

8127. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री अन्नत राम जायसवाल :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रपति भवन एस्टेट में केन्द्रीय मंत्रियों के लिए नए मकान बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो लागत सहित इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस निर्णय के पीछे क्या तर्क है और इसका उद्देश्य क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) सरकार ने राष्ट्रपति भवन सम्पदा में मन्त्रियों के लिए नये आव स बनाने का निश्चय किया है । वैकल्पिक स्थलों का चयन किया जा रहा है । परियोजना अभी स्वीकृत नहीं की गई है ।

(ग) राज पथ, नई दिल्ली के उत्तरी और दक्षिणी बंगलों के क्षेत्र का जहां मंत्रियों के वर्तमान आवास हैं, शीघ्र ही पुनर्विकासित करना है । जब तक वैकल्पिक वास नहीं बनाए जाते तब तक वर्तमान आवासों को जिन में मंत्री रहते हैं, पुनर्विकास के लिए खाली कराना कठिन होगा । वैकल्पिक और छोटे आवास मुहैया करने के लिए नए आवासों की योजना तैयार की जा रही है ।

कृषि श्रमिकों के लिये मकान एवं मकानों के लिये स्थान

8128. श्री अहसान जाफरी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में और देश में कितने कृषि श्रमिक (मजदूर) परिवार हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य में इनमें से कितने लोगों को मकानों के स्थान और मकान दिये गये हैं ;

(ग) शेष एवं जरूरतमन्द लोगों को किस अवधि के दौरान मकानों के लिये स्थान और मकान दिये जायेंगे ; कार्यक्रम का ब्यौरा दिया जाये ;

(घ) दक्षिणी गुजरात के बड़ौच, सूरत और बलसाड जिलों में गत तीन वर्षों में हलपति गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत मकानों के लिये अर्थात् मकान बनाने के लिये ऋण सहायता हेतु कितने आवेदन पत्र मिले हैं ; और

(ङ) इन आवेदकों को मांग के अनुसार कब तक ऋण सहायता दी जायेगी ?

कृषि और सिंचामंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) निर्माण एवं आवास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्लाटों के अधिग्रहण करने एवं मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु पंचवर्षीय योजना 1978-83 के प्रारूप में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है । इस योजना के अन्तर्गत स्थलों को अधिप्राप्त करने, उनके विकास तथा पीने के पानी के कुओं तथा पहुंच सड़कों की व्यवस्था हेतु प्रत्येक स्थल (प्लाट) के लिए 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक की दर से सहायता प्रदान की जा रही है । लाभानु-भोगियों को श्रम-आदान प्रदान करना पड़ता है । इस योजना से लगभग 80 लाख भूमिहीन श्रमिकों को लाभ पहुंचने की आशा है तथा इसका क्रियान्वयन निर्माण एवं आवास मंत्रालय की देख-रेख में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा ।

(घ) तथा (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	*कृषि श्रमिक परिवारों की अनुमानित संख्या (हज़ारों में)	**पात्र परिवारों की कुल संख्या	***उन परिवारों की संख्या जिन्हें मकानों के लिए स्थान अबंटित किए गए हैं (जिनमें अविकसित स्थल भी शामिल हैं)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	5976	16,00,000	8,52,471
असम	282	2,29,000	49,056
बिहार	2960	19,58,000	7,15,000
गुजरात	759	4,96,194	3,90,647
हिमाचल प्रदेश	10	4,724	4,549
हरियाणा	125	2,18,495	2,17,701
जम्मू और कश्मीर	12	20,120	5,275
कर्नाटक	1252	8,76,997	7,89,973
केरल	886	3,00,000	90,000
मध्य प्रदेश	1325	9,13,037	7,56,975
महाराष्ट्र	1945	3,66,185	3,63,000
मेघालय	21		
मणिपुर	2		
उड़ीसा	1249	4,19,000	1,62,171
पंजाब	380	2,95,503	2,95,503
राजस्थान	157	8,54,023	8,54,023
तमिल नाडु	2399	14,97,000	5,23,076
त्रिपुरा	55	42,650	38,307
उत्तर प्रदेश	2395	12,40,340	12,36,139
पश्चिमी बंगाल	1824	2,82,961	2,82,961
अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	उ०न०	8,628	3,926

1	2	3	4
गोवा, दमन और दीव	11	1,595	1,595
चण्डीगढ़	उ०न०	90	51
पान्डिचेरी	24	10,960	9,495
दादर तथा नगर हवेली	उ०न०	715	715
दिल्ली		14,200	11,800
अखिल भारत	20,739	1,16,50,417	76,54,409

*कृषि श्रम जांच 1974-75 के अनुसार ।

**राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों के अनुमानों के अनुसार ।

***निर्माण एवं आवास मन्त्रालय द्वारा भेजे गये आंकड़ों के अनुसार ।

यूरिया में रोड़ी और बदरपुर का मिलाया जाना

8129. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बहुत से राज्यों में एजेन्ट यूरिया, डाय (डी०ए०पी०) आदि उर्वरकों में रोड़ी एवं बदरपुर (लाल रेत) मिलाते हैं तथा उर्वरक के बोरों को खोल कर फिर से सील कर देते हैं जिसके कारण बोरों में उर्वरक की अपेक्षित मात्रा नहीं रहती ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त अनियमितताओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, नहीं । भारत साकार को यूरिया तथा डी०ए०पी० के बोरे खोलने, इन उर्वरकों में रोड़ी तथा बदरपुर (लाल रेत) मिलाने, बोरों को पुनः बन्द करने तथा सील करने के संबंध में कोइ विशेष शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता। तथापि, उर्वरकों की कोटि को बरकरार रखने के लिए उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, 1957 में पर्याप्त व्यवस्था की गई है । राज्य सरकारों को यह आदेश लागू करने के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं । उर्वरकों की कोटि के नियंत्रण को सख्ती से लागू करने के लिए उन्हें समय-समय पर अपने तन्त्र को गतिमान बनाने के लिए भी कहा गया है । इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों में 26 उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं तथा 3 और स्थापित की जा रही हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उर्वरकों की सप्लाई का शीघ्राति-शीघ्र विश्लेषण हो तथा यदि उसमें कोई मिलावट हो तो उसका पता लगाया जाए । संक्षिप्त मुकदमें चलाने के प्रयोजन से उर्वरक (नियंत्रण) आदेश को विशेष आदेश के रूप में भी घोषित किया गया है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकार क्षेत्र में अनुदान

8130. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 1976 से 31 मार्च, 1978 के वर्षों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकार क्षेत्र में वर्ष-वार कितना अनुदान रखा गया ;

(ख) इनमें से कितने अनुदान कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण, पुस्तकों तथा उपकरणों के लिये मंजूर किये गये आंकड़े वर्ष-वार तथा प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में अलग-अलग दिये जायें ; और

(ग) उपरोक्त तीन वर्षों में अनुदान के रूप में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, कथित विश्व-विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों को कितनी धनराशि दी गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, 31-3-78 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान दिए गए अनुदान निम्नलिखित हैं :

(लाख रुपये में)

	योजनागत	योजनेतर	कुल
1975-76	3095.00	3072.84	6167.84
1976-77	3915.74	3293.55	7209.29
1977-78	4366.73	3492.45	7859.18

(ख) अपेक्षित फार्म में सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वीकृत योजनेतर अनुदान, केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों, विश्वविद्यालय समझे जाने वाली संस्थाओं और आयोग के सचिवालय के अनुरक्षण खर्चे को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं । विश्वविद्यालयों की तीन श्रेणियों को आयोग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत विकास अनुदान निम्नलिखित है :

(लाख रुपये में)

	1975-76	1976-77	1977-78
(i) 7 केन्द्रीय विश्वविद्यालय	753.81	887.68	744.44
(ii) 9 समझे जाने वाले विश्वविद्यालय	229.94	294.54	245.08
(iii) 75 राज्य विश्वविद्यालय	1497.63	2178.80	2422.14

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सरकारी आवासों का निर्माण

8131. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सरकारी कर्मचारियों के लिए विभाग-वार तथा टाइप-वार कुल कितने क्वार्टरों की जरूरत है ;

(ख) उपरोक्त आवश्यकतानुसार मकानों का निर्माण करने के लिए कुल कितनी राशि की आवश्यकता होगी ; और

(ग) इस वित्त वर्ष में कुल कितने क्वार्टर बनाए जाएंगे और उन पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च होने की संभावना है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों में वन अधिकारी द्वारा निर्धन ग्रामीणों को परेशान किया जाना

8132. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों में तिरुर, हेरपट्टाबाद, मानपुर, कैंडलगंज तथा साथ लगने वाले अन्य गावों के कमजोर वर्गों के निर्धन किसानों को वन अधिकारियों द्वारा अपनी रहने वाली झोपड़ियों की मरम्मत/निर्माण के लिये बांस, बल्लियां, पत्ते जैसी लघु वन उपज को इकट्ठा करने से रोका जाता है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या ग्रामीणों ने मुख्य आयुक्त की जनता किरोधी गतिविधियों के विरुद्ध तथा बदले की भावना से ग्रामीणों को लघुवन उपज एकत्र करने से रोकने के विरुद्ध आंदोलन किया था और क्या सरकार एक स्वतन्त्र निकाय के द्वारा सारे मामले की जांच कराना चाहेगी, यदि हां, तो कब ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर दी जाएगी ।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रामीण विकास के अन्तर्गत योजनाएं

8133. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में सामुदायिक विकास खंडों के क्या कार्य हैं ;

(ख) क्या छोटे किसानों की विकास एजेंसी योजनाओं, सूखा पीड़ित क्षेत्र कार्यक्रमों, जन-जाति क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों, पहाड़ी क्षेत्र विकास परियोजनाओं और गामीण विकास

परियोजनाओं पर कोई काम किया गया हैं ; यदि हां, तो प्रत्येक कार्यक्रम में योजना का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो डसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार भविष्य में योजनाएं आरम्भ करने के बारे में विचार करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क), (ख) व (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

अनौपचारिक शिक्षा के लिए संस्थानों का खोला जाना

8134. श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान नये संस्थान खोलकर अनौपचारिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ;

(ख) तब से इस कार्य पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ग) इन संगठनों में ऐसी शिक्षा का कितने लोगों ने लाभ उठाया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) 6—14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम राज्य शिक्षा विभागों द्वारा चलाए जाते हैं । इस आयु वर्ग से ऊपर के प्रौढ़ों के लिए भी अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाते हैं । बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को इस समय अन्तिम रूप दिया जा रहा है । वर्ष 1977-78 के दौरान 15–35 आयु-वर्ग के निरक्षर प्रौढ़ों के लिए कृषक कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम तथा 15–35 आयु-वर्ग के लिए अनौपचारिक शिक्षा की दो केन्द्रीय योजनाएं चल रही थीं । प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यक्रमों को चलाने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को भी सहायता प्रदान की गई थी । प्रौढ़ों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के समस्त कार्यक्रम का पुनर्गठन करके अब इसे राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किया गया है ।

(ख) प्रौढ़ शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान जारी की गई राशि क्रमशः 1,66,03,512.00 रु० तथा 5,43,78,963.00 रु० थी ।

(ग) 1977-78 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 9,62,602 व्यक्ति शामिल थे । वर्ष 1978-79 के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा एकत्र होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास

8135. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में विकलांग व्यक्तियों की दशा सुधारने के लिए क्या प्रयास किये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उद्योगों पर कुछ शर्तें लगाई हैं ताकि वे विकलांग व्यक्तियों को उनकी उपयुक्तता और समर्थता को देखते हुए नौकरी पर रखें ;

(ग) यदि नहीं, तो विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास करने की समस्या किस प्रकार हल की जाएगी ; और

(घ) विकलांग व्यक्तियों की सहायता करने और उन्हें रखने के लिए देश में कितनी संस्थायें कार्यरत हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्य स्कीमों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि केन्द्र सरकार के वर्ग "ग" और वर्ग "घ",में तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे ही पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत पदों का आरक्षण किया गया है। ग्यारह राज्यों ने कुछ पदों पर रोजगार में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण करना या प्राथमिकता देना स्वीकार कर लिया है ।

(घ) कुछ व्यावसायिक ऐजेन्सियों द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार देश में विकलांगों के लिए लगभग 430 शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संस्थान हैं ।

विवरण

(1) भारत सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत स्वंयसेवी संगठनों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता देती है। अनुमोदित परियोजनाओं पर होने वाले व्यय के 90 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा सकता है।

(2) सामान्य शिक्षा के लिए 9वीं कक्षा से आगे तथा तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए विकलांग छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ।

(3) दृष्टि बांधितों, बधिरों और मानसिक रुप से अविकसित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रिय संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। अस्थि-विकलांगों के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान अभी स्थापित किया गया है ।

(4) रोज़गार प्राप्त करने में विकलांग व्यक्तियों की सहायता करने के लिए देश के विभिन्न भागों में विकलांगों के लिए 17 विशेष रोज़गार केन्द्र स्थापित किए गए हैं ।

(5) सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों को रखने की परियोजना चलाने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है ।

(6) समाज कल्याण विभाग दृष्टिहीनों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए चार केन्द्रों को वित्त प्रदान करता है। बधिरों के लिए अध्यापकों के एक प्रशिक्षण केन्द्र के लिए आंशिक वित्तीय सहायता देता है ।

(7) समाज कल्याण विभाग विकलांगों के लिए नए सहायक यन्त्रों और उपकरणों का विकास करने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रयत्न कर रहा है। दिल्ली, बम्बई और मद्रास में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थाओं तथा अखिल भारतीय अयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली को संबंधित अनुसंधान के लिए सहायता दी गई है ।

(8) समाज कल्याण विभाग कुछ सीमाओं के आधार पर विकलांग व्यक्तियों को उनके द्वारा अपने अपंग-वाहन चलाने के लिए प्रयुक्त पैट्रोल पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत का भुगतान करता है ।

(9) सरकार ने कुछ अन्य रियायतें भी दी हैं जिनमें भारतीय डाक द्वारा ब्रेल पुस्तकों का निशुल्क वितरण, दृष्टिहीनों द्वारा रेल या इन्डियन एयरलांडस द्वारा यात्रा करने पर किराए में छूट, दृष्टिहीनों और अन्य विकलांग व्यक्तियों आदि को आयकर में कुछ छूट आदि शामिल है ।

टेलीफोन उपकरणों में आत्मनिर्भरता

8136. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आज देश टेलीफोन सुविधाओं के उपकरणों के संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे मे आत्मरिर्भर है ;

(ख) यदि नहीं, तो देश में अभी भी कितने उपकरणों का आयात किया जा रहा है और किस लागत पर ; और

(ग) सरकार टेलीफोन एक्सचेंजों सहित टेलीफोन उपकरणों के संबंध में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या प्रयत्न कर रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इन उपकरणों का आयात अभी भी किया जा रहा है :

(1) स्थानीय और ट्रंक एक्सचेंजों के लिए स्विचिंग उपकरण ;

(2) रेडियो प्रणाली और भू-स्टेशनों के लिए परेषण उपकरण ;

(3) कम क्षमता वाले जेलो भरे टेलीफोन केबुल ;

(4) विशेष योजना टेलीफोन के साज-सामान ; और

(5) शोध, प्रशिक्षण और परीक्षण उद्देश्य के लिए वांछित संवेदनशील साज-सामान ।

छठी योजना अवधि 1978-83 के दौरान कुल योजना लागत 1848 करोड़ रुपये में से लगभग 189 करोड़ रुपये लागत के सामान का सीधे आयात किये जाने का अनुमान है ।

(ग) टेलीफोन सेवा के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण के उत्पादन का क्षमता कार्यरत और नयी लगाए जाने वाली दोनों प्रकार की फैक्टरियां बढ़ाई जा रही हैं । इस उद्देश्य के लिए आवश्यक शोध और विकास कार्य-कलाप पर भी ध्यान दिया जा रहा है ।

अधिक राशि के बिलों पर रोक लगाने के लिए बम्बई में टेलीफोन काल काउन्टर प्रणाली

8137. श्री आर० के० महालगी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टेलीफोन काल काउन्टर प्रणाली के संबंध में बम्बई से दिनांक 1 मार्च, 1979 का एक अभ्यावेदन मिला है जिससे अधिक राशि के बील बनाये जाने सम्बन्धी शिकायतें दूर हो सकेंगी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी, हां। एक निजी व्यक्ति से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) इस अभ्यावेदन में प्रणाली के ब्यौरे नहीं दिए गए हैं सिवाय इसके कि इसमें 6 अंक के इलेक्ट्रोमैगनैटिक काउन्टर शामिल हैं जिससे सभी लगायी गई कालों का एक बार में ही संचालन होता है।

थाने डाक डिवीजन का बिभाजन

8138. श्री आर० के० महालगी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाने डाक डिवीजन (महाराष्ट्र) को दो डिवीजनों में विभाजित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के अथवा डाक प्रशासन के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो कब से और इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) थाने जैसे तेजी से विकसित हो रहे जिले में इस प्रस्ताव को ठोस रूप देने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इन कारणों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) जी हां, मौजूदा थाने डाक डिवीजन का पश्चिमी थाने (नया) तथा थाने (अवशिष्ट) डाक डिवीजनों में विभाजन के एक प्रस्ताव की जनवरी, 1979 से जांच चल रही है।

(ग) मौजूदा थाने डाक डिवीजन का विभाजन होने के बाद अवशिष्ट थाने और प्रस्तावित थाने पश्चिमी डाक डिवीजन के बीच अधिकार क्षेत्र का व्यवहारिक विभाजन कठिन पाया गया है। अधिकार क्षेत्र की समुचित विभाजन की युक्ति निकाली जा रही है जिससे थाने डाक डिवीजन का आसानी से विभाजन हो सकेगा।

कलाना जूथ मल्टीपर्पज ओआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड तथा राजकोट जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के लिये टेलीफोन कनेक्शन

8139. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलाना जूथ मल्टीपर्पज कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, कलाना तथा राजकोट जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, कलाना शाखा, ने क्रमश: 14 मई, 1976 तथा 25 मार्च 1977 को, राजकोट जिले (गुजरात) के धौराजी तालुक में कलाना गांव में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्रमश: 1000 रुपये तथा 800 रुपये जमा कराये थे; यदि हां, तो उन्हें अब तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान न करने के क्या कारण हैं ?

(ख) इन दोनों संस्थानों को कब तक तथा कहां से उक्त टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का विचार है; और

(ग) यदि उन्हें ये कनेक्शन दिये जा चुके हैं तो किस तारीख को और किस एक्सचेंज से ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी, हां । कनेक्शन दिये जा चुके हैं ।

(ख) और (ग) इन दोनों पार्टियों को पाटन-बाव एक्सचेंज से 28-2-1979 से टेलीफोन कनेक्शन दे दिये गए हैं ।

जामनगर में सातापाड़ और वांसजालिया में टेलीफोन कनेक्शन और टेलीफोन एक्सचेंज

8140. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में जामनगर जिले में जाम तालुक में सातापाड़ और वांसजालिया गांवों के 17 व्यक्तियों ने दस रुपये के बांड भरे थे और 12 अप्रैल 1977 को एस०डी०ओ०टी०, धौराजी को भेजे थे; और

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों और उनके गांवों के नाम क्या हैं और उनको दस रुपये के बांड कब दिये गये थे ; और

(ग) टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के बाद सातापाड़ और वांसजालिया गांवों के इन व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन कब दिए जायेंगे और टेलीफोन एक्सचेंज किस स्थान पर खोला जायेगा ।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद राय) : (क) और (ख) जामनगर जिले के सातापाड़ और वांसजालिया गांवों से 17 व्यक्तियों ने नहीं बल्कि 12 व्यक्तियों ने टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 10 रुपये बांड वाले आवेदन पत्रों को भरा था और 12-7-1977 को एस० डी० ओ० टी० धौराजी को भेजा था ।

व्यक्तियों और उनके गांवों के नाम निम्नांकित हैं :

1. बैंक आफ इंडिया, वांसजालिया
2. मनसुख बल लालजी भाई, सातापाड़
3. राजथथा, माथुर दास रामजी भाई, सातापाड़
4. हीरालाल पोपटलाल, सातापाड़
5. शान्ति लाल माधव जी, सातापाड़
6. खीराज भाई माधव जी, सातापाड़
7. गोकुलदास माधव जी, सातापाड़
8. ठक्कर जी, सातापाड़
9. मै० पोपट लाल वासनजी, वांसजालिया
10. सातापाड़ ग्राम पंचायत, सातापाड़
11. गणरावन छनन लाल, वांसजालिया
12. परमार कंजी भाई, जीवा भाई, सातापाड़

(ग) केवल 12 कनेक्शनों के लिए वांसजालिया गांव में प्रबन्ध करने के लिए सातापाड़ में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है । यदि लगभग 3—5 से

और कनेक्शनों की मांगें पंजीकृत हो जायें तो टेलीफोन एक्सचेंज खोला जा सकता है और कनेक्शन दिए जा सकते हैं।

सौराष्ट्र प्रदेश में जूनागढ़, राजकोट और जामनगर जिले में डाकघर और टेलीफोन एक्सचेंजों के निर्माणाधीनभवन

8141. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में जूनागढ़, राजकोट और जामनगर जिलों में उन नगरों, कस्बों और गांवों के नाम क्या हैं जहां वर्ष 1978-79 में डाक तथा तार कार्यालयों और टेलीफोन एक्सचेंजों के लिये नये भवनों का निर्माण किया गया है। किया जा रहा है, और ये भवन कब तक पूरे हो जायेंगे;

(ख) इन तीन जिलों में उन नगरों, कस्बों और गांवों के, जिलावार नाम क्या हैं जहां वर्ष 1979-80 में डाक तथा तार कार्यालयों और टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए नये भवन बनाने का विचार है; और इन सभी भवनों पर, भवनवार, कितनी लागत आयेगी; और

(ग) उपरोक्त जिलों में उन नगरों, कस्बों और गांवों के जिलावार नाम क्या हैं जहां नये डाकघर, तार कार्यालय और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए भवन किराए पर लिये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : टेलीफोन एक्सचेंजों और तारघरों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी। डाकघर भवनों के सम्बन्ध में सूचना निम्न प्रकार है :—

(क) 1978-79 में निर्मित डाकघर भवन

I. **जिला जूनागढ़**

(i) मालिया हथीना

(ii) [illegible]

(iii) [illegible]

(iv) [illegible] माई

II. **जि[illegible] जकोट**

(i) वीरपुर

(ii) भैया वदर

III. **जिला जामनगर**

(i) कालावाड़

इन तीनों जिलों में कोई भी डाकघर भवन निर्माणाधीन नहीं है।

(ख) 1979-80 में निर्माण के लिये प्रस्तावित डाकधर भवन

I. **जिला जूनागढ़**

(i) अधीक्षक डाकघर जूनागढ़ का कार्यालय प्राक्कलित लागत 2 करोड़ रुपये

II. **जिला जामनगर**

(i) जामनगर मुख्य डाकघर—प्राक्कलित लागत 30,50,000 रु०

(ii) रावल लागत का अभी प्राक्कलन नहीं किया गया

(iii) लालपुर ,, ,,

III. **जिला राजकोट**

—शून्य—

(ग) I. **जिला जूनागढ़**

(i) जूनागढ़ जी० आई० डी० सी०

(ii) वेरावल जी० आई० डी० सी०

(iii) धोकाडवा

(iv) चौकी

(v) केवड़रा

(vi) मोती मोनपार

(vii) अजब

II. **जिला जामनगर**

(i) धोल ग्रेन चौक

(ii) कालावाड़ मार्केट

(iii) ओखा बाजार

(iv) जाम जोधपुर दरबार गढ़

III. **जिला राजकोट**

(i) राजकोट ध्रुव नगर

(ii) राजकोट मार्केट यार्ड

(iii) राजकोट मनहर प्लाट

(iv) राजकोट एयर पोर्ट

(v) राजकोट गुण्डीवाडी

(vi) जेतपुर उद्योग नगर

(vii) मोर्वी एल० वी० कालेज

(viii) कुनवाड़वा

(ix) गोण्डाल योगी नगर

(x) सर पाडाड़

(xi) कोली थाड़

डाक तथा तार कर्मचारियों द्वारा आयुर्वेदिक औषधियों पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति

8142. श्री बापूसाहिब परुलेकर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक और तार कर्मचारियों द्वारा आयुर्वेदिक औषधियों पर खर्च की गई राशि प्रतिपूर्ति हेतु केवल तभी देय है जब उस पर स्वास्थ्य निदेश के प्रति हस्ताक्षर हों जबकि ऐलोपैथिक औषधियों पर खर्च की गई राशि प्रतिपूर्ति हेतु देय है यदि उस पर सिविल सर्जन के प्रति हस्ताक्षर हों ;

(ख) इस भेदभाव के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस भेदभाव के कारण कर्मचारियों को हो रही भारी कठिनाइयों की जानकारी है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस भेदभाव को खत्म करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) (क) और (ख) जी नहीं, भारतीय चिकित्सा पद्धति में प्राधिकृत चिकित्सकों द्वारा निर्धारित साधारण औषधियों को प्रति-हस्ताक्षरित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 29-16। 71-एम०ए० दिनांक 14-9-72 के अनुसार यह सुनिश्चित करने के विचार से कि भारतीय चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा संबंधी प्रतिपूर्ति पर खर्चे का भार बहुत ज्यादा नहीं पड़ता, यह निश्चय किया गया है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिबन्धित और महंगी औषधियों और पंचकर्म जैसी पद्धति की लागत से संबंधित दावों पर सम्बन्धित राज्य। प्रशासन या केन्द्र सरकार के भारतीय चिकित्सा पद्धति के राज्य निदेशकों। प्रभारी अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने होते हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा कोई कठिनाई अनुभव नहीं की जा रही है क्योंकि प्राधिकृत चिकित्सकों द्वारा निर्धारित साधारण दवाईयों की उसी तरह से प्रतिपूर्ति की जाती है जिस तरह ऐलोपैथी पद्धति में।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

झालावाड़ और कोटा में उप-डाकघरों का खोला जाना

8143. श्री चतुर्भुज : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष (31-5-1979 तक) झालावाड़ और कोटा जिलों में कुल कितने उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है और वे किस-किस स्थान पर खोले जायेंगे ; और

(ख) उक्त जिलों में ऐसे पंचायत केन्द्रों की संख्या कितनी है जहां उप डाकघर खोले जा चुके हैं और शेष पंचायत केन्द्रों में वे कब तक खोले जायेंगे और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) शून्य।

(ख) कोटा जिले के 14 पंचायत केन्द्रों में तथा झालावाड़ जिले के 18 पंचायत केन्द्रों में उपडाकघर हैं। कोटा जिले के 71 पंचायत केन्द्र तथा झालावाड़ जिले के 79 ऐसे केन्द्र हैं,

जहां अभी डाकघर खोले जाने हैं। ऐसे केन्द्रों में लगभग एक वर्ष की अवधि में शाखा डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है। इन केन्द्रों के किसी भी स्थान पर उपडाकघर खोले जाने की सम्भावना नहीं है।

झालावाड़ और कोटा जिलों में उप डाकघरों के लिए पक्की इमारतों की मंजूरी

8144. श्री चतुर्भुज : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झालावाड़ और कोटा जिलों में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इस वर्ष उप डाकघरों के लिये पक्की इमारतों की मंजूरी दे दी गई है ;

(ख) उपरोक्त जिलों में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इन इमारतों के निर्माण के लिये भूमि उपलब्ध करा दी गई है ;

(ग) उन पर निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ;

(घ) इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है और उसका उपयोग कब तक किया जायेगा ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) से (ङ) तक : कोटा जिले के आत्रू, बोहट, सालपुरा, रामगंज मंडी, नयी अनाज मंडी और कुंजेर और झालावाड़ जिले में झालापतन शहर में भूति उपलब्ध करा दी गई है। नयी अनाज मंडी उपडाकघर की इमारत बनाने की मंजूरी दे दी गयी है और शीघ्र ही उसका निर्माण कार्य शुरू होने की आशा है। इस इमारत के लिए 2,36,050 रु० की रकम मंजूर की गई है और इस वर्ष इसका उपयोग किए जाने की उम्मीद है। उपरोक्त अन्य स्थानों पर यथा समय में इतारत बनायी जाएगी।

आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तिका का वितरण

8145. श्री दयाराम शाक्य : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें अथवा केन्द्रीय सरकार कृषि तकनीकों आदि के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तिकाएं प्रत्येक गांवों को नि:शुल्क वितरति करती हैं; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार कृषि के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तिकाएं प्रत्येक ग्राम पंचायत को नि:शुल्क वितरित करने की व्यवस्था करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कृषि तकनीकों की जानकारी देने वाली पुस्तिकाएं, पैम्फलेट और पत्रिकाएं इस समय सरकार द्वारा खंड स्तर तक नि:शुल्क उपलब्ध की जा रही हैं।

प्रत्येक गांव को इस प्रकार की सामग्री नि:शुल्क देना केन्द्रीय सरकार के लिए कठिन होगा, क्योंकि इसे अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार करने अथवा इसका अनुवाद करने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र की स्थानीय कृषि तकनीकों में दूसरे क्षेत्र की कृषि तकनीकों से काफी भिन्नता पाई जाती है। अत: राज्य यह कार्य समुचित रूप से कर सकते हैं।

(ख) जी, नहीं।

उक्त (क) के उत्तर में दिए कारणों को दृष्टि में रखते हुए इस प्रकार का विस्तृत कार्य शुरू करना केन्द्रीय सरकार के लिए संभव नहीं होगा।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अधीक्षकों और वीक्षकों की नियुक्ति

8147. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए केन्द्र अधीक्षकों (सुपरिंटेन्डेन्ट्स) और वीक्षकों (इनविजिलेटर्स) के रूप में अनुभवहीन और कनिष्ठ व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है और वरिष्ठ एवं अनुभवी अध्यापकों और उपप्रधानाचार्यों की उपेक्षा की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है, उनके अनुभव और अर्हताओं का ब्यौरा क्या है और उनकी नियुक्ति की तारीख क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केवल केन्द्रों के अधीक्षकों की नियुक्ति की थी। वे या तो प्राचार्य या उप्राचार्य या वरिष्ठ उत्तर स्नातक शिक्षक या अवकाश प्राप्त प्राचार्य थे। शिक्षकों की हड़ताल को ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन द्वारा निरीक्षकों का नियुक्ति की गई थी। प्रत्येक केन्द्र अधीक्षक और निरीक्षक के विस्तृत ब्यौरे देना सम्भव नहीं है। ब्यौरे एकत्र करने में लगने वाला समय और श्रम प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे।

पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के शारणार्थियों के बीच मुआवजे के भुगतान में असमानता

8148. श्री किरित विक्रम देव बर्मन : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से आये और अब भारत में बसे विस्थापित व्यक्तियों को विभिन्न रूपों में दिये गये मुआवजे की प्रतिशतता में बहुत असमानता है ; और

(ख) (एक) पश्चिमी पाकिस्तानी और (दो) पूर्वी पाकिस्तानी शरणार्थियों द्वारा पीछे छोड़ी गई सम्पत्ति का कुल अनुमानित मूल्य कितना है; और दोनों श्रेणियों के शरणार्थियों को (एक) उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई सम्पत्ति के लिए और (दो) बंगला देश और पाकिस्तान में जमीनदारी समाप्त किये जाने के लिये दिये गये मुआवजे का कुल मूल्य कितना है; और दोनों श्रेणियों के शरणार्थियों द्वारा, अलग-अलग पीछे छोड़ी गई भूमि के कुल मूल्य की तुलना में शरणार्थियों को दिया गया कुल मुआवजा कितने प्रतिशत है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त):(क)भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास)अधिनियम, 1954 तथा उसके अधीन बनाए गए निमर्मों द्वारा विनियमित किया जाता है।

1950 के नेहरू-लियाकत समझौते के अनुसार, भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति उस देश में छोड़ी गई अपनी सम्पत्तियों के अधिकार रखते हैं और वे उन सम्पत्तियों की अदला-बदली, विक्रय या निपटान कर सकते है । अतः उन्हें कोई मुआवजा देय नहीं है ।

(ख) भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों द्वारा पीछे छोड़ी गई शहरी निष्क्रान्त सम्पत्ति का मूल्य अनुमानतः 500 करोड़ रुपये आंका गया था । उन्हें मुआवजे के रूप में 191 ·90 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है । भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी गई भूमियों के सम्बन्ध में निष्क्रान्तों के अधिकार, हक तथा हित पाकिस्तान सरकार द्वारा अर्जित कर लिए गए थे । इसी प्रकार की कार्यवाही भारत में भी की गई थी । इस प्रकार जमीदारी समाप्त किए जाने के लिए मुआवजे के भुगतान का कोई प्रश्न ही नहीं था । भूमि की सीमित उपलब्धता के कारण दावों की अधिकाधिक पूर्ति के लिए आबंटन के मामले में 25% से 85% के बीच क्रमबद्ध कटौती की प्रणाली लागू की गई थी ।

जहां तक भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से आए विस्थापित व्यक्तियों का सम्बन्ध है, चूंकि नेहरू-लियाकत समझौता, 1950 के अधीन मुआवजा देय नहीं था इसलिए कोई आंकड़े नहीं रखे गए हैं ।

पूर्वी पाकिस्तान के उन शरणार्थियों को दावे भरने की अनुमति जिन्होंने पहले दावे नहीं भरे थे

8149. श्री किरित विक्रम देव बर्मन : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व पाकिस्तान से विस्थापित हुए बहुत से लोगों ने, अनभिज्ञता के कारण अथवा प्रक्रिया संबंधी जटिलताओं आदि के कारण पूर्व पाकिस्तान में छोड़ी अपनी सम्पत्ति के लिये, निर्धारित समय तक अपने दावे नहीं भरे थे;

(ख) यदि हां, तो पूर्वी पाकिस्तान से कितने परिवार भारत में आये और यहां बस गये तथा जिन्होंने मुआवजे के लिये अपने दावे नहीं भरे हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन्हें अपने दावे भरने का एक अन्तिम अवसर प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) (क), (ख) और (ग) 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते के अधीन, भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासी उस देश में छोड़ी गई सम्पत्तियों के मालिकाना अधिकार रखते हैं और वे अपनी सम्पत्तियों को अपनी इच्छानुसार बेच सकते हैं। अदला-बदली कर सकते हैं और जिस प्रकार चाहें उनका निपटान कर सकते हैं। अतः उनसे कोई दावे नहीं मांगे गए थे और न ही उन्हें कोई मुआवजा देय था।

जहां तक भारतीय राष्ट्रिकों/कम्पनियों आदि को, जिनकी परिसम्पत्तियां भारत-पाकिस्तान संघर्ष, 1965 के दौरान, 'शत्रु सम्पत्ति' के रूप में पाकिस्तान सरकार द्वारा

अपने कब्जे में ले ली गई थीं, अनुग्रहपूर्वक भुगतान करने के बारे में भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक के पास दावे भेजने के लिए तारीखें तीन बार बढ़ाई गई थीं और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अन्तिम बार समय में वृद्धि 31-7-77 तक की गई थी ।

मदर डेरी द्वारा इन्डेन्ट

8151. श्री दयाराम शाक्य : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेरी ने एल्यूमिनियम के लगभग 300 डिब्बों का 90,000/– की दर से इन्डेन्ट किया था और उनकी सप्लाई प्राप्त होने से पहले ही इस राशि का भुगतान किया गया दिखाया गया था और इसका गबन कर लिया गया था ;

(ख) क्या मदर डेरी केन्द्रों के लिए लोहे की सीढ़ियां बिना कोई टेंडर आमंत्रित किये मैसर्स ठुकराल मशीनरी वर्क्स, आनन्द (गुजराय) से 3,400 रुपये प्रति सीढ़ी के हिसाब से स्वीकार कर ली गई थीं, प्रक्रिया का पालन न किये जाने के ब्यौरेवार कारण क्या हैं ;

(ग) क्या मदर डेरी ने श्रमिकों का शोषण करने के लिए ठेका प्रणाली चला रखी है क्योंकि ठेकेदार प्रति व्यक्ति प्रति मास 600/– से 700/– रुपये के हिसाब से श्रमिकों के बिल प्रस्तुत करते हैं परन्तु वास्तव में 350/– रुपये प्रति श्रमिक के हिसाब में भुगतान किया करते हैं ।

(घ) क्या यह सच है कि मदर डेरी की अपनी वर्कशाप है ; और

(ङ) यदि हां, तो फिर बाजार में बहुत उंची दरों पर अपनी मोटर गाड़िया मरम्मत कराने और अधिक राशि के बिल प्रस्तुत कर धन का गबन किए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सर्वश्री ठुकराल मशीनरी वर्क्स, आनन्द से 1974 में 98/– रुपये प्रति सीढ़ी की दर से लोहे की सीढ़ियां खरीदी गई थीं न कि 400/– रुपये प्रति सीढ़ी की दर से । राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के क्रय विभाग ने सभी मदों की खरीद के लिये कोटेशन मांगी थी और सर्वश्री ठुकराल मशीनरी वर्क्स की दरें स्वीकार कर ली गयी थीं क्योंकि उनकी दरें तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम थीं ।

(ग) दुग्ध को थैलियों में भरने तथा वितरण का कार्य अस्थायी प्रकृति का होता है, अतः मदर डेरी ने ड्राइवरों और मेटों की सप्लाई करने के लिए भूतपूर्व सैनिक संगठन के साथ एक करार तय किया है । यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि नयी डेरी को (जिसे यह कार्य करना है) पैकेट में बन्द करने का सम्पूर्ण कार्य नहीं सौंपा जाता । उक्त वर्ग के श्रमिकों के लिए ठेकेदार को भुगतान की दर उचित है तथा मदर डेरी में काम करने वाले उसी वर्ग के कर्मचारियों को दिये जा रहे वेतनों के अनुकूल है ।

(घ) और (ङ) मदर डेरी की परिवहन कार्यशाला केवल रख-रखाव की कार्यशाला है, अतः उसमें विशेष कार्यों के करने की व्यवस्था नहीं है । उक्त बातों को मद्देनजर रखते हुये जिन कार्यों को मदर डेरी की परिवहन कार्यशाला में संतोषजनक रूप से नहीं किया जा सकता उन्हें बाहर की पार्टियों से करवाया जाता है ।

मारिचझापी के सम्बन्ध में संसद् सदस्यों की समिति का प्रतिवेदन

8152. **श्री नाथू सिंह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुन्दरबन, पश्चिम बंगाल में मारिचझापी में, जहां पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों ने शरण ले रखी है, वहां की स्थिति का अध्ययन करने के लिए प्रधान मंत्री, द्वारा नियुक्त की गई एक तीन सदस्सीय समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) वहां शरणार्थियों को हो रही समस्याओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) और (ग) पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में मारिचझापी में स्थिति का अध्ययन करने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा कोई समिति नियुक्त नहीं की गई थी। यह सुझाव दिए जाने पर कि स्थिति का अध्ययन करने के लिए जनता पार्टी के संसद् सदस्यों के एक दल द्वारा मारिचझापी का दौरा किया जाए, प्रधान मंत्री ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से दौरे की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था। तीन संसद् सदस्य मारिचझापी का दौरा कर आए हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रधान मंत्री को प्रस्तुत कर दी है।

वनों को नष्ट होने से रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों को ईंधन देना

8153. **श्री चतुर्भुज :**

श्रीमती पार्वती देवी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पेड़ों और वनों के बेपरवाह विनाश का मुख्य कारण पहाड़ी क्षेत्रों में कोयले, मिट्टी के तेल तथा घरेलू गैस की अनुपलब्धता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर ईंधन का आंबटन करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सरकार को जानकारी है कि पहाड़ों में ईंधन की लकड़ी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बढ़ती हुई मांग का वन संरक्षण पर विपरीत असर हो रहा है।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से सम्पर्क में है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में अधिक संख्या में साफ्ट कोक की दुकानें खालने की व्यवहार्यता पर विचार करें। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे पहाड़ी जिलों के लिए खाद्यान्नों सीमेंट, इत्यादि की भांति साफ्ट कोक को भी आवश्यक जिंस की तरह शामिल करने पर विचार करें और जैसा कि अन्य आवश्यक जिंस के बारे में किया जाता है, रेल शीर्ष के बाद साफ्ट कोक के सड़क परिवहन को राज सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करें।

आँध्र प्रदेश में करीम नगर स्थित बायो-गैस संयंत्र

8154. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम छः बायो-गैस संयंत्र का प्रायोजन कर रहा है जो आंध्र प्रदेश के करीम नगर जिले में एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित करने में सहायक बनेगा ; और

(ख) यदि हां, तो प्रायोगिक संयंत्र से कितनी मात्रा में गैस सप्लाई की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने आंध्र प्रदेश के करीम नगर जिले के कोदुमुनजा में एक बायो-गैस संयंत्र स्थापित किया है। निगम का देश के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ और सामुदायिक बायो-गैस संयंत्र लगाने का विचार है।

(ख) कोदुमुनजा स्थित संयंत्र की बायो-गैस की क्षमता प्रति दिन 128.4 घन मीटर है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन

8155. श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास के अन्तर्गत चलाई जा रही वर्तमान योजनाएं समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा नहीं करतीं;

(ख) ग्रामीण लोगों को सामाजिक आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने वाली योजनाएं एवं कार्यक्रम किस प्रकार के हैं; और

(ग) सरकार के पास इस बात को देखने के लिये क्या व्यवस्था है कि कार्यक्रम के सभी चरणों का निरन्तर मूल्यांकन होता रहे और कार्यक्रम की कमियों को दूर किया जाये ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मानु प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पता लगाए गए लक्षित वर्गों, जिनमें लघु तथा सीमान्त किसान, कृषि श्रमिक, ग्रामीण कारीगर तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति शामिल हैं, के लिये अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना तथा ऊनके आय के स्तर को बढ़ाना है। लक्षित वर्गों की आर्थिक सक्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि तथा अन्य सम्बद्ध गतिविधियों के क्षेत्रों में विभिन्न लाभभोगी उन्मुख योजनाएं आरम्भ की जा रही हैं। चूंकि अकेले कृषि के क्षेत्र में प्रयासों में तीव्रता लाने से ही ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो पाएगी, अतः कार्यक्रम में ग्रामोद्योगों तथा ग्रामीण कारीगरों के कार्यक्रमों को भी उपयुक्त रूप से समन्वित किया गया है। इसी प्रकार, तृतीय क्षेत्र के अन्तर्गत गतिविधियों के लिये भी वित्त प्रदान किया जा रहा है, ताकि लक्षित वर्गों के सदस्यों में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। प्रशिक्षण एक अन्य महत्वपूर्ण निवेश है जिसके माध्यम से लक्षित वर्गों के सदस्यों के लिए नई कारीगरी, दस्तकारी तथा प्रौद्योगिकी अभिदर्शित की जाती है। ग्रामोद्योगों/कारीगरों के कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण के समापन पर प्रशिक्षार्थियों को अपने स्वतंत्र एककों की स्थापना करने अथवा उपयुक्त स्थायी रोजगार ढूंढने में सहायता दी जाएगी। समन्वित ग्राम

विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रोत्साहित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्पूर्ण पैकेज-सेवाओं, जिनमें ऋण, निवेश और जानकारी शामिल है, के रूप में सहायता सुलभ करने पर बल दिया जा रहा है, ताकि पता लगाए गए सहभागियों के आय-स्तर में निश्चित सुधार लाया जा सके और वे निर्धनता की रेखा को पार कर सकें।

(ग) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों और केन्द्रशासित क्षेत्रों पर है। प्रत्येक राज्य तथा केन्द्रशासित क्षेत्र में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समितियां कार्यक्रम के निष्पादन तथा मूल्यांकन के प्रबोधन के लिये उत्तरदायी हैं। कृषि और सिंचाई मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी राज्य स्तरीय समन्वय समितियों का सदस्य होता है। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति का प्रवोधन करने तथा दोषनिवारक उपाय सुझाने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक प्रशासनिक आसूचना एकक विद्यमान है।

ग्रामीण विकास की अवधारणा पर पेपर

8156. श्री दुर्गाचन्द : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में ग्रामीण विकास की अवधारणा पर एक पेपर प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विषय पर पेपर कब प्रकाशित होगा;

(घ) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास की अवधारणा की परिभाषा दी है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ग्राम विकास के विषय में सरकार की पहुंच तथा नीति को पंचवर्षीय योजना प्रारूप (1978-83) में प्रस्तुत किया गया है।

यमुना पार क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के लिए एक बड़े नाले का निर्माण

8157. श्री हलीमुद्दीन अहमद : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाढ़ नियंत्रण विभाग यमुना-पार क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के लिए एक बड़े नाले का निर्माण कर रहा है और यह नाला स्वर्ण सिनेमा और विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-32 के ब्लाक 31, 32 और 33 से होकर गुजरता है और चूंकि नाला बहुत चौड़ा था और मकानों पर इसका प्रभाव पड़ता था, इसलिए मकानों को बचाने की दृष्टि से विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-32 के खण्ड 31, 32 और 33 के सामने इसकी चौड़ाई केवल 70 फीट रखने की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि शाहदरा ड्रेनेज स्कीम की ट्रंक ड्रेन संख्या/स्वर्ण टाकीज और विश्वास नगर, शाहदरा के ब्लाक 31, 32 और 33 के पास से होकर गुजरती है। ब्लाक 31, 32 और 33 के सामने, जहां नाले की पूरी 33.36 मीटर (116 फुट) की चौड़ाई के लिए भूमि उपलब्ध है, इस ड्रेन का निर्माण अनुमोदित स्कीम के अनुसार किया जा रहा है। लेकिन चूंकि स्वर्ण टाकीज से गोबिन्द बिहारी कालोनी तक के भाग में अनधिकृत निर्माण आदि है, इसलिए चौड़ी भूमि उपलब्ध नहीं है। लेकिन पूरी चौड़ी भूमि के अभिग्रहण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं और इस बीच अस्थायी रूप से अपेक्षाकृत कम चौड़ी अर्थात 28.87 मीटर (75 फुट) चौड़ी ड्रेन का निर्माण किया जा रहा है ताकि इन क्षेत्रों के लिये बाढ़ों से तत्काल राहत की व्यवस्था हो सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास

8158. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में पहुँच-मार्गों के विकास के लिए वर्ष 1977-78 के दौरान आबंटित धनराशि में से 20 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (ख) वर्ष 1977-78 के दौरान ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए योजना के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र-शासित क्षेत्रों को 20 करोड़ रुपये का आबंटन निम्नलिखित मापदण्डों पर किया गया था :—

(क) राज्य/संघशासित क्षेत्र में 100 वर्ग किलोमीटर की दर से सतही सड़कें (सरफेस रोड्स)।

(ख) राज्य/संघशासित क्षेत्र में एक लाख लोगों की दर से सतही सड़कें।

(ग) ऐसे राज्यों/संघशासित क्षेत्रों, जहां सड़कें अप्रयाप्त अथवा कम हैं, के लिए विशेष ध्यान; तथा

(घ) आदिवासी क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों की विशेष समस्याओं को इस व्यवस्था के वास्तविक आबंटन के लिए आधार बनाया जाना चाहिए।

इस योजना के अन्तर्गत शुरू की जाने वाली सड़कों का पता लगाना राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों पर छोड़ा गया था।

हजार द्वार में प्राचीन चित्रों तथा दुर्लभ पुस्तकों का रख-रखाव

8159. श्री के० टी० कोसलराम : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किये ऐतिहासिक स्मारक हजार द्वार में प्राचीन चित्र तथा दुर्लभ पुस्तकें, रख-रखाव के अभाव में तथा बड़े पेमाने पर वहां चोरियां होने के कारण प्रायः नष्ट होती जा रही है ;

(ख) क्या उक्त सचित्र के संरक्षण के दायित्व के बारे में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच कोई भ्रम व्याप्त है ; और

(ग) उक्त भ्रम को दुर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ताकि वहुमूल्य प्राचीन चित्रों तथा पुस्तकों को समाप्त हो जाने से बचाया जा सके ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) प्राचीन चित्रों और दुर्लभ पुस्तकों सहित सभी वस्तुएं, मुर्शिदाबाद संपदा (न्यास) अधिनियम, 1963 के अनुसार पश्चिमी बंगाल सरकार के अधिकारिक न्यासी की अभिरक्षा में हैं । इन वस्तुओं के रख-रखाव और सुरक्षा का दायित्व उसी पर है । प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत दिनांक 16-1-1978 से राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित हजार दुवार महल नामक स्मारक के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसकी संरचनात्मक-मरम्मत-कार्य के लिए उत्तरदायी है, जिसका निर्वाह वह कर रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नही उठता ।

महाराष्ट्र में शंकर ज्वार के खराब किस्म के बीज की सप्लाई के कारण हुई क्षति

8160. श्री यशवन्त बोरोले : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के ए०पी०एस०सी०ए० द्वारा प्रमाणित और 1978 के खरीफ मौसम के लिए महाराष्ट्र राज्य को सप्लाई किये गये संकर ज्वार सी०एस०एच० 5 बीज की खराब किस्म के कारण महाराष्ट्र के किसानों को भारी क्षति हुई है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस बात पर ध्यान देने के लिए और आन्ध्र प्रदेश की सरकार द्वारा राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति कराये जाने के लिए भारत सरकार को अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अगस्त—सितम्बर, 1978 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम को इस आशय की कुछ शिकायतें मिली थीं कि महाराष्ट्र में खरीफ 1976 के दौरान उनके व्यापारियों/विक्रय केन्द्रों के माध्यम से वितरित संकर ज्वार के बीज सी एस एच-1 तथा सी एस एच-5 अशुद्ध थे । ये बीज आन्ध्र प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा प्रमाणित किये गये बताए जाते हैं । तथापि इस वजह से किसानों को हुई हानि के सम्बन्ध में भारत सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) चूंकि भारत सरकार को खरीफ 1978 के दौरान वितरित किये गये संकर ज्वार के बीज सी एस एच–5 की खराब किस्म के बारे में महाराष्ट्र सरकार से कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है, अतः किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं होता ।

कुछ राज्यों में संचार प्रणाली की प्रगति

8161. श्री पी० एम० सईद :

श्री निहार लास्कर :

श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में और असम, त्रिपुरा, नागालैण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान संचार प्रणाली में अधिक प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो कितनी प्रगति हुई और किस क्षेत्र में हुई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) :

दूरसंचार सुविधाएं :

(क), (ख) और (ग) जी, नहीं। वर्ष 1978-79 के दौरान दूरसंचार प्रणाली के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। वर्ष 1978-79 के दौरान देश के अन्दर 628 टेलीफोन एक्सचेंज, 3456 सार्वजनिक टेलीफोन और 3851 तारघर खोले गये हैं। लक्षद्वीप, असम, त्रिपुरा और नागालैण्ड में हुई प्रगति विवरण में दिखाई गई है।

डाक सुविधाएं :

(क), (ख) और (ग) संदर्भगत क्षेत्रों के संबंध में डाक संचार प्रणाली का योजनाबद्ध और चरणबद्ध रूप से विकास हुआ है। 1978-79 में असम के पहाड़ी जनजाति क्षेत्रों में 44, नागालैण्ड में 45 और त्रिपुरा राज्य में 58 डाकघर खोले गए। उपरोक्त राज्यों के सभी ग्राम दैनिक डाक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आ गए हैं।

जहां तक लक्षद्वीप का संबंध है इस संघ राज्य में 10 डाकघर हैं और चूंकि हर आबादी वाले द्वीप में एक डाकघर है अतः वर्ष 1978-79 के दौरान नए डाकघर खोलने की कोई आवश्यकता नहीं पाई गई।

विवरण

1978-79 के दौरान लक्षद्वीप, असम, त्रिपुरा और नागालैण्ड में
दूरसंचार के क्षेत्र में हुई प्रगति

प्रदान की गई दूरसंचार सुविधाएं

	एक्सचेंज	सार्वजनिक टेलीफोन	तारघर
1. लक्षद्वीप	—	—	1 (वायरलेस)
2. असम	8	21	22
3. त्रिपुरा	—	1	1
4. नागालैंड	—	9	—

आलू के मूल्य में गिरावट के कारण निराशा

8162. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 मार्च, 1979 के 'इकनामिक टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार के ओर दिलाया गया है कि आलुओं के मूल्य में भारी गिरावट होने के कारण उत्पादक इतने निराश हो गए हैं कि उन्होंने यह निर्णय किया है कि अपने उत्पाद बाजार में लाने की बजाय उन्हें जला दिया जाये क्योंकि उन्हें उसके लिए बाजार में उपलब्ध मूल्य की तुलना में अधिक खर्च वहन करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या केन्द्रीय मंत्रालय का यह सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही करने का विचार है कि उत्पादक ऐसी कार्यवाही करने के लिए बाध्य न हों ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) तक : सरकार को उस समाचार की जानकारी है जो 27 मार्च, 1979 के 'एकोनामिक टाइम्स' में मोगा से प्रकाशित हुई थी । पंजाब सरकार ने सूचना दी है कि अब तक राज्य में किसानों द्वारा आलुओं के जलाए जाने के सम्बन्ध में कोइ सूचना नहीं मिली है । कुछ उत्पादकों के आलु खेत में हैं वे उनके निपटान का इंतजार कर रहे हैं । पंजाब सरकार ने नाफेड/मार्केफेड से कहा है कि वर्गीकृत आलुओं के लिए 50 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य दें और यदि सरकारी निर्देशों के अन्तर्गत कार्य करने से कोई हानि होती है, तो वह 1.50 करोड़ तक की हानि पूरी करने के लिए सहमत हो गई है । पंजाब राज्य विपणन बोर्ड ने इस कार्य को आरम्भ करने के लिये कार्यकारी पूंजी के रूप में मार्कफेड को एक करोड़ रुपये की राशि दी है । संयुक्त उद्यम के अन्तर्गत मार्कफेड और नाफेड ने 31 मार्च, 1979 तक लगभग 5,62,000 आलुओं के बोरे खरीदे ।

गेहूं का मूल्य निर्धारित करने के बारे में पंजाब सरकार के विचार

8163. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री निहार लास्कर :

श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने कृषि मूल्य आयोग को सिफारिश की है कि गेहूं का मूल्य 131 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां; तो क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार के इस बारे में प्रस्ताव को पहले ही रद्द कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या थे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों और राज्य के मुख्य मंत्रियों/खाद्य मंत्रियों के विचारों पर सोच-विचार करने और गेहूं का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को ध्यान में रखने के बाद भारत सरकार ने 1979-80 के रबी विपणन मौसम के लिए गेहूं का वसूली मूल्य 115/– रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है ।

सरकारी आवास

8164. श्री दयाराम शाक्य : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री सरकारी आवास के आवंटन के बारे में 7 अगस्त, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2968 के उत्तर के संबंध में जिसमें यह कहा गया है कि 1 जनवरी, 1977 से जुलाई 1978 तक 115 टाईप–दो के क्वार्टर आवंटित किए गए हैं और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1977 को टाईप–दो की प्रतीक्षा सूची की कौन सी क्रम संख्या आरम्भ की गई थी और जुलाई, 1978 तक $1\frac{1}{2}$ वर्षों में कितनी क्रम संख्या तक व्यक्तियों को आवंटन किया गया है ;

(ख) उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें सरकारी आवास दिया गया था और जिनके नाम प्रतीक्षा सूची में नहीं थे तथा उन्हें किन आधारों पर आवास दिया गया और ग्रुपवार उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में बहुत थोड़ी संख्या में कर्मचारियों को आवंटन किए जाने के विस्तृत कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 7 अगस्त, 1978 को प्रश्न सं० 2968 के उत्तर में कहा गया था कि टाईप–II के 1155 क्वार्टरों का आवंटन किया गया न कि 115 जैसा कि प्रश्न में कहा गया है । प्रश्नाधीन अवधि में मुख्य प्रतीक्षा सूची के क्रम संख्या 3744 से 4053 तक के व्यक्तियों को आवंटन किया गया था । यह किए गए 310 आवंटनों का ब्यौरा है । इसके अतिरिक्त जिन 257 कर्मचारियों के नाम समय-समय पर यथा स्थान (मूल प्रतीक्षा सूची के क्रमांकों में बिना किसी परिवर्तन किए) रखे गए थे उनको भी इस अवधि में आवंटन किया गया था । अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों के लिए अलग से बनाई गई सूची में से भी 55 कर्मचारियों को भी आवंटन किए गए थे और इस प्रकार कर्मचारियों की कुल संख्या 622 है ।

(ख) प्रश्नाधीन अवधि में 533 ऐसे कर्मचारियों को आवंटन किए गए जिनके नाम प्रतीक्षा सूची में नहीं थे । इसमें से 449 आवंटन सेवानिवृत्त, स्थानान्तरित तथा दिवंगत कर्मचारियों के पात्र आश्रितों, उन अधिकारियों जिनको विभागीय पूल वास खाली करना था तथा मंत्रियों के वैयक्तिक अमले के सदस्यों को दिए गए जोकि नियमानुसार सामान्य पूल के तदर्थ आवंटन के लिए पात्र थे । अन्य कारणों पर अधिकारियों को केवल 84 आवंटन किए गए ।

श्रेणीवार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

1. पात्र कर्मचारियों को तदर्थ आवंटन	
(i) सेवानिवृत्त कर्मचारी	285
(ii) दिवंगत कर्मचारी	56
(iii) स्थानान्तरित कर्मचारी	15
2. उन कर्मचारियों को जिनको विभागीय पूल आवास खाली करना था	18
3. वैयक्तिक आमला	75
4. बीमारी के आधार पर	57
5. शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति	20
6. अनुकम्पा के आधार पर	7
कुल:	533

(ग) ऐसे आवंटनों के लिए निर्धारित कार्य प्रणाली के अनुसार रिक्तियां आवंटित की गईं।

चलते-फिरते डाकघर द्वारा बम्बई के पश्चिम क्षेत्र में छुट्टियों और रविवार के दिन कार्यकरण

8165. श्रीमती मृणाल गोरे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई नगर पश्चिम क्षेत्र में एक चलता-फिरता डाकघर है ;

(ख) क्या पोस्टमास्टर जनरल, बम्बई की अधिसूचना ज्ञापन संख्या 12/मेल्ज बी०एस०23/एम०पी०ओ०/76 दिनांक 31 अगस्त, 1978 द्वारा यह घोषित किया गया था कि यह डाकघर रविवार तथा राजपत्रित छुट्टियों के दिन काम नहीं करेगा ;

(ग) क्या चलते-फिरते डाकघर को 365 दिन लगातार खुला रख कर पोस्टमास्टर जनरल, बम्बई द्वारा इस अधिसूचना का उल्लंघन किया गया है ;

(घ) क्या रविवार तथा छुट्टियों के दिनों को किये गये कार्य के लिये कर्मचारियों को विशेष, भत्ता दिया जाता है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (घ) तारीख 11-8-1976 को सचमुच यह आदेश जारी किये गए थे कि संदर्भित चल डाकघर तीन राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर सभी दिन कार्य करेगा। तदन्तर ये आदेश जारी किए गए कि संदर्भित चल डाकघर रोज काम करेगा। अब इन आदेशों में इस

प्रकार संशोधन किया गया है कि अबसे चल डाकघर रविवार और तीन राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन बंद रहा करेंगे । कर्मचारियों को नियमानुसार अनुपूरक अवकाश/समयोंपरि भत्ते की अदायगी की गई थी ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली के स्कूलों के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अध्यापक

8166. श्री कचरूलाल हेमराज जैन :

श्री मही लाल :

श्री राम कंवर बेरवा :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका के अधीन प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों और मुख्य अध्यापकों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अध्यापकों और मुख्य अध्यापकों की संख्या, पृथक-पृथक कितनी-कितनी है ;

(ग) क्या वहां आरक्षित कोटा पूरा किया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) दिल्ली नगर निगम द्वारा प्राइमरी अध्यापकों की भर्ती के लिए सितम्बर, अक्तूबर, 1978 में ली गई परीक्षा में कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए हैं, इनमें से कितने नियुक्त कर दिये गये हैं और इनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों की संख्या कितनी है ; और

(ङ) क्या उपरोक्त परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों से आरक्षित कोटे में पिछले और वर्तमान स्थानों की कमी को पूरा कर लिया गया है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उम्मीदवारों को नियुक्त करके पिछली कमी को कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका से प्राप्त सूचना के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों और मुख्य अध्यापकों की संख्या निम्नलिखित है :—

	सहायक अध्यापक	मुख्य अध्यापक
दि० न० नि०	11798	1471
न० दि० न० पा०	863	66

(ख) दि० न० नि० और न० दि० न० पा० में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों की संख्या क्रमशः निम्नलिखित है :—

	सहायक अध्यापक	मुख्य अध्यापक
दि० न० नि०	923	94
न० दि० न० पा०	36	10

(ग) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचना दी है कि दि० न० नि० का आरक्षित कोटा पूरा कर लिया गया है। तथापि, नई दिल्ली नगरपालिका में मुख्य अध्यापकों का पूरा कोटा भर लिया गया है। प्राथमिक अध्यापकों के मामले में पूर्ण आरक्षण नहीं प्रदान किया जा सका क्योंकि कई अध्यापक फालतु हैं।

(घ) दिल्ली नगर निगम के अनुसार, 509 अभ्यर्थी सफल हुए थे और उन सभी को नियुक्त कर लिया गया था। इनमें से 139 अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं।

(ङ) दिल्ली नगर निगम के संबंध में ऊपर (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ईस्ट आजादनगर, दिल्ली से सार्वजनिक टेलिफोन केन्द्र को स्थानान्तरित करना

8167. श्री हलीमुद्दीन अहमद : क्या **संचार** मंत्री ईस्ट आजादनगर, दिल्ली–51 में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र के बारे में 19 मार्च 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3741 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस क्षेत्र के लिए दिया गया केवल मात्र सार्वजनिक टेलीफोन एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो किसी बाहरी व्यक्ति को टेलीफोन नहीं करने देता और उसे हमेशा अपने घर में ताला लगा कर रखता है और सार्वजनिक टेलीफोन का बोर्ड भी हटा लिया गया है और क्षेत्र के लोग सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा से वंचित हो गये हैं ;

(ख) क्या ईस्ट आजादनगर का सार्वजनिक टेलीफोन सतर्कता जांच के पश्चात, चूंकि कुछ टेलीफोन अधिकारियों का भी इस मामले में हाथ है, इस स्थान से हटाकर किसी खुले स्थान में लगाया जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां, गारंटी दिये गए सिक्का संग्रह पेटी के प्राइवेट सार्वजनिक टेलीफोन नं० 213998 को भुगता न नहोने के कारण तारीख 5-2-79 से काट दिया गया है। नियमों और शर्तों का पालन न करने के कारण उप-भोक्ता के विरुद्ध नियमान्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(ख) और (ग) ईस्ट आजादनगर के एक किलोमीटर के घेरे में डी०टी०सी० बस बस स्टाप कृष्णानगर में एक विभागीय सार्वजनिक टेलीफोन घर है। ईस्ट आजादनगर डाकघर में दूसरे विभागीय सार्वजनिक टेलीफोन घर के लिए जांच की जा रही है।

पूर्णियां, बिहार में ट्रंक सेवाओं में सुधार

8168. श्री हलीमुद्दीन अहमद : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पूर्णिया सर्किल में ट्रंक सेवा बहुत ही असंतोषजनक तथा घटिया किस्म की है जिसके कारण बहुत से उपभोक्ताओं को शिकायतें करनी पड़ती हैं ;

(ख) क्या सुपर ट्रंक बोर्ड लगाने, पूर्णिया में दूरसंचार डिवीजन बनाने तथा किशनगंज और अराडिया में दूरसंचार उपडिवीजन बनाने के लिए मांग की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने की सरकार की इच्छा को देखते हुए क्या सरकार का विचार न्यूनतम राजस्व अथवा किसी भी हानि का विचार किये बिना ही ट्रंक सेवाओं में सुधार करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी, नहीं। पूर्णिया की ट्रंक सेवा संतोषजनक है। तथापि, बार-बार बिजली फेल होने के कारण पिछले दिनों में ट्रंक सेवा में दिक्कत हुई थी।

(ख) और (ग) वर्तमान दो पुराने ट्रंक बोर्डों को बदलकर नये टाइप के तीन ट्रंक बोर्डों की संस्थापना के प्राक्कलन की मंजूरी दे दी गई है। आशा है कि वर्ष 1979-80 के दौरान इस कार्य को आरम्भ कर दिया जाएगा।

इस समय पूर्णिया में दूरसंचार डिवीजन और किशनगंज और अरारिया में दूरसंचार उपडिवीजन बनाने का औचित्य नहीं है।

(घ) सिद्धांत रूप से हानि उठाकर भी विश्वसनीय माध्यम से जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानियों से जोड़ने का निश्चय किया गया है।

"काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई किये गए खाद्यान्नों का मूल्य

8169. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'काम के बदले अनाज' योजना के अन्तर्गत राज्यों को इस वर्ष कितने मूल्य का खाद्यान्न सप्लाई किया गया ; और

(ख) इस संबंध में इस वर्ष आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों को कितने मूल्य का खाद्यान्न सप्लाई किया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (ख) 1978-79 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को वंटित खाद्यान्नों की मात्रा तथा रुपये में उनके मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सं०	राज्य	वंटित मात्रा (मीटरी टन)		*मूल्य (लाख रुपये)
		गेहूँ	चावल	
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	65,000	65,000	1685.00
2.	असम	5,000	5,000	135.00
3.	बिहार	2,00,000	—	2537.50

1	2	3	4	5
4.	गुजरात	15,000	—	195.00
5.	हरियाणा	20,000	—	259.00
6.	जम्मू और कश्मीर	3,000	3,000	81.00
7.	कर्नाटक	7,000	8,000	203.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1,500	—	19.50
9.	केरल	13,000	13,000	346.00
10.	मध्य प्रदेश	1,02,000	25,000	1647.50
11.	महाराष्ट्र	35,000	5,000	525.00
12.	नागालैंड	750	750	20.25
13.	उड़ीसा	1,54,000	49,000	2629.25
14.	पंजाब	32,000	—	408.00
15.	राजस्थान	2,61,000	—	3345.50
16.	त्रिपुरा	6,000	2,000	104.00
17.	उत्तर प्रदेश	1,25,500	10,500	1756.00
18.	पश्चिम बंगाल	1,50,000	—	1900.00
19.	मिजोरम	1,200	—	15.60
		11,92,950	1,86,250	17812.10

*टिप्पणी : 1-12-1978 से पहले गेहूं की निर्गम मूल्य 125 रु० प्रति क्विंटल था तथा उसके बाद 130 रुपये प्रति क्विंटल था। चावल के मामले में निर्गम मूल्य इस प्रकार है :– घटिया चावल (छोटा मोटा) के लिए 135 रुपये प्रति क्विंटल तथा मध्यम (मोटा लम्बा) के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल।

कृषि मूल्य आयोग में गुजरात का प्रतिनिधित्व

8170. **श्री एफ० पी० गायकवाड़** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मूल्य आयोग की सदस्यों की संख्या और नाम क्या हैं ;

(ख) क्या कृषि मूल्य आयोग में गुजरात राज्य का कोई प्रतिनिधि है ;

(ग) यदि हां, तो उस सदस्य का नाम क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार आयोग में गुजरात राज्य को प्रतिनिधित्व देने पर विचार करेगी ; और

(ङ) आयोग में सदस्यों के नामनिर्देशन का मापदंड क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कृषि मूल्य आयोग के लिए स्वीकृत अमले में एक अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव सहित तीन सदस्य हैं। वर्तमान पदधारी निचे दिये गए हैं :–

डा० ए० एस० काहलों	अध्यक्ष
श्री एस० सी० चौधरी	अवैतनिक हैसियत में सदस्य
डा० (श्रीमती) आर० तामरजाक्षी	सदस्य-सचिव

सदस्य का एक पद खाली है। इस रिक्त स्थान को भरने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

(ख) तथा (ग) कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष सहित विद्यमान सदस्यों में से कोई भी गुजरात से नहीं है।

(घ) इस समय, इस प्रकार का कोई प्रस्ताय नहीं है।

(ङ) कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव सहित सदस्यों के रूप में नियुक्ति की अर्हताएं नीचे दी गई हैं :–

> अध्यक्ष कृषि अर्थशास्त्र में अनुभवी एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होगा। तीन सदस्यों में से एक सांख्यिकी का ज्ञान रखने वाला, दूसरा अर्थशास्त्री या कृषि विशेषज्ञ या कृषि का अनुभव रखने वाला प्रशासक होगा और तीसरा कृषि उत्पादन तथा उपभोक्ता समस्याओं की जानकारी रखने वाला एक गैर-सरकारी सदस्य होगा।

राष्ट्रीय बीज निगम में कर्मचारी

8171. श्री महीलाल : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में और विशेषकर जून 1978 से राष्ट्रीय बीज निगम में कुल कितने कर्मचारियों और अधिकारियों की श्रेणीवार, पदोन्नति हुई है;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की, श्रेणीवार संख्या कितनी है; और

(ग) यदि इस अवधि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित किसी अधिकारी/कर्मचारी की पदोन्नति नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) 1978 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम में नियमित आधार पर की गई प्रोन्नतियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) संलग्न विवरण से पता चलता है कि 1978 के दौरान अनुसूचित जातियों के छह व्यक्ति प्रौन्नत किये गये थे, परन्तु अनुसूचित जनजातियों का कोई व्यक्ति प्रौन्नत नहीं किया गया था, इसका कारण यह है कि प्रौन्नत के प्रयोजन के क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति उपलब्ध नहीं था।

विवरण

1978 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम में नियमित आधार पर की गई प्रोन्नतियों का ब्यौरा

	1-1-78 से 31-5-78 तक पदोन्नत किए गए कर्मचारियों की संख्या				1-6-78 से 31-12-78 तक पदोन्नत किए गए कर्मचारियों की संख्या				टिप्पणी
	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जन-जातियां	दूसरे	योग	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जन-जातियां	दूसरे	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
श्रेणी "क"	—	—	—	—	—	—	—	—	1-1-1979 से
श्रेणी "ख"	3	—	12	15	—	—	2	2	22-4-1979
श्रेणी "ग".	3	—	17	20	—	—	—	—	तक के दौरान
श्रेणी "घ"	—	—	—	—	—	—	—	—	कोई पदोन्नति नहीं की गई है।
कुल योग	6	---	29	35	—	—	2	2	

टिप्पणी : श्रेणी "क" उन कर्मचारियों को निर्दिष्ट करता है, जिनका वेतन तथा वेतनमान 1200 रु० से कम नहीं है।

श्रेणी "ख" उन कर्मचारियों को निर्दिष्ट करता है, जिनका वेतन तथा वेतनमान 900 रु० से कम नहीं परन्तु 1200 रु० से कम है।

श्रेणी "ग" उन कर्मचारियों को निर्दिष्ट करता है, जिनका वेतन तथा वेतनमान 260 रु० से अधिक और 900 रु० से कम है।

श्रेणी "घ" उन कर्मचारियों को निर्दिष्ट करता है, जिनका वेतन तथा वेतनमान 260 रु० और उससे कम है।

मध्य प्रदेश को ललितपुर नहर से सिंचाई संबंधी सुविधाएं देने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच समझौता

8172. **श्री भारत सिंह चौहान :**

श्री छबिराम अर्गल :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ललितपुर नहर से मध्य प्रदेश को सिंचाई संबंधी सुविधाएं देने के लिए वर्ष 1972 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच कोई समझौता हुआ था ; यदि हां, तो मध्य प्रदेश में अब तक सिंचाई संबंधी सुविधाएं न दिए जा सकने के कारण क्या हैं; और

(ख) क्या समझौते की शर्तों के अनुसार सिंचाई सुविधाएं न दिये जाने के कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) ललितपुर बांध से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले को सिंचाई के लिए जल सप्लाई करने के बारे में 1-8-72 को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य इंजीनियरों के बीच एक करार हुआ था। दोनों राज्यों के सिंचाई विभागों के बीच इन बातों के बारे में बातचीत चल रही है कि कितना जल छोड़ा जाएगा, उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाली नहर के पहले 4 किलोमीटर लम्बे भाग को कौन-सी एजेंसी क्रियान्वित करेगी और नहरों तक बांध के अनुरक्षण पर होने वाले व्यय का बंटवारा किस प्रकार होगा। इस बात की सम्भावना है कि मध्य प्रदेश सरकार टीकमगढ़ जिले को सिंचाई प्रदान करने के लिए नहर के निर्माण-कार्य को 1979-80 में हाथ में लेगी ।

(ख) सिंचाई एक राज्य विषय है, इसलिए सिंचाई परियोजनाओं को अन्वेषण करने, तैयार करने और क्रियान्वित करने का काम राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में नियुक्त अभिरक्षकों द्वारा चीनी की बिक्री

8173. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश चीनी मिलों में नियुक्त अभिरक्षकों ने कम मूल्यों पर चीनी बेची है जब कि चीनी के मूल्यों में तेज़ी से वृद्धि हो रही है और प्रस्तुत परिस्थितियों में एक ही दिन में इतनी बड़ी मात्रा में चीनी बेचे जाने का क्या औचित्य है ;

(ख) अभिरक्षक नियुक्त किये जाने के बाद रज़ा बुलन्द-शूगर मिल में, तिथिवार, कितनी मात्रा में चीनी बेची गई ; और

(ग) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का कोई उपाय करने का विचार है कि अभिरक्षकों द्वारा मन मर्जी के भाव पर चीनी न बेची जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) अधिकार में लिए गए यूनिटों के कार्य कलापों के दैनिक प्रबन्ध की जिम्मेदारी संबंधित अभिरक्षकों की है जिन्हें बाज़ार प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर वाणिज्यिक दृष्टि से विक्री आदि का प्रबन्ध करना होता है। चीनी उद्योग के सरकारी क्षेत्र द्वारा अपनाई गई पद्धतियों को ध्यान में रखकर और सर्वोत्तम सम्भव मूल्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से उनके अपने सर्वोत्तम निर्णय द्वारा बिक्री की जाती है।

(ख) रज़ा बुलन्द शूगर मिल को अधिकार में लेने से उसकी चीनी की तारीखवार बिक्री सम्बन्धी विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार अधिकार में लिए गए यूनिटों के प्रबन्ध, जिनमें बिक्री और समय-समय पर उनकी समीक्षा करना शामिल हैं, के प्रमुख पहलुओं पर नियतकालिक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर रही है ।

विवरण

रज़ा बूलदं शूगर मिल, रामपुर द्वारा फरवरी, 1979 माह से आगे की गई चीनी की बिक्री के तारिखवार आंकड़े बताने वाला विवरण

(मात्रा बोरियों में)

तारीख	1976-77 मोसम सी-30 (नमीदार)		1977-78 मौसम (पुरानी चीनी)						1978-79 मौसम (नई चीनी)				कैफियत
			सी-30		बी-30		डी-30		सी-30		बी-30		
	दर	मात्रा	दर	मात्रा	दर	मात्रा	दर	मात्रा	दर	मात्रा	दर	मात्रा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1-2-79									185/-	300			
4-2-79									183.50	700	189/-	200	
											190/-	100	
5-2-79	173/-	164							184.50	2601			
6-2-79									188/-	120	193/-	100	
9-2-79			174/-	1200					186.50	1800			
11-2-79			173.50	8500*			165/-	1800	186.50	1000*	191.50	1000	
12-2-79			(173.50	13500*	177/-	4500*			186.50	1000"	191.50	1000*	
			(174.00	1000*									
20-2-79									184/-	50	189/-	50	
21-2-79											190/-	300	
22-2-79			173/-	200							190.50	310	
2 -2-79									184/-	2823	190/-	352	
									185/-	334			

2-3-79	173.50 1000				184/- 3000	189/- 1000	
3-3-79	173.50 800	177.50	200		185/- 2500	190/- 2000	
					186/- 500		
4-3-79	174/- 200	178/-	100		186/- 500		
5-3-79	174/-1200				186/- 600	191/-	500
					187/- 300	192/--	200
6-3-79	178/-4100	182/-	500		190/- 4200	195/-	2000
7-3-79	180/-3500	184/-	1000		192/- 2500	197/-	500
8-3-79	183/- 500	188/-	500		192/- 1500	197/-	500
					195/- 500	200/-	500
9-3-79	184/- 500				197/- 800	202/-	200
12-3-79	190/- 200				204/- 100	209/-	100
17-3-79	197/- 980	198/-	500	202/- 1500	208/- 1620		
					209/- 500		
18-3-79	198/- 500				209/- 500		
	198.50 1300				209.50 1300		
	200/- 500				210/- 900		
19-3-79	199/- 1700			175/-3115(a)**	209/- 520/-		
	200/- 1350			175/-11150(b)**	210/- 1238		
	202/- 520				211/- 1200		
	204/- 1220				213/- 200		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	205/–	450							215/–	220			
	206/–	1550							216/–	100			
	208/–	2000							219/–	220			
	209/–	220											
		9010								3698			
22-3-79	228/–	1000											
23-3-79	228/–	500											
26-3-79	220/–	1000							230/–	1000			
	222/–	1500							232/–	1000	237/–	500	
27-3-79	222/–	1000	219/–	2500					232/–	1000	237/–	500	
28-3-79	223/–	500	219/–	500			234/–	150	233/–	500			
	225/–	500	222/–	500				50	235/–	500			
	227/–	500							238/–	500	243/–	500	
									240/–	600			
29-3-79	226/–	500	219/–	500					236/–	500	खरीददार को पहले दिन की पेशकश की पुष्टि की गई ।		
	227/–	1200											
30-3-79	220/–	300											
	(नमीदार)												

2-4-79			185/–	3777			
3-4-79	228/–	200					
	229/–	550					
4-4-79					240/–	200	
7-4-79	229/–	550			239/–	550	
10-4-79	229/–	550					244/– 550

*तारक बिक्री में से 27059 बोरियों के सौदे रद्द कर दिये गये थे क्योंकि संबंधित एजेंटों ने फैक्ट्री के एजेंट के रूप में कार्य न करने की इच्छा की थी और प्रत्याशा यह थी कि बाद में मूल्य में वृद्धि हो सकती है और इसके रद्द करने के कारण कम्पनी को नुकसान नहीं होगा । यह प्रत्याशा सही निकली जब पुरानी चीनी के मूल्य में प्रति बोरी 229/– रुपये तब और नई सी-30 ग्रेड की चीनी के मूल्य से प्रति बोरी 240/– रुपये की वृद्धि हुई जबकि ये सौदे 173.50 रुपये और 6.50 प्रति बोरी के हिसाब से हुए थे ।

*1977-78 का स्टाक था । 'ए' बदरंग चीनी का ई-29 था और 'बी' 'ई-बिस' था इसे या तो फिर से विधायन करने के बाद अथवा अधिक खपत वालों को बेचा जाना था । पहले कई पार्टियां इसकी खरीदारी के लिए आई और उन्होंने प्रति बोरे 155/– रुपये कीमत देने की पेशकश की थी । तदनुसार, जब 175/– रुपये अर्थात् प्रति बोरे की 20/– रुपये अधिक की पेशकश की गई तो उसका अनुमोदन कर दिया गया था ।

दिल्ली की नगरीय आबादी को नगर निगम के पानी का सप्लाई न किया जाना

8174. श्री सी० आर० महाटा : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के 40 प्रतिशत नगरीय लोगों को नगर निगम का पानी सप्लाई नहीं किया जाता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में अकाल की आशंका के बारे में अमरीका के अधिकारी के विचार

8175. श्री शंकर सिंह जी बाघेला :

श्री मुख्तियार सिंह मौलिक :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में विदेश विभाग के एक उच्च अधिकारी ने चेतावनी दी है कि छः वर्षों के अन्दर एशिया के कुछ भाग में अकाल पड़ेगा ;

(ख) क्या यह भी कहा गया है कि एशिया का प्रमुख उत्पादक भारत को खाद्यान्नों की खेती को अभूतपूर्व सफलता मिली है, परन्तु स्थिति बदल सकती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार विश्व खाद्य परिषद के अध्यक्ष ने एशिया तथा प्रशान्त विषयक आर्थिक और सामाजिक आयोग के 35वें अधिवेशन में कहा था कि आगामी छः वर्षों के अन्दर एशियायी क्षेत्र में अनाज की गंभीर कमी होने की संभावना है। पता चला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उप-राज्य सचिव ने प्रतिनिधि सभा की एशिया और प्रशान्त मामलों से संबंधित उप समिति के सामने कहा है कि यद्यपि भारत ने अच्छी फसल के फलस्वरूप गत 3 वर्षों में प्रगति की है तथापि प्रति व्यक्ति आय के अनुसार यह अब भी विश्व के सब से गरीब देशों में से एक है।

(ग) 1978-83 की चालू योजना के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में 3.03 से 3.60 प्रतिशत तथा सम्पूर्ण कृषि उत्पादन में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस लक्ष की प्राप्ति सिंचाई, कुल फसल के क्षेत्र तथा सस्य सघनता में वृद्धि करके और आदानों के अधिक प्रयोग से कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देकर की जायेगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने 120 लाख मीटरी टन खाद्यान्न का बफर स्टाक बना रखा है ताकि विपरीत मौसम वाले वर्षों में सप्लाई की पूर्ति की जा सके।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सौन्दर्य प्रतियोगिता आयोजित किया जाना

8176. श्री एस० एस० सोमानी :

श्री दलपत सिंह परस्ते :

श्री सरत कार :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्रीमती पार्वती देवी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अभी हाल ही में एक सौन्दर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए सरकार की अनुमति मांगी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं और अगर अनुमति नहीं दी गई, तो सरकार के विचार में विश्वविद्यालय परिसर में वातावरण सौन्दर्य प्रदर्शन का होना चाहिए अथवा वह ज्ञान और अध्ययन का होना चाहिए ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी सौन्दर्य प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया था । विश्वविद्यालय को तो केवल समाचार-पत्रों तथा दीवार-पोस्टरों से यह ज्ञात हुआ था कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने 23 मार्च, 1979 को तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली में एक सौन्दर्य व्यक्तित्व प्रतियोगिता आयोजित की थी ।

(ख) और (ग) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय से इस प्रतियोगिता के आयोजन की न तो कोई अनुमति मांगी गई थी और न ही मंत्रालय द्वारा कोई अनुमति दी गई थी । सरकार तो यह आशा करती है कि सभी शिक्षा संस्थाएं शिक्षा का केन्द्र बनें और शिक्षा तथा संस्कृति के विकास में अपनी उचित भूमिका निभाएं ।

"हाऊ टू सालवेज अवर एकानमी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

8177. डा० रामजी सिंह : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25-31 मार्च, 1979 की "द इलसट्रेटिड वीकली" में "हाऊ टू सालवेज अवर एकानमी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) सरकार कृषि उत्पादन में 3 प्रतिशत प्रति हैक्टार की वृद्धि का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर सकेगी ;

(ग) इसके लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या आगामी दो वर्षों के बाद सूखे की स्थिति पैदा होने की आशंका है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 25-31 मार्च 1979 की इलस्ट्रेटेड वीकली आफ इंडिया में प्रकाशित "हाऊ टू सालवेज अवर इकोनामी" नामक लेख में लेखक ने अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात पर बल दिया है कि कृषि का असली कार्य खाद्यान्नों, कच्ची कपास, खाद्य तेलों आदि का फालतू उत्पादन करना है। खाद्यानों, कपास तथा तिलहनों समेत कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के भाव के रूप में पहले ही समेकित प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) चालू पंचवर्षीय योजना (1978-83) के तहत सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र के लिए लगभग 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि-दर का उद्देश्य है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृषि कार्यक्रमों में बढ़े हुए पूंजी निवेष के जरिय भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सिंचाई के विस्तार, दो फसली तथा बहुफसली खेती के जरिए बोए जाने वाले क्षेत्र को बढ़ाने और फसल उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय किए जा रहे हैं। उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :— समस्या उन्मुखी अनुसंधान को तेज करना, बढ़िया किस्म के बीजों का उत्पादन और वितरण, उर्वरकों, खादों तथा वनस्पति रक्षण उपायों का अधिक प्रयोग, कमान क्षेत्रों का विकास, आदानों व संस्थागत ण ऋकी सप्लाई, विपणन और विस्तार तथा प्रशिक्षण आदि के लिए अवस्थापनाओं की व्यवस्था करना।

(घ) दो वर्ष पहले ही सूखा पड़ने का पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का उपलब्ध किया जाना

8178. डा० रामजी सिंह :

श्री छीतूभाई गामित :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान देश के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ;

(ख) इस योजना पर कुल कितनी धन राशि खर्च होने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या इस बारे में राज्यों से परामर्श किया गया है और यदि नहीं तो क्या भविष्य में सरकार का ऐसा करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष 1979 के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) सभी बच्चों के लिए कक्षा VIII तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था (पैरा 3.4.2) तथा

(ii) स्कूली कार्यकलापों के एक अभिन्न अंग के रूप में स्कूलों के बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था (पैरा 2.9.28)

राष्ट्रीय कार्रवाही योजना, जिसमें उपरोक्त दो मुद्दें शामिल हैं, कार्यान्वियन के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सामने हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा सहित-स्कूली शिक्षा, मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है तथा इसका प्रबन्ध अधिकांशतः उन्हीं के द्वारा किया जाता है ; तथा स्वास्थ्य राज्य विषय है।

स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने से सम्बन्धित संविधानिक निर्देश का अनुपालन करते हुए पूरे देश में सरकारी स्कूलों और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों में सभी बच्चों के लिये कक्षा I—IV तक शिक्षा पहले से ही निःशुल्क है। यह सभी राज्यों में कक्षा VI—VIII तक भी निःशुल्क है केवल उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को छोड़ कर, जहां अभी लड़कों की शिक्षा निःशुल्क नहीं है।

16 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों में अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा अधिनियम है। तथापि इन अधिनियमों के दण्ड-प्रावधान लागू नहीं किये गये है क्योंकि दाखिला न लेने तथा उपस्थित न होने के पीछे सामाजिक-आर्थिक कारण हैं।

6—14 आयु वर्ग के बच्चों के लिये प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के सरकार के निर्णय के अनुसार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा इसे सर्वसुलभ बनाने के लिये मास्टर योजनायें तैयार की गई हैं। प्रारम्भिक शिक्षा की मास्टर योजनायें और छटी योजना के कार्यक्रम तैयार करने में राज्य सरकारों का मार्गदर्शन अगस्त, 77 और जुलाई, 1978 में हुये शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलनों के संल्कपों में निर्दिष्ट नीति ढांचे, प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने से सम्बन्धित कार्यदल की रिपोर्ट में निर्दिष्ट नीति और सिफारिशें और योजना आयोग तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विस्तृत मार्गदर्शी रूप रेखाओं से होता है।

योजना आयोग ने 78—83 योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के लिये 900 करीड़ रुपये उपलब्ध कराना स्वीकार कर लिया है। प्रारम्भिक शिक्षा के लिये योजना के राज्य क्षेत्र में परिव्यय 95.14 करोड़ रुपये अथवा शिक्षा के लिये कुल आयोजना बजट का 46.3% होने की सम्भावना है।

बच्चों के लिये स्वास्थ्य सेवायें

बच्चों के लिये स्वास्थ्य सेवायें राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा छोटे कस्बों, शहरी क्षेत्रों के नगरों में फैले हुये 5400 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 40,000 उप-केन्द्रों तथा अनेक शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालों, चिकित्सा कालेजों, प्रसूति-गृहों इत्यादि के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों की सहायता करने के लिये कई योजनायें प्रायोजित की हैं। वर्ष 1979-80 के दौरान जो कि अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में ही पड़ता है,

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बच्चों की स्वास्थ्य सम्बन्धी देख-भाल को प्रोत्साहन देने के लिये निम्नलिखित कदम उठायें जा रहे हैं :

1. टीका लगाना

(i) रोहिणी, कुकुरखांसी तथा टेटनस से बचाव के लिये 120 लाख बच्चों को टीका लगाना ।

(ii) रोहिणी तथा टेटनस से बचाव के लिये 200 लाख बच्चों को टीका लगाना ।

(iii) 130 लाख बच्चों को बी०सी०जी० का टीका लगाना ।

(iv) 50 लाख बच्चों को मियादी बुखार का टीका लगाना ।

(v) 320 लाख बच्चों को चेचक का टीका लगाना ।

(vi) 2 लाख बच्चों को खसरे का टीका लगाना ।

(vii) 6.70 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के लिये टीका लगाना ।

(viii) 60 लाख माताओं को टेटनस का टीका लगाना ।

2. रोग निरोधन

(i) 250 लाख बच्चों को विटामिन ए की कमी के कारण अंधेपन का रोग निरोधन ।

(ii) 110 लाख माताओं तथा 110 लाख बच्चों का पौषणिक रक्त क्षीणता के विरुद्ध रोग निरोधन ;

(iii) 1 लाख परम्परागत जन्म परिचरों (दाईयों) को प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें दाईयों का सामान प्रदान करना ।

(iv) 5 राज्यों के 12 जिलों के चुने हुये क्षेत्रों में दाईयों को सक्रिय रूप से शामिल करके एम० जी० एच० सेवाओं को तीव्र करना। इसके लिये प्रत्येक दाई को 50 रु० मानदेय तथा 100 रु० प्रति वर्ष मूल्य की दवायें तथा मरहम-पट्टियां देनी होती हैं ।

(v) शेष सभी जिला मुख्यालय अस्पतालों में बाल-चिकित्सा यूनिटों की स्थापना जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिये रेफरल सेवायें भी प्रदान करेंगे ।

(vi) चुने हुये जिला मुख्यालय अस्पतालों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधिक चिकित्सकों का मातृक तथा बाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में सेवा कालीन प्रशिक्षण ।

(vii) एम० सी० एच० योजना के सभी अवयवों तथा अर्ध चिकित्सा कर्मचारियों से सम्बन्धित शैक्षणिक सामग्री मार्गदर्शी रूपरेखाओं का निर्माण तथा वितरण ।

(viii) स्वास्थ्य से सम्बन्धित ज्ञान तथा बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य की आदतों के बारे में प्रशिक्षण देने के लिये प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के प्रयोग के लिये एक पुस्तिका तैयार करना ।

(ix) बच्चों तथा गर्भवती और रतन्यदा माताओं को स्वास्थ्य पोषण तथा पूर्व स्कूल शिक्षा सेवायें उपलब्ध करने के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा 50 अतिरिक्त समेकित बाल विकास सेवा (स वा वि से) परियोजनाओं की स्थापना ।

(x) अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के अवसर पर भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई कार्यवाही की व्यापक योजना के अन्तर्गत इस वर्ष के दौरान बच्चे की देखभाल करने के महत्व तथा आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाने के लिये विभिन्न अन्य प्रयास भी किये गये हैं ।

वर्ष 1979-80 में केन्द्र प्रायोजित योजना के लिये कुल वित्तीय परिव्यय 605 लाख रुपये है ।

स्वास्थ्य एक राज्य बिषय होने के नाते राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद की संयुक्त बैठक में विचार-विमर्श किया जाता है जिसमें अन्यों के साथ-साथ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी भाग लेते हैं। परिषद की अगली बैठक में जोकि 27-29 अप्रैल, 1979 को होगी, अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान किये जाने वाले कार्यक्रम कार्यकलापों पर विचार-विमर्श किया जायेगा।

प्रवेश पाने वाले तथा बीचमें पढ़ाई छोड़ देने वाले आदिवासी बच्चों की संख्या

8179. श्री पी० ए० संगमा :

श्री बागुन सुम्बरुई :

श्री आथू सिंह :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा प्रवेश में आदिवासी बच्चों की संख्या कम रहने तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने बालों की संख्या अधिक रहने के बारे में कोई विश्लेषण किया है;

(ख) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुकूल पाठ्यक्रम निर्धारित करने का है और उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां ; जनजातीय बच्चों के दाखिलों की कम दरों और स्कूल छोड़ने की ऊंची दरों के कारणों का पता लगाने के लिए विभिन्न अध्ययन किए गए हैं। कारण यह है कि :–

1) निर्धनता जिसके कारण जनजातीय बच्चों के लिए घर का कामकाज करना और परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए कमाना आवश्यक हो जाता है;

2) माता पिता की निरक्षरता और शिक्षा के प्रति उनकी उदासीनता ;

3) कुपोषण, खराब स्वास्थ्य और स्कूल जीवन में रुचि का अभाव ;

4) दूर-दराज के थोड़ी-थोड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं की कमी ;

5) जनजातीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों की कमी और मातृभाषा से भिन्न किसी अन्य माध्यम द्वारा शिक्षण ।

(ख) एफ निश्चित समय-सीमा में प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के सरकारी कार्यक्रम के प्रसंग में निम्नलिखित उपाए किए गए हैं और किए जा रहे हैं :

(क) प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने से सम्बन्धित कार्यदल की सिफारिश के अनुसार राज्यों द्वारा जनजातीय बच्चों के लिए उप-योजना क्षेत्रों और उप-योजना क्षेत्रों से बाहर के आदिवासियों दोनों ही के लिए प्रारम्भिक शिक्षा की पृथक-पृथक योजनाएं तैयार की गई हैं ।

(ख) उनके लिए नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें और लेखन सामग्री, नि:शुल्क वर्दियां, उपस्थिति छात्रवृत्तियां और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था जैसे प्रोत्साहन कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया गया है ।

(ग) भारतीय भाषाओं के केन्द्रीय संस्थान मैसूर ने 17 जनजातीय भाषाओं की भाषायी सामग्री पहले ही प्रकाशित कर दी है जबकि 18 अन्य भाषाओं की इसी प्रकार की सामग्री छप रही है और सामग्री के लिए कार्य किया जा रहा है ।

(घ) कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में मातृ-भाषा के माध्यम से शिक्षण शुरू कर दिया गया है ।

(ङ) ऐसे जनजातीय क्षेत्रों में जहां थोड़ी-थोड़ी आबादी है स्कूल सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्कूल के स्थानों की दूरी से सम्बन्धित मानदण्डों में ढील दे दी गई है और आश्रमों जैसे अधिक स्कूल (आवासीय) खोलने की व्यवस्था की गई है ।

(ग) जी, हां । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने "प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या नवीकरण" सम्बन्धी एक परियोजना आरम्भ की है जिसका उद्देश्य है जनजातीय क्षेत्रों सहित वंचित लोगों की आवश्यकताओं के अनुकूल नवीकृत पाठ्यचर्याएं विकसित करने में राज्यों की सहायता करना । इस समय 15 राज्यों में चल रही इस परियोजना को शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है ।

विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता की शिक्षा दिया जाना

8180. श्री ए० सी० संगमा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है ;

(ख) क्या नार्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग में पत्रकारिता का पाठ्यक्रम पढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जिन विश्व-विद्यालयों में पत्रकारिता का पाठ्यक्रम है उनकी एक सूची संलग्न है ।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी पत्रकारिता का एक अल्प कालिक पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव पर अभी तक विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा कोई अन्तिम निणर्य नहीं लिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	विश्वविद्यालय	स्तर जिसका पाठ्यक्रम उपलब्ध है
1.	अलीगढ़	डिप्लोमा
2.	बनारस	स्नात्तकोत्तर डिप्लोमा
3.	बंगलौर	बी० एस० (संचार), और एम० एस० (संचार)
4.	कलकत्ता	एम० ए०/एम० एस-सी०
5.	गुहाटी	डिप्लोमा
6.	गढ़वाल	डिप्लोमा
7.	जबलपुर	डिप्लोमा
8.	मराठावाडा	स्नातक डिग्री (बी० जे०)
9.	मैसूर	एम० ए०
10.	नागपुर	बी० जे०
11.	उस्मानिया	बी० एल० और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
12.	पंजाब	बी० जे०
13.	पूना	पत्रकारिता में डिग्री (पी० जी०)
14.	पंजाबी	डिप्लोमा (बी० जे०)
15.	राजस्थान	डिप्लोमा
16.	शिवाजी	प्रमाण पत्र
17-	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	बी० ए० पत्रकारिता तीन वर्षीय पाठ्यक्रम
18.	मद्रास	पत्रकारिता में डिग्री पाठ्यक्रम
19.	केरल	एम० जे०
20.	ब्रह्मपुर	बी० जे०
21.	कालिकट	बी० जे०
22.	महार्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	बी० जे०
23.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	कृषि पत्रकारिता एम० जे०

दिल्ली में टेलीविजन कैमरामैनों को होस्टल आवास

8181. श्री एम० ए० हनान अलहाज :

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन कैमरामैनों ने जनरल पूल से होस्टल आवास के लिए अनुरोध किया है (जुलाई 78–दिसम्बर, 1980) ;

(ख) क्या उन्होंने अनुरोध के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र भी भेजा था ;

(ग) टेलीविजन कार्यालय के निकट होस्टल आवास आवंटित न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि कैमरामैनों को शिफ्ट ड्यूटी पर और विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है ; और

(घ) किस निश्चित तिथि को आवंटन किया जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :(क) तथा (ख) अब तक तैयार की गई प्रतीक्षा सूची में कोई टेलीविजन कैमरामैन नहीं है । एक कैमरामैन ने चिकित्सा के आधार पर तदर्थ आवंटन के लिए आवेदन किया है परन्तु अनुरोध के साथ कोई चिकित्सा प्रमाण-पत्र नहीं भेजा गया है ।

(ग) किसी टेलीविजन कैमरामैन को उनकी ड्यूटियों की प्रकृति को देखते हुए कोई विशेष प्राथमिकता नहीं दी जाती ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वनों के अन्तर्गत क्षेत्र का अनुमान

8182. श्री रामानन्द तिवारी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनों के क्षेत्रफल सम्बन्धी आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस त्रुटि को दूर करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ;

(ग) क्या कुछ समय पूर्व उपग्रह द्वारा वनों के क्षेत्रफल का सही अनुमान लगाया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक उसकी रिपोर्ट प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, नहीं । कृषि और सिंचाई मंत्रालय के पास उपलब्ध वन क्षेत्र के आंकड़े, जो भारतीय वन सांख्यिकी में प्रकाशित किए जाते हैं, विभिन्न राज्यों के वन विभागों से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित हैं । ये आंकड़े वार्षिक आधार पर एकत्र किए जाते हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

राज्यों को आवास और जल सप्लाई योजनाओं के लिए अतिरिक्त मात्रा में आवास अनुदान दिया जाना

8183. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र और नागालैण्ड जैसे कुछ राज्यों को आवास और ग्रामीण जल सप्लाई योजना के लिए अतिरिक्त मात्रा में सहायता अनुदान मंजूर किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक की राज्य सरकार ने भी राज्य में गृह निर्माण और ग्रामीण जल सप्लाई योजना के लिए अधिक मात्रा में धनराशि का नियतन किए जाने के लिए अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था ; और

(घ) वर्ष 1978-79 के दौरान इस बारे में राज्य सरकार को कुल कितनी सहायता दी गई ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), 1978-79 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र और नागालैण्ड सहित कुछ राज्यों को सम्मिलित करके समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल की पूर्ति हेतु अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति की गई । आवास राज्य का विषय होने के कारण केन्द्रीय क्षेत्र में बागान कर्मचारियों के लिए आवास की केवल एक परियोजना है जो कि केवल असम, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक तथा केरल में चालू है । अन्य सभी आवास परियोजनाएं राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं ।

(ख) तथा (ग) 1978-79 के दौरान कर्नाटक सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जलपूर्ति के लिए अतिरिक्त निधियां नहीं मांगीं । मगर उन्होंने बागान कर्मचारियों के लिए आवास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 1.134 लाख रुपये तथा 1.290 लाख रुपयों का ऋण सहायता के रूप में मांगा। उस राज्य को कोई निधि नहीं दी गई क्योंकि उनके पास पिछले वर्षों से संबंधित खर्च न किया गया 10.86 लाख रुपया बतौर ऋण तथा 8.71 लाख रुपये बतौर सहायता के शेष था।

(घ) 1978-79 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्नाटक सरकार को 107.70 लाख रुपये (2.70 लाख रुपये प्रबोधन तथा अनुसंधान एककों को शामिल करके) शत प्रतिशत अनुदान के रूप से समस्याग्रस्त ग्रामों के लिए स्वच्छ पेयजल पूर्ति की परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए दिए गए ।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में परीक्षा-निरीक्षकों के रूप में कार्यरत डी०डी०ए० कर्मचारी

•8185. श्री के० ए० राजन : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से यह अनुरोध प्राप्त

हुआ था कि दिल्ली में हो रही परीक्षाओं हेतु परीक्षा निरीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण अपने कर्मचारी भेजे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) परीक्षा-निरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए कितने व्यक्ति भेजे गए ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं, किन्तु शिक्षा निदेशक, दिल्ली प्रशासन से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था ।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं 1979 के सिलसिले में 300 व्यक्तियों को तैनात करने के लिए सहमति दी थी जिनमें से 260 व्यक्तियों को निरीक्षण के काम पर लगाया गया था ।

क्लाइव स्कवायर, नई दिल्ली स्थित टाइप--1 क्वार्टरों में एक अतिरिक्त पंखे की व्यवस्था करना

8186. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

श्री बी० जी० हाण्डे :

श्री हरि शंकर महाले :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री डी०आई०जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली में बहुमंजिले क्वार्टरों में छत के पंखों के बारे में 17 जुलाई, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 73 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में क्लाइव स्कवायर के "क" ब्लाक में टाइप–1 क्वार्टरों में अब तक कितने अतिरिक्त पंखों की व्यवस्था की गई है ;

(ख) कितने क्वार्टरों में अभी तक अतिरिक्त पंखे प्रदान नहीं किए गए हैं ;

(ग) यदि अभी तक अतिरिक्त पंखे प्रदान नहीं किए गए हैं तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार अप्रैल, 1979 में वहां पंखे लगा देने का है ; और यदि नहीं, तो उसके कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में संसद् सदस्यों तथा उक्त बस्ती के निवासी कल्याण संगठन की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) क्लाइव स्कवायर, नई दिल्ली, के–ब्लाक के टाईप–I क्वार्टरों में अतिरिक्त छत के पंखों की व्यवस्था के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है । कार्य पहले ही आरम्भ किया जा चुका है।

(ख) 160 टाइप–1 क्वार्टर

(ग) यह स्वीकृति फरवरी, 1979 में ही जारी की गई थी । अपेक्षित संख्या में पंखे खरीद लिए गए हैं। यह क्वार्टरों में लगाए जाने हैं ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) जी, हां । स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है तथा कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष

8187. श्री युवराज : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के अवसर पर सरकार ने यह घोषणा की है कि बच्चों के कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों को इस वर्ष गति प्रदान की जायेगी ;

(ख) क्या मनीला में अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के उपलक्ष्य में विभिन्न देशों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ग) क्या 10 से 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों की संख्या भारत में सबसे अधिक है और यदि हां, तो कितनी है ;

(घ) क्या सरकार ने बच्चों की मृत्युदर में पांच प्रतिशत कमी लाने के लिए जोरदार प्रयास करने का निर्णय किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो बाल कल्याण कार्यक्रमों पर कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी और योजना कब तक पूरी की जायेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तथा (ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां । 10 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 6.87 करोड़ (1971 की जनगणना के अनुसार) है जो कुल जनसंख्या का 12.55 प्रतिशत है ।

(घ) तथा (ङ) भारत सरकार ने विश्व बाल वर्ष के लिये एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है । राष्ट्रीय कार्य योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और स्वंयसेवी क्षेत्रों द्वारा भी आवश्यक प्रक्षेत्रों में विशिष्ट कार्यक्रम आरम्भ किये जाने हैं जिन में बाल मृत्यु संख्या की दर में लगभग 5 प्रतिशत कमी करना शामिल है ।

वर्ष 1979-80 के लिए विभिन्न बाल कल्याण कार्यक्रमों हेतु निम्नलिखित नियतनों का प्रस्ताव है :—

कार्यक्रम	नियतन
	(रुपये लाखों में)
समेकित बाल विकास सेवाएं	574.50
बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम	175.00
देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सेवाएं	50.00
श्रमजीवी और बीमार महिलाओं के बच्चों के लिए शिशु केन्द्र	75.00

इसके अतिरिक्त निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 60 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की पोषाहार स्थिति में सुधार हेतु गहन ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भी 1979-80 में 269.68 लाख रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। खाद्य विभाग ने अपने 1979-80 के बजट में विभिन्न पोषाहार कार्यक्रम के लिए 369.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने बजट में 1979-80 के दौरान विशेष मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 605 लाख रुपये का प्रावधान किया है।

राज्य सरकारों से भी निवेदन किया गया है कि वे अपने वार्षिक योजनाओं और बजटों में बच्चों के कल्याण एवं विकास के लिए विश्व बाल वर्ष के कार्यक्रमों हेतु राशियों की व्यवस्था करें।

ये सभी कार्यक्रम/योजनाएं जारी रहने वाली हैं और विश्व बाल वर्ष के बीतने पर भी चलती रहेंगी।

महाराष्ट्र में सूखा-उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम का विस्तार

8188. श्री विजय कुमार एन० पाटित : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के इस अनुरोध पर विचार किया है कि राज्य सरकार की विशेषज्ञ समिति द्वारा बताये गये और अधिक क्षेत्रों में सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुरोध का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) छठी योजना के दौरान महाराष्ट्र में सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम को जारी रखने/विस्तार करने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) व (ग) महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 12 जिलों में सभी 87 तालुकाओं को केन्द्र द्वारा सहाय्यित सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के विस्तार के लिए हाल ही में अनुरोध किया है। इन क्षेत्रों का राज्य सरकार द्वारा 1972 में नियुक्त तथ्य-अन्वेषी समिति (सूखथांकर समिति) द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों के रूप में पता लगाया गया है।

राज्यों को पर्याप्त संसाधन सौंपे जाने के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा लिए गए निर्णय तथा तदुपरान्त केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटनों में कमी को देखते हुए कार्यक्रम का अतिरिक्त क्षेत्रों तक विस्तार करने का विचार नहीं किया जा रहा है तथापि, केन्द्र द्वारा सहाय्यित सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम छठी योजना के दौरान छः जिलों अर्थात् अहमदनगर, नासिक, पुपे, सांगली, सतारा तथा शोलापुर में पहले से ही अन्तर्गत लाए गए क्षेत्रों में जारी रहेगा।

हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता

8189. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में उन हिन्दी संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वित्त वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की गई और उन्हें किन प्रयोजनों के लिये तथा कितनी राशि प्रदान की गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : हिन्दी शिक्षकों/हिन्दी टंकण/आशुलिपि अनुदेशकों पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन, प्रकाशन तथा भवन परियोजनाओं इत्यादि से सम्बन्धित अनुमोदित खर्च के सरकारी हिस्से को पूरा करने के लिए देश की कई स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता मन्जूर की गई है। इन संस्थाओं के नाम तथा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उन्हें मन्जूर की गई धनराशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 4356/76]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा परिवहन निदेशालय को वैकल्पिक स्थान दिया जाना

8190. श्री पीयूष टिर्की : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने परिवहन निदेशालय को नोटिस भेजा है कि वह तिलक मार्ग स्थित अपने कार्यालय को खाली करे ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राधिकरण ने उनको कोई वैकल्पिक स्थान दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं। लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण ने परिवहन निदेशालय दिल्ली प्रशासन को सूचित किया है कि तिलक मार्ग नई दिल्ली में एक रिहायशी भवन को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 14/29(2) का उल्लंघन करके कार्यालय के प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाकर अनुरूप न होने वाले प्रयोग में लाया गया है और कि वे दिल्ली की बृहत्त योजना के अन्तर्गत विशेष अपील के उपबंधों के अनुसार निर्धारित शर्तों पर अस्थायी अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्ष 1979-80 के दौरान 'काम के बदले भोजन' कार्यक्रम के अधीन पश्चिम बंगाल को चावल दिया जाना

8191. श्री पीयूष तिरकी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979-80 के लिए 'काम के बदले भोजन' कार्यक्रम के अधीन पश्चिम बंगाल को आबंटित किये जाने वाले चावल की मात्रा के बारे में अब तक निर्धारण कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (ख) वर्ष 1979-80 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को दिए जाने वाले खाद्यान्नों का आबंटन अभी तक नहीं किया गया है। तथापि, पश्चिम बंगाल सरकार को पहली तिमाही के लिए 25,000 मीटरी टन चावल की मात्रा बंटित की गई है। चावल की और मात्रा उपयोग रिपोर्टों के प्राप्त होने पर बंटित की जाएगी।

वन नीति और वृक्षारोपण

8192. श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्धाधुंध और बड़े पैमाने पर वृक्षों को काटने और वन सम्पदा के विनाश से देश के विभिन्न भागों में बाढ़ों सहित पर्यावरण सम्बन्धी विभिन्न समस्याएं पैदा हो गई हैं ;

(ख) राष्ट्रीय वन नीति बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(ग) क्या सरकार वृक्षारोपण के पक्ष में जनमत तैयार करेगी और पुनः वन रोपण के लिये निश्चित क्षेत्रों में अभियान चलायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राज्यों के वन विभाग देश के कुल वन क्षेत्रों के 92.3 प्रतिशत भाग का नियंत्रण तथा देख-रेख करते हैं। कुल वन क्षेत्र का लगभग 49 प्रतिशत भाग असीमांकित, संरक्षित तथा अवर्गीकृत वन हैं। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काट-छांट तथा वन की कटाई की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में बाढ़ सहित अनेक पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

(ख) प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1894 में बनाई गई थी। 1952 में भारत सरकार ने एक नई वन नीति बनाई, जो अभी भी प्रचलित है। तथापि, चौथी लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने राष्ट्रीय वन नीति, 1952 में संशोधन करने की सिफारिश की थी, जिसके अनुसरण में राष्ट्रीय वन नीति का संशोधित प्रारूप तैयार किया गय है। केन्द्रीय वानिकी बोर्ड ने नवम्बर, 1978 को हुई अपनी बैठक में इसे स्वीकार कर लिया है तथा इसे भारत सरकार के संकल्प के रूप में अपनाने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत सरकार प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव एवं विश्व वन दिवस पर जनता से वन रोपण एवं वृक्षों की रक्षा करने के लिए अपील करती है। इसके अतिरिक्त 1975-76 से दो केन्द्रों द्वारा प्रायोजित सामाजिक वानिकी योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें सक्रिय जन सहयोग से अकृष्य भूमि, सामुदायिक भूमि आदि पर वृक्षारोपण करने पर जोर दिया जाता है। इन योजनाओं पर अभी तक 1851 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। "हिमालय क्षेत्र में समेकित मृदा एवं जल संरक्षण" नामक एक अन्य योजना भी क्रियान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य हिमालय क्षेत्र के काटे गये वृक्षों तथा बंजर भूमि में वनरोपण करना है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के गैर-अध्यापन कर्मचारियों के सावधिक वेतन-मान

8193. श्री अमर राय प्रधान : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के गैर-अध्यापन कर्मचारियों के लिये सावधिक वेतनमान लागू किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में भी उक्त योजना को क्रियन्वित करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के गैर-प्रशिक्षण स्टाफ के लिये प्रारम्भ ही से टाइम-स्केल लागू है ।

(ग) इसी प्रकार, अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण स्टाफ़ के लिए भी टाइम-स्केल पहले से ही लागू है ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन-मान

8194. श्री अमर राय प्रधान : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन-मान बढ़ा दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को अन्य केन्द्रीय विश्वविधालयों में क्रियान्वित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने 29/30 अप्रैल 1978 को हुई अपनी बैठक में 3.3.1978 को कुलपति द्वारा इस बात के लिये स्थापित समिति का सिफारिश का अनुमोदन कर दिया कि 1.3.1978 से (1) 196–232 रु० तथा 200–250 रु० के वेतनमान वाले श्रेणी IV स्टाफ को 210–270 रु० के वेतनमान में रखा जाये; और (2) 210–270 रु० के वेतनमान वाले स्टाफ को 260–350 रु० के वेतनमान में रखा जाए ।

(ग) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने, वित्त समिति जिसमें विज़ीटर के नामज़द होते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार से पहले परामर्श किए बिना ही, इन वेतनमानों का संशोधन कर दिया है । 17 अप्रैल, 1971 में हुई केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह स्वीकार किया गया था कि वेतनमानों का संशोधन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बताना आवश्यक है और यह पहले की तरह जारी

रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जब कभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के स्टाफ के वेतनमानों में आम तौर से संशोधन किया जाता है तब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति लेनी होती है। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की यह कार्रवाई समनुरूप नहीं है। अतः विश्वविद्यालय से अपने निर्णय को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। अतः ये वेतनमान अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यलयों में प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा गैर-शिक्षक कर्मचारियों के बारे में नियम

8195. श्री अमर राय प्रधान : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा गैर-शिक्षक कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और भत्ता पर लागू होने वाले नियम अलग-अलग हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) सरकार का विचार इन नियमों में एक रूपता लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा अपनायी गई गैर-शिक्षण स्टाफ की सेवा शर्तों से सम्बन्धित नियमावली और विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित अध्यादेशों की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शिक्षकों और गैर-शिक्षकों के वेतनमान वही हैं जो कि सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। शिक्षण और गैर-शिक्षण सारे स्टाफ को, निर्धारित वेतनमानों के अनुसार भत्ते दिए जाते हैं। शिक्षकों को जो एक मात्र अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध है वह है पट्टे पर आवास, वह भी सीमित अवधि के लिए है, उनके लिए जिन्हें विश्वविद्यालय परिसर में जगह नहीं दे सकता। विश्वविद्यालय द्वारा यह सुविधा अपने विकास की प्रारम्भिक अवस्था में, विख्यात विद्वानों को विश्वविद्यालय में आकर्षित करने के लिए दी गई है। यदि कोई शिक्षक पट्टे के मकान की सुविधा का लाभ उठाना नहीं चाहता तो वह उन्हीं दरों पर, मकान के किराए का हकदार है जो कि विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षण कर्मचारियों पर लागू है। भिन्न-भिन्न कार्यों वाले कर्मचारियों के लिए नियमों में पूरी समानता नहीं हो सकती और ऐसी कोई समानता लाने का प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है।

कृषि श्रमिकों द्वारा दिल्ली में 19 मार्च, 1979 को प्रदर्शन

8196. श्री अमर राय प्रधान : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों ने ग्रामीण निर्धनों के मूलभूत मामलों को उजागार करने के लिये 19 मार्च 1979 को संसद् भवन के समक्ष प्रदर्शन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उस मामले में क्या निर्णय है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि श्रमिकों ने अन्य बातों के साथ-साथ मूल भूमि सुधार कानूनों को लागू करने तथा भूमि की अधिकतम सीमा से फालतु बचने बाली भूमि के वितरण की मांग की है। इस दिशा में पहले ही कदम उठाए जा चुके है और राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश भूमि सुधार कानूनों को राष्ट्रीय मार्गदर्शन के अनुसार लागू कर रहे हैं। अधिकतम सीमा से फालतू बचने वाली भूमि भूमिहीन लोगों में वितरित की जा रही है। उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अधिकतम सीमा से बचने वाली 15.73 लाख एकड़ भूमि 10.80 लाख लाभानुभोगियों में वितरित की गई है। इन लाभानुभोगियों में से 50 प्रतिशत से भी अधिक लाभानुभोगी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो इस वर्ग से संबंधित नियतभागियों का कुल क्षेत्र का लगभग 48.5 प्रतिशत क्षेत्र प्राप्त हुआ है।

केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा फर्नीचर, बिजली आदि पर किया गया व्यय

8197. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 तथा वर्ष 1978 में फर्नीचर, बिजली तथा अन्य मदों पर अधिकतम व्यय करने वाले प्रथम पांच केन्द्रीय मंत्रियों के नाम क्या हैं ;

(ख) केन्द्रीय मंत्री तथा राज्य मंत्री द्वारा नियमानुसार कितना व्यय किया जा सकता है ; और

(ग) नियमों के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक व्यय करने वाले मंत्रियों के नाम क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) उन प्रथम पांच केन्द्रीय मंत्रियों के नामों का एक विवरण (विवरण-1) में दिया गया है जिन्होंने वर्ष 1977 तथा 1978 के दौरान बिजली और पानी पर अधिकतम धनराशि खर्च की। फर्नीचर से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) प्रत्येक मंत्री मण्डल स्तर के मंत्री और राज्य मंत्री वास के रिहायशी भाग में 38,500/- रुपये के मूल्य का फर्नीचर, बिजली के उपकरण ओर बातानुकूलक उपकरण आदि मुफ्त रखने के पात्र हैं। इस सीमा से अधिक की मदो के लिये संबंधित मंत्री से किराया प्रभार वसूल किये जाते हैं। रिहायशी भाग में प्रतिवर्ष 2,400/– रुपये तक का बिजली और पानी का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है और इस सीमा से अधिक व्यय संबंधित मंत्री से वसूल किया जाता है।

मकान के कार्यालय भाग के फर्नीचर, बिजली/पानी पर किया गया व्यय पूर्णतया सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(ग) उन मंत्रियों के नामों की सूची बिवरण–I में दी गई है जिन्होंने नियमों के अधीन अनुमेय सीमा से अधिक व्यय (फर्नीचर के अलावा) किया है।

विवरण एक

उन प्रथम पांच केन्द्रीय मंत्रियों के नामों का विवरण जिन्होनें वर्ष 1977 तथा 1978 के दौरान बिजली और पानी पर अधिकतम धनराशि खर्च की।

1977

सर्वश्री

1. जगजीवन राम
2. रविन्द्र वर्मा
3. एच० एन० बहुगुणा
4. शान्ति भूषण
5. सुरजीत सिंह बरनाला

1978

1. जगजीवन राम
2. बृज लाल वर्मा
3. सुरजीत सिंह बरनाला
4. अटल बिहारी वाजपेयी
5. रविन्द्र वर्मा

विवपण (दो)

उन मंत्रियों के नामों की सूची जिन्होंने नियमों के अधीन अनुमेय सीमा से अधिक व्यय (फर्नीचर के अलावा) किया है।

सर्वश्री

1. एच० एम० पटेल
2. एच० एन० बहुगुणा
3. जगजीवन राम
4. मधु दण्डवते
5. मोहन धारिया
6. पी० रामाचन्द्रन
7. पी०सी० चन्दर
8. रविन्द्र वर्मा
9. एस० एस० बरनाला
10. सतीश अग्रवाल
11. घन्नासिंह गुलशन
12. भानु प्रताप सिंह
13. एस० डी० पाटिल
14. जगदम्बी प्रसाद यादव

सर्वश्री

15. फजलुर रहमान
16. के० के० गोयल
17. राम कृपाल सिन्हा
18. करिया मुण्डा
19. श्रीमती रेणुकादेवी बरकतकी
20. समरेन्द्र कुण्डू
21. शेर सिंह
22. शान्ति भूषण
23. जार्ज फर्नान्डीस
24. कुमारी आभा मैत्री
25. जुल्फीकारुल्लाह
26. नरहरि प्रसाद सुखदेव साई
27. सिकन्दर बख्त
28. बृज लाल वर्मा

सर्वश्री	सर्वश्री
29. पुरुषोतम कौशिक	35. नरसिंह
30. अटल बिहारी वाजपेयी	36. राम किंकर
31. लारंग साई	37. ज्ञानेश्वर मिश्रा
32. आरिफ बेग	38. चरण सिंह
33. धनिक लाल मण्डल	39. राज नारायण
34. जगबीर सिंह	

काजू का अनुसंधान

8198. श्री जनार्दन पुजारी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में काजू पर अनुसंधान कार्य को सुदृढ़ बनाने और उसका विकास करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) काजू पर अनुसंधान पहले से ही काजू और मसालों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के अधीन केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों में पांच केन्द्रों पर चलाया जा रहा है । छठी योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में दो और केन्द्र खोलने और काजू पर अनुसंधान और प्रबंध को प्रभावी बनाने के लिए एक सहयोगी प्रायोजना समन्वयक एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

काजू पर अनुसंधान को केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान के विट्टल केन्द्र (कर्नाटक) में सुदृढ़ करने का भी प्रस्ताव है । एक काजू पर अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी ने भी, जो मार्च 79 में कोचिन में आयोजित हुई थी, काजू पर अनुसंधान को काजू जननद्रव्य स्रोतों के एकत्रीकरण और संरक्षण, वानस्पतिक प्रचार, प्रबंध पद्धतियां, "टी" मच्छर के नियंत्रण और फसल के बाद की प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अनुसंधान को गहन करने की सिफारिशें की थीं । ये सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

मत्सा परियोजना को मंजूरी

8199. श्री लहानू शिड़का कोम : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के जहाने जिले मत्सा परियोजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब मंजूरी दिये जाने की संभावना है ; और

(ग) इस परियोजना के अन्तर्गत कितनी भूमि के सिंचाई के अन्तर्गत लाये जाने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) संभवतः प्रश्न का संबंध महाराष्ट्र राज्य के थाने जिले में भाटसा परियोजना से है। भाटसा बहूद्देश्यीय परियोजना चरण-एक की परियोजना रिपोर्ट, जिसकी अनुमानित लागत 21.65 करोड़ रुपये है और जिससे 59,000 हैक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई होगी, केन्द्रीय जल आयोग को महाराष्ट्र सरकार से मार्च 1975 में प्राप्त हुई थी। आयोग की टिप्पणियां राज्य सरकार के पास फरवरी, 1976 में भेज दी गई थीं जिनका अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र सरकार की लम्बित (पेंडिंग) स्कीमों की स्थिति के बारे में राज्य के मुख्य इंजीनियर द्वारा केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के साथ अप्रैल, 1977 में विचार-विमर्श किया गया था और तब महाराष्ट्र के मुख्य इंजीनियर ने उन स्कीमों की सूची दी थी, जिन्हें आयोग में प्रोसेसिंग के लिए लम्बित माना जाना था। इस सूची में भाटसा परियोजना शामिल नहीं थी और इसलिए इसे केन्द्रीय जल आयोग में और आगे प्रोसेस नहीं किया गया।

हाल में फरवरी, 1979 में महाराष्ट्र सरकार ने आयोग में विचार किये जाने के लिए परियोजनाओं की एक सूची भेजी है और इस सूची में भाटसा सिंचाई परियोजना भी शामिल है। अब केन्द्रीय जल आयोग द्वारा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह पुरानी भाटसा परियोजना रिपोर्ट को अद्यतन बनाएं और उसे केन्द्रीय जल आयोग के पास और आगे कार्रवाई करने के लिए भेज दें।

महाराष्ट्र में रेल डाक सेवा की स्थिति

8200. श्री गंगाधर अप्पा बूरडि : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में रेल डाक सेवा की क्या स्थिति है और सार्टिंग आफिस कहां-कहां स्थित हैं ; और

(ख) क्या मराठवाडा डिवीजन में कुछ रेल डाक सेवा केन्द्र बन्द कर दिए गए हैं ; यदि हां, तो उसके क्या ारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) स्थिति संतोषजनक है। जिन स्थानों में सार्टिंग आफिस है विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित स्थानों में सार्टिंग आफिस हैं :–

1. अहमदनगर
2. धौण्ड
3. पुणे शहर
4. शोलापुर
5. कराड

6. कोल्हापुर
7. मिराज
8. पानाजी
9. सतारा
10. रत्नागिरी
11. औरंगाबाद
12. भुसावल
13. चालिस गांव
14. धुले
15. जलगांव
16. कल्याण
17. मनमाद
18. नादेंड
19. नासिक
20. परभनी
21. नागपुर
22. अकोला
23. अमरौती
24. गोडिया
25. मुर्तिजापुर
26. वर्धा
27. यवतमाल
28. बंबई आर०एम०एस० (जी पी ओ बिल्डिग)
29. दादर
30. बायकुला बंबई
31. एयर पोर्ट बंबई
32. उत्तर बंबई सार्टिंग
33. कुरूदूवाड़ी
34. स्यांन बंबई सार्टिंग

श्री विजय कुमार मलहोत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री बिनोवा जी के आमरण अनशन के बारे में कोई स्टेटमेंट दें ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बिनोवा भावे जी के बारे में लिखा है । सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए। उनका जीवन खतरे में है । वह अनशन पर हैं । श्रीमान आप मुझे बोलने दीजिए । मैंने आपको लिखा है । यह एक गंभीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए । मुझे विनोबा जी के अनशन के बारे में कई सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । मैं कल इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे रहा हूं । आज मैंने इस पर नियम 377 के अधीन मामला उठाने की अनुमति दी है । जहां तक इस पर स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है । मैं कारण पहले ही बता चुका हूं । अतः मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । कोई भी बात कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं की जायेगी ।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित मत कीजिए ।

(व्यवधान) **

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु संसद् सदस्य ने श्री प्रणब कुमार मुखर्जी के विरुद्ध अपने विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना में कहा है कि 19 जनवरी 1976 को राजस्व तथा बैंकिंग विभाग के तत्कालीन प्रभारी राज्य मंत्री ने लोक सभा में "आय और धन स्वैच्छिक प्रकटंन विधेयक" पर बोलते हुए अन्य बातों के साथ-साथ कहा "स्वेच्छा प्रकटन की योजना बहुत सफल सिद्ध हुई है और "अद्यतन उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा लगता है कि 2,42,400 व्यक्तियों ने अपनी आय की घोषणा की है और यह कुल राशि 741.24 करोड़ रुपये बैठती है । श्री बसु ने लोक लेखा समिति के 123वें प्रतिवेदन के आधार पर, जिसे 4 अप्रैल, 1979 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, कहा कि "श्री प्रणाब कुमार मुखर्जी का यह वक्तव्य गलत था" और कि "यह सभा के विशेषाधिकार के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है और इसे विशेषाधिकार समिति द्वारा निपटाया जाना चाहिए" ।

जिस वक्तव्य के बारे में श्री बसु ने शिकायत की है, वह इस सभा में 19 जनवरी, 1976 में दो अध्यादेशों को अनुमोदित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करते हुए दिया गया था । अध्यादेश संख्या 15/75, 8 अक्तूबर, 1975 को तथा अध्यादेश संख्या 23/75 29 नवम्बर, 1975 को जारी किए गए थे । इनका सम्बन्ध आय तथा धन के स्वैच्छिक प्रकटन से था । उस समय चर्चाधीन अध्यादेश के निरनुमोदन के लिए दो प्रस्ताव सभा के समक्ष थे । अपने भाषण के दौरान माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार कहा था :—

"जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, स्वेच्छा प्रकटन की योजना बहुत ही सफल रही है । अद्यतन उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ऐसा लगता है कि 2,42,000

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

व्यक्तियों ने अपनी आय तथा धन की घोषणा की है जो कि कुल 741.24 करोड़ रुपये बैठती है। प्रकट की गई आय पर 241.14 करोड़ रुपये की राशि कर के रूप में देय बनती है, जिसमें से 151.58 करोड़ रुपये का पहले ही भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि का भुगतान आंशिक रूप से इस वर्ष मार्च के अन्त तक कर दिया जाएगा और शेष का भुगतान मार्च, 1977 के अंत तक कर दिया जाएगा।

रद्द की गई सम्पत्तियों के बारे में 13,382 घोषणाएं की गई हैं। इन घोषणाओं के फलस्वरूप 812.11 करोड़ रुपए की राशि बनती है। प्रकट की गई सम्पत्ति पर 6.91 करोड़ रुपये का कर बनता है जिसमें से 3.99 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और शेष कर का भुगतान इस वर्ष मार्च के अंत तक किया जाएगा और शेष कर की राशि का भुगतान मार्च 1977 के अंत तक पूरा कर दिया जायेगा। स्वैच्छिक प्रकटन योजना से बड़ी मात्रा में छिपाई हुई आय तथा सम्पत्ति सामने आई है, जिसका उपयोग अब अर्थव्यवस्था के हित में उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में किया जायेगा। यह कोई छोटी-मोटी उपलब्धि नहीं है और यह सरकार के इस योजना को लागू करने के निर्णय को न्यायोचित ठहराती है।"

लोक लेखा समिति ने उपरोक्त प्रतिवेदन में कहा है कि राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के अनुसार भी सकल सम्पत्ति 841 करोड़ नहीं थी बल्कि यह 200 करोड़ रुपये के लगभग हो सकती है। उन्होंने आगे बताया है कि "समिति अपनी इस शंका को दूर नहीं कर पा रही है कि इस योजना द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को जानबूझकर बढ़ा चढ़ा कर बताने का प्रयास किया गया है जो कि वास्तविक उपलब्धि से चौगुनी अधिक बताई है और इस तरह से संसद् को तथा लोगों को गुमराह किया गया है।" समिति ने सिफारिश की है कि तथ्यों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए दोषी लोगों का पता लगाने हेतु स्वतन्त्र रूप से जांच की जानी चाहिए।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा लगता है कि इस सभा को जो जानकारी दी गई थी, वह बिल्कुल गलत थी। प्रश्न यह है कि क्या सभा को जानबूझ कर गुमराह किया गया है? यदि हां तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुझे आशा है कि सरकार अविलम्ब इन सब बातों की जांच करने का निर्देश देगी। ऐसा लगता है कि मानो इस सभा के साथ मजाक किया गया हों। मैं इस मामले को तब तक लंबित रख रहा हूँ जब तक कि जांच प्रतिवेदन प्राप्त होगा और आशा है जांच शीघ्र करवाई जायेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं · · ·

अध्यक्ष महोदय: अभी नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु: आप उन्हें तिथि दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको तिथि नहीं बता सकता (**व्यवधान**) कृपया शांत रहिए। मुझे आशा है कि सरकार शीघ्र अपना प्रतिवेदन देगी। मुझे सरकार में पूरा विश्वास है कि वे शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन पेश करेगी।

अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे। (**व्यवधान**) श्री बसु आपने कोई सूचना नहीं दी है। (**व्यवधान**) श्री मनोहर लाल आपको प्रक्रिया का पता है। मैंने प्रतिवेदन मांगा है। अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वर्ष 1979-80 के लिए संचार मंत्रालय के अनुदानों की ब्योरेवार मांगें

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

वर्ष 1979-80 के लिए संचार मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 4337/79]

वर्ष 1979-80 के लिए नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय के अनुदानों की ब्योरेवार मांगें।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : मैं श्री चांद राम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

वर्ष 1979-80 के लिए नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अनुदानों की ब्योरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 4338/79]

वर्ष 1977-78 के लिए पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की ब्योरेवार मांगें।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

वर्ष 1979-80 के लिए पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांग (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रत्ति।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 4339/79]

वर्ष 1979-80 के लिए विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय के अनुदानों की ब्योरेवार मांगें

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं श्री एस० डी० पाटिल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

वर्ष 1979-80 के लिए विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 4340/79]

सम्पत्ति कर अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्लाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(i) धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धनकर (संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 30 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 169 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 4341/79]

(ii) मुलम्मा चढ़ी पेटियों/चित्रों पर शुल्क की रियायती दर के विस्तारण के बारे में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 506 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 7 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 4342/79]

वर्ष 1979-80 के लिए भारतीय डाक और तार विभाग के अनुदानों की मांगें

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

वर्ष 1979-80 के लिए भारतीय डाक और तार विभाग पर केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए अनुदानों की मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 4343/79]

सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति

12वां प्रतिवेदन

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति का 12वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति

128वां प्रतिवेदन

श्री अशोक कृष्ण दत्त (दमदम) : मैं शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड पर भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 1976-77 के अग्रिम प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के पैराग्राफ 26 पर लोक लेखा समिति का 128वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

42वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों को प्राप्त परिलब्धियां तथा एयर इण्डिया के अधिकारियों को प्राप्त परिलब्धियां—एक व्यष्टिगत अध्ययन पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 42वां प्रतिवेदन तथा उससे सम्बन्धित समिति की बैठक के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

अधिनियम 377 के अधीन मामले

(एक) केरल में नये सवारी डिब्बों के निर्माण की परियोजना

श्री बी० के० नायर (मावे लिकरा) : अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों में छपे इस समाचार से केरल के लोगों में चिन्ता उत्पन्न हो गई है कि रेल मंत्रालय नई कोच निर्माण परियोजना के बारे में पुन: अध्ययन कर रहा है जिसका उद्देश्य भारत सरकार के पहले के निर्णय को स्थगित कर देना है। पहले निर्णय के अनुसार इसकी स्थापना केरल राज्य में पालघाट के समीप कांची कोट्ट में की जानी थी।

श्रीमान भूतपूर्व सरकार ने एक नए कोच निर्माण एकक के बारे में पूरी तरह जांच पड़ताल की थी और पूरी तरह अध्ययन करने के पश्चात् उपरोक्त स्थान को उपयुक्त ठहराया गया। औद्योगिकीकरण के मामले में केरल राज्य आज पिछड़े हुए राज्यों में से है। यहां कहने के नाम पर कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है। सरकारी उपक्रमों तथी केन्द्रीय सरकार की परियोजनओं में इसका भाग बहुत कम है। यदि रेल सुविधाओं के मामले में भी यही स्थिति है। दूसरी ओर वहां इसके लिए भूमि, पर्याप्त मात्रा में जल, बिजली तथा जनशक्ति जैसी अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनसे वहां बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण करने में बहुत सहायता मिल सकती है।

ऐसी परिस्थितियों में यदि रेल मंत्रालय भूतपूर्व सरकार के निर्णय को स्थगित करता है तो यह उस राज्य के लोगों के प्रति बहुत अन्याय होगा।

रेल मंत्री महोदय इस सभा में स्पष्ट आश्वासन दें कि परियोजना स्थल के परिवर्तन के बारे में कदापि विचार नहीं किया जायेगा और इस पर कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जायेगा।

(दो) तमिलनाडु में हिन्दी की पढ़ाई बन्द करने के समाचार

श्री नवाब सिंह चौहान (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अविलम्बनीय लोक महत्व के एक विषय की ओर इस सदन और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

तमिलनाडु की राज्य सरकार ने सहसा दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के द्वारा स्कूलों में चलाई जा रही हिन्दी की पढ़ाई को बद कर दिया है। इससे साफ़ हो जाता है कि वह केवल हिन्दी के थोपे जाने के खिलाफ़ नहीं है, वरन् उन लोगों को भी हिन्दी पढ़ने से रोकने पर तुली हुई है,

जो स्वेच्छा से हिन्दी पढ़ना चाहते हैं। यह संविधान की भावना के नितांत विपरीत और भेद-भावना पैदा करने वाली कार्यवाही है।

(तीन) सोनाबेड़ा जिला कोरापुट्र उड़ीसा में तेलगू लोगों पर अत्याचार

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सोना-बेड़ा, कोरापुट जिले में तेलूगू लोगों पर किए जा रहे अत्याचारों के बारे में यह मामला उठा रहा हूं।

उड़ीसा के कोरापुट जिले के सोनाबेड़ा में कुछ हजार तेलगू लोग हैं। वे शांति प्रिय लोग हैं। सोनाबेड़ा में उड़ीया लोग इन पर अत्याचार कर रहे हैं।

उड़ीसा लोगों ने तेलगू लोगों को श्रीराम नवमी नहीं मनाने दी। उन्होंने तेलूगू चलचित्रों को प्रदर्शित करने में बाधा डाली। उन्होंने तेलगू लोगों को पीटा है, जिससे कई तेलगू लोग घायल हो गए। शहर में धारा 144 लगाई गई थी। फिर भी अभी भी उन्हें तंग किया जा रहा हैं।

मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस मामले पर उड़ीसा सरकार के साथ बातचीत करें और तेलगू लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

(चार) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं को भेजने के लिए रेल वैगनों का उपलब्ध न होना

श्री धर्मसिंह भाई पटेल (पोरबन्दर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्न-लिखित लोकमहत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं :

गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्याज, खाद्य तेल, अनाज, चौक पावडर, वनस्पति वगैरह जिन्सों को सौराष्ट्र से बाहर भेजने के लिए रेलवे के वैगन नहीं मिलते हैं। इनके लिए सौराष्ट्र के उपलेटा, घोराजी, भायावदर, जूनागढ़, शापुर-सोरठ, माणावदर, राणावाव, पोरबन्दर, जाम जोधपुर, पानेली-मोटी, बांसजालिया, वेरावल, चोरवाड़, केशोद, बांटवा लालपुर, जामनगर वगैरह स्थानों के व्यापारियों, चैम्बर आफ कामर्स ऐंड इंडस्ट्रीज, ओयल इंडस्ट्रीज, प्याज मरचेन्ट्स एसो-सियेशंस, चौक एसोसिएशन, तथा सहकारी संस्थाओं ने रेल मंत्रालय को, रेलवे बोर्ड को और पश्चिमी विभाग के बम्बई और भावनगर के रेल अधिकारियों को करीब 35 अभ्यावेदन-पत्र, पत्र, तार और टेलीफोन भेज कर मांग की है।

कहीं-कहीं एक और दो महीनों से रेल वैगन नहीं मिलने से इन शहरों-गगरों का व्यापार उद्योग ठप्प हो गया है। मैंने भी गत तीन महीनों में कई दफा रेल मंत्री जी को, रेलवे बोर्ड को, बम्बई और भावनगर के पश्चिम विभाग के रेल के पदाधिकारियों को पत्र लिखा है, तार दिए हैं, तो भी रेल वैगनों की पूरी तरह से नियमित रूप से सप्लाई नहीं की जाती है।

उपरोक्त स्थानों के लिए करीब 2500 वैगनों की डिमांड्स अब पेंडिंग हैं। तो रेल मंत्री जी इनकी तुरन्त जांच करके नियमित रूप से वैगनों के भेजने का शीघ्र प्रबन्ध करें, ऐसी मेरी नम्र प्रार्थना है।

(पांच) देश में अखबारी कागज और अन्य प्रकार के कागज की कमी का समाचार

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित लोक सहत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

विगत कई महीनों से देश में अखबारी कागज व अन्य प्रकार के कागज की भारी कमी अनुभव की जाती रही है किन्तु आज उसकी स्थिति अत्यंत खराब हो गई है। देश के स्थित पेपर मिल्स द्वारा भी अपनी स्थापित क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं किया जा रहा है। कच्चे माल की भारी उपलब्धि के बाद भी नये यूनिट्स भी स्थापित नहीं हो पाए हैं। फलस्वरूप आज स्थिति अत्यंत चिंतनीय बन गई है। एस०टी०सी० को विगत दो वर्षों से भारी मात्रा में अखबारी कागज व अन्य प्रकार के कागज का आयात करना पड़ रहा है और यह मात्रा पिछले वर्ष की अपेक्षा आज दुगुनी हो गई है। नार्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन, यू०एस०ए० व यू०एस०एस० आर० द्वारा हम कागज की प्राप्ति में लगे हुए हैं और भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय कर रहे हैं। विशेषज्ञों व अर्थविदों का मत है कि यह हमारी पूर्व में निर्धारित दोषपूर्ण योजना का ही परिणाम है और यदि इस हेतु समयबद्ध कार्यक्रम हाथ में नहीं लिया गया, वर्तमान में स्थित पेपर मिल्स की क्षमता का उपयोग नहीं किया गया तथा नये यूनिट्स की स्थापना नहीं की गई तो हमारे समक्ष वर्षांत में कागज का भयंकर सकंट होगा। आज भी कागज की कालाबाजारी कागज की अनुपलब्धता के कारण हो रहे है। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि इस हेतु आवश्यक कदम तुरन्त उठावें जिस से कि देश में व्याप्त कागज का संकट शीघ्र समाप्त हो अन्यथा इसका अभाव कई प्रकार की समस्याएं खड़ी करेगा जिसका हल संभवतः तब निकालना असंभव होगा।

(छः) देश में गौवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध को लेकर आचार्य विनोबा भावे द्वारा आमरण अनशन का समाचार

प्रो० समर गुह (कन्टाई) : श्रीमान नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं।

यह आचार्य विनोवा भावे के आमरण अनशन के बारे में है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने जो आमरण अनशन किया है उसके बारे में देशवासियों में जो चिन्ता है, उसमें इस सभा के सभी सदस्य सहभागी होंगे। देश में ऐसा कोई नहीं होगा जो कि गायों की सुरक्षा का परिरक्षण में विश्वास न करता हो। इस बारे में गांधी जी की विचारधारा को सभी देशवासी समझते हैं। फिर भी गौवध पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाने के मामले के विवादास्पद स्वरूप को देखते हुए गांधी जी ने कभी भी यह मामला सरकार पर डालने का प्रयास नहीं किया।

केरल तथा पश्चिम बंगाल सरकारों की गौवध पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाने के बारे में सही कठिनाइयां है क्योंकि उन राज्यों में वहुत बड़ी संख्या में ईसाई तथा मुसलमान लोग हैं। हमें आशा है कि विनोबा जी उन राज्यों की कठिनाइयों को समझने का प्रयास करेंगे। हमें यह भी आशा है कि आचार्य जी इस मामले के साम्प्रदायिक रूप लेने के खतरे को भी समझेंगे। **(व्यवधान)**

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम विनोबा जी से अनुरोध करते हैं कि वह अनशन

त्याग दें और भारत के गृह मंत्री को इस समस्या को हल करने के लिए कोई तरीका ढूंढ निकालने दें।

आचार्य विनोबा भावे द्वारा किए गए अनशन के विवादास्पद स्वरूप के अतिरिक्त समूचा देश उनके जीवन को बचाने की नितांत आवश्यकता महसूस करता है।

मैं एक बार फिर विनोबा जी से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि वह अपना अनशन छोड़ दें तथा केन्द्रीय सरकार को फिर अवसर प्रदान करें कि वह राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए रास्ता निकाला जा सके।

यदि विनोबा जी की दीर्घ आयु होती है तथा वह देश में हरिजनों तथा अर्द्ध मानवीय परिस्थितियों में रह रहे देश के गरीब लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी नैतिक शक्ति का प्रयोग करते रहते हैं, तो यह निश्चय ही हमारे देश के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी।

इतना ही नहीं आज सम्पूर्ण मानवीयता तथा सभ्यता को परमाणु युद्ध के खतरे के कारण सम्पूर्ण सर्वनाश का खतरा बन हुआ है।** **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इन्हें कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाये। यह केवल आपसी प्रशंसा है।

प्रो० समर गुह : यदि परमाणु युद्ध छिड़ जाता है, तो सम्पूर्ण मानवता के साथ-साथ गौवध भी समाप्त हो जायेगा। अतः हम विनोबा जी से अनुरोध करते हैं कि वह विश्व की मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे से बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। महात्मा गांधी के सच्चे अनुभवी होने के कारण विश्व उनसे यह आशा करती है कि वह इस महान् कार्य के लिए कुछ करें।

हम गांधी जी के हिंसा तथा शान्ती के सिद्धांतों का अनुसरण करने वाले उनके अनुयायी से अनुरोध करते हैं कि वह अपना अनशन त्याग दें ताकि उससे कहीं देश में हिंसा तथा अशांति की ज्वाला न भड़क उठे। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह विनोबा जी के अनशन के बारे में वक्तव्य दें।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : यदि आप अनुमति दें तो मैं नियम 377 की प्रक्रिया के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसके बारे में नियम समिमि में विचार कर सकते हैं, यहां नहीं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : यह तो केवल आपके तथा मेरे बीच की बात है। यदि आप मुझे एक मिनट का समय दे दें तो काफी होगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं 544 सदस्यों को ही एक मिनट का समय दे दूं तो फिर क्या होगा ?

प्रो० पी० जी० मावलंकर : जहां तक नियम 377 का सम्बन्ध है, मैं प्रायः देखता हूं कि इस नियम के अन्तर्गत आप उन्हीं मामलों को उठाने की मंजूरी देते हैं, जो विषय की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। आप कृपया हमें कार्यवाही की पूरक सूची देने की व्यवस्था किया कीजिये

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ताकि सदस्य को यह जानकारी हो सके कि आपने किन विषयों की मंजूरी दे रखी है। दूसरे आप यह भी सुनिश्चित कीजिये कि मंत्री कुछ न कुछ उत्तर अवश्य दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिए मंत्रियों से अनुरोध करता रहता हूं। हम नियमों में भी प्रयत्न करने का प्रयास कर रहे हैं। अब श्री राजगोपाल नायडु बोलेंगे।

अनुदानों की मांगें, 1979-80—जारी

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय—जारी

श्री पी० राजगोपाल नायडु (चित्तूर) : अगले दिन हम विकासशील देशों तथा पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हो रही वृद्धि के बारे में बोल रहे थे। चूंकि हमारे यहां पैट्रोल की कमी है, अतः एक सुझाव यह आया था कि हमें पावर एलकोहल बनाना चाहिये जिससे कि पैट्रोलियम पर आने वाले व्यय को कम से कम किया जा सके। आजकल पावर एलकोहल का उपयोग ब्राजील में किया जा रहा है और वहां 5.5 लाख डालर का पूंजी निवेष टैपीको, चुकन्दर, तथा गन्ने से एलकोहल बनाने के लिए किया गया है। ब्राजील ने एलकोहल का उत्पादन करने पर दो बिलियन डालर का पूंजी निवेष किया गया है और वर्ष 1981 के अंत तक सभी गाड़ियां गैसकोल से चलाई जायेंगी। आस्ट्रेलिया में भी इस सम्बन्ध में प्रयोग किए जा रहे हैं। अमरीका में भी कुछ राज्यों में एलकोहल का उत्पादन किया जा रहा है और लगभग 500 फिलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां से गैसकोल की सप्लाई की जा रही है तथा वहां मका से एलकोहल का उत्पादन किया जा रहा है। हमारे कृषि राज्य मंत्री ने भी कहा है कि एलकोहल तथा पैट्रोल को मिलाकर भी गैसकोल का उत्पादन किया जा सकता है। भारतीय कृषि तथा अनुसंधान परिषद द्वारा भी इसके बारे प्रयोग किया जा रहा है तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर डा० एच० वी० माथुर ने भी पता लगाया है कि 20 प्रतिशत एलकोहल को 80 प्रतिशत गैसोलीन के साथ मिलाकर गैसकोल तैयार की जा सकती है। अतः इस प्रकार पावर एलकोहल का उत्पादन कर सकने की संभावनायें काफी अधिक हैं तथा हम पैट्रोल बनाने के लिए उसका उपयोग पैट्रोल के साथ मिलाकर कर सकते हैं। हमारे देश में 20 लाख हैक्टेयर से भी अधिक भूमि पर गन्ने की फसल होती है। इसलिये एलकोहल का उत्पादन करना हमारे लिए काफी आसान है। हमारे देश में आलू का उत्पादन भी बहुत अधिक होता है तथा इसके अंबार लगे हुये है। आलू से भी एलकोहल का उत्पादन किया जा सकता है। टैपीको से भी एलकोहल का उत्पादन किया जा सकता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह यह पता लगाने का प्रयत्न करें कि क्या इस प्रकार का तरीका अपनाना हमारे लिए संभव है।

हम कीटनाशियों का उत्पादन भी कर रहे हैं जोकि अच्छी बात है। परन्तु कृषि के क्षेत्र में हमें घासपातनाशियों की आवश्यकता भी होती है। अनेक स्थानों पर घासपात को हाथ से अलग करने पर किसानों को काफी समय बरबाद करना पड़ता है तथा उनके लिए काफी धन खर्च करना पड़ता है। इसलिए तदि कीटनाशी होंगे तो खेती उत्पादन कार्य में विकास करना आसान हो जायेगा। अतः हमें अपने यहां कृषि का विकास करने के लिए घासपातनाशियों का उपयोग भी करना चाहिये।

जहां तक औषधियों का सवाल है, उनके बारे में हाथी समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं जिन्हें क्रियान्वित किया जाना अभी बाकी है। मैं समझता हूं कि मंत्रालय द्वारा इनकी जांच कर ली गई है तथा उसके बारे में निर्णय भी किया जा चुका है। विदेशी कम्पनियां इससे काफी लाभ उठा रही हैं। हमारी सरकार भी इस उद्योग में आने का विचार कर रही है। अतः यह शीघ्र ही किया जाना चाहिये ताकि लाभ को विनियमित किया जा सके।

हमारे उर्वरक संयंत्रों का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। इनकी पूरी क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिये ताकि मूल्यों में कमी की जा सके। यदि उनका पूरा उपयोग नहीं किया जाता तो मूल्यों में वृद्धि होगी। अतः मंत्री महोदय को इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिये।

आन्ध्रप्रदेश में कर्मचारियों से उर्वरक निगम तथा रासी कैमिकल्ज़ के बारे अपनी स्वेच्छा प्रकट करने के लिए कहा गया था—नाम के बारे में मैं विश्वासपूर्वक नहीं कह सकता। उन्होंने उर्वरक निगम के पक्ष में अपनी स्वेच्छा प्रकट की। उन्होंने मंत्री को इस सम्बन्ध में ज्ञापन भी दिया है। मेरा निवेदन है कि उस पर विचार किया जाना जाहिये।

आन्ध्र प्रदेश में एल्यूमिनियम सल्फेट तथा टिन उपलब्ध नहीं हो रहा है। मंत्री महोदय जानते ही हैं कि आन्ध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कि कृषि उत्पादों की काफी पैदावार होती है। अतः इस राज्य की सहायता की जानी चाहिये। वहां गन्ने, तम्बाकू, कपास तथा अन्य नकदी फसलों की पैदावार होती है। गन्ने के उत्पादन के लिए केन बहुत आवश्यक है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि आन्ध्र प्रदेश के लिए एल्यूमिनियम सल्फेट तथा केन का कोटा बढ़ा दिया जाये।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : मैं पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का, जिन पर आज चर्चा की जा रही है, समर्थन करता हूं। मैं अपना भाषण केवल औषधियों तथा भेषज उद्योग के बारे ही कहना चाहूंगा क्योंकि अन्य विषयों के लिए तो मुझे समय ही नहीं मिल पायेगा। जनता सरकार तथा माननीय श्री बहुगुणा जहां तक औषधियों तथा भेषज के थोक मूल्यों का सम्बन्ध है, उसके बारे में वर्ष 1977-78 तथा 1979-80 के लिए स्थिरता बनाये रखने के लिए वह निश्चय ही सम्पूर्ण सदन की बधाई के पात्र हैं। भारत ने औषधियों तथा भेषज का निर्माण करने के लिये अपेक्षित प्रौद्योगिक क्षमता प्राप्त कर ली है। यह इस तथ्य से प्रमाणित हो जाता है कि मलेशिया, इंडोनेशिया, अलजीरिया, क्यूबा तथा कुछ अन्य देश इससे सम्बन्धित तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत के साथ सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं ताकि वह अपने यहां बल्क उत्पादन या फार्मयुलेशन तैयार कर सकें। इसके लिए मंत्री तथा मंत्रालय दोनों ही बधाई के पात्र हैं।

श्री बहुगुणा ने अपने मंत्रालय तथा उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सरकारी उपक्रमों में अनसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए विशेष कदम उठाये हैं। मैं आशा करता हूं कि इन्हें सच्चे अर्थों में क्रियान्वित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्य की क्रियान्विति के लिए अधिकारियों की

जिम्मेदारी निर्धारित कर दी जानी चाहिये तथा गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये ।

वर्ष 1977-78 के दौरान सरणीबद्ध मद्यों की संख्या 45 थी । वर्ष 1978-79 में इसे घटा कर 18 कर दिया गया है । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसमें और मद्यों को नहीं जोड़ेंगे अपितु इन्हें ही 18 से घटाने का प्रयत्न करेंगे ।

कुछ बल्क औषधियों पर उत्पादन शुल्क कम करने तथा बल्क औषधियों को तैयार करने के लिए प्रयोग में आने वाली मध्यवर्ती औषधियों के उत्पादन के उत्पादन शुल्क को 75 प्रतिशत से घटाकर 25 करना भी बल्क औषधियों को प्रोत्साहन देने का कदम है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इन औषधियों तथा उपन्तियों को वर्ष 1979-80 की नीति में शामिल नहीं किया जाना चाहिये ।

जहां तक औषधियों के नये मूल्य नियंत्रण आदेश का सम्बन्ध है, वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 31 में लिखा गया है कि श्रेणी 1 तथा 2 के अन्तर्गत आने वाली फार्मूलेशन के लिए बल्क ड्रग्ज़ का उत्पादन करने पर करोलर विवरणी का 14 प्रतिशत की दर से शुल्क वसूल किया जायेगा । मैंने यह अनुमान भी लगा लिया है कि सरकार की इस कार्यवाही का बहुराष्ट्रीयं कम्पनियों तथा लघु उद्योग क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा । जहां तक गलेक्सो कम्पनी का सवाल है उन्हें अपनी कुल बिक्री का 15 प्रतिशत मिलेगा जबकि लघु उद्योग क्षेत्र को केवल 1.3 या 0.35 प्रतिशत ही मिलेगा । अतः इस प्रकार से लघु उद्योग क्षेत्र पूरी तरह से समाप्त हो जायेगा । कोई भी नई कम्पनी बल्क ड्रग्ज़ का उत्पादन नहीं करेगी क्योंकि लाभ के शुद्ध मूल्य पर ही होगा और शुद्ध मूल्य में शेयर पूंजी तथा करमुक्त संसाधन भी शामिल होंगे । लघु क्षेत्र के पास तो करमुक्त संसाधन नहीं हैं और इसकी शेयर पूंजी भी बहुत कम है । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जहां तक लघु उद्योग क्षेत्र का तथा नई कम्पनियों का सम्बन्ध है, उनके बारे में कुल बिक्री कारोबार लाभ उन्हें दिया जाना चाहिये ताकि वह अधिकाधिक बल्क ड्रग्ज़ का उत्पादन कर सके ।

लघु उद्योग क्षेत्र में भी बल्क ड्रग्ज़ का उत्पादन किया जा रहा है । 29 मार्च, 1978 में जब सम्बद्ध नीति का ब्यौरा सभा पटल पर रखा गया था तो इसमें यह घोषणा की गई थी कि लघु उद्योग क्षेत्र में विदेशी फर्मों को पदार्पण नहीं करने दिया जायेगा, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है । सम्भवतः यह उद्योग मंत्री के कार्य क्षेत्र में आता हो क्यों कि इसके लिए आई० डी० आर० अधिनियम का संशोधन करना पड़ेगा, परन्तु फिर भी तथ्य यह है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां वर्तमान स्थिति का पूरा लाभ उठा रही हैं ।

इस आदेश के विरोध में बहुगूणा जी को जो तार भेजा गया है, उसकी प्रति मेरे को भी भेजी गई है । औषधियों तथा भेषज के निर्माण कार्य में लगी सभी कम्पनियों की सभी एसोसिएशनज़ का कहना है कि 1979 के औषध मूल्य नियंत्रण आदेश को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें 1978 की नीति से किये गये प्रावधानों से हटकर कुछ प्रावधान किये गये हैं । इसलिए मैं माननीम मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इन ऐसोसिएशनों के साथ बातचीत करें ।

सदन के जानकारी हेतु अब मैं उस तार को पढ़ देता हूँ :

"1979 के नये औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के प्रावधानों को पढ़ कर तथा उससे सम्बद्ध उद्घघोषणाओं को देख कर सम्पूर्ण औषध उद्योग स्तब्ध रह गया था । लोक सभा में 29 मार्च, 1978 को घोषित की गई नई औषध नीति में किये गये अनेक प्रावधानों को नजर अंदाज किया गया है ।"

"यह सर्वसम्मत राय है कि 1979 का औषध मूल्य नियंत्रण आदेश अवास्तविक तथा अव्यवहारिक है तथा वह ऐसा मूल्य नियंत्रण आदेश है जिसे उद्योग क्रियान्वित कर सकने में पूर्णतया असमर्थ है ।"

"औषध उद्योग के सभी एकक यह समझ पाने में पूर्णतया असमर्थ रहे हैं कि आपके मंत्रालय के अधिकारियों को अनेक बार बहुत शांतिपूर्ण तथा तर्कसंगत ढंग से प्रस्तावित आदेश से सम्बद्ध परिणामों के बारे में समझाने के बावजूद भी, उक्त प्रस्तावों को कैसे क्रियान्वित कर दिया है । उपरोक्त के सन्दर्भ में उद्योग का यह दृढ़ विचार है कि औषध मूल्य नियंत्रण आदेश को निश्चय ही क्रियान्वित नहीं किया जा सकता और बहुत ही आदरपूर्व आपसे तथा आपके आधिकारियों से आग्रह करते हैं कि आप इस उद्योग के प्रमुख केन्द्र बम्बई का दौरा कीजिये तथा यहां उद्योग में लगे लोगों को यह समझाने का प्रयास कीजिये कि इसे क्रियान्वित किस प्रकार किया जा सकता है क्योंकि उद्योग तो यही महसूस करता है कि यह आदेश न केवल अव्यवहार्य ही है, अपितु यह पूर्ण रूप से देश, उपभोक्ताओं, चिकित्सा व्यवसाय तथा उद्योग के भी पूर्णतया विरुद्ध है । इससे आपकी सरकार तथा आपके मंत्रालय के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा इसके बारे में आपको सूचित करना हमारा कर्तव्य ही है । औषध उद्योग के सम्पूर्ण सदस्यों का यह निर्णय किया है कि चूंकि औषध मूल्य नियंत्रण आदेश अव्यवहार्य है, अत: इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता तथा उद्योग इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करेगा ।"

"अनुच्छेद 19, जिसके अनुसार 30 अप्रैल तक मूल्य सूचियां जारी करने की बात कही गई है, के कारण तो विशेष रूप से औषध मूल्य नियंत्रण आदेश को लागू नहीं किया जा सकता तथा उद्याग एककों द्वारा मूल्य सूचियां जारी नहीं की जा रही हैं ।"

" इसके साथ ही जहां तक थोक तथा परचून व्यापारियों को छूट देने के प्रश्न का सम्बन्ध है, चूंकि 1970 के औषध नियंत्रण मूल्य आदेश तथा 1979 के औषध नियंत्रण मूल्य आदेश की भाषा में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है और इस सम्बन्ध उद्योग के विभिन्न सदस्यों द्वारा विभिन्न अवसरों पर आपके मंत्रालय के अधिकारियो को दिये गये स्पष्टीकरणों को दृष्टिगत रखते हुये, उद्योग के सदस्य, अभी तक चली आ रही प्रथा के अनुसार ही व्यापारियों को उत्पादन शुल्क में छूट नहीं दी जायेगी, जिसके बारे में मंत्रालय को पूरी जानकारी है । इसी प्रकार नैरो स्पेक्ट्रम् एंटीबायोटिक्स फार्मूलेशनज़ के निर्माता प्रचलित छूट ढांचे का अनुसरण भी करते रहेंगे ।"

"इस उद्योग के मंत्री होने के नाते, उद्योग सदा ही आपको अपना पूर्ण सहयोग देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। हमें यह जानकर काफी निराशा हुई है कि बार-बार बातचीत करने, ज्ञापन देने तथा तर्कसंगत सकारात्मक सुझाव देने के बावजूद भी उद्योग की वास्तविक कठिनाइयों को नजर अंदाज किया गया है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करके आदेश में की गई गलतियों को सुधारने का प्रयत्न कीजिये।"

इण्डियन ड्रग्ज़ मैनूफैक्चरर्ज एसोसिएशन। आल इण्डिया मैनूफैक्चरर्ज आरगेनाईजेशन। फार्मास्यूटिकलज़ एण्ड अलाईड मैनूफैक्चरर्ज़ एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्ज़ एसोसिएशन लिमिटेड। आरगेनाइज़ेशन आफ फार्मास्यूटिकल्ज़ प्रोड्यूसर्ज़ आफ इण्डिया।"

यह तार मंत्री महोदय के पास है और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह उनके साथ बातचीत करें तथा औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1979 में अपेक्षित संशोधन करें।

यद्यपि 1970 के औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत मनमानी तथा भेदभावपूर्ण शक्तियां मंत्रालय के पास नहीं थीं, परन्तु इसके बावजूद भी मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से इरिथ्रो-माइसिन स्टीअरेट, यलील सल्फाथाईजोल, ग्रिसोफुलविन, फोनो बारटीटन्स सोडियम तथा मेट्रो-नाईजोल के मूल्य निधारित करने में रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया। मैं यह जानना चाहता हूं बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी इन औषधियों के मूल्य निधारित करने वाली तिथियों की घोषणा क्यों नहीं की गई है। यदि मंत्री महोदय इन की तिथियों के बारे में घोषणा कर देते हैं या कुछ संकेत कर देते हैं तो फिर यह स्पष्ट हो जायेगा कि इनके निर्माताओं के विरुद्ध किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है।

जहां तक अवरोधन मूल्य, आम बिक्री मूल्य तथा अस्थाई मूल्यों का सम्बन्ध है, उनके बारे में भी कोई मार्गदर्शी निदेश नहीं दिये गये हैं। अतः इससे भी अधिकारियों को एक एकक से दूसरी एकक के बीच भेदभाव करने का अवसर मिल जायेगा। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इन मूल्यों को निधारित करने के बारे में भी अपेक्षित निदेश दें।

जहां तक माल के लादने तथा उतारने का सम्बन्ध है उसके बारे में मैंने अनेक बार सुझाव दिया है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। बल्क ड्रग्ज़ के कार्य की देख-रेख के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने शीघ्र तथा तुरन्त कार्यवाही की है जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। परन्तु इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है क्योंकि समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। यद्यपि उसके बारे में इधर-उधर के बहाने लगा दिये जाते हैं। परन्तु इस बात की ताईद हो चुकी है कि समिति ने अनेक ऐसे उद्धरण प्रस्तुत किये हैं जिनके कारण औषधियों के मूल्यों में वृद्धि की गई है। इसलिए मैं एक बार फिर मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह लादान तथा उतारने के मामले के बारे में शीघ्र कार्यवाही करें।

जहां तक 100 टन ऐनलजिन के आयात का प्रश्न है, उसके बारे में मैंने मंत्री महोदय को बता दिया है कि हमारे देश के लघु क्षेत्र में इस बल्क ड्रग का उत्पादन किया जा रहा है तथा

इसके लिए किसी प्रकार के विदेशी सहयोग की आवश्यकता नहीं है । यह औषध उद्योग को सप्लाई की जा रही है । आई० डी० पी० एल० द्वारा भी बल्क ड्रग्ज़ का उत्पादन किया जा रहा है । पिछले वर्ष उनके द्वारा 535 टन ऐनलजिन का उत्पादन किया गया जबकि कार्यकारी दल के अनुसार उसकी आवश्यकता 700 टन थी। इस औषध की कभी कमी देखने में नहीं आयी है । परन्तु फिर भी आई० डी० पी० एल० ने सरकार से 100 टन ऐनलजिन का आयात करने के लिए कहा है । वर्ष 1978-79 तक इसके निर्यात पर प्रतिबंध था और अब भी है । आई० डी० पी० एल० सम्भवत: इसका आयात इसलिए करना चाहता है कि उसे 1 किलोग्राम ऐनलजिन से 70 रुपये का लाभ होता है । उन्होंने इसके लिए 179 रुपये का मूल्य निर्धारित करवा रखा है जबकि आयात करने पर उन्हें यह 109 रुपये में मिल जाती है । अत: उन्हें 70 रुपये का लाभ एक किलोग्राम के पीछे होता है । इतना ही नहीं जब वह अपना उत्पादन लघु क्षेत्र को बेचते हैं तो उसके लिए उन्हें पूल मूल्य प्राप्त होता है तथा साथ ही लाभ भी होता है । उन्होंने 40 टन औषध हवाई जहाज द्वारा मंगवा ली जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी तथा अब वह शेष 60 टन औषध समुद्र के रास्ते मंगवा रहे हैं । मेरा निवेदन यह है कि यदि यह पहले ही देश में आ गई है तो इसे लघु क्षेत्र में उनके पूर्व कार्य-करण के आधार पर वितरित कर दिया जाना चाहिए । तथा इसका वितरण सी० पी० सी० द्वारा बिना उसमें उतारने की लागत जोड़े किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिये ।

श्री के० एस० चावड़ा : मैं नियम का पालन करने वाला सदस्य हूं ।

चूंकि आपने घन्टी बजा दी है, मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा । इसीलिये तो मैंने आरम्भ में कहा था कि मैं केवल दवाईयों और फार्मास्युटीकल्स के बारे में ही बोलूंगा । मैं गैस समस्या पर भी बोलना चाहता था किन्तु समयाभाव के कारण मैं इस पर अब नहीं बोल सकूंगा ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : श्री बहुगुणा के अधीन मंत्रालय एक साम्राज्य की तरह है जिसमें पैट्रोलियम, रसायन, उर्वरक, दवाईयां और फार्मास्युटीकल्स आते हैं । इतने कम समय में इस मंत्रालय के इन सभी पहलुओं पर बोलना सम्भव नहीं है, अत: मंत्रालय के अन्तर्गत पैट्रोलियम के सम्बन्ध में ही बोलूंगा और अन्य बातों पर संक्षेप में ही कुछ कहूंगा ।

हमारे देश के सम्बन्ध में दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस देश की ऊर्जा सम्बन्धी अपनी कोई नीति नहीं है । हम राष्ट्रीय स्तर पर यह निर्णय नहीं कर पाये हैं कि हम कोयले के रूप में, तेल के रूप में कितने ईंधन का प्रयोग करेंगे और किस प्रकार अपने राष्ट्रीय संसाधनों का संरक्षण करेंगे । अत: मैं सबसे पहले मन्त्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह सरकार से एक राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग स्थापित करने की सिफारिश करें । इस प्रकार के आयोग सभी विकसित देशों में हैं । यदि इस प्रकार का आयोग हमारे देश में भी स्थापित किया जाता है तो हम भी विभिन्न प्रकार के ईंधन के प्रयोग सम्बन्धी आयोजना कर सकते है क्योंकि यदि हमने बिना आयोजना के किसी एक क्षेत्र में अधिक ईंधन का प्रयोग किया तो उससे कठिनाईयां उत्पन्न हो सकती हैं । मुझे मंत्री महोदय से सहानुभूति है क्योंकि वह वास्तव में इस समय कठिनाई में हैं । पिछले वर्ष 'ओपेक' ने 10% तेल की मूल्य वृद्धि का निर्णय लिया और उत्पादन में भी कटौती करने का निर्णय लिया था । मंत्री महोदय विश्व भर में दौड़-धूप कर रहे हैं । वह तेल प्राप्त करने

के हवाई जहाज से लिबिया गये थे। अब उन्होंने ईरान एक दल भेजा है। अतः इस वर्ष हमें अपनी तेल सम्बन्धी नीति की ध्यानपूर्वक जांच करनी है क्योंकि इस सीमित कमी के कारण देश को संकट का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे राज्य में मिट्टी का तेल बाज़ारों में बिल्कुल उपलब्ध नहीं है और डीजल 4 रुपये प्रति लिटर बिक रहा है और शायद मंत्री महोदय जानते हैं कि राज्य सरकार के कुप्रबन्ध के कारण पश्चिम बंगाल में ऊर्जा का अभूतपूर्व संकट बना हुआ है। अनेक एककों और कारखानों ने अपने जनरेटर लगा रखे हैं किन्तु डीजल न होने के कारण उन्हें चलाना कठिन हो रहा है। किसान डीजल पम्पों का प्रयोग करते थे, अब उन्हें भी डीजल उपलब्ध नहीं है। मंत्री महोदय को इस मामले पर शीघ्रता से विचार करना चाहिये जबकि लगभग सभूचा तेल उत्पादन और वितरण राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से किया जाता है, मुझे समझ नहीं आती, कि डीजल में अथवा मिट्टी के तेल में कालाबाजारी क्यों की जा रही है। वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में गहन विचार करने की आवश्यकता है और डीजल अथवा मिट्टी के तेल में कालाबाजारी करता हुआ जो भी व्यक्ति पकड़ा जाये उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

एक अन्य समस्या भी है। आज के 'इक्नोमिक टाईम्स' में यह प्रकाशित हुआ है कि रूस ने 6 लाख टन कच्चा तेल देना स्वीकार कर लिया है स्पाट मूल्यों से कम मूल्य पर · · · · ·

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : स्पाट मूल्यों से कम मूल्यों पर नहीं।

श्री सौगत राय : पहले वाला समझौता इसी प्रकार का था। 'इक्नोमिक टाईम्स' में यह कहा गया है—वास्तविक स्थिति क्या है। इसे मंत्री महोदय सदन में स्पष्ट करें। वह तेल के आयात के बारे में भी स्पष्टीकरण दें। इस वर्ष अधिक आयात करना पड़ेगा। 400 करोड़ रुपये अधिक का तेल आयात करना पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें .15 मिलियन टन कच्चा तेल आयात करने की आवश्यकता पड़ेगी किन्तु दो दिन पहले श्री बहुगुणा कह रहे थे कि हमें 16.8 मिलियन टन कच्चा तेल आयात करना होगा। · · ·

अध्यक्ष महोदय : आपको श्री बहुगुणा के वक्तव्य पर विश्वास करना चाहिये।

श्री सौगत राय : यह भी सरकार का ब्यान है और श्री बहुगुणा ने एक सार्वजनिक भाषण में कहा था। प्रकाशित प्रतिवेदन में कहा गया है कि हमारी आवश्यकता 15 मिलियन टन की है। पैट्रोलियम खपत में भी कटौती करने की आवश्यकता है। 1973 में सरकार ने 80 प्रतिशत उत्पाद शुल्क में वृद्धि करके खपत में कमी करने का प्रयास किय था किन्तु उसमें सफलता नहीं मिली। पैट्रोलियम पर व्यय में बहुत ही कमी करने की आवश्यकता है क्योंकि इस पर बहुत विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। मेरा सुझाव है कि आरम्भ में पैट्रोल का राशन कर दिया जाये और सरकार को पैट्रोल पर अपने व्यय में कमी करके दिखाना चाहिए। जब श्रीमती गांधी अश्व-चालित बग्गी पर बैठ कर सदन में आई थीं तो उसे मजाक ही समझा गया किन्तु मंत्रियों को अपनी कारों पर होने वाले व्यय में कमी करनी चाहिये। श्री बहुगुणा और श्री चरण सिंह सदन में एक ही कार में आये—यह उदाहरण भी अनुकरणीय है। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिएं क्यों कि सरकार संकट के दौर से निकल रही है और जहां तक पैट्रोल पर व्यय का प्रश्न है सरकार को देश में संकट का वातावरण पैदा करना चाहिए · · · · ·

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह चिकनी राजनीति है ।

अध्यक्ष महोदय : राजनीति चिकनी होती है ।

श्री सौगत राय : तेल और राजनीति का निकट का सम्बन्ध होता है और दुर्भाग्य से हमारा देश सभी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय दबावों में आ जाता है । जब अरब-इसरायली संघर्ष हुआ था अथवा जब "ओपेक" ने कहीं दबाव डालने की धमकी दी थी तो गरीब भारतियों को कष्ट उठाना पड़ा । इसलिये तो सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि तेल में आत्म-निर्भरता प्राप्त की जाये । पिछले कुछ वर्षों में हमने कई स्थानों पर आफ-शोर तथा आन-शोर तेल की खोज की है किन्तु इस सम्बन्ध में भी तेजी लाने की आवश्यकता है ।

इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय का ध्यान बंगाल की खाड़ी के बेसिन में तेल की खोज तथा उसके मिलने की सम्भावना की ओर दिलाता हूं । कुछ वर्ष पहले रूस के विशेषज्ञों ने कहा था कि कलकत्ता तेल पर तैर रहा है किन्तु हम आफ-शोर खोजों में तेल का पता नहीं लगा सके हैं । इसका भूगर्भ वैज्ञानिकों द्वारा यह कारण बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 3500 मीटर नीचे तक ही तेल की खोज की गई है किन्तु जब तक आप 5000 मीटर गहरे तक तेल की खोज न करें तो तेल की उपलब्धता की सम्भावना का पता नहीं लगा सकते । अतः मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह 5000 मीटर गहरे तक तेल की खोज करें, तभी पता चल सकेगा ।

पिछले वर्ष पश्चिम बंगाल में तेल की खोज का कार्य नहीं हुआ । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह पश्चिम बंगाल में तेल की खोज के लिये नये कदम उठायें ।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि समूचा तेल उद्योग सरकार के हाथों में है । 'एस्सो' और 'बर्मा शैल' का प्रबन्ध भी सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है । अब केवल असाम तेल कम्पनी बची है जिसमें ब्रिटेन के अभी भी अंश हैं । बहुत पहले सरकार इसका प्रबन्ध भी अपने हाथ में लेना चाहती थी । इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है । असाम तेल कम्पनी का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए ।

पश्चिम बंगाल सरकार ने पैट्रो-कैमिकल्स काम्पलैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव किया है इसे पश्चिम बंगाल सरकार और आई० सी० पी० एल० संयुक्त रूप से स्थापित करेंगी ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यदि पश्चिम बंगाल सरकार यह करना चाहती है तो वह कर सकती है ।

श्री सौगत राय : मैं नहीं समझता कि पश्चिम बंगाल यह अकेले कैसे कर सकता है । आई० पी० सी० एल० को आगे आना चाहिए । यह पैट्रोरसायन के लिए स्थापित किया गया है । तेल के सम्बन्ध में मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

जहां तक रसायनों का सम्बन्ध है, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि भारत में रसायन उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो अभी भी बड़े व्यापारियों और एकाधिकारी गृहों के हाथ में है । इस उद्योग में इंजीनियरिंग उद्योग की तुलना में मंदी नहीं आई है । रसायन उद्योग में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और एकाधिकारी गृह देश को लूट रहे हैं । सोडा ऐश का ही मामला लीजिए ।

देश में कांच बनाने वालों को सोडा-ऐश के सम्बन्ध में बड़ी कठिनाई हो रही है। सोडा-ऐश के मुख्य संयंत्रों पर बिरला और टाटा का नियंत्रण है। मंत्री महोदय को सोडा-ऐश की कृत्रिम कमी के बारे में कुछ करना चाहिए। सोडा-ऐश का वितरण सरकार द्वारा पूरी तरह अपने हाथ में लेने में क्या कठिनाई है। ओ० जी० एल० के अन्तर्गत उन्हें अधिक आयात करने की अनुमति देने से ही सोडा-ऐश के वितरण की समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, जिससे कांच उद्योग को जो मुख्यत: लघु उद्योग क्षेत्र में है, हानि न उठानी पड़े और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अधिक लाभ न कमा पायें। कीटनाशी औषधियों का जहां तक सम्बन्ध है, इस क्षेत्र में भी यूनियन कारबाइड, फिशन, आई०एस०आई० जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां प्रवेश कर रही हैं। कीटनाशी औषधियों के क्षेत्र में, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान पेस्टीसाइड्स को अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए ताकि हम कीटनाशी औषधियों के क्षेत्र से हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अलग कर सकें और हम देश में ही उत्पादन कर सकें।

रसायन उद्योगों के सम्बन्ध में मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने बंगाल केमिकल्स और बंगाल इम्यूनिटि यूनिटों को अपने हाथ में लिया है जो पश्चिम बंगाल में परम्परागत कम्पनियां हैं। किन्तु मैं चाहता हूं कि वह यथासम्भव शीघ्र संसद् के समक्ष इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए एक विधेयक लायें।

जहां तक औषधियों का सम्बन्ध है, औषधि के देश में ही उत्पादन करने की सरकार की नई नीति की मैं सराहना करता हूं। यह भी अच्छी बात है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लाइसेंस देना बन्द किया गया है और भारी मात्रा में औषधियों का आयात राज्य फार्मेस्युटीकल्स और केमिकल्स के माध्यम से किया गया है। यह दूसरा क्षेत्र है जहां भारतीय अर्थव्यवस्था को बरो वेल्कम, रोचे, स्किब और जर्मनी की सिबा तथा अमरीकी, ब्रिटिश और स्विटजरलैंड की फर्मों द्वारा भारी लूट की गई। इस क्षेत्र में उन्हें धीरे-धीरे निकाल बाहर किया जाना चाहिए। जीवनोपयोगी औषधियों के सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय कड़े कदम उठायें।

अन्त में मैं उर्वरकों के बारे में, जिन पर श्री दामाणी विस्तार से कहेंगे, कुछ कहना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने बहुराष्ट्रीय निगम को विभिन्न अवयवों में विभाजित करने का निर्णय किया है, इसके विकेन्द्रीकरण का हर व्यक्ति स्वागत करेगा। किन्तु देश पर इस विकेन्द्रीकरण का अभी असर पड़ेगा। राज्य के स्वामित्व वाली उर्वरक कम्पनी की क्षमता के उपयोग में वृद्धि नहीं की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप देश में काफी क्षमता होने के बावजूद भी हमें बड़ी मात्रा में उर्वरकों का आयात करना पड़ रहा है। अत: मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय राज्य द्वारा चलाई जा रही कम्पनियों में क्षमता के उपयोग की समस्या पर विशेष ध्यान दें। यही मुझे कहना है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री उग्रसेन। वह यहां नहीं है। श्री अनन्त प्रधान। वह यहां नहीं हैं। डा० पाण्डेय।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, बहुगुणा जी जिस मंत्रालय के मंत्री हों उस मंत्रालय के अधीन एक से अधिक विभाग भी अगर हैं तो मुझे विश्वास है कि वह अपनी गुण-सम्पन्नता के आधार पर दक्षता से उसका संचालन कर सकेंगे। मैं उनकी इस क्षदता की,

जो पैट्रोलियम उत्पाद में, या तेल की खोज में उन्होंने दिखायी है, प्रशंसा करता हूं। उन्होंने बड़े ही महत्वपूर्ण कदम उठा कर इस कार्य में रुचि लेकर जिस प्रकार से हमारी इस समस्या को हल करने का प्रयत्न किया है उससे समस्या का समाधान कुछ अंशों तक तो हुआ है किन्तु स्थिति की गंभीरता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हमने देशीय उत्पादन को बढ़ाया है।

[श्री एम सत्यनारायण राव पीठासीन हुए।]

लेकिन आयात निरन्तर जारी रखना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि आयात कम करें। यदि आयात बिलकुल बन्द किया जा सकता है तो बहुत उत्तम होगा। इस सम्बन्ध में यदि आप समुद्रीय व समुद्र तटीय खोज को बहुत तेजी से चलाते हैं तो मुझे विश्वास है हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। किन्तु वर्तमान में कई स्थानों पर इस प्रकार की खोजें जारी हैं, कई जगह सफलताएं मिली हैं। किन्तु कुछ और भी ऐसे स्थान हैं, जिनका अभी श्री सौगत राय जी संकेत कर रहे थे जैसे डायमण्ड हार्बर है, त्रिपुरा है, नर्मदा का कुछ तटीय क्षेत्र भी हो सकता है, या और भी ऐसे स्थान हो सकते हैं, जैसे नर्मदा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों से होकर गुजरती है। किन्तु इसके कुछ क्षेत्रों में भी खोज करके आप तेल की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं इसके अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं।

पैट्रोलियम की खपत कम करने के सम्बन्ध में आपने जो प्रयत्न किए हैं वह ठीक हैं लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि सरकारी क्षेत्रों के अन्डरटेकिंग्ज तथा प्राईवेट प्रतिष्ठानों में ही इसका उपयोग अधिक है। आम जनता तो बहुत कम प्रतिशत का ही उपयोग करती है। जब आप पैट्रोलियम या पैट्रोल के दाम बढ़ाते हैं तो आम जनता पर ही उसका ज्यादा असर पड़ता है। या तो इसके दाम बढ़े ही नहीं और अगर दाम बढ़ते हैं तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि आम जनता पर उसका विपरीत असर न पड़े।

अभी श्री चावड़ा जी ने कहा है कि इस मंत्रालय द्वारा शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ को काफी संरक्षण दिया गया है। मैं प्रसन्नता अनुभव करता हूं कि पैट्रोलियम पदार्थों जैसे डीजल, केरोसीन व पैट्रोल के वितरण के कार्य में भी इन व्यक्तियों को लेने जा रहे हैं। आपने लिये भी हैं। शेड्यूल्ड कास्ट्स व शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को और उनके संगठनों को इस कार्य में लगाना चाहिए। उन्हें इस हेतु उचित वित्तीय सहायता भी दी जानी चाहिए।

डीजल की खपत ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल अधिक है। भविष्य में यदि आप इसके वितरण के लिए एजेंसीज़ देने वाले हैं तो वह ग्रामीण क्षेत्रों में ही जाकर स्थापित की जानी चाहिए। अभी ट्रैक्टर वाले और पम्पिग सेटों वाले छोटे किसान डीजल के डिब्बे लेकर के शहरों में आते हैं लाईन लगाते हैं केवल डीजल के लिए वे आते हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में एजेंसीज़ स्थापित करने से वहां पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और साथ ही इस समस्या का समाधान भी हो सकेगा। अभी 10-10 किलो मीटर दूर से किसानों को डीजल के लिए शहरों में आना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में एजेंसीज़ स्थापित करने से उनकी सुविधा के साथ-साथ शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लिए रोज़गार की समस्या के समाधान में भी सहायता मिल सकेगी। इसके साथ ही मैं मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि उनके आश्वासन के बाद भी केरोसीन का अभाव देहातों में बना हुआ है। इसके अभाव की पूर्ति के लिए मंत्री जी को तुरन्त प्रयत्न करने चाहिए।

पैट्रोलियम उत्पादनों में जो पदार्थ अवशेष बचते हैं उनका अच्छा उपयोग करने की दिशा में आपने कुछ कार्य प्रारम्भ किया है लेकिन अभी उसमें काफी गुंजायश है। इन पदार्थ अवशेषों पर आधारित अन्यान्य उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। मैं समझता हूं इनके उपयोग के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

ड्रग्ज़ के बारे में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। चावड़ा जी ने बड़े विस्तार में बताया है। मैं समझता हूं आई० डी० पी० एल० और हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स की पर्फार्मेन्स और क्षमता का उपयोग जिस प्रकार से होना चाहिए वह दिखाई नहीं देता है। स्ट्रैप्टोमाइसीन जैसी चीजें भी चीन से मंगाए जाने के समाचार मिले हैं—पता नहीं इसका क्या कारण है? इन चीजों का उत्पादन तो हम अपने देश में ही अच्छी तरह से काफी मात्रा में कर सकते हैं। लाइफ-सेविंग और बेसिक ड्रग्ज़ हमें चीन से आयात करनी पड़ें—यह कोई अच्छी बात नहीं है। आई० डी० पी० एल० के लिए मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी अच्छा स्थान है। वहां पर एक कारखाना स्थापित हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से ऐनलजिन के बारे में भी है। उसका निरन्तर आयात किया जा रहा है जबकि हम काफी उसका निर्माण अपने यहां करते हैं और जो आयात हम करते हैं, उसका जो बटवारा हो, उस बटवारे की जो स्थिति होनी चाहिए, वह सही होना चाहिए और उसमें जो चैक होने चाहिए वे अभी नहीं हैं। वही ऐनलजिन होचेस्ट के पास जाती है और वे उस पर अपनी मुहर लगा देते हैं या ठप्पा लगा देते हैं, उसे नावेल्जिन बना देते हैं। तो जो ऐनलजिन अपने यहां 17, 18 या 20 पैसे में बिकती है, वहीं उनकी मौहर लगकर 30 पैसे में बिकती है हालांकि उस पर आप उतना ही चार्ज करते हैं जितना आई० डी० पी० एल० से चार्ज करते हैं। यह जो कीमतों में अन्तर है, उसको आपको खत्म करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह मैंने एक उदाहरणमात्र ही आप को बताया है। आप टेटरासाइक्लीन को ले लीजिए या दूसरी इस प्रकार की जो ड्रग्स हैं जैसे विटामिन सी, उन को ले लीजिए। उनके बारे में भी स्थिति ऐसी ही है। विटामिन सी पर साराभाई कैमिकल्स की मोनोपली भारी मुनाफा कमा रहे हैं। आक्स-टेटरा-साइक्लीन की स्थिति भी ऐसी ही है। इनकी जो मूल कीमत है, उसको बढ़ाकर ये जो कम्पनियां हैं भारी लाभ कमाती हैं। इस मुनाफ़े को आप कम करिये और जो हाथी कमेटी ने सजेस्ट किया है और उस रिपोर्ट को ले कर जिन-जिन बातों को आपने स्वीकार किया है, उनके अनुसार आप कार्यवाही करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इसमें जो हमारी कठिनाई है, उस कठिनाई को आप ठीक कर सकेंगे। साथ ही आम जनता को सस्ते दरों पर जीवन रक्षक औषधियां दे सकेंगे। बड़ी कम्पनियों के भारी विज्ञापन पर भी प्रतिबन्ध जरूरी है।

इसके साथ ही साथ जिन औषधियों का हम आयात करते हैं एस० टी० सी० के माध्यम से या दूसरे माध्यम से, उनमें मुनाफ़े का एक निश्चित प्रतिशत होना चाहिए ताकी आम जनता, जिस के लिए आप ये औषधियां मंगाते हैं, तक पहुंचते- पहुचते अत्यधिक कीमती न हो जाएं।

इन बातों के साथ-साथ अब मैं कुछ बातें केमिकल्स के बारे में भी कहना चाहता हूं और उनकी तरफ़ आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सोडा ऐश की आज देश में बहुत कमी है और यह भी कमी निरन्तर बनी हुई है और उसकी मांग भी काफी है। कास्टिक सोडा के बारे में भी आप इन्कार नहीं कर सकते कि उस की कमी है। इसी तरह से रेडफोस्फेट की भी कमी हैं, इससे आप इन्कार नहीं कर सकेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड की भी कमी है, इससे आप इन्कार नहीं

कर सकते और एल्मूनियम फ्लोराइड की भी कमी है जो इतना आवश्यक है, जोकि छोटे-छोटे उद्योगों के काम में भी आता है। सोडा ऐश और कास्टिक सोडा आदि ये जो चीज़ें हैं, ये सब तो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं और आम लोगों के उपयोग की चीज़ें हैं। रेडफोस्फेट भी ठीक इस प्रकार की चीज़ है और इन सब चीज़ों की जो कमी बनी हुई है, उसको दूर करने का आप प्रयत्न करें। कुछ कम्पनीज ऐसी हैं, जो एक ठेकेदार सी बन गई हैं और वे ही इनको बनाती हैं। इसलिए और कम्पनीज़ को भी इसमें लाने की आप कोशिश करें और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करें जिससे वांछित मात्रा में ये चीज़ें लोगों को उपलब्ध हो सकें। इन चीज़ों में अभाव की स्थिति है, यह कालाबाजारी को जन्म देती है और कालाबाजारी इन में प्रारम्भ हो गई है। सोडा ऐश, कास्टिक सोडा व सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में योग्य प्रयत्न जरूरी है।

अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पेस्टीसाइड्स की तरफ़ आकर्षित करना चाहूंगा। यूनियन कारबाइड एक मल्टी-नेशनल कम्पनी है। यह जो अपनी मोनोपली को ले कर चलती है, यह ठीक नहीं है। हमारी जो अपनी कम्पनीज़ हैं या अपने प्रतिष्ठान हैं, उनको भी आगे आना चाहिए और मांग के अनुरूप पेस्टीसाइड्स चाहे वे सार्वजनिक स्वास्थ्य के काम में आवें या एग्रीकल्चर में काम आवें, ये जो आम लोगों के काम आने वाली वस्तुएं हैं, उनका उत्पादन ठीक से होना चाहिए और ज्यादा उत्पादन के जरिये जो कमी है, उसको पूरा करें। लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप इस तरह की चीजें उपलब्ध हो सकें, ऐसा प्रयत्न आप को करना चाहिए तथा एकाधिकार के पंजे से मुक्ति की कार्यवाही की जानी चाहिए।

फर्टिलाइजर्स की तरफ़ भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा और उसके साथ साथ एल० पी० गैस के विषय में भी कुछ कहना चाहूंगा। आप अपने उपभोक्ताओं के साथ बड़ा अन्याय करते हैं। जब एक आदमी गैस का कनेक्शन लेता है, तो उसके साथ ही सिलेन्डर व रेग्यूलेटर जब शुरू-शुरू में लगाए जाते हैं, उनको रेग्यूलेटर या नियंत्रक आप चाहे कोई भी संज्ञा दें, तो उपभोक्ता को, कन्ज्यूमर को कुछ रुपया डिपोजिट करना पड़ता है लेकिन उस पर कोई इन्ट्रेस्ट नहीं किया जाता है, आधा प्रतिशत, एक प्रतिशत, दो प्रतिशत, चार प्रतिशत कोई इन्ट्रेस्ट उसको नहीं मिलता है जबकि वह 200 या 300 रुपया शुरू में डिपोजिट करता है। वर्षों तक उसका डिपोजिट कम्पनी के पास रहता हैं लेकिन उसको कोई इन्ट्रेस्ट नहीं मिलता है जबकि दूसरी जगहों पर पोस्ट आफ़िस सेविंग्स बैंक्स एकाउन्ट में, बैंकों में या दूसरी जगह जो रुपया कार के लिए, ट्रक के लिए या किसी और चीज़ के लिए जमा किया जाता है, तो उनको इन्ट्रेस्ट मिलता है। कोई भी सामग्री हो, उस पर रुपया जमा कराने पर इन्ट्रेस्ट मिलता है लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार का कोई इन्ट्रेस्ट नहीं मिलता है। इसके साथ-साथ इसके वितरण पर भी किसी तरह का चैक नहीं है, उदाहरण के तौर पर यदि गैस की एजेन्सी किसी एक निश्चित स्थान पर है, मान लीजिए, यदि इंदौर में है तो वह एजेन्सी 80 मील दूर, 100 मील दूर रहने वालों को भी गैस सप्लाई करती है। इन्दौर में नाम रजिस्टर्ड है लेकिन सौ मील दूर वाला उपभोक्ता गैस का उपभोग कर रहा है। मेरी आपसे मांग है कि उस सौ मील दूर वाले स्थान पर भी आप को एजेन्सी देनी चाहिए, अन्यथा इस में बड़ा भ्रष्टाचार है। आप इसको आज भी चैक करवा सकते हैं। मैं इस बात को सिद्ध भी कर सकता हूं। कई एजेन्सियों

ने अपने ग्राहक सौ-सौ और पचास-पचास मील की दूरी पर भी बना रखे हैं। वे उसी स्थानों के बना रखे हैं जहां के लिए आपने एजेन्सी दी है लेकिन उपभोग दूसरी जगहों पर हो रहा है और इसमें बड़ा गोलमाल व भ्रष्टाचार है। वहां पर गैस की आवश्यकता को देखते हुए आप इसको ठीक करेंगे, रेगुलराइज्ड करेंगे, इसकी मुझे आप से आशा है और मांग है।

मैं अपनी इस मांग को फिर दोहराना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का एक पिछड़ा जिला मन्दसौर है जो औद्योगिक दृष्टि में पिछड़ा जिला है जिसकी वर्षों से यह मांग रही है कि वहाँ पर गैस की उपलब्धि हो। आपने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि आपके पास गैस उपलब्ध है और उसके आधार पर आप अन्य क्षेत्रों में भी कनेक्शन देने जा रहे हैं। अतः आप वहां शीघ्र एजेन्सी दें तथा वर्तमान में अन्य स्थानों के नामों में कनेक्शन हैं अगर आप नये कनेक्शन भी न दें तो कम से कम उन्हें ही रेगुलराइज्ड कर दीजिए, जिससे कि वहां की स्थिति में कुछ सुधार हो। इससे वहां की मांग भी पूरी होना जरूरी है। मैं इसको व्यवस्थित करने की भी मांग आपसे करता हूं।

कई रिफाइनरीज में गड़बड़ के बाद हमारी रिफाइनरीज ने ठीक से काम करना प्रारंभ कर दिया है। मथुरा रिफाइनरी का काम भी काफी तेजी से चल रहा है। बम्बई हाई से जो गैस आपको मिली है उसे बड़ौदा तक देने की बात की है। अगर आप इसको बढ़ा कर झबुआ, रतलाम तक कर दें तो वहां पर भी गैस सप्लाई करने में सुविधा होगी झबुआ में काफी रॉक फास्फेट हैं वहां पर भी फर्टिलाइजर कारखाने की स्थापना की मांग है।

दूसरे आपने कोयले के आधार पर कारखाने स्थापित करने की बात कही है। आपने कहा था तालचर और रामागुण्डम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपका वह एक्सपेरिमेंट अब तक पूरा हो गया होगा। उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर नेफ्था के बजाय, कोल-बेस्ड फर्टिलाइजर कारखाना कुछ अधिक उपयोगी होगा और कुछ कम खर्च वाला होगा। इस प्रकार के आंकड़े आज जो हमारे सामने आये हैं उनके आधार पर अगर हम यह करते हैं तो हमारे देश में तेल का संकट देखते हुए, इसमें काफी सफल हो सकते हैं क्योंकि हमारे देश में कोयला उपलब्ध है। तेल की निरन्तर कम उपलब्धि की तलवार हमारे सिर पर लटक रही है क्योंकि खाड़ी के देशों में कठिनाइयां चल रही हैं आपस के झगड़े भी चल रहे हैं, तेल की कमी निरन्तर चलने वाली है। इसलिए मैं समझता हूं कि तेल की उपलब्धि हमारे लिये कठिन सी हो जायेगी। इसको देखते हुए जो कोल-बेस्ड कारखाने की स्थापना अधिक उपयोगी है, उनमें आप कोरबा की तरफ भी ध्यान दें जिसके ऊपर आपने 30 करोड़ रुपया खर्च किया है। आपको धीरे-धीरे इस तरफ बढ़ने की दृष्टि को छोड़ कर तेजी से बढ़ना चाहिए। हमारे देश में रासायनिक उर्वरक की काफी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति भी हमें करनी होगी। हमारे राजस्थान के अन्दर रॉक फास्फेट है, झाबुआ में भी उपलब्ध है और देश के अन्य-अन्य भागों में भी उपलब्ध है। उसके आधार पर भी हम रासायनिक उर्वरक के नये कारखाने स्थापित कर सकते है। फर्टिलाइजर कारपोरेशन के संगठन को चार भागों में बांटा गया है। सुप्रबंध के लिए बंटा है लेकिन आज भी उसमें सुप्रबंध की कमी है। उस कमी के विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि आप देश की आवश्यकता को देखते हुए रासायनिक उर्वरक के नये कारखाने स्थापित कर सकें तो देश को बहुत लाभ मिलने वाला है। इससे बाहर से जो हम आयात करते हैं उसे भी हम निरन्तर घटा कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

ये कुछ बातें और सुझाव मैंने रखे हैं। मेरा विश्वास है मंत्री जी इन पर ध्यान देंगे।

*श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : सभापति महोदय, इस देश के लोगों के जीवन में पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह मंत्रालय आधुनिक विमानन और परिवहन, रेलवे इंजिनों, ट्रकों, ट्रेक्टरों और कृषि के लिए पम्प सेटों को चलाने के लिए डीजिल और सुदूर गांवों के लिए मिट्टी के तेल की व्यवस्था करता है। यह जीवनोपयोगी ओषधियों तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने के किए उर्वरकों की भी व्यवस्था करता है। देश को पैट्रोलियम उत्पादों की जितनी आवश्यकता है उसका केवल एक-तिहाई देश में उत्पादन होता है और दो-तिहाई का आयात किया जाता है।

इसे ध्यान में रखते हुए तेल की खोज के काम को और तेजी से चलाने की आवश्यकता है। यद्यपि मंत्री महोदय इस काम को काफी प्रभावी ढंग से देख रहे हैं किन्तु फिर भी और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इस समय पैट्रोलियम का दो-तिहाई उत्पादन आसाम, मेघालय आदि पूर्वी क्षेत्रों में होता है। पश्चिम बंगाल में भी तेल की काफी गुंजाइश है। चूंकि मेरे पास समय बहुत कम है अतः मैं इस सम्बन्ध में विस्तार से नहीं कहूंगा। महोदय, 1969 में श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में, तत्कालीन पैट्रोलियम मंत्री श्री भिगुण सेन ने कहा था कि डायमंड हार्बर में खुदाई में फ्लोरोसेंट वायू के साथ तेल मिला है। इन परिणामों का विश्लेषण कर रूस और अमेरीका के विशेषज्ञों ने यह दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि वहां तेल है। रूस के विशेषज्ञों का विशेषरूप से यह विचार था कि कलकत्ता, सुन्दरबन मेरे निर्वाचन क्षेत्र बर्दवान जिले में तेल है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूंगा कि सुन्दरबन, बर्दवान जिले में गाबासी, बोगरा, बकुलताला, देवग्राम आदि में पहले जो तेल की खोज हुई थी वह पूरे प्रयास से नहीं किया गया था।

इन क्षेत्रों में खुदायी पी० डी० 13 रिगों द्वारा की गई थी। ये रिग काफी गहराई तक खुदाई नहीं कर सकते हैं। वे गहरी खुदाई के किए व्यवहारतः पुराने पड़ गये हैं। बहुत से लोगों ने कहा है कि इसके पीछे कुछ षढयंत्र था जिसका उद्देश्य यह था कि हमारा देश पैट्रोलियम के उत्पादन में आत्मनिर्भर न हो सके। यही कारण था कि 5000 अथवा 6000 मीटर की गहराई तक खुदाई नहीं की गई जहां कि निश्चित रूप से तेल मिल सकता था। इसकी बजाय खुदाई 1500 अथवा 2000 मीटर तक की गई और फिर उसे छोड़ दिया गया। वास्तव में कुछ समय पहले मैं श्री दिनेश भट्टाचार्य, संसद् सदस्य के साथ मंत्री महोदय को मिला और उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया कि बंगाल की खाड़ी में तटीवर्ती तथा तट से दूर सागर में खुदाई 5,500 मीटर की गहराई तक की जायेगी। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि खुदाई 5500 या 6000 मीटर तक को गहराई तक की जाये तो तेल मिलेगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय हमें फिर से इस सम्बन्ध में वाद-विवाद का उत्तर देते समय आश्वासन दें। महोदय, पश्चिम बंगाल के लोग तथा सरकार केन्द्रीय सरकार के आभारी हैं उन्हें हमें सहयोग दिया है और हमारे केन्द्र के साथ अच्छे सम्बन्ध हैं। आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में बिजली का भारी संकट है। परिणामतः कलकत्ता, हावड़ा और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लालटेन जलाने के लिए मिट्टी के तेल पर निर्भर रहना पड़ता है। विद्यार्थियों को भी लालटेन पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं पश्चिम बंगाल की जनता की ओर से अनुरोध करता हूं कि विकट स्थिति का सामना करने लिए पश्चिमी बंगाल के

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी संस्करण।

मिट्टी के तेल, डीजल आदि के कोटे में काफी वृद्धि की जाए। वहां इन वस्तुओं की भारी कमी है जिसका प्रमाण समाचारपत्रों में प्रकाशित लम्बी लाइन के चित्र से मिलता है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री हमारी अपील पर ध्यान देंगे और पश्चिमी बंगाल का कोटा बढ़ायेंगे। हमारे देश के पूर्वी क्षेत्र में एक-तिहाई देशी पैट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन हो रहा है। हम उनका अधिक मूल्य पर आयात कर रहे हैं। अतः इस बात पर निगरानी रखनी होगी जिससे इन वस्तुओं की कीमतें न बढ़ें। मूल्य में समानता बनायी रखी जानी चाहिए।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग जैसे सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रबन्ध में जो लोग हैं वे उन श्रमिकों की मानवीय समस्याओं को महसूस नहीं करते हैं जो विकट परिस्थिति में दूरस्थ स्थानों में काम कर रहे हैं। इससे श्रमिकों की कठिनाइयां बढ़ गई हैं। महोदय, भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून में ऐसे अनेक कर्मचारी हैं जो गत 12 या 14 वर्षों से दैनिक मजदूरी पर ही कार्य कर रहे हैं। वे सेवा में अभी स्थायी नहीं किये गए हैं। वहां आन्दोलन हो रहे हैं और जब वैज्ञानिक कर्मकार संघ के नेता डा० एस० एन० शर्मा ने मध्यस्थता करने की कोशिश की तो उन्हें निलम्बित किया गया। मजदूर संघ की गतिविधियों में भाग लेने के कारण अनेक व्यक्तियों को निलंबित किया गया।

एक बात और है कि सरकारी उद्यम ब्यूरो द्विपक्षीय समझौतों को लागू करने में रोड़ा डाल रहा है। बालमेर लावरी एण्ड कम्पनी बम्बई में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। मंत्रालय और सरकारी उद्यम ब्यूरो ने इसके कार्यान्वयन में रुकावटें डालीं। मैं मंत्री से अनुरोध करता हूं कि सरकार को एक नीति के रूप में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में द्विपक्षीय समझौतों का पालन करना चाहिए।

'कालटेक्स कम्पनी' के राष्ट्रीकरण होने पर इसके कर्मचारियों को प्राप्त विशेषाधिकारों में कटौती की गई। उन्हें जो बोनस पहले मिल रहा था वह नहीं दिया गया। इस मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और समुचित निर्णय लिए जाने चाहिए।

हम अपनी जनता की भलाई के लिए जीवन रक्षक औषधियों का आयात कर रहे हैं। मंत्री महोदय ने कुछ समय पहले जिस नीति की घोषणा की थी, मैं उसका समर्थन करता हूं परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि देश में अभी भी नकली औषधियों का निर्माण हो रहा है। यद्यपि घटिया और मिलावट वाली औषधियों में कमी हुई है फिर भी इस सम्बन्ध में कड़े कदम उठाये जाने होंगे।

अभी भी देश में लगभग 31 बहुराष्ट्रीय औषधि कम्पनियां काम कर रही हैं जिनके 40% से अधिक इक्विटी शेयर हैं। इनमें से सात कम्पनियों से अपनी विदेशी शेयर पूंजी 40% से कम करने के लिए कहा गया है। इसलिए हम देख रहे हैं कि इन विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का भारतीयकरण करने के प्रयास चल रहे है। परन्तु मेरा अनुरोध है कि हमारे राष्ट्रीय हित में और इस दृष्टि से कि हमारी गरीब जनता को अच्छी दवाइयां सस्ते मूल्य पर मिलें इन सभी विदेशी औषध और रसायन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

मंत्री महोदय ने हल्दिया में पैट्रो-रसायन समूह के लिए जो अपनी अनुमति प्रदान की है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। उन्होंने बंगाल इंम्यूनिटी कम्पनी और बंगाल रसायन को

जो आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय की स्मृति से जुड़ा हुआ है, अपने हाथ में लेने के लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। कच्चा माल और विपणन सुविधायें आदि प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति का पुनरुद्धार करने के लिए और कदम उठाये जाने चाहिए। इन कम्पनियों को पिछले प्रबन्धकों को पुनः नहीं दिया जाना चाहिए। एक समय था जब कि बंगाल रसायन और भेषज के क्षेत्र में अगुआ था। इन पुरानी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। मेरी मांग यह भी है कि आई० डी० पी० एल० को पश्चिम बंगाल में औषध और रसायन उद्योगों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए।

अब मैं उर्वरक के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। हम अभी भी उर्वरक का आयात कर रहे हैं। परन्तु यदि हम अपनी पूरी क्षमता को उपयोग में ला सकें तो उत्पादन काफी बढ़ सकता है। दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र के बारे में मैंने और कर्मचारी संघ ने इसके कार्यकरण में कुछ कमियों के बारे में उनको लिखा था। यद्यपि हमें 22 सूत्री उत्तर मिला है तथापि इससे सभी शिकायतें दूर नहीं होती हैं। मेरा अनुरोध यह है कि विशेषज्ञों के मामले में समुचित जांच की जाए। अतः हमें अभी से वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सोचना होगा। आपने तालचेर और रामागुंडम में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना की है। इसलिए मेरी मांग यह है कि रानीगंज कोयला क्षेत्र में, जहां कोयले की प्रचुर सप्लाई है, कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जायें। इसी तरह के संयंत्र झरिया में भी स्थापित किए जा सकते हैं। उर्वरक (योजना और विकास) इन्डिया लि० का मुख्य कार्यालय सिन्द्री में है। इस संस्था में लगभग 4000 कर्मचारी हैं और इसकी प्रतिदिन लगभग 900 टन अमोनिया उत्पादन करने की क्षमता है। इसने अब प्रतिदिन 900 टन तक अमोनिया उत्पादन करने की तकनीकी जानकारी हासिल कर ली है। बम्बई की गैस से पश्चिमी तट पर स्थापित किए जाने वाले चार उर्वरक संयंत्र विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अलाट किए जाने की संभावना है। ये 4000 कर्मचारी कहां जायेंगे ? आप प्रतिदिन इनमें 1350 टन अमोनिया उत्पादन करने की बात कर रहे हैं। यदि हम विदेशों से तकनीकी जानकारी खरीदकर के इन लोगों को सौंप देंगे तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की ओर एक बड़ा कदम होगा। अतः मेरी मांग यह है कि चार में से तीन संयंत्र एफ० एफ० डी० आई० एल० को सौंप दिए जाएं। एक संयंत्र में आप विदेशी सहयोग प्राप्त कर लें। इस संस्था में पिछले दस महीनों से कोई प्रबन्ध-निदेशक नहीं है। कार्य की देखभाल करने के लिए इस पद पर नियुक्ति शीघ्र की जाए।

मेरी मांग यह है कि दुर्गापुर उर्वरक कर्मचारी संघ को जो सबसे बड़ा संघ है, मान्यता प्रदान की जाए। जनता पार्टी के सत्तारूढ़ में आ जाने के साथ-साथ राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है। यह संघ अब एक बड़ा संघ बन गया है और इसे शीघ्र मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ भारतीय उर्वरक कर्मचारी महासंघ में अब 20,000 से अधिक कर्मचारी हैं। इस महासंघ में 13 मान्यता प्राप्त संघ सम्बद्ध हैं। अतः मेरी मांग यह है कि इस महासंघ को शीघ्र ही मान्यता प्रदान की जाये। मुझे बहुत सी बातें इस सम्बन्ध में कहनी हैं परन्तु अब मैं इसे समाप्त करूंगा क्योंकि समय हो गया है। मुझे आशा है कि आप इस तरह की नीतियां बनायेंगे कि हम समूचे राष्ट्र के हित में पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक में आत्मनिर्भर बनेंगे और आप अपने मंत्रालय के कर्मचारियों के साथ मानवीय सम्बन्धों में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। कर्मकारों की मानवीय समस्याओं पर सहानुभूति के साथ

विचार करके उन्हें दूर किया जाना चाहिए । यदि आप ऐसा कर सकेंगे तो मैं अपने पक्ष की ओर से आपको पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन देता हूं । इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, मैं अपने चुनाव-क्षेत्र और प्रांत के अनुभव के आधार पर मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां किस प्रकार से इस मंत्रालय के निर्णयों को प्रभावित करती हैं । वे हमें अपने देश में उपलब्ध खनिज सम्पदा का दोहन न करने देकर अपना माल बेचने के लिए इस मंत्रालय को प्रभावित करती हैं ।

इस मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे पांच यूनिट्स द्वारा जिंक और कापर मेटल्ज़ के मैनुफैक्चर की बाई-प्राडक्ट्स से 1 लाख टन सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण 1978 तक होने लगेगा । राजस्थान में खेतड़ी के कापर के कारखाने और उदयपुर के ज़िंक स्मेल्टर में इन दोनों मेटल्ज़ को बनाया जाता है । इस मंत्रालय के अन्तर्गत पाइराइट्स, फ़ासफेट्स एंड कैमिकल्ज़ लिमिटिड काम कर रहा है । इस रिपोर्ट के पैराग्राफ़ 3.79 से पता चलता है कि सलादीपुरा की पाइराइट्स की खानों के आधार पर सल्फ्यूरिक ऐसिड बनाने के लिए एक पायलट प्लांट स्थापित करने के बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है । सल्फ्यूरिक एसिड बनाने वाली कुछ अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां मोराको और जोर्डन आदि देशों से कच्चा माल निर्यात करती हैं । यह खेद की बात है कि हमारे देश में वह माल बनाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

चार साल पहले जब मैं राज्य सभा का सदस्य था, तो सलादीपुरा पाइराइट्स खान के बारे में मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया गया था, उस में केवल यह एडीशन किया गया है कि सरकार ने एक पायलट प्लांट बनाने का निश्चय किया है जिसके आधार पर यह तय किया जायेगा कि क्या सलादीपुरा पाइराइट्स से सल्फ्यूरिक एसिड बनाना कास्ट की दृष्टि से ठीक रहेगा या नहीं । पायलट प्लांट के बारे में निर्णय लिये हुए एक साल हो गया है । इस बारे में जो कमेटी बनी थी, उसके सदस्यों से मुझे कुछ जानकारी मिली है । मुझे लगता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां सरकार के निर्णय को प्रभावित करती हैं, वर्ना कोई कारण नहीं था कि पायलट प्लांट को जल्दी स्थापित न किया जाता । मंत्रालय ने खुद स्वीकार किया है कि वहां पर 6 लाख टन सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है ।

मेरी जानकारी है कि दस बरस पहले भी इंगलैंड की एक कम्पनी ने यहां आकर सलादीपुरा की खान की जांच की थी और अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को दी थी । मालूम नहीं कि वह रिपोर्ट मंत्री महोदय के किस बस्ते में दबी हुई पड़ी है । अगर वह उसको निकाल कर देखें, तो उन्हें मालूम होगा कि उस कम्पनी ने यह रिपोर्ट दी थी कि वहां पर जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, वह चीपर होगा और सरकार को उसका काम प्रारम्भ कर देना चाहिए । हमारे देश में सल्फ्यूरिक एसिड की आवश्यकता है, मगर हमको दूसरे देशों पर निर्भर करना पड़ता है । हमको कच्चा माल निर्यात करने वाले जो देश हैं, हमें उनकी नीति से प्रभावित नहीं होना चाहिए । मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस प्राजेक्ट के बारे में पूरी सूचना दें और बतायें कि वह उसको कब स्थापित करना चाहते हैं । वहां पर इसके आधार पर एक बड़ा भारी फ़र्टिलाइज़र प्लांट भी लगाया जा सकता है । इंगलैंड की कम्पनी ने इसका टेक्नो-इकानोमिक सरवे किया है ।

जहां तक उदयपुर के प्लांट का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय कह सकते हैं कि ज़िंक के प्लांट का उनके मंत्रालय से सम्बन्ध नहीं है, लेकिन वहां से जो सल्फ्यूरिक एसिड बिकने के लिए आता है, उसका सम्बन्ध इस मंत्रालय से है। मंत्री महोदय इस बात की जानकारी प्राप्त करें कि किस प्रकार का भयंकर घोटाला उदयपुर में निर्मित होने वाले सल्फ्यूरिक एसिड के बेचने में हुआ है। वहां पर 1300 टन सल्फ्यूरिक एसिड बिना किसी प्रकार का टेंडर काल किये हुए चार पार्टियों को 360 रुपये प्रति-टन के हिसाब से बेच दिया गया जब कि उस समय मार्किट का अगर रेट देखा जाय तो वह एक हजार से 12 सौ रुपये प्रति टन था। समाचारपत्रों में बाजार के रेट जो निकलते रहते हैं विभिन्न चीजों के उसमें इसका भाव 1 हजार से 12 सौ रुपये प्रति टन था और फिर जिन लोगों को यह दिया गया वह कोई सल्फ्यूरिक एसिड को लेकर उसके द्वारा खुद कोई काम करने वाले नहीं थे। वह तो बिचौलिये थे और उन बिचौलियों ने जो ऐंसिलियरी यूनिट्स वहां पर हैं उनको 800 रुपये प्रति टन के भाव से बेचा। इस तरह इतना मुनाफा उन्होंने तुरंत कमा लिया जो कि सरकार को मिल सकता था अगर सरकार सीधे बेचती और मार्किट रेट से बेचती। यह प्रश्न पहले भी माननीय मंत्री जी की नजर में आया होगा लेकिन अभी तक भी इस संबंध में कोई एन्क्वायरी नहीं कराई गई कि किस प्रकार तीन महीने तक लगातार 13 सौ टन सल्फ्यूरिक एसिड 330 रुपये प्रति टन के हिसाब से बेचा गया। इस प्रकार से करोड़ों रुपये का घाटा इस विभाग के अधिकारियों ने दिया है। अब वह आपके विभाग के अधिकारी थे या स्टील एण्ड माइन्स के थे, यह मैं नहीं कहता लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का जहां तक सवाल है मैं समझता हूं कि इस संबंध में माननीय मंत्री जी को भी चिन्ता होनी चाहिए कि उनके विभाग के काम में आने वाली चीज का इस प्रकार से दुरुपयोग किया गया और उसमें ब्लैक मार्केटिंग की गई। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके ऊपर आप ऐक्शन लेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

अब मैं एक और महत्व के सवाल की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि माननीय मंत्री जी के प्रदेश से भी सम्बन्धित है, मेरे अपने प्रदेश से सम्बन्धित है और मध्य प्रदेश से सम्बन्धित है। अभी आपका जो गैस का उत्पादन हो रहा है, ताप्ती गैस और समुद्र से जो गैस बन रही है और जो नये-नये एक्सप्लोरेशंस कर रहे हैं उनके आधार पर जो खाद के कारखाने बनाए जाने की योजना है उसमें अभी तक तीन महाराष्ट्र के अंदर और दो गुजरात के अंदर बनाने की सरकार ने स्वीकृति दी है। लेकिन आज जो गैस की अवेलेबिलिटी है, अभी एसोसिएटेड गैस 4 मिलियन क्यूबिक मीटर आती है और फ्री गैस साउथ बेसिन आयल फील्ड्स के अंदर 10 मिलियन क्यूबिक मीटर अवेलेबल है, इस प्रकार से 14 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस इस समय लाइकली टु बी अवेलेबल है। इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। जिस प्रकार से अभी हमारे वैज्ञानिक इसकी खोज में लगे हुए हैं उससे इसमें और वृद्धि हो सकती है। एक खाद के कारखाने की दृष्टि से 1.5 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस की आवश्यकता होती है। अब यह गुजरात में लगे, महाराष्ट में लगे, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन माननीय मंत्री जी स्वयं इस बात को जानते हैं कि खाद का जो उपभोग है उस उपभोग का क्षेत्र मुख्य रूप से गंगा और सिन्ध के बीच का मैदानी इलाका है जिसमें पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का इलाका आता है। खाद के उपभोग की दृष्टि से यह सबसे बड़ा इलाका है। इसके अंदर खास तौर से चम्बल कमांड का एरिया जो विकसित हो रहा है और राजस्थान

कैनाल जो हम पूरी करने जा रहे हैं उसके बाद इन क्षेत्रों में खाद की जो आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति इन कारखानों से नहीं हो सकेगी । उस दृष्टि से पाइप लाइन के द्वारा यह गैस इन जगहों में पहुंचायी जा सकती है और आप के पास गैस उपलब्ध है । आज भी जहां तक मेरी जानकारी है, तीन मिलियन क्यूबिक मीटर गैस वेस्ट होती है क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं है । उस वेस्टेज के आधार पर माननीय मंत्री जी इसकी पूरी योजना बनाएं क्योंकि आज अगर पाइप लाइन नहीं डालेंगे और गैस आपको मिल गई तो सिवाय इसके कि गैस जलायी जाय और कोई रास्ता नहीं होगा । आपके अपने प्रान्त में दो खाद के कारखानों की, दी कारखानों की राजस्थान में और दो की मध्य प्रदेश में गुंजायश है । गुजरात और महाराष्ट्र में पांच बने हैं लेकिन उनका माल हमारे इन प्रदेशों में पहुंचाया जा सकेगा और उससे इन प्रदेशों की आवश्यकता की पूर्ति हो पाएगी, यह संभव नहीं है । खाद का कंज़म्पशन जिस गति से गंगा और सिन्ध के मैदान के अंदर हो रहा है और जिस प्रकार से यह सारा इलाका विकसित हो रहा है, जिस प्रकार से राजस्थान का विकास हो रहा है, जिस राजस्थान को पहले रेगिस्तान कहा करते थे, हमारी जनता सरकार के आने के बाद मैं कह सकता हूं कि आज दो फसली इलाका वह होता जा रहा है, सारे इलाके की भौगोलिक स्थिति बदलती जा रही है, ऐसी स्थिति में जितनी खाद की आवश्यकता इन इलाकों को होगी उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगर माननीय मंत्री जी योजना नहीं बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले भविष्य की जो पीढ़ी होगी वह माननीय मंत्री जी को इसके लिए दोषी ठहराएगी । इसलिए ये छः खाद के कारखाने—दो उत्तर प्रदेश में, दो मध्य प्रदेश में और दो राजस्थान में निर्माण करने का प्रयत्न वह करें । मैं समझता हूं इस संबंध में कोई निर्णय माननीय मंत्री जी बहुत जल्दी करेंगे । इस विषय पर राजस्थान के मुख्य मंत्री आप से मिले भी हैं आपने उनसे आश्वासन भी दिया था कि इस बारे में मिल करके प्रयत्न करेंगे । तो आप मिल करके प्रयत्न करें, यह मेरा आप से अनुरोध है ।

दवाइयों के संबंध में चावड़ा साहब ने भी अभी कहा है, मैं भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो छोटे उद्योग हैं उनके सामने बड़े उद्योगों के कारण से संकट आ रहा है । कुछ दवाइयों पर तो आप प्रतिबंध लगाते हैं और कुछ को फ्री छोड़ देते हैं । इस सम्बन्ध में छोटे उद्योगों ने अपनी कठिनाइयां आपके सामने प्रस्तुत की हैं । मैं एक छोटी सी चर्चा करना चाहता हूं कि ऐल-बेस जो एक केमिकल है उसके आधार पर छोटे-छोटे उद्योग पहले ऐंटीबायटिक बनाते थे । 1960 तक तो मल्टीनेशनल्स बनाते थे । इससे जो क्लोरमफेनिकाल बनता है उसके बारे में आपने जो निर्णय लिया है, इसमें आप जो सब्सीडी देते हैं वह एण्ड-प्राडक्ट पर सब्सीडी देने की बात जो आपने की है वह उचित नहीं है । इसपर आपको विचार करना चाहिए । दूसरी जो निसेनमाइड नामक वस्तु है, इसको बनाने के लिए जो विटैमिन है, इसमें पहले थ्रीसाइलोपाइड बनती थी लेकिन अब उसके ऊपर आपने प्रतिबंध लगा दिया है । पहले 50 कारखाने इसको बनाते थे और लगभग 90 रुपए के जी में वह बन जाती थी । अब नयी टेक्नीक अपना कर 2.50 करोड़ से जो आप बना रहे हैं, उसमें आप आयात करेंगे तो वह 90 रुपये के जी में जो बन जाता था उसमें आपको क्या दिक्कत थी इसकी सफाई करनी चाहिए ।

आपने जो दो मिनट और दिए उनके लिए आपको धन्यवाद ।

*श्री ए० मुरुगेसन (चिद्म्बरम्) : सभापति महोदय, अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक की ओर से मैं पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं ।

सर्वप्रथम मैं तमिलनाडु में मिट्टी के तेल की अत्याधिक कमी का ज़िक्र करूंगा । तमिलनाडु के अर्ध-नगरीय क्षेत्रों में लोग एक बोतल मिट्टी तेल के लिए तीन-तीन मील लम्बी कतार में घंटों खड़े रहते हैं । मद्रास शहर में लोग डबलरोटी खा कर गुजारा कर रहे हैं । तेल के अभाव में वह अपना स्टोव नहीं जला पाते । कोयले की भी कमी है । मंत्री जी का कहना है कि शीघ्र ही रूस से मिट्टी का तेल मंगाया जाएगा । वह हाल ही में पश्चिम एशिया के देशों में भी गए । हम यह कह कर बच नहीं सकते कि ईरान से तेल की पूर्ति बन्द होने के कारण यह कमी पैदा हुई है । हमें अपने देश के करोड़ों लोगों की आधारभूत जरूरतें पूरी करने का प्रयास करना चाहिए । तमिलनाडु में डीजल की भी कमी है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह सभा को बताएं कि आम जनता को मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ।

नूतन स्टोव का निर्माण भारतीय तेल निगम द्वारा किया जा रहा है । यह स्टोव केवल उत्तर भारत में ही उपलब्ध है । जब कभी मेरे दोस्तों को पता लगता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं तो वह मुझे इस स्टोव को लाने का अनुरोध करते हैं । मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि नूतन स्टोव तमिलनाडु में भी उपलब्ध किया जाए । इस स्टोव के निर्माण के लिए मद्रास में एक फैक्ट्री लगाई जाए ।

यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि कावेरी बेसिन में तेल की खोज का काम क्यों बन्द कर दिया गया । कोरोमण्डल तट और विशेषरूप से कराइकल तट पर तेल की खोज का काम पूरे जोरों से आरम्भ किया जाना चाहिए ।

भट्ठा तेल के अभाव के कारण उर्वरक बनाने वाली कुछ इकाइयां बन्द हो गई हैं । हाई स्पीड डीजल का प्राइवेट लोगों द्वारा जनेरेटरों में इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । तब भी समारे ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि ताप बिजली घरों को फर्नेस तेल का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए । मैं यह जानना चाहता हूं कि उर्वरक कारखाने जैसी इकाइयों को जलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में फर्नेस तेल उपलब्ध कराने की दिशा में कौन-से कदम उठाए गए हैं । किसानों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1979-80 के बजट में रासायनिक खाद पर शुल्क घटा दिया गया है । पर गलत वितरण व्यवस्था के कारण किसानों को ठीक समय पर रासायनिक खाद नहीं मिलती । जब उन्हें यह खाद मिलती है तो उन्हें अधिक कीमत देनी पड़ती है क्योंकि सरकार द्वारा दी गई रियायत बिचौलिए हड़प जाते हैं ।

दो दिन पहले मैंने एक समाचार पढ़ा कि सरकार का 100 टन ऐनलजिन का आयात करने का विचार है । पता नहीं आई०डी०पी०एल० क्या कर रहा है । क्या वह ऐनलजनि या उसका प्रतिस्थापन निर्मित नहीं कर सकता ? मैं यह जानना चाहता हूं कि आई०डी०पी०एल० की स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग क्यों नहीं हो रहा है ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

---

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण

श्री रामदास सिंह (गिरिडीह) : इस मंत्रालय के रसायन और उर्वरक विभाग ने 1978-79 की वार्षिक रिपोर्ट में उर्वरक उत्पादन, आवंटन एवं मूल्य स्थिरता के बारे में बहुत संतोष प्रकट किया है । इस रिपोर्ट के मुताबिक इन चीज़ों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव बहुत कम हुए हैं विशेषकर नाइट्रोजन पी$_2$ और ओ$_5$ की वृद्धि इतनी हुई है, जिसके चलते इस वर्ष में 75 करोड़ रुपये की फोरेन एक्सचेंज की बचत हुई है । ये उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं । इन तमाम चीज़ों और पैट्रोलियम के बारे में तो हम स्वावलम्बी अभी नहीं हो सके हैं । इसके लिए प्रयास जारी हैं और जैसा हमारे अन्य मित्रों ने कहा है कि देहातों की क्या हालत है ? देहातों की नहीं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं । इतने अधिक दामों पर केरोसियन आयल मिल रहा है । गांवों में तो तेल का मिलना दूभर हो गया है । इसकी व्यवस्था ठीक रूप में अगर जल्दी नहीं की गई तो जिन मकानों में बिजली नहीं हैं, उनकी हालत बहुत दयनीय हो जाएगी । पहले ही उनकी हालत दयनीय है और जहां बिजली है भी, वहां की हालत आप देखिये । बिहार, बंगाल और पूर्वी क्षेत्र की जो हालत है, वह हालत आपके समक्ष है लेकिन मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक विशेष विषय की ओर ले जाना चाहता हूं ।

एफ़०पी०डी०आई०एल०, जिसने सिन्दरी में अपने काम से ख्याति प्राप्त की है, एक साल हो गया, उसमें अभी तक मेनेजिंग डाइरेक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है । वहां के काम में इतनी गड़बड़ी है कि वहां की जो इंजीनियर्स एसोसियेशन है, 18 अप्रैल को मंत्री महोदय को उसने एक विज्ञापन दिया है जिसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में उल्लेख करते हुए और उसको दुरुस्त करने के लिए आवेदन पत्र भी दिया है लेकिन मंत्री जी ने अभी तक उसका कोई भी जवाब नहीं दिया है । उनको उसका कोई जवाब नहीं मिला है । एफ़०पी०डी०आई०एल० और विशेषकर जो विदेशी कम्पनी हैं, जो बम्बई हाई में प्लान्ट प्रोजेक्ट करने जा रही हैं, उनके विषय में करीब चार महीने से भारत के हर एक पेपर में कुछ न कुछ आता रहता है चाहे वह साप्ताहिक पेपर हो और चाहे वह दैनिक पेपर हो । इसलिए उस तरफ़ ध्यान देना बहुत आवश्यक है । उन पेपरों की सूचनाओं के आधार पर यह आभास होता है कि हमारे देश में कुछ व्यक्ति जो ऊंचे पदों पर हैं, वे विदेशी कम्पनियों की एजेन्सी करते हैं और हमारे देश में जो अच्छी पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं, जो संस्थाएं काम करती हैं उनको हतोत्साहित करते हैं । इस ढंग का उल्लेख समाचारपत्रों में मिला है और उसी की तरफ़ मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

1965 से 1970 तक इस उर्वरक संस्था को विश्व कोष से कोई भी मदद नहीं मिली और एफ० पी० डी० आई० एल० अपने पैरों पर खड़ी हुई है और उसने कई प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइन किये हैं, प्लान किये हैं और उनको सफलतापूर्वक कमीशन किया है । दुर्गापुर, बरौनी, नामरूप, गोरखपुर, ट्रोमबे, नांगल एक्सपेंशन और सिन्दरी मोडरेनाइजेशन जिन में से प्रमुख हैं । यह बात ठीक है कि प्रोजेक्ट्स का जो नो-हाऊ होता है, वह दूसरे देशों से लेना होता है और दुनियां में एसी कोई कम्पनी नहीं है जो इसका निर्माण सारे का सारे अपने यहां करती हो और इसने भी नो-हाऊ उसी करह से लिया लेकिन उसकी कीमत कितनी देनी पड़ती है । जब हमारी कोई संस्था बाहर के दूसरे देशों से एक्सपर्ट नो-हाऊ लेती है, तो उसमें 8-10 करोड़ रुपये खर्च होते हैं । लेकिन विदेशी कम्पनियों को जब काम सौंपा तब यहां के लोगों के 30 से 40 करोड़

रुपया खर्च किया । 1971 में जब यह कम्पनी चल रही थी तो यकायक विदेशी बैंकों ने, दूसरी मल्टीनेशनल कम्पनियों ने इससे छेड़छाड़ करना शुरू किया । 1970-71 में एफ० पी० डी० आई० एल० के दो वरिष्ट अफिसर जो उस समय मेनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे—एक श्री के० आर० चक्रवर्ती और एच० एन० सेठना उनके विरोध के बावजूद भी भटिण्डा और पानीपत का काम जापान की टोयो कम्पनी को सौंपा गया । उसके साथ दो और कारखानों सिन्दरी मोडरेनाइजेशन और नांगल एक्सपेंशन का काम देशी संस्था(FPDIL) कम्पनी को सौंपा गया । अब देखिये कि उन विदेशी कम्पनियों को ज्यादा खर्च पर काम सौंपा गया और उन्हें 27 महीने में काम खत्म करने को कहा गया । उन्होंने 27 महीने पूरे होने के बाद 36 महीने और बीत गये हैं लेकिन उन्होंने अभी तक काम पूरा नहीं किया । हमारे देश के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने निर्धारित समय पर निर्धारित मूल्यों के अन्दर दोनों कामों को समय से पहले पूरा किया और वे प्लांट चालू हैं । इस तरह से हमारे देश के अच्छे से अच्छे इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को हतोत्साहित किया जाता है । दूसरे देश की कम्पनी वाले यहां के अधिकारियों को रिटायर होने के बाद विश्व बैंक में अधिक तनख्वाह पर नौकरी देने का लालच देते हैं और इस तरह से हमारे देश के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को हतोत्साहित किया जाता है ।

उस समय श्री के० आर० चक्रवर्ती मैनेजिंग डायरेक्टर थे और एच० एन० सेठना चेयरमेन थे । श्री चक्रवर्ती केटेलिस्ट रिसर्च के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे । श्री एच० आर० सेठना को पद्म श्री की उपाधि से विभूषित किया गया था । मगर इन दोनों अधिकारियों को ऐसा मजबूर किया गया कि श्री चक्रवर्ती और सेठना को वहां से नौकरी छोड़नी पड़ी । हमारे देश की यह इतनी बड़ी संस्था है जिसने कि बर्मा, सीलोन, आबुधाबी, फिलीपाइंस में जाकर काम किया है और वहां पर एफ० पी० डी० आई० एल० को ख्याति मिली है और इसका नाम इन्टरनेशनल कम्पनियों में आता है लेकिन दुर्भाग्य है कि उसको काम न देकर विदेशी कम्पनियों को काम दिया जा रहा है ।

कहा जा रहा है कि गैस पर आधारित प्लांट बनाने की हमारे देश में क्षमता नहीं है । मैं आप से कहना चाहता हूं कि अगर हम 9-9 सौ प्रति दिन क्षमता वाले 6 प्लांट बनायें तो हमारा काम पूरा हो जाएगा । आपने कहा है कि 1350 टन तक क्षमता के आप चार जगह प्लांट बनाना चाहते हैं । आपके मंत्रालय के अधिकारियों ने अगर निश्चय ही कर लिया है तो मेरी दरख्वास्त है कि इन प्लान्ट्स का काम विदेशी कम्पनियों को देते समय इसका प्राइम कांट्रेक्ट एफ० पी० डी० आई० एल० को दिया जाये ताकि हमारी टेक्नोलोजी और नो-हाऊ सुदृढ़ हो सके और एक साल के बाद या दो साल के बाद हमारे देश के लोग ही इस प्लांट को लगा सकें । अगर इनमें कोई खराबी आ जाए तो हमें विदेशों को न भागना पड़े और चीजों का इम्पोर्ट न करना पड़े । बरौनी प्लांट में एक कन्डेन्सर टूट गया था । तीन महीने से भी अधिक समय इटली से पार्ट को मंगाने में लगा तब तक प्लांट का काम बंद रहा । अगर हम इसी तरह से सभी पुर्जे विदेशों से मंगाते रहेंगे तो हमारे कारखानों का भविष्य क्या होगा ? लोगों को काम कहां मिलेगा ? आपने योजना में लिख दिया है कि हमारा लक्ष्य बेरोजगारी को समाप्त करना है लेकिन जितने काम हो रहे हैं वे बेरोजगारी को बढ़ाने वाले हो रहे है । मैं आप से दरख्वास्त करता हूं कि चार पांच विषयों के ऊपर आप आयोग बिठाएं, इनक्वायरी गठित करें और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको आप सजा दें ताकि आगे देश का काम सुचारू रूप से चल सके ।

भारत के अधिकारीगण या अन्य लोग जो विदेशी कम्पनियों को भारत में आने के लिए, व्यापार करने के लिए दरवाजे खोलते हैं और जो देशी कम्पनियां हैं या पब्लिक अंडरटेकिंग्ज हैं उनको हतोत्साहित करते हैं या हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को हतोत्साहित करते हैं और विश्व बैंक या यू एस ए आदि की किसी फर्म में ऊंची तनख्वाह पर रिटायर होने के बाद नौकरी पा जाते हैं, उनके लिए आप एक जांच कमेटी बिठाएं या इस आयोग को यह काम सौंपें ।

इस आयोग को दूसरा विषय यह सौंपा जाना चाहिये कि एफ० पी० डी० आई० एल० सिंदरी को बम्बई हाई में गैस के काम के लिए प्राइम कांट्रेक्टर नहीं बनाया गया इसका पता लगाए । अब उसको आपने मल्टीनेशनल को दे दिया है और इस तरह से भारत में उनके काम करने का दरवाजा खोल दिया है । दोषी जो व्यक्ति हैं यह आयोग उनका पता लगाए और उनको सजा दे ।

यह आयोग इस बात का भी पता लगाए कि जिन लोगों ने फर्टिलाइजर प्लांट्स के मामले में विदेशियों को भारत में काम करने के लिए बुलाया है और उनके लिए दरवाजा खोल दिया है जिसका विरोध डा० एच० आर० चक्रवर्ती और श्री एस० एल० सेथना जैसे लोगों ने किया था और उनकों रिजाइन करके भागना पड़ा है, उनको ऐसा किन परिस्थितियों में करना पड़ा है और उन पर क्या गुजरी है इसका पता भी यह आयोग लगाए ।

श्री ओ० पी० खूंगर जो चीफ इंजीनियर थे सिंदरी में, उनको डेढ़ लाख रुपया नाजायज रूप से दिया गया है । जब कानून देने का नहीं था तो क्या आपने जानकारी की है कि उनको क्यों दिया गया इसका पता भी यह आयोग लगाए ।

ये जो चार पांच विषय आज भारत में हर बुद्धिमान आदमी के मुंह पर हैं और जिनकी चर्चा दैनिक पत्रों में होती रहती है और उसका विश्लेषण भी हुआ है और आपको देश के जाने माने इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने लिख कर भी दिया है, उसकी उपेक्षा आप न करें और इन विषयों के बारे में आप आयोग का गठन करें ताकि देशी कारखानों और हमारे देश के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़े, उनका मनोबल बढ़े और उनके उत्साह और मनोबल को बढ़ाने के लिए आप यथोचित कारगर कदम उठायें, यही मेरी आप से प्रार्थना है ।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : सभापति महोदय, यह मंत्रालय ऐसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है जिनका हमारी अर्थ-व्यवस्था के सम्पूर्ण विकास के लिए काफी महत्व है और इसके कार्य निष्पादन का इस देश के औद्योगिक विकास पर है और लोगों के दैनिक समाजिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव है । मुझे मिले सीमित समय में मैं निगम के विकेन्द्रीकरण के संबंध में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम का उल्लेख करुंगा । मैं इस कदम का स्वागत करता हूँ । इन उद्योगों के हित तथा इनके उचित तथा कार्यकुशल चालन के लिए विकेन्द्रीकरण अनिवार्य है । जहां हम इस विकेन्द्रीकरण का स्वागत करते हैं, जैसा कि मेरे मित्र श्री सौगत राय ने इसका संकेत दिया है, वहीं हम यदि इन उद्योगों की सम्पूर्ण उपयोग क्षमता का पुनरीक्षण करें और पिछले तीन या चार वर्ष के आंकड़ों को देखें तो हमें पता चलेगा कि ये सन्तोषजनक नहीं है । परन्तु कम उपयोग की वास्तविक समस्या क्या है । मेरे विचार में यह समस्या संयन्त्र के रख-रखाव और प्राचलन से संबंधित है । यदि आप संयन्त्र का उचित उपयोग चाहते हैं तो आपको मध्य प्रबन्ध को तीव्र करना होगा । बशर्ते कि मध्य प्रबन्ध संयन्त्र के कार्यचालन और प्राचलन को समझे तो मेरे विचार में

उपयोग की समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। विकेन्द्रीकरण के इस कदम द्वारा, यदि माननीय मंत्री महोदय इस कदम के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो रखरखाव और अनुरक्षण से संबंधित मिडिल मैनेजमेंट को सुप्रवाही बनाना आवश्यक है।

अब मैं दूसरी समस्या पैट्रोलियम की को लेता हूँ।

जहां तक पैट्रोलियम उत्पादों का संबंध, यद्यपि इस वर्ष भी ऊर्जा समस्या के संबंध में हमने कठिनाई का समय देखा है, फिर भी ऊर्जा का यह भाग हमारे नियन्त्रण से बाहर की बात है जब तक हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो जाते। यदि हम इस उत्पाद विशेष के संबंध में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेते हैं तो हमें निश्चय ही किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। पैट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन अपने ही मूल्य बता रहा है। सौभाग्यवश, सदैव की भांति, रूस ही हमारी सहायता को आया है। प्रधान मंत्री कोसिगन की पिछली भारत यात्रा के समय यह सूचित किया गया कि उन्होंने इस उत्पाद की काफी मात्रा देने का प्रस्ताव किया है। परन्तु समाचार पत्रों में सनसनीखेज़ समाचार आ रहे हैं और आज भी यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि हम एक अत्यन्त बुरी स्थिति का सामना कर रहे हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर में स्थिति को स्पष्ट कर देंगे ताकि लोग यह जान सकें कि समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले सनसनीखेज़ समाचारों के प्रकाश में वास्तविक स्थिति क्या है ?

वितरण के पक्ष के संबंध में हमें माफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है विशेषरूप से केरल राज्य में। हमारा राज्य समुद्री सीमा वाला राज्य है जहां से 90% सामुद्रिक व्यापार होता है। हमें मिले पिछले समाचार के अनुसार समुद्र में चलने वाली लगभग 3000 नौकाएं मछली पकड़ने के लिए डीज़ल की कमी के कारण नहीं जा सकीं। न केवल डीज़ल आयल बल्कि मिट्टी का तेल भी एक समस्या बन गया है। यद्यपि राशन की दुकानों का जाल बिछा हुआ है, हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत अच्छी है परन्तु फिर भी हम मिट्टी के तेल के वितरण के संबंध में समस्या का सामना कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान किया जाना है। मुझे आशा है कि 1 जुलाई से हम जिस सार्वजनिक वितरण प्रणाली की परिकल्पना कर रहे हैं, उससे हम मिट्टी के तेल की सप्लाई का तरीका निकाल सकेंगे ताकि लोगों की सन्तुष्टि हो सके और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। वास्तव में मिट्टी के तेल की सर्वाधिक आवश्यकता गांव के लोगों को होती है। अधिकांश गांवों में लोगों को मिट्टी के तेल पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस वितरण समस्या पर विचार करने के लिए और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का अनुरोध करूंगा।

जहां तक औषधियों का संबंध है भारत जैसे निर्धन देश में फार्मास्यूटिकल यूनिट के कार्य निष्पादन का अनुमान उत्पाद के सामाजिक उपयोगिता या इसके द्वारा उत्पादित औषधियों के पैकेज के आधार पर किया जाता है न कि उसके उत्पाद के मूल्यों में हुई वृद्धि से। पांच वर्ष पूर्व औषधियों की उपयुक्त मूल्य नीति की समस्या से निपटने के लिए नियुक्त की गई हाथी समिति ने 117 आवश्यक औषधियों की एक सूची बनाई थी। इन औषधियों के उत्पादन की सरकार को अनुमति देनी दी जानी थी। भले ही उनकी कीमतों का नियंत्रण देश के अधिकांश लोगों के लाभ के लिए किया जाना है।

एक आरोप यह है कि पिछले वर्ष घोषित औषधि नीति और पिछले माह घोषित औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश में आवश्यक औषधियों के संबंध में समिति की सिफारिशों का पालन नहीं किया गया है। यह कहा जाता है कि सरकार ने औषधियों को चार श्रेणियों में बांट दिया है। पहली और दूसरी श्रेणी का मूल्य 40-55% तक रखने की अनुमति दी गई है जबकि तीसरी श्रेणी को 100% मार्क-अप रखने की आकर्षक अनुमति दी गई है और चौथी श्रेणी को इनके नियन्त्रण से बिल्कुल बाहर रख दिया गया है। इसे औषधि मूल्य नियन्त्रण आदेश से एकदम बाहर क्यों रखा गया है ?

शुरू की गई नयी श्रेणियों के विश्लेषण से इस बात का पता चलता है कि हाथी समिति ने आधे से कुछ अधिक जिन औषधियों को आवश्यक बताया है वे तीसरी श्रेणी, अर्थात् ऊंची कीमत और अधिक लाभ की श्रेणी में रखी गई हैं और इस प्रकार वे गरीबों तक नहीं पहुंच सकतीं। हाथी समिति द्वारा शिफारिश की गई आवश्यक औषधियों के सम्बन्ध में, जिन्हें डी० पी० सी० ओ० के अनुसार चौथी सूची और अधिक कीमत तथा अधिक लाभ की सूची में शामिल किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वे आम आदमी की पहुंच से बहार हैं उस विशेष नीति पर यह प्रश्न उठाया गया है। अतः मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि क्या विभिन्न माध्यमों द्वारा और जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा उठाया गया यह मसला सही है, क्या यह हाथी समिति की रिपोर्ट की उपेक्षा नहीं है, और यदि ऐसा है तो किन आधारों पर समिति की रिपोर्ट की उपेक्षा की गई और क्या यह उपेक्षा वास्तव में आम व्यक्ति पर प्रभाव नहीं डालती है ? चूंकि यह मंत्रालय और लोगों के हित में है, अतः इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं अपने राज्य के कुछ उद्योगों से सम्बन्धित तीन या चार मुद्दे उठाना चाहता हूं। इस सदन में मैं कई तरीकों से अपने विचार प्रकट कर चुका हूं और एफ० आई० सी० टी० उद्योग मंडल की कठिनाइयों का उल्लेख कर चुका हूं। उद्योग मंडल केरल में स्थित सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। इसमें लगभग 2000 मजदूर काम करते हैं। संयंत्र पुराना पड़ गया है। यह बिल्कुल पुराना है और यदि मैं सही हूं तो इससे 50 करोड़ रुपये की हानि हो रही है। हमने कहा है कि कैप्रोलेक्टम परियोजना व्यवहारिक परियोजना है जिसका हमारे पास बाजार भी है। मैं इस वक्त भी उस समस्या पर प्रकाश डालना चाहता हूं क्यों कि यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है और इसका प्रभाव हमारे राज्य के सम्पूर्ण आर्थिक विकास और बेरोजगारी की समस्या पर पड़ता है।

दूसरा मसला, जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं वह पैट्रो-कैमिकल्स परियोजना का है। इस सम्बन्ध में केरल सरकार ने पहले ही परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और तकनीकी तथा विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययन की रिपोर्ट भी भेज दी है। यदि यह परियोजना आरम्भ हो जाती है तो यह पैट्रो-कैमिकल्स के सम्पूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा और इसमें लगभग 5000 मजदूरों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे केरल के विकास में बहुमूल्य योगदान मिलेगा।

इसके साथ ही, मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ समय तक हम उर्वरक परियोजनाओं में अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध बनाए रखने में सफल हुए हैं, विशेषरूप से केरल में। वर्तमान स्थिति से पूर्णतया परिचित हैं जिसमें उद्योग, ट्रेड यूनियन तथा जिम्मेदार मजदूर यह सुनिश्चित करने के

लिए सहयोग कर रहे हैं कि मशीनरी और सयत्र के पूर्ण उपभोग को बनाए रखा जा सके और उत्पादन में कोई बाधा न पहुंचे। परन्तु दुर्भाग्यवश अम्बलामाडू में स्थित एफ० आई० सी० टी० के दूसरे यूनिट में बोनस की समस्या है। मैंने पहले भी यह बात मंत्री महोदय के ध्यान में लाई है। दो वर्ष पूर्व उन्होंने 4% की दर अनुग्रहपूर्वक अदायगी की थी परन्तु यह इस वर्ष किए जाने वाले भुगतान में से काटी जा रही है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आप फैक्ट्री को चलाये रखना चाहते हैं या नहीं ?

श्री के० ए० राजन : यह कम्पनी की साख और मजदूरों के सहयोग से चल सकती है। दो वर्षों तक आपने अनुग्रहपूर्वक अदायगी की उन्होंने अधिक उत्पादन किया और इसका उपयोग भी बढ़ गया और न ही कोई औद्योगिक अशान्ति रही। अतः मेरा अनुरोध है कि इस 4% में से कटौती न की जाए।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा (तेजपुर) : पैट्रोलियम मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के साथ-साथ, मुझे कुछ टिप्पणियां भी करनी हैं। जो मंत्रालय पैट्रोलियम के मामले में, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रयत्नशील है, उसके साथ तो हमारी पूर्ण सहानुभूति है, परन्तु फिर भी कुछ ऐसी आलोचनाएं हैं जो चाहे सदन के इस ओर से ही क्यों न आ रही हों, उनकी आवाज दबनी नहीं चाहिये।

निजी स्वामित्व वाली असम तेल कम्पती, न केवल कच्चा तेल निकाल रही है, अपितु शोधन भी कर रही है। एक समय तो यह केवल पैट्रोलियम, मिट्टी का तेल और पैराफीन का ही उत्पादन करती थी। इस बात पर इस सदन में मतैक्य था कि शायद निजी तेल उद्योगों का स्वामित्व, सरकारी क्षेत्र को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। दूसरे सभी तेल उपक्रम तो सरकारी क्षेत्र के अधीन आ गये हैं। बर्मा आयल कम्पनी को साथ मिलाकर, आयल इण्डिया लिमिटेड ही एकमात्र संयुक्त उद्यम है। परन्तु इस पर हमारा नियंत्रण संतोषजनक तथापि हमारे मंत्रालय को, आयल इण्डिया लिमिटेड के लिए, गत वर्ष और इस वर्ष भी, अपनी ओर से चेयरमैन (अध्यक्ष) नियुक्त करने में, सक्षम होना चाहिए था।

असम तेल कम्पनी को अब और अधिक निजी क्षेत्र में नहीं रहने दिया जाना चाहिए। इसका तो अधिग्रहण कर लिया जाना चाहिए था। इस बारे में कुछ विचार-विमर्श, कुछ बात-चीत तो हुई थी, परन्तु वे असफल रही। परन्तु मैं यह आशा करूंगा कि हमारा मंत्रालय चालू वित्तीय वर्ष के अगले 12 महीनों अथवा इससे भी कम मास के अन्दर-अन्दर, इस उपक्रम का अधिग्रहण करने में सफल रहेगा। उसका अधिग्रहण कर लिये जाने पर, जहां तक तेल का सम्बन्ध हैं, ब्रिटिश दाय का अन्तिम चिन्ह भी भारत से मिट जाएगा। इसके साथ ही साथ, आयल इण्डिया लिमिटेड की वे सभी शेयर (अंश) खरीद लेने चाहियें, जिन्हें बर्मा आयल कम्पनी अभी भी रखे हुए है और तेल की खोज, परिष्करण और ऐसे सभी कामों को, भारत की जनता के लाभार्थ सरकारी क्षेत्र के अधीन कर देना चाहिये। उन तेल कम्पनियों, तेल में जुटे लोगों द्वारा भारत में कमाये गये लाभ की कोई भी राशि, देश से बाहर नहीं जानी चाहिए तथा सरकारी क्षेत्र में ही श्रोतों का निर्माण किया जाना चाहिये।

कच्चे तेल और शुद्ध तेल के उत्पादन में भारत पीछे नहीं है। 1978-79 के प्रतिवेदन में मैंने पाया है कि भारत में कच्चे तेल के भण्डारण में 70.70 लाख टन और प्राकृतिक गैस में,

82.8 लाख घन मीटरों की वृद्धि हुई है। इस प्रकार भारत में इसके उत्पादन में वृद्धि होगी। भारत जैसे विशाल देश में चाहे हम तेल में और विशेषकर पैट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्म-निर्भर न बन सकें, परन्तु मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देशों पर अपने कच्चे तेल की आवश्यकता के लिये निर्भर करने और उसे बहुत ही ऊंचे दामों पर खरीदने की बजाय, हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम तेल का उत्पादन करते रहे हैं, परन्तु फिर भी अभी हमें मोटर परिवहन के उपयोग पर, राशन लागू करने, उसे कम करने, पर विचार करना होगा, जो कि इस देश के विकास के लिए अत्यन्त ही अनिवार्य है।

दूसरी बात यह है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया लिमिटेड ने, जोकि कच्चे तेल की खोज के लिये उत्तरदायी हैं यहां-वहां कुछ सर्वेक्षण किये हैं, परन्तु मैं अनुभव करता हूं कि उनकी कार्यवाही क्रमबद्धरूप से नहीं चल रही। उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में तेल के भंडार हैं। तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन तथा आयल इण्डिया लिमिटेड को देश के उस भाग में, तेल की अधिक से अधिक खोज करने के लिये, अपने संयन्त्र, साज सामान और जनशक्ति के 50 प्रतिशत से अधिक अंश को सकेन्द्रित कर देना चाहिये, जिससे हमें यह पता चल सके कि हम कुल कितने भंडार हैं। हमें अधिकाधिक तेल मिलने की आशा है और यह भी अनुमान लगाया गया है कि हमारे पास पर्याप्त तेल के भंडार हैं। परन्तु मुद्दा यह है कि जहां तक तेल का सम्बन्ध है तो, किस सीमा तक, कितने समय तक, और कितने दशकों तक अथवा शताब्दियों तक, हम भारत में पैट्रोल और पैट्रोलियम पदार्थों की खोज जारी रखेंगे, तथा विदेशों पर निर्भर किये बिना, अपनी अर्थ-व्यवस्था और परिवहन की आवश्यकताओं के विकास पर चिन्तन-मनन करते रहेंगे, जिससे हम भविष्य के लिये योजना तैयार कर सकें। उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये, मुझे यह कहना चाहिये कि ते० प्रा० गै० क० तथा आ० इ० लिमि० को विशेष क्षेत्रों में एकजुट होकर अपनी खोज शुरू करनी चाहिये तथा कुछ दशकों तक के लिये भण्डारों का अनुमान तैयार करना चाहिये, और फिर उसके बाद इसकी कार्यवाही को किसी और जगह तक फैलाना चाहिये। अब तो हर जगह खोज-बीन कर रहे हैं, बम्बई में समुद्र के किनारे और उससे हटकर वहां खोज हो रही है तथा दूसरे स्थानों पर भी और उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में भी यहां-वहां उनकी तेल की खोज चल रही है। एक बात और है। भारत में यह एक विचित्र दृश्य वस्तु है तथा विशेषकर मेरे क्षेत्र में। हम वहां चाय पैदा करते हैं, परन्तु इसका विक्रय बाहर होता है, चूंकि इसका वहां पर कोई प्रबन्ध ही नहीं है। प्रबन्ध केन्द्र कलकत्ता में स्थित है और यहां तक कि चाय बोर्ड भी कलकत्ता में ही है। इसी प्रकार असम में भी, तेल तो वहां पाया जाता है, परन्तु उसका परिष्करण बरौनी या बोंगाई गांव में होता है . . .

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा: आप गोहाटी को भूल रहे हैं।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा: मैं भूल नहीं रहा हूं। डिगबोई की क्षमता 5.00 लाख टन की है। जब उन्होंने परिष्करण-शाला को कहीं और स्थापित करना चाहा तो, असम में लोग विरोधस्वरूप जेलों में चले गये। मैं पहले भी इस बारे में बोल चुका हूं। गोहाटी की परिष्करण-शाला की क्षमता 10 लाख टन से भी कम है जोकि केवल 8.00 लाख टन है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में निकाले जाने वाले 27.00 लाख टन कच्चे तेल में से, गोहाटी और डिगबोई

में परिष्कृत किये जाने वाले क्रमशः 8.00 और 5.00 लाख टन कच्चे तेल को छोड़कर, 26.800 लाख टन बरौनी परिष्करण-शाला की जाता है। बोंगाईगाँव की परिष्करण-शाला में निर्माण कार्य चल रहा है और इसकी क्षमता 10 लाख टन की हो जायेगी। अनुमान करें कि हम 30 लाख टन का उत्पादन करते हैं तो हमें तो अपने सीमा क्षेत्र में पाये जाने वाले सारे के सारे कच्चे तेल को परिष्कृत नहीं करने दिया जायेगा। लोगों ने एक आन्दोलन भी छेड़ रखा है। कच्चा तेल तो हम निकालते हैं, परन्तु परिष्करण हमें नहीं करने दिया जाता; चाय तो हम पैदा करते है, परन्तु इसका व्यवसाय कहीं और ही जगह होता है। अतः जो कुछ भी लाभ स्थानीय लोगों को मिलता हो तथा कुछ ही रोजगार के अवसर उन्हें सिलते हैं, उनसे भी उन्हें वंचित रखा जाता है। आप मजदूरी कितनी देते हैं ? 5 रुपये प्रतिदिन। क्या यह एक मजदूर के लिये पर्याप्त है ? परन्तु उसकी भी कोई गारन्टी नहीं है। हमारे लोगों को इन सभी बातों से वंचित रखा जाता है और इसलिए हमारे लोगों में नैराश्य की भावना घर कर गई है।

इसी संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है प्राकृतिक गैस। मैंने भी तो इस सदन में सत्याग्रह किया है। पिछले दस वर्षों से, प्राकृतिक गैस को यूं ही जला कर नष्ट कर दिया जाता रहा है और ऐसा केवल असम में ही नहीं होता अपितु मैंने हाल ही में एक पत्रिका में पढ़ा है कि गुजरात में भी गैस को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। गैस को जलाकर नष्ट करने के बारे में मन्त्री महोदय का कथन है कि कुछ हद तक यह आवश्यक है। महोदय इस प्राकृतिक गैस में शक्ति उत्पन्न करने की विपुल क्षमता है। मेरी समझ में तो गैस को जला डालने की प्रौद्योगिकी आती नहीं है। इसे शक्ति उत्पादन के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है जो उद्योगों के लिये प्रमुख संचालक शक्ति का काम देगी। मुझे आशा है कि जो प्राकृतिक गैस यूं ही जला कर उड़ा दी जाती है, उसे पाईप लाईनों में पकड़कर भरकर उन क्षेत्रों में ले जाया जायेगा, जहां इसका उपयोग उद्योगों को विकसित करने के लिए किया जायेगा। असम में उन्होंने प्रयत्न किये और गैस से फैक्टरियां चलाई जा रही हैं, परन्तु उनके सामने यह कठिनाई है कि वहां वर्ष में पूरे बारह मास इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। गैस सप्लाई करने वाले यह जोर देते हैं कि इसकी खपत सारे साल चालू रहनी चाहिये। परन्तु फिर भी जो कुछ भी अड़चने हैं, इसको एल० पी० जी० में परिवर्तित करने के लिये, जिसकी कि भारत में खाना पकाने के लिये बड़ी मांग है, पाईपों द्वारा इसे भेज सकते हैं। अकेली दिल्ली में ही एल० पी० जी० की पूर्ति के लिये 15000 आवेदन पत्र यूं ही पड़े हैं। खाना पकाने के लिये मिट्टी के तेल और लकड़ी की ईंधन प्रणाली को बदलने के लिये एल० पी० जी० के करोड़ों सिलिन्डरों की आवश्यकता होगी तथा इस प्रकार अपने गैस के स्रोतों के बल पर हम अपनी जनता के भाग्य को सुधार सकते हैं। मेरा विचार है कि इस प्राकृतिक गैस को एल० पी० जी० में परिवर्तित करने के लिये न केवल असम में, बल्कि गुजरात में भी कुछ न कुछ प्रबन्ध अवश्य किया जायेगा और देश के पश्चिमी तथा सुदूर उत्तर पूर्वी भागों से, महानगरों के लिये, जहां खाना पकाने के लिये यह आवश्यक है, सिलिन्डरों का संचालन प्रारम्भ होगा।

पैराफीन मोम के बारे में, मैंने इस रिपोर्ट में भी पढ़ा है और अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर भी कह सकता हूं कि मोमबत्तियां इसी पैराफीन मोम से तैयार की जाती हैं। इनकी ऐसे क्षेत्रों में बड़ी मांग रहती, जहां बिजली में कटौती होती रहती है, विशेषकर पश्चिमी बंगाल में। ऐसे क्षेत्रों में तो मोमबत्ती एकदम बहुत ही जरूरी है। मिट्टी के तेल के बदले, गरीब लोग

पैराफीन मोम से बनी, मोमबत्तियों का ही उपयोग कर सेकते हैं। उस मतलब के लिये, यहां पैदा किया जाने वाला पैराफीन मोम पर्याप्त नहीं है और इसलिये हमें इसका कहीं बाहर से आयात करना पड़ता है तथा सरकार द्वारा निर्धारित एकत्रित मूल्य पर इसकी पूर्ति की जाती है। मैं आशा करता हूं कि सरकार, बोंगाईगांव की परिष्करण-शालाओं और डिगबोई अवस्थित असम तेल परिष्करण-शाला में, अधिकाधिक मात्रा में पैराफीन मोम तैयार करने के लिये, कुछ कार्यवाही करेगी। सरकार को यह देखना चाहिये कि इन परिष्करण-शालाओं में, गरीबों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली मोमबत्तियां तैयार करने के लिये पर्याप्त मात्रा में पैराफीन मोम तैयार कराया जाये।

अन्तिम और एक महत्वपूर्ण बात मैं अपने देश के, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को रोजगार देने के बारे में कहता हूं। पिछले दो-एक वर्षों से मुझे, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की कल्यान समिति की, एक सदस्य के रूप में, सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हमारी समिति ने तेल और पैट्रोलियम मन्त्रालय में कई नियोक्ताओं का परीक्षण किया। हमने पाया कि इन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के पिछड़े लोगों को, भारतीय तेल निगम और अन्य सरकारी उपक्रमों के तृतीय और प्रथम श्रेणी के पदों पर काम करने के लिये, प्रशिक्षित नहीं किया गया था। मैं आशा करता हूं कि जहां कच्चा तेल प्राप्त होता है, उसके निकट गोहाटी और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालयों में, इन लोगों को तथा अन्य युवकों को तेल प्रौधोगिकी में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कोई पाठ्यक्रम तेल प्रौद्योगिकी में चलाया जाये, शुरू किया जाये। उसी उद्देश्य से, मैंने पहले भी अपनी मांग रखी थी। परन्तु मन्त्रालय से ऐसा कोई पाठ्यक्रम चालू करने के लिये कोई उत्तर नहीं आया। अपनी मांग को मैं केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखना चाहता, अपितु मैं चाहता हूं कि गुजरात क्षेत्र में—सौराष्ट्र विश्वविद्यायय अथवा जहां कहीं भी तेल की निकासी होती है, ऐसा कोई पाठ्यक्रम चलाया जाये। वहां स्थानीय लोग तेल प्रौद्योगिकी में शिक्षा-पाठ्यक्रम चालू कर सकते हैं।

हमारे द्वारा पिछड़े क्षेत्र से की जाने वाली कुछ मांगों के सम्बन्ध में, हमें कुछ आलोचनाएं करने की स्थिति में रखने के लिये, उसके लिये समय प्रदान करने के लिये, हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उन्हें स्वीकार कर लेंगे तथा इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस क्षेत्र में और हमारे प्रदेश के विकास में कुछ और अधिक सुधार लाये जायें।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : सभापति महोदय, मन्त्रीवर तो पैट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों तथा रसायनों जैसी अत्यन्त ही महत्व की मदों के प्रभारी हैं। ये मदें कृषि, उद्योग, परिवहन तथा जीवन के हर क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

मुझे खुशी है कि मंत्रालय का कार्य संचालन, इस वर्ष संतोषजनक रहा है। इसमें सुधार हुआ है तथा मुझे आशा है कि आगामी वर्ष इसमें और भी सुधार होगा। मंत्री महोदय एक अत्यन्त ही गतिशील व्यक्ति हैं और अपनी मीठी जुबान के साथ ही साथ उनमें अनेक गुण हैं। और इसी से वे किसी भी व्यक्ति से काम करा सकते हैं। इन सभी मदों में, देश आत्म-निर्भर नहीं है। देश को इन वस्तुओं के आयात पर लगभग 2,500 करोड़ रुपये की भारी राशि

व्यय करनी पड़ती है। मेरे मतानुसार, इन 2500 करोड़ रुपयों में से, जोकि देश की कुल निर्यात आमदनी का पचास प्रतिशत हैं, लगभग 1800 करोड़ रुपये तो केवल कच्चे तेल के आयात पर ही खर्च किये जाते हैं।

जहां तक कच्चेतेल का सम्बन्ध है, तथ्य तो यह हैं कि अपनी आवश्यकता-भर कच्चे-तेल का परिष्करण करने की तो पर्याप्त क्षमता हमारे देश में है, और भी अधिकाधिक क्षमता जुटाई जा रही है। अतः परिष्करण के काम के लिये तो हमें दूसरों पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा, परन्तु जहां तक कच्चे-तेल का सम्बन्ध है, हमें बहुत कुछ हद तक आयात पर निर्भर करना पड़ेगा। महोदय जब इस महत्वपूर्ण सामग्री की पूर्ति कुछेक ही सम्भरणकर्त्ताओं के हाथ में है तो, माननीय मंत्री महोदय के लिये पूर्ति को बनाये रखना कठिन हो जाता है। अतः मेरा तो यह कहना है कि यह अत्यन्त ही आवश्यक है कि उत्पादन को बढ़ाने तथा उपभोग पर नियन्त्रण रखने पर सभी प्रकार से ध्यान लगाया जाये। इस समस्या पर केवल दो तरफा मार मारने से ही इसका हल निकल सकता है। इस समस्या को हल करने और आत्म-निर्भर बनने में कई वर्ष का समय लगेगा।

मोहदय, वर्तमान में पैट्रोलियम पदार्थों का हमारा कुल उपभोग लगभग 280 लाख टन का है, जिसमें से 120.50 लाख टन का उत्पादन तो देश में ही हो जाता है और शेष 160 लाख टन का हम आयात करते हैं, जिस पर हमें 1800 करोड़ रुपये की भारी राशि खर्च करनी पड़ती है। निस्सन्देह ओ०एन०जी०सी० अपनी सामर्थ्यभर अच्छा काम कर रहा है, परन्तु फिर भी खोज कार्य को गति मिलनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास खोज कार्य को गति प्रदान करने वाली कोई योजना है। मंत्री महोदय तो जानते ही होंगे कि हमारे बहुत से युवक दूसरे देशों में इसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। विदेशों में अपने हाल ही के दौरे में मैं कुछ मित्रों से मिला जो विदेशों में पैट्रोलियम उत्पादनों के विभागाध्यक्ष बने बैठे हैं। ऐसे सभी विशेषज्ञों को वापिस लौटने और इस क्षेत्र में हमारे देश को आत्म-निर्भर बनाने के काम को अपने हाथ में लेने के लिये प्रोत्साहित करना होगा। इस सम्बन्ध में जो एक कठिनाई सामने आयेगी वह यह है कि हमारे वेतनमान बहुत ही कम हैं। हम तो एक विशेषज्ञ को 2000/– रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं दे सकते, जबकि दूसरे देशों में उन्हें 2000 डालर प्रतिमास मिलते हैं। इन प्राविधिज्ञों और विशेषज्ञों के लिए उच्च वेतनमान लागू करने होंगे, जिससे कि वे यहां वापिस आकर कार्य करें तथा उत्पादन बढ़ाने में देश की सहायता भी करें जिसकी आवश्यकता बहुत ही जोरों से है।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात निरर्थक उपभोग के बारे में कहना चाहता हूं। सड़क से कोयले के लाने ले जाने में पैट्रोल का बेकार उपभोग किया, खर्च किया जाता है और इसी प्रकार उर्वरकों, सीमेंट तथा इस्पात को भी सड़क से ढोकर पैट्रोल फूंका जाता है। इन वस्तुओं के परिवहन में, भारी मात्रा में डीजल का उपभोग किया जाता है। यदि उन्हें रेलों द्वाराप्रेषित किया जाये तो, हम बहुत से पैट्रोल की बचत कर सकते हैं। अतः, यह बहुत ही जरूरी हो जाता है कि ऐसे उपभोग की मात्रा कम की जाये और उसे बन्द कर दिया जाये।

अब मैं उर्वरकों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। हम प्रतिवर्ष 400 से 500

करोड़ रुपयों तक के उर्वरकों का भी आयात कर रहे हैं। इस खर्च से बचा जा सकता है। यदि उचित कार्यवाही की जाये तो कुछ बातों को छोड़ा जा सकता है और छोड़ भी देनी चाहिये।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि देश में, उर्वरकों, नाईट्रोजीन्यस फोस्फेट की कुल उत्पादन क्षमता लगभग 43 लाख टन है। उत्पादन केवल इसके 72% तक किया जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ क्षमता उपयोगिता केवल 72% है। मंत्रालय के प्रतिवेदन में, उर्वरकों के बारे में, एककों की अलग-अलग व्यक्तिगत क्षमता उपयोगिता नहीं दर्शाई गई है। पैट्रोलियम मंत्रालय के प्रतिवेदन में तो एककों की व्यक्तिगत परिष्करण क्षमता को दर्शाया गया गया है। परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आया कि विभिन्न उर्वरक-एककों की क्षमता उपयोगिता को क्यों नहीं दिखाया गया।

मैं ऐसे अनेक एककों को जानता हूं, जो उत्पादन क्षमता के केवल 40% का ही उपयोग कर पा रहे हैं, जिससे लगभग 60% क्षमता बेकार पड़ी है।

महोदय यदि क्षमता उपयोगिता को बढ़ा दिया जाये तो उस मामले में हम आयात से छुटकारा पा सकते हैं तथा हम पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा की भी बचत कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मन्त्री महोदय इस क्षमता उपयोगिता में सुधार लाने के लिये अपना भरसक प्रयत्न करेंगे। मुझे यह भी विश्यास है कि वह यह भी बतायेंगे कि समग्ररूप से क्षमता की उपयोगिता को और अधिक अच्छा बनाने के लिये, उन्होंने क्या कार्यवाही की है, वह क्या कार्रवाही करने जा रहे हैं। हम जो भी आयात करें वह उचित ढंग से योजनाबद्ध ढंग से करें। बम्बई बन्दरगाह पर कुछ उर्वरक वर्षाकाल में आये तथा वर्षा के कारण वे सब घुल-घुल कर बह गये। मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि यदि आपके लिये आयात करना आवश्यक है तो उसका आयात उचित समय पर करो जिससे कृषक समाज उन्हें प्राप्त कर सके, उनका उपयोग कर सके तथा इससे कोई बरबादी नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में इन सभी मामलों में उचित ढंग से योजना तैयार की जायेगी। मेरे विचार से तो उर्वरकों का आयात आवश्यक नहीं है, परन्तु यदि आप समझते हैं कि आयात करना अनिवार्य है तो, आपको यह भी देखना होगा कि जो कुछ आप आयात करते हैं वह बेकार न जाये जिससे कि किसान लोग इन वस्तुओं का लाभ उठा सकें।

अब मैं अपने दुसरे मुद्दे पर आता हूं जो रसायन अद्योग से सम्बद्ध है। इस क्षेत्र में भी आप पाते हैं कि बहुत सी ऐसी मदें हैं, जिनका अभी तक भी आयात किया जाता है। इस सम्बन्ध में, मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन-से कारण हैं, जिनके कारण कोई नया एकक इस क्षेत्र में नहीं खोला जा रहा है। इस मामले में केन्द्रीय सरकार इतनी उदासीन क्यों है? जहां तक कास्टिक सोडा और सोडा ऐश आदि का सम्बन्ध है, नये एकक स्थापित क्यों नहीं किये जा रहे हैं? इन सभी चीजों की अभी भी कमी है। परन्तु हम पाते हैं कि गत दो वर्ष में, कोई नया एकक नहीं खड़ा किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिये जिससे उत्पाद में वृद्धि हो और हम अपने लोगों की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सकें। इसके लिये दीर्घकालीन योजना की आवश्यकता है।

अब मैं कुछ बातें दवाइयों के बारे में बोलना चाहता हूं। सल्फ़ा औषधियों के उत्पादन में गिरावट आई है। उनका उत्पादन गिर रहा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इसके क्या

कारण हैं ? मेरा यह निवेदत है कि वे उतर देते समय वे देश में सल्फा दवाइयों के कम उत्पादन कारणों पर प्रकाश डालें नथा हमें यह बताएं कि वे उनके उत्पादन में वृद्धि के कौन से उपाय कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे उठाये हुये सभी मुद्दों का उत्तर देंगे। धन्यवाद।

चौ० बलबीर सिंह (होशियारपुर) : यह बहुत बड़ा और अहम महकमा है। हिन्दुस्तान की इकोनोमी और इंसानी जिंदगी इस पर बेस्ड है। दवाइयां, तेल, पैट्रोल सब इसके जिम्मे हैं। फर्टिलाइजर यह बनाता है। अगर फर्टिलाइजर न हो तो खुराक जितनी हम पैदा कर सके हैं, अनाज जितना हम पैदा कर सके हैं हम नहीं कर सकते थे। सब से अहम बात यह है कि यह हैवी वाटर भी बनाता है जिस की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। बाहर से मंगाना पड़ता है तो उसके लिए हमें कितना मोल देना पड़ता है उसको तो आप छोड़ दें हम को ज़लील भी होना पड़ता है और कौमी इज्जत को भी ताक पर रखना पड़ता है। इसके लिए हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। हैवी वाटर की पैदावार और ज्यादा आप बढ़ाएं। दूसरी चीज़ें थोड़ी कम भी हो जाएं लेकिन इसकी तरफ आप जरूर ध्यान दें क्योंकि यह न्यूक्लियर फ्यूल के काम में आता है और कभी अमरीका से और कभी फ्रांस से .....

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : हैवी वाटर एनर्जी मिनिस्ट्री के अंडर आता है।

चौ० बलबीर सिंह : आपकी अभी शादी हुई है और आप भूल गए हैं कि यह नांगल का जो प्लांट है वहां बनता है। वहां फर्टिलाइजर फैक्ट्री है। उसके साथ ही प्लांट है नंगल में जहां यह बनता है। गुजरात में भी बनता है। इसको बढ़ाने के लिए जितनी आप कोशिश कर सकते हैं करें।

सौगत राय जी बीवी ले आये हैं उनकी बीवी की आंखें खराब न हो जाएं। इस वास्ते जितने भी हमारे मिडल क्लास या लोअर मिडल क्लास के लोग हैं और गरीब लोग हैं उनको आप गैस के कनेक्शन दें। बड़े लोग जिन के घरों में नौकर रोटी पकाते हैं और नौकरों की जिन के घर में फौज है और जिन को घर में खाना बनवाने की फिक्र भी नहीं होती है, बाहर से जिन के लिए आ जाता है उनको फर्क नहीं पड़ता है। जिनके घरों में बीवियां रोटी पकाती हैं और दस खाने वाले और आ जाते हैं और वहां अगर गैस का साधन नहीं है और लकड़ी वगैरहा जलाई जाती है तो उसके धूंएं से आंख खराब हो जाती है। श्री सौगत राय के लिए भी आप गैस की कोशिश करें और निचले लेवेल पर भी आप गैस देने की व्यवस्था करें। दिल्ली में बहुत ज्यादा लोगों के पास है। दूसरे जो शहर आदि हैं जहां पर कलर्क आदि बेचारे काम करते हैं या उनसे नीचे के लोग हैं उनको आप गैस के कनेक्शन दें। टाटा को आपने बम्बई में दिया है। वह क्या बनाएगा और क्या नहीं पता नहीं। सारी की सारी गैस बम्बई में गरीब झोंपड़ी वालों तक आप पहुंचा देते जिन को जरूरत थी तो यह जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती। जब श्रीमती इंदिरा गांधी गद्दी पर बैठी थीं तब डा० लोहिया ने कहा था कि मैं तब समझूंगा कि एक औरत गद्दी पर बैठी है और वह औरतों का ख्याल रखती है अगर कोई ऐसा चूल्हा बन जाएगा जिस से धुंआ न निकलता हो। गैस का जो चूल्हा है इससे धुंआ नहीं निकलता है। इसको तरतीब से रख कर और इस्तेमाल करके घर में जगह को भी

बचाया जा सकता है, बहुत ज्यादा जगह की उसके वास्ते रसोई घर में जरूरत नहीं होती है। बड़े-बड़े घरों में तो रसोई घर हैं। उनके यहां किचन अलहदा होती है। लेकिन एक गरीब के यहां तो एक ही कमरा सब कुछ है। ट्रंक दूसरी तरफ हटाकर उस पर दरी बिछा दी तो वही तख्तपोश हो जाता है। और उनको हटाकर उसके नीचे और ऊपर चारपाईयां दे दें और बच्चे उनके नीचे लेट जायें तो वही उनका बेडरूम बन जाता है। इसलिये ऐसे लोगों के लिये भी सोचिये। उनके लिये गैस की सुविधा आप मुहैया करा दें तो आप जनता पार्टी के फेस को निखार सकते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि लोगों को कम से कम यह सहूलियत मिलनी चाहिये।

अब मैं अपने इलाके की बात करना चाहता हूं। ज्वालामुखी में तेल निकालने के लिये ड्रिलिंग हुई, वहां खोदा गया है, तीन चार बार खुदाई हुई लेकिन उसे बीच में ही छोड़ते रहे। इस बार फिर उन्होंने छोड़ दिया था। एक रूस का एक्सपर्ट आया और उसने कहा कि अगर ड्रिलिंग करनी है तो 5,000 फ़ीट के नीचे कीजिये तब जाकर तेल मिलेगा। उनकी रिपोर्ट आपको मिल गई होगी। वहां एक बार तय हो जाये कि गैस है कि नहीं। मेरा ख्याल है कि वहां गैस जरूर है, जिसका सबूत वहां की ज्योति है जो बराबर चलती रहती है। वहां आपको क्रूड तेल भी मिलेगा। सनातन धर्म वाले कहते हैं कि यह ज्मोति देवी की शक्ति का चमत्कार है। तो मैं किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन मेरी राय में वह गैस का ही चमत्कार है इसीलिये वह ज्योति जलती है। और जब वहां ड्रिलिंग हुई तो गैस निकली है। लेकिन कमर्शियल तौर पर नहीं निकल सकी। तो रूस वाले ने कहा है कि यहां गैस और तेल का भंडार है और इसके लिये 5,000 मीटर के नीचे ड्रिलिंग करनी होगी। आप अपने साइंटिस्टों से तजुर्बा कराइये।

हमारे देश में पैट्रोल की कमी है, लेकिन गन्ना और शीरा बहुतायत में होता है। इससे अल्कोहल बनाकर पैट्रोल में शामिल करके उसको इस्तेमाल कर सकें तो अच्छा रहेगा। खाने के चूल्हे में वह काम आ सके तो अच्छा है। किसी ढंग से उसका कोई तनासुब बनाया जाये जो मोटर में काम आ सके, जैसे कि ब्राज़ील में है, तो अच्छा रहेगा। आज गन्ने वाले किसान अपना गन्ना जला रहे हैं। क्यों न गन्ने से हम इस कमी को पूरा करें। अभी तो क्रूड बाहर से मंगाने में काफी पैसा खर्च करना होता है। यहां जो चीज़ बहुतायत में है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बारे में रिसर्च होनी चाहिये।

अब मुझे दवाइयों के बारे में कुछ कहना है। दवाइयां सब के लिये जरूरी हैं, और खास कर आपकी उम्र के लोगों के लिये। किसी बड़े फिलासफ़र ने कहा था : "जो बीमार पड़ते हैं वे अधम होते हैं। अपराधी तो देश का, धरती का ही कानून तोड़ते हैं, बीमार आदमी तो भगवान के विधान को ही भुला देते हैं।" तो दवाइयां आपके पास हैं। लेकिन जब किसी डाक्टर के पास मरीज जाता है और जब डाक्टर पर्ची पर लिख देता है कि यह दवाइयां ले आओ और उस पर्ची को लेकर मरीज़ केमिस्ट के पास जाता है और वह कहता है कि 539 रु० लेकर आइये .... पर्ची लेकर दवाई लेने जाने वाला यह देखता है कि यह 539 रुपये बचा लूं या उसकी जान बचा लूं, यह बहुत बड़ी बात है। अगर हम दवाई की कीमत कम नहीं कर सकते तो हमें सब्सीडाइज़ करना चाहिये। मैं आपकी कमेटी का मेम्बर भी हूं, कीमतें जिन हालात में आज चल रही हैं इसके बारे में वहां भी बात चली। मल्टी-नेशनल्ज़ के बारे में वहां आपकी बेबसी देखकर

कइ बार तरस भी आता है। मल्टी-नेशनल्ज आपके लाइसेंस की परवाह नहीं करते, वह अपनी मर्जी से बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन्ज़ को रद्द करके अपना काम करते हैं और आप वहां हैल्पलैस हैं। यह आज भी चल रहा है और कांग्रेस के राज्य में भी चल रहा था। आप इसको तरतीब से बनाने की कोशिश कीजिये, इन पर रोक लगाइये और जहां तक हो सके सस्ती दवाइयां मिलें, इसके लिये कोशिश कीजिये। जितनी देर तक वहां बनने वाली दवाइयां सस्ती न मिल सकें, उतनी देर तक आप दवाइयों में सब्सीडाइज़ कीजिये।

दवाइयां सस्ती हों, या मैडिकल इन्श्योरेंस हो लेकिन मैडिकल इन्श्योरेंस की आपके यहां कोई स्कीम या महकमा नहीं है। दवाई इस कीमत पर होनी चाहिये जिससे आम आदमी उसे खरीद सके। आज दवाई इतनी मंहगी है कि खरीदने वाला बार-बार सोचता है कि 500 रुपये की दवाई लेकर एक मरीज़ की जान बचा लूं या जो बचे हुए लोग घर में हैं, उनकी रोटी का साधन करूं। इन्सान की जिंदगी तराजू की तरह चलती है जिसमें एक तरफ़ एक आदमी की ज़िंदगी है और दूसरी तरफ मंहगी दवाई खरीदने की बजाय रुपये बचाकर परिवार के दूसरे लोगों की जिंदगी चलाने की बात होती है। इसलिये वह सोचता रहता है और इधर मरीज इन्तजार करते-करते मर जाता है कि डाक्टर की दवाई लेकर आता होगा।

मेरा निवेदन है कि महकमे को तरतीब देने की कोशिश कीजिये, जो मेरे तुच्छ सुझाव हैं, उन पर अमल करने की कोशिश कीजिये तभी हम जनता पार्टी द्वारा बताये कामों को पूरा कर सकते हैं।

श्री बी० के० नायर (मावेलिकरा) : मुझे इस चर्चा में भाग लेते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है क्योंकि यह मंत्रालय उन कुछ मंत्रालयों में से एक है, जिन्होंने अपना कार्य सफलतापूर्वक किया है किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि इस मंत्रालय के लिए और अधिक कुछ करने के लिए नहीं रह गया है। अभी इस मंत्रालय को बहुत कुछ काम करना बाकी है। हां इतना आवश्यक है कि अभी तक जो कार्य किए गए हैं वे काफी सुचारू रूप से किए गए हैं (**व्यवधान**)

उदाहरणार्थ उवर्रकों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तेल की खोज के क्षेत्र में भी पर्याप्त काम हुआ है। बम्बई तथा बम्बई हाई को जोड़ने वाली समुद्री पाइप लाइन बिछा दी गई है। औषधियों को उपलब्ध करवाने के लिए नई औषधि नीति तैयार की गई है ताकि ये औषधियां जनसाधारण को सहज उपलब्ध हो सकें। इन सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस मंत्रालय द्वारा अब तक सराहनीय कार्य किया गया है।

परन्तु जब कभी कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो प्रायः उससे यह आशा भी की जाती है कि वह और अधिक अच्छा कार्य करे। मैं इसके लिए मंत्री महोदय तथा उनके सहयोगी व्यक्तियों को, तथा विशेषरूप से वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अधिक परिश्रम करके इस बात का पता लगाया कि किन क्षेत्रों में तेल की संभावना हो सकती है तथा किन क्षेत्रों में खुदाई का कार्य किया जाना चाहिए। इस बात का उल्लेख मैंने विशेषरूप से इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि श्री बहुगुणा इस अनुसंधान कार्य में लगे वैज्ञानिकों के दल को विशेषरूप से बधाई दें क्योंकि प्रायः ऐसे अवसर कम आते हैं जबकि मंत्रीगण वास्तव में कार्य करने वाले लोगों को बधाई देते हों। बल्कि प्रायः यह देखने में आया है कि मंत्री लोग अपने अधिकारियों को यह कहकर अपमान करते हैं कि वे तो केवल पैसे के लिए काम करते हैं।

हमारे वैज्ञानिकों ने अत्याधिक सराहनीय कार्य किया है जिसके लिए वे प्रोत्साहन के पात्र हैं। वे लोग हम राजनीतिज्ञों की अपेक्षा कहीं बहतर कार्य कर रहे हैं। वे राष्ट्र के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। सराहना के ये शब्द कहने के बाद मैं आपका ध्यान उन त्रुटियों तथा कार्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिन्हें करना अभी बाकी है। मेरे बहुत से मित्रों ने क्षमता के कम उपयोग किए जाने की आलोचना की है। दूसरे साथ ही हम उर्वरकों का निर्यात भी कर रहे हैं। उदाहरणार्थ हमारे यहां केवल 60.80 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है जबकि दूसरी ओर हमें वही मात्रा में उर्वरकों का आयात करना पड़ रहा है। यह एक हास्यस्पद बात है। हमें अपनी क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए हर संभव प्रत्यन क्यों नहीं करना चाहिए ? अनेक उद्योगों द्वारा यह किया जा रहा है। मुझे आशा है कि अगले वर्ष माननीय मंत्री जी कहेंगे कि शत-प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है।

उर्वरक पर हमारी सभी प्रकार की प्रगति निर्भर करती है। अब हम नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों पर अधिक जोर दे रहे हैं। इसलिए हमें फोस्फेटिक तथा पोटासिक उर्वरकों के उत्पादन की ओर ध्यान देना होगा। इन दोनों प्रकार के उर्वरकों की ओर अभी तक पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। यह ठीक है कि नाईट्रोजन उर्वरक उपलब्ध है, फिर भी हमें दूसरे उर्वरकों का उपयोग भी काफी हद तक करना है। मैं यह महसूस करता हूं कि उन्हें अपेक्षित महत्व नहीं दिया गया है। श्रीमान हमारे उर्वरक कारखाने ऐसे क्षेत्रों में लगे हुए हैं जहां उनकी जरूरत नहीं है। हमारे राज्य में चाय, रबड़, इलायची, नारियल तथा धान की खेती होती है। केरल में हर प्रकार की फसलें होती हैं। परन्तु हमारा उत्पादन सीमित होता है। तथा हमें ये वस्तुएं मद्रास, तूतीकोरिन, मंगलौर तथा बम्बई से मंगवानी पड़ती हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमें परिवहन पर व्यर्थ में काफी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। हम भला नए कारखाने उन स्थानों पर क्यों नहीं लगाते जिनके आस-पास समान माल उपलब्ध हो जाता है। अभी तक केरल में उर्वरकों का उत्पादन करने के लिए एक या दो कारखाने और लगाए जा सकते हैं और उनमें किया गया उत्पादन हमारे राज्य की आवश्यकता से अधिक नहीं होगा अपितु वह किसी हद तक हमारी मांग को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। जहां तक आधुनिकीकरण तथा विस्तार का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय एफ० ए० सी० टी० एकक का आधुनिकीकरण तथा विस्तार कार्यक्रम आरम्भ करने की ओर अपेक्षित ध्यान देंगे। वह सराहनीय कार्य कर रहे हैं। परन्तु अब समय आ गया है जबकि हमें अपने सभी तेल संसाधनों का पता लगाना होगा। परन्तु उनका पूरा उपयोग नहीं करना होगा। हमारा नारा यह होना चाहिए 'खोज करो निकालो मत'। क्योंकि इसके बारे में हमारे साधन बहुत सीमित हैं। वे 20-30 वर्षों से अधिक नहीं चल पायेंगे। यहां तक कि एशिया के पश्चिमी देशों के बारे में भी यह कहा जाता है कि उनके संसाधन भी 50 वर्षों में समाप्त हो जायेंगे। अतः हमें अपने संसाधनों की खोज करने का पूरा-पूरा प्रयत्न करना चाहिए।

केरल तट पर तेल की खोज करने की बात की गई थी। ऐसा लगता है कि पिछले मौनसून के बाद यह योजना समाप्त कर दी गई है। यद्यपि हमें यह विश्वास दिलाया गया है कि कुछ समय बाद यहां खुदाई कार्य आरम्भ किया जायेगा तथापि अभी इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यदि संभव हो तो हमें केरल तट पर तेल की खोज का कार्य आरम्भ करने का प्रयास करना चाहिए।

अरब देशों की मुख्य विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए मेरा यह सुझाव है कि राजस्थान क्षेत्र में तेल की खोज का कार्य करना लाभकारी सिद्ध होगा। यहां तक की सहारा जैसे मरुस्थल में तथा साउदी अरब के मरुस्थल में भी कच्चा तेल उपलब्ध होने लगा है। वह कच्चे तेल का बहुत बड़ा केन्द्र है। इसलिए मेरा सुझाव है कि राजस्थान में भी तेल की खोज की जानी चाहिए। परन्तु यह बहुत उच्च प्रौद्योगिकी का मामला है जबकि मेरी जानकारी इस बारे में बिलकुल साधारण है। हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा किया ही जाना चाहिए चाहे हमें उसके निर्यात पर कितनी ही धनराशि व्यय क्यों न करनी पड़े। उर्वरक के उत्पादन के बारे में मैं कुछ विशेष बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। इसके दो कारखानों का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। एक तूतीकोरिन स्थित एस० पी० आई० सी० कारखाना है। कल इस कारखाने में चल रहे कुप्रबन्ध का उल्लेख किया गया था। इस कारखाने पर करोड़ों रुपये का पूंजी निवेश किया जा चुका है तथा इस पर बहुत अधिक आशाएं लगी हुई थीं। जहां तक मुझे याद है यह कारखाना भी तभी चालू किया गया था जबकि मंगलौर स्थित उर्वरक कारखाना चालू किया गया था। अब जबकि मंगलौर के कारखाने में वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हो गया है, एस० पी० आई० सी० कारखाने द्वारा अभी भी मुख्यतः आयातित उर्वरकों का वितरण कार्य ही किया जा रहा है। इस बात की जांच की जानी चाहिए कि वास्तव में वह कुप्रबन्ध है और यदि हां तो उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है।

एक उर्वरक कारखाना रामागुण्डम में भी है। इसे प्रयोग के तौर पर आरम्भ किया गया था। जैसा कि बहुगुणा जी ने भी कहा कि यह एक प्रयोगात्मक कारखाना है तो मैं समझता हूं कि इसे इतना बड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। वहां हुई प्रगति संतोषजनक नहीं रही है केवल कुछ उत्पादन एकक ही पूरे किये गये हैं, कुछ को अभी पूरा करना है जो एकक चल रहें हैं वे भी सुचारु रूप से नहीं चल रहे हैं और वहां आये दिन गड़बड़ी होती रहती है। इसके साथ ही जिन विदेशी तकनीकों को इस कार्य में सहायता करनी थी वे भी अपेक्षित सहायता नहीं कर रहे हैं और इतना ही नहीं बल्कि उसके लिए अत्याधिक फीस की मांग कर रहे हैं। हमारे एफ० डी० डी० आई० एल० के उर्वरक विशेषज्ञ संभवतः अभी इस कार्य के बारे में पूर्ण तकनीकी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाये हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि इसके लिए हमें कुछ धनराशि विदेशी तकनीकों पर खर्च करनी पड़ती है तो हमें ऐसा करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे लिए धन नहीं अपितु रामांगुन्डम अधिक महत्वपूर्ण है। और रामागुन्डम पर ही त्रिचूर तथा अन्य एकक निर्भर करते हैं। रामागुन्डम के लिए घटिया किस्म का कोयला चाहिए जिसकी सप्लाई वहां काफी मात्रा में उपलब्ध है। अब जबकि इसमें कार्य आरम्भ हो ही चुका है तो इसे पूरी गति के साथ आगे चलाया जाना चाहिए। ऐसी आशा की जा रही थी कि जुलाई, अगस्त में इस कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो जाएगा परन्तु ऐसा नहीं हो पाया है। अतः हमें हर संभव प्रयत्न करना चाहिए कि रामागुन्डम एकक में शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ हो जाए।

मैं अनुसंधान की बात कर रहा था और आज के समाचारपत्र में ही यह समाचार छपा है कि पैट्रोल के साथ अल्कोहल का प्रयोग किया जा रहा है। यदि आप हमारे वैज्ञानिकों को अपेक्षित प्रोत्साहन तथा सुविधाएं दें तो वे इस क्षेत्र में काफी सराहनीय कार्य कर सकते हैं तथा पैट्रोल की कमी को अल्कोहल का उत्पादन करके काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। हम

इस स्थिति में हैं कि हम केवल खोई से ही नहीं बल्कि गेहूं आलू आदि अन्य कृषि उत्पादों से भी अल्कोहल का उत्पादन कर सकते हैं। सिंथेटिक अल्कोहल का उत्पादन करने की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि पैट्रोल की कमी को पूरा किया जा सके।

औद्योगिक दृष्टि से केरल बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां पानी, भूमि, बिजली तथा निपुण लोगों की कोई कमी नहीं है। परन्तु फिर भी वह देश के पिछड़े राज्यों में से एक है। श्री बहुगुणा जी का विभाग उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि वहां रासायनिक उद्योगों, उर्वरकों तथा औषधियों से सम्बद्ध उद्योगों की स्थापना करना काफी संभव है। वहां औषधियों का केवल एक ही कारखाना है जो कि सरकारी क्षेत्र में है। किन्तु यह काफी छोटा है। इसका पर्याप्त विस्तार किता जाना चाहिए। जब हम केरल की औद्योगिकीकरण की बात करते हैं तो इस कार्य में सर्वाधिक सहायता इस मंत्रालय द्वारा की जा सकती है। मुझे आशा है कि बहुगुणा जी तथा उनका मंत्रालय इस बारे में निश्चय ही हमारी सहायता करेगा।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : पिछले सप्ताह मैंने वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बहुत ही संक्षिप्त में बोला। उसी तरह इस मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में भी मैं संक्षेप्त में कहूंगा। फिर भी मुझे इन मामलों पर कुछ बोलना है क्योंकि उनका सम्बन्ध मेरे ही राज्य से नहीं है, बल्कि देश के हितों से भी उनका सम्बन्ध है।

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है और मेरे मित्र श्री सौगत राय जी ने इस मंत्रालय को साम्राज्य की संज्ञा दी है। मैं यह बता दूं कि यह साम्राज्य की तरह नहीं है, बल्कि उससे भी अधिक है।

[श्रीमती पार्वती कृष्णन् पीठासीन हुईं]

यह केवल दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात यह कि इस साम्राज्य का मुखिया कौन है। उसका क्या रवैया है और क्या वह वहां कार्य करने वाले लोगों पर नियंत्रण करने में सक्षम है। इस भावना से मैं यह कह दूं कि श्री बहुगुणा का पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है जिसका सम्बन्ध बहुत ही महत्वपूर्ण मामलों तथा निर्गयों से है। अतः मेरा सुझाव है कि समय एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि ठीक समय पर निर्णय न लिए गए तो करोड़ों रुपये का घाटा हो सकता है और मैं नहीं समझता कि ऐसा होने दिया जायेगा या इसे सहन किया जायेगा।

श्री बहुगुणा एक उद्यमी तथा गतिशील मंत्री माने जाते हैं। वह अपनी बात बहुत ही उपयुक्त ढंग से पेश करते हैं। इतना ही नहीं वह तथ्यों तथा अन्य खूबियों से अपने आलोचकों को निरुत्तर कर देते हैं। अतः वह बहुरूपी ही नहीं हैं बल्कि बहुगुणी तथा बहुमुखी भी हैं।

मेरा प्रथम प्रश्न यह है कि बम्बई हाई गैस का क्या हुआ है। मुझे पूरी आशा है कि वह इस पर विस्तार से कहेंगे कि वहां क्या-क्या हो रहा है। मेरे राज्य में एक धारणा है कि बम्बई हाई से समुद्री लाइन द्वारा मई, 1979 तक जो गैस गुजरात को सप्लाई की जानी थी वह सप्लाई नहीं की जा रही है। पहले हमें यह कहना कि पांच छः वर्ष प्रतीक्षा कीजिए और फिर यह कहना, कि अपनी जरूरत बताइये तभी हम आपको गैस देंगे, उचित नहीं है जबकि आप बम्बई और उसके इर्द-गिर्द के क्षेत्रों को गैस दे चुके हैं। मुझे इसका दुख नहीं है कि आपने

बम्बई को गैस दी है। अच्छी बात है कि आपने बम्बई को गैस दी है। आपने बम्बई हाई तट दूर से गैस देने का समय मई, 1978 निर्धारित किया था। फिर गुजरात के लिए जो मई, 1979 का समय निर्धारित किया गया था, उसे पूरा क्यों नहीं किया। आप आश्वासन दीजिए कि गुजरात में गैस लाइन यथाशीघ्र उपलब्ध की जायेगी। मैं यह जानता हूँ कि बम्बई हाई प्राथमिकता सूची में है और वास्तव में यह ऐसा कार्य है कि इसे युद्धस्तर पर किया जाना चाहिये क्योंकि हम इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक कच्चे माल को हम बेकार नहीं जाने दे सकते जोकि सौभाग्यवश हमारे देश में माफी मात्रा में उपलब्ध है।

मंत्री महोदय को यह जानकारी है, सम्भवतर सदन भी यह जानता है परन्तु फिर भी मैं इसकी पुनवृत्ति कर देता हूं कि गुजरात ने अपने विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिगा है कि उसकी प्रतिदिन की गैस की आवश्यकता कई मिलियन क्यूबिक मीटर होगी। सूरत के निकट स्थित हाजीरा में के दो उर्वरक कारखानों को प्रतिदिन 300 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक निगम, जोकि गैस पर ही आधारित है, के लिए 1.5 मिलियन क्यूबिक मीटर की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार गुजरात राज्य पैट्रो-रसायन संयंत्र के लिए भी 150 मीटर और तथा गुजरात की वर्तमान एककों के लिए अभी वर्तमान सप्लाई मांग की तुलना में 0.80 कम है। इस प्रकार से वहां पहले ही गैस की मांग 6.80 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। तो फिर भला मंत्री महोदय यह तर्क क्यों दे रहे हैं कि पहले हमें अपनी आवश्यकता प्रमाणित कीजिये, फिर उसके अनुसार आपको गैस दी जायेगी। इसलिए उसमें इस संदेह का होना स्वाभाविक ही है कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं, आप उसके प्रति ईमानदार नहीं हैं। परन्तु मैं यह नहीं कह रहा अपितु मेरे राज्य में लोगों के मन में इस प्रकार की भावना है और इस प्रकार की भवाना को लम्बे समय तक बनाये रखने देने का कोई लाभ नहीं है तथा विशेषरूप से इन परिस्थितियों में जबकि गुजरात तथा केन्द्र दोनों में ही जनता सरकार सत्ता में है और मेरे आदरणीय मित्र श्री बाबूभाई पटेल, गुजरात में मुख्य मंत्री कई बार यहां आये हैं तथा इस मामले के बारे में उन्होंने भारत सरकार को कई ज्ञापन भी भेजे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि पैट्रोलियम मंत्रालय इस मामले पर शीघ्र विचार करें। कच्चे तेल पर रायल्टी का प्रश्न भी एक ऐसा प्रश्न है जो हमारी परेशानी का कारण बना हुआ है। एक समय था जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 15 अक्तूबर, 1962 को 15 रुपये प्रति टन की दर से रायल्टी निर्धारित की थी। इसके बाद 8 सितम्बर, 1966 को दस वर्ष का समय पूरा होने से पहले ही इसे बढ़ाकर 42 रुपये कर दिया गया। अब गुजरात द्वारा यह मांग की जा रही है कि अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में कच्चे तेल के मूल्यों के अनुरूप ही रायल्टी निर्धारित की जानी चाहिए। मुझे यह समझ नहीं आती कि सरकार इसके बारे में निर्णय क्यों नहीं कर रही है। सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि निर्णय कालावधि समाप्त होने पर किया जायेगा और मैं यह समझता हूं कि कालावधि 31 मार्च, 1979 की समाप्त हो गई है। अगर ऐसी ही बात है तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह कच्चे तेल पर उचित तथा न्यायसंगत रायल्टी गुजरात को देने के प्रश्न पर विचार करे।

जहां तक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का सम्बन्ध है, इसके अनेक कार्य मेरे ही चुनाव क्षेत्र गांधीनगर में चल रहे हैं जो कि साबरमती वाया शेरथा से कालोल तक चल रहे हैं यद्यपि

कलोल मेरे चुनाव-क्षेत्र में नहीं अपितु कुमारी मणिबेन पटेल के चुनाव-क्षेत्र में आता है। अतः तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य तो चल ही रहे हैं। निजि क्षेत्र के उद्योगों से गैस के जो मूल्य लिए जा रहे हैं वह निश्चय ही बहुत अधिक हैं वर्ष 1968 में इसका मूल्य 74.71 रुपये था। अप्रैल 1978 में इस मूल्य को बढ़ाकर 504 रुपये करने की अनुमति दे दी गई। इसके लिए तर्क यह दिया गया कि यह मूल्य गणना भी कोयले के आधार पर ही की गई है। गुजरात के लिए कोयले की सप्लाई करना कठिन कार्य है। इसकी दूरी काफी अधिक है तथा वैगन उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए यदि हम सड़क परिवहन के माध्यम से कोयला मंगवाते हैं तो इस पर अधिक खर्च आयेगा और साथ ही पैट्रोल का भी गलत इस्तेमाल होगा। अतः प्राईवेट क्षेत्र के उद्योगों को गैस कम मूल्य पर उपलब्ध करवाने के प्रश्न पर सही ढंग से विचार किया जाना चाहिये।

तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन की भर्ती के बारे में, मैं यह नहीं कहता कि शीर्षस्थ पदों पर या मध्य स्तर अथवा प्रबन्धक स्तर पर, किसी प्रकार के समझौते के रूप में आपको कुछ करना चाहिये। जो योग्य लोग हैं उनकी नियुक्ति तो आप अवश्य करें तथा आपको योग्यता क्रम का सख्ती से पालन करना चाहिये परन्तु चौकीदार, चपरासी, मिस्तरी आदि निचले स्तरों पर, जहां पर बहुत ज्यादा बुद्धिमानी या प्राविधिक मेधा की आवश्यकता नहीं होती, वहां आप धरती के बेटों वाले सिद्धान्त का अनुसरण क्यों नहीं करते ? मैं संकीर्ण मनस्यकता वाला आदमी कतई भी नहीं हूं और मैंने उस दिशा में कभी भी तुनक मिजाजी दिखाई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : उस मुद्दे पर मैं आप से सहमत हूं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : ऐसी बात सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई है। मेरे चुनाव क्षेत्र के अनेक लोगों ने मुझे बताया है कि उन्होंने भूमि तथा वस्तुएं दीं, परन्तु प्रतिकार रूप में, बदले में उनको कोइ रोजगार नहीं दिया गया है।

पैट्रोल की बात यह है कि अभी हाल ही में मन्त्री महोदय लीबिया गये थे तथा मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें कुछ न कुछ सफलता अवश्य मिलेगी, परन्तु यह अकेले उन्हीं का उत्तरदायित्व नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों तथा परिस्थितियों को भी तो देखना है जिनके कारण मूल्यों में आगे और अधिक वृद्धि होने वाली है। परन्तु क्या वे इस प्रश्न पर विचार नहीं करेंगे कि क्या भारत में, अनावश्यक फिजूलखर्ची को छोड़कर पैट्रोल और अक्सर तेल का उपभोग कम करने का कोई आधार है, मेरे विचारानुसार तो कोई नहीं है ?

इन दूर करने योग्य बरबादियों को दूर करके आप पैट्रोल की पूर्ति में वृद्धि क्यों नहीं करते ? भारतीय आयल कम्पनी तथा असंख्य उपभोक्ताओं को खाना पकाने वाली गैस की पूर्ति में संलग्न ऐसी अन्य कम्पनियों के बारे में, अहमदाबाद में केवल कल ही मुझे मेरे मित्रों ने बताया कि पैट्रोल की भारी कमी है और गत दो मास से बड़ौदा से केवल अहमदाबाद तथा गुजरात के अन्य भागों को ही ट्रेक नहीं आ रहे हैं, अपितु मध्य प्रदेश को भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि भारतीय आयल कम्पनी परिवहन की लागत में उचित और अनुपातिक वृद्धि नहीं दे पा रही है। यदि परिवहन लागत बढ़ गई है तो, ट्रक मालिकों को वही पुरानी दर स्वीकृत करने को बाध्य नहीं किया जा सकता। जबकि हर वस्तु के दाम चढ़ गये हैं, विशेषकर पैट्रोल के तो,

मैं आशा करता हूं कि वह यह समझेंगे कि उनकी इस बात में जान है। आज अहमदाबाद में प्रतीक्षा सूची 20,000 तक पहुंच गई है और आप लोगों से प्रतीक्षा करने की बात कह रहे हैं। पूरी सच्चाई के साथ मैं इस सदन को बता सकता हूं कि मैंने कभी यह कहकर अपनी बारी को फलांगने की कोशिश नहीं की, "चूंकि मैं संसद् सदस्य हूँ, आपको मुझे पहले गैस देनी चाहिये।" परन्तु आखिर इन्तजार की भी तो कोई हद है। आप मुझसे दो मास तक प्रतीक्षा करने की आशा नहीं रख सकते। फिर तो यही अच्छा रहेगा कि हम गैस न रखकर, कोयले का ही प्रयोग फिर से शुरू कर दें। परन्तु यदि गैस है तो, लोगों से दो या तीन मास तक प्रतीक्षा वहीं करानी चाहिये।

मैं अब केवल दो बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। यह सही है कि उन्होंने दवाईयों के बारे में कई बातें कही हैं। केवल गत मार्च में ही उन्होंने औषध-नीति की घोषणा की थी। उस समय उन्होंने जो लक्ष्य एवं उद्देश्य घोषित किये थे, सभी विचित्र हैं। उस मुद्दे पर कोई भी उनसे असहमत नहीं होगा। परन्तु सवाल यह उठता है कि क्या आत्म-विश्वास भी कोई लक्ष्य हो सकता है, जिसे वास्तव में आप निकट भविष्य में भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा तो यह विश्वास है कि आत्म-विश्वास कितनी ही अच्छी बात क्यों न हो, फिर भी एक दूर का सपना है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय कम्पनियों और उन विदेशी बहु-राष्ट्रीकों के बीच, जिन्हें यहां काम करने की अनुमति मिली हुई, एक उचित और बुद्धिमतापूर्ण समन्वय स्थापित हो जिससे औषध कम्पनियों के क्षेत्र में, उन विदेशी बहु-राष्ट्रीकों को, भारतीय धन को विदेशों की ओर बहाने का प्रोत्साहन न मिल सके। यह काम तो उन्हें अवश्य करना चाहिये। हम वैसी ही नीति को चाहते हैं। यदि ऐसी बात है तो, मुझे डर है कि हथी समिति की सिफारिशें, सही भावना में, सरकार को स्वीकार्य नहीं हैं। मैं यह तो नहीं कहता कि यह मेरा आरोप है, परन्तु इतना तो मैं अवश्य कहूंगा कि यह मेरी आलोचना है। हमें यह बताना मन्त्री महोदय का काम है कि आया मेरी यह आलोचना सही है अथवा गलत। अन्त में मेरा यह कहना है और मुझे आशा है कि मैं एसा कह सकता हूं तथा मैं अनुभव करता हूं कि ऐसा कहने पर मुझे गलत नहीं समझा जायेगा। मैंने यह कहते हुए अपनी बात प्रारम्भ की थी कि यह मन्त्रालय तो एक साम्राज्य से भी कहीं बढ़कर है। अब मुझे दूर से ही इस बात की अनुभूति हो रही है। मैं कभी भी अधिकारियों से नहीं मिलता। संसद् सदस्य होने के नाते किसी को अधिकारियों से नहीं मिलना चाहिये, बल्कि उसे केवल मन्त्रियों और मन्त्रियों के प्रतिनिधियों से ही मिलना चाहिये ओर मामलों को संसद् या सार्वजनिक रूप में मंचों पर उठाना चाहिये। परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन्त्रालय के विभिन्न विभागों के बहुत से अधिकारियों और भारतीयों के साथ-साथ विदेशी बहु-राष्ट्रीकों और राष्टीकों तथा धनी लोगों के बीच एक प्रकार का समझौता या दुरभिसंधि है और इसीलिये बहु-राष्ट्रीकों अथवा सम्बद्ध धनी व्यक्तियों को एक लाभ विशेष पहुंचाने के लिये या तो निर्णय लिये ही नहीं जाते अथवा उन्हें लेने नहीं दिया जाता। मेरे विचार से तो ऐसे दोष को एक दिन के लिये भी चलन में नहीं रहने देना चाहिये। यह सही है कि यदि आप मुझसे इसका कोई प्रमाण जुटाने के लिये कहेंगे तो मैं यह साफ-साफ बता देता हुं कि प्रमाण मैं प्रस्तुत नहीं कर सकता। परन्तु बहुत सी बातों के प्रमाण तो नहीं दिये जा सकते परन्तु फिर भी वे सच होती है। मैं अनुभव करता हूँ कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में उन्हें बहुत ही सावधान रहना होगा। विशेषकर उन लोगों की ईमानदारी, साधुता तथा सत्यनिष्ठता, जो उनके मन्त्रालय में

निर्णायक निर्णय लेने के प्रभारी हैं, इतनी खरी, निर्दोष होनी चाहिये, जिससे वे न केवल 'सीजर' को सन्देह से परे देखना पसन्द करें अपितु उन्हें भी सन्देहविहीन बने रहने में, सीजर से आगे रहना होगा, जिससे कि बहु-राष्ट्रीय सम्पनियां और धनी व्यक्ति, गरीब लोगों से लाभ न उठा सकें। जीवनदायी औषधियों के सन्दर्भ में, भारत के गरीब लोग ऊंचे दाम देने का कष्ट क्यों उठायें ? और क्यों धनी लोगों को ऊंची कीमतों पर अधिक दवाईयां दी जानी चाहियें तथा वे भी उन्हें जान से मार डालने के लिये ? हम देखते हैं कि गरीब लोग भी अधिक दवाईयां खाकर जी नहीं पाते। परन्तु फिर भी बात यह है कि गरीब लोग और उनका स्वास्थ्य आवश्यक दवाईयों, जीवनदायी दवाईयों पर निर्भर करता है। अतः मैं अनुभव करता हूँ कि इस विषय की छान-बीन करने का मामला बनता है।

मैंने शुरू-शुरू में ही समय घटक की बात उठाई थी। यही वह स्थल है जहां वस्तुएं दलदल सी में फंस जाती हैं। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाये तो भ्रष्टाचार और घूस का रास्ता और साफ हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि वे इससे प्रभावशाली और शक्तिशाली ढंग से निपटेंगे जिससे वह इस विशाल देश के निर्धन लोगों तथा मध्यम वर्ग की शुभ कामनाएं अर्जित कर सकेंगे।

श्री दलपत सिंह परस्ते (शहडोल) : सभा नेत्री जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे बोलने का समय दिया।

सही मायनों में अगर देखा जाए तो कृषि, उद्योग, परिवहन रसा० पैट्रो० से सम्बन्धित जिस मंत्रालय के हाथ में हो और वह मंत्रालय यदि सजग हो तो वह देश का विकास बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज देश ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है कि मिट्टी के तेल का व्यापारी लोग ब्लैक करते हैं। अधिकतर गरीब और अन्य पिछड़े लोग देहातों में रहते हैं। गरीब लोग जिसका उपयोग करते हैं वह चीज़ तो उनको आसानी से मिल जानी चाहिये। जब सीज़न होता है तो मिट्टी का तेल न जाने कहां चला जाता है। शायद बड़े-बड़े व्यापारी स्टाक करके इसको ब्लैक में बेचते हैं जिससे आम लोगों को मिट्टी का तेल प्राप्त नहीं होता है। दूर दराज़ के इलाकों के लिए अलग से मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी प्रावधान करें ताकि जून और जुलाई के महीनों में वहां लोगों को यह तेल आसानी से मिल सके और बरसात के दिनों में वे इसको जलाकर रोशनी में बैठ सकें। मिट्टी तेल, डीजल, पैट्रोल आदि की व्यवस्था में गड़बड़ियां हैं। इनकी एजेंसियां बड़े-बड़े पूंजीपतियों को मिलती हैं। जबसे जनता पार्टी की सरकार शासन में आई है तब से आदिवासियों और हरिजनों को कोटे देने की व्यवस्थित ढंग से कोशिश की है। लेकिन पिछले तीस बरस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई थी और यही कारण है कि आदिवासी और हरिजन तेल की एजंसियों को नहीं ले सके थे और लाभान्वित नहीं हो सके थे। मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक एजंसियां इन जातियों के लोगों को दी जाएं ताकि ये भी बड़े-बड़े लोगों से आर्थिक क्षेत्र में कुछ मुकाबला कर सकें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जैसा तीस बरस तक होता रहा है वैसे ही होता रहेगा और छोटे लोगों को कोई लाभ नहीं हो पाएगा।

मैं यह भी चाहता हूँ कि आई डी पी एल जो दवा बनाने का कारखाना है उसको मध्य प्रदेश में भी खोला जाए ताकि वहां के लोगों को दवाइयां आसानी से प्राप्त हो सकें।

मैंने देखा है कि डीजल और पैट्रोल पम्प मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में नहीं हैं। जहां पर ये नहीं होते हैं वहां परिवहन ठीक तरह से नहीं चल पाता है। इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि भारत के प्रत्येक जिले में डीजल, पैट्रोल पम्प की व्यवस्था हो और लोगों को यह आसानी से प्राप्त हो। बड़े-बड़े पूंजीपतियों को नहीं बल्कि गरीब व ईमानदार लोगों को दिया जाय। प्रत्येक की सुविधा के लिये यह बहुत जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि जिसका सोर्स होता है, जिसकी सिफारिश होती है उसको यह मिल जाता है। यह अन्याय है आम लोगों को सहज में पैट्रोल डीजल प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था भी आप करें। उनको पैट्रोल पम्प भी प्राप्त हो सकें, इसकी व्यवस्था भी आप की तरफ से की जानी चाहिये।

कीटनाशक दवाइयां खेती की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर ये दवाइयां निम्न स्तर की होती हैं और इनसे कीड़े नहीं मरते हैं तो किसान को भयंकर क्षति उठानी पड़ती है। मैंने देखा है कि जिन लोगों को दवा बनाने और कारखाने डालने के लिए विदिशा जिले में लाइसेंस दिए गए हैं उनमें से बहुत से प्राइवेट कारखानों में घटिया किस्म की दवाइयां बन रही हैं। उनकी जांच सरकार करे और दोषी पाने पर दंडित करे, जिससे भविष्य में किसी प्राइवेट कारखाने में गलत दवा न बन सके। ऐसे कारखाने डालने वाले लोगों को शासन के द्वारा दंड दिये जायें और जांच की जाये जिससे दवाई अच्छी बने और गरीबों को फायद हो।

मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में बम्बई हाई से कोई अभी पाइप लाइन नहीं दी गयी है जिससे उससे संबंधित उत्पादित होने वाले कोई भी कल कारखाने स्थापित नहीं हो पाये हैं। ऐसा प्रावधान किया जाय जिससे मध्य प्रदेश जैसे आदिवासी बाहुल्य प्रान्त का भी उत्थान हो और लोगों को सुख सुविधा प्राप्त हो सके।

एक बात और कहना चाहता हूं कि इस मंत्रालय में जरूर गड़बड़ होती है और वह यह कि गैस नहीं मिलती है। इसके लिये लोग 6, 6 महीने, साल, दो-दो साल तक लटके रहते हैं। जिसका सोर्स है उसको एक महीने में ही गैस मिल जाती है। क्या कारण है कि जिसको डाक्टर लिख कर देता है उसको भी गैस नहीं मिलती है। मैं खुद गया मंत्रालय में और एक अधिकारी से भी मिला, उसने सीधे मना कर दिया। इसलिये मंत्री जी अपने मंत्रालय की थोड़ी खिचाई करें और लोगों को ठीक तरह से गैस मिल सके इसकी ओर ध्यान दें। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री अहसान जाफ़री (अहमदाबाद) : सभापति महोदय, मैं थोड़े वक्त में ही अपनी बात कहूंगा। बहुत सी बातें गैस और गुजरात के सिलसिले में माननीय मावलंकर जी ने कही हैं, उनमें से कुछ बातों के बारे में आपको बतलाना चाहता हूँ। यों तो यह बहुत बड़ा साम्राज्य है, लेकिन आप यह नहीं मानते हैं। विरोध करना मेरा अधिकार है। इस पर डिसप्यूट करने के लिये मौजूद हैं, और डिसप्यूट आपके सामने आये हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन कुछ दुश्वारियां भी सामने आयी हैं और उनको हल करने के लिए सभी ने कहा है, और मैं भी कहता हूँ कि आप उसमें काफ़ी तवज्जह से काम को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन बाज़ जगह कहीं आपके सैटे-अप में ही खराबी होती है। देहरादून में ओ०एन०जी०सी० इतने बड़े काम को नहीं कर पाता है। उसकी आवाज़ें उठ रही हैं। और माननीय सौगत राय ने कहा · · ·

श्री राजनारायण (रायबरेली) : महोदया, मैं एक प्वाइंट आफ़ इनफ़ोरमेशन चाहता हूं।

सभापति महोदया : क्या यह सूचना का प्रश्न है या व्यवस्था का ?

श्री राजनारायण : माननीय जाफ़री साहब बैठ गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हम लोगों के यहां जो दवाइयां बनती हैं इसमें विदेशी कम्पनियां शामिल होती हैं, और जब फ़ौरेन मिनिस्टर हमारे रोज़ ही बाहर जाते हैं तो क्या हमारे मंत्री जी उनको भी कुछ सलाह देते हैं या लेते हैं ?

सभापति महोदया : हां, हां, उत्तर देते समय वह जवाब देंगे। परन्तु आप उत्तर सुनने के लिये यहां नहीं होंगे अतः उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : जाफरी जी, आप अपनी बात जारी रखें।

श्री राजनारायण : मैं इस राय का हूँ कि विदेश मंत्री श्री कुन्डू को बना दीजिये।

श्री राजनारायण : सन् 1942 के आन्दोलन में जिन्होंने भाग न लिया हो और जो जेल से भागे हों, उनको मिनिस्टर मत बनाइये।

सभापति महोदया : आप वह प्रधान मंत्री को लिख भेजें। वही मन्त्रियों को नियुक्त करते हैं।

श्री अहसान जाफरी : माननीय सदस्य ने सुबह आपका ध्यान इस तरफ खींचा था कि नेशनल एनर्जी कमीशन की जरूरत है और इतने ही को-आर्डिनेशन की जरूरत है या तो जो आपको सलाह देते हैं या जिनकी सलाह पर आधार रखते हुए आप पालिसी बनाकर यहां और इस सदन के बाहर बताते हैं उसमें खामियां नजर आती हैं।

गैस के मामले में बारहा गुजरात का सवाल आया, आपने कहा कि गैस कीमती चीज़ है, इसका इस्तेमाल फर्टिलाइज़र और पैट्रोकैमिकल्स के लिये करना चाहिये। आपकी इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन जब कि गैस का इतना बड़ा जत्था हमारे गुजरात में जलता है, आपके नाम से रोशनी के मीनार चारों तरफ जलते हैं, उसको देखकर लोग आपको याद करते हैं। चाहे बड़ौदा चले जाइये या गुजरात में कलोल, मेहसाना चले जाइये आपको रातों रोशनी के मीनार नज़र आते हैं और उसे देखकर लोग आपको याद करते हैं।

जब आपके मंत्रालय से यह बात निकलती है कि यह बहुत ही कीमती चीज़ है तो बाम्बे हाई की गैस बम्बई के अन्दर रोज़ाना 4 लाख क्यूबिक मीटर जलाई जा रही है जब कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। गुजरात में अभी मावलकर जी ने कहा कि काफी जगहों पर इसकी डिमांड है। हमने कहा कि गुजरात में फर्टिलाइज़र की कंपनी को इसका इस्तेमाल करने दीजिये, उसके विस्तृतीकरण के लिये हमने इसका इस्तेमाल करना चाहा, गुजरात में कितने ही पैट्रो-कैमिकल्स और दवाइयों के कारखाने हैं, उनमें गैस की मांग है। कुल मिलाकर आपकी सरकार से 6.8 मिलियन क्युसिक मीटर पर डे की मांग की गई, तो यह कहा गया कि इसको इस्तेमाल करने के लिये अभी वक्त नहीं है, इसकी दूसरे काम के लिये हमें जरूरत है, इसको जलाने के लिये नहीं दे सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बताइये रोजाना जो 4 लाख क्यूविक मीटर गैस बल रही है, इसका क्या फायदा मिल रहा है ?

थोड़े समय के बाद, जैसा कि आपके मंत्रालय में बताया कि सितम्बर, 1980 तक गैस का उत्पादव 2.8 मिलियन क्यूविक मीटर पर-डे होने जा रहा है और साउथ बेसिन और महिम में जो गैस का इस्तेमाल होगा वह 10 मिलियन क्यूबिक मीटर पर-डे होगा उसकी बजाय 20 मिलियन क्यूविक मीटर पर-डे होने जा रहा है। इतना ही ज्यादा क्रूड आयल निकलेगा, उतना ही एसोसियेटेड गैस की भी उत्पादन-शक्ति होगी।

जब हमारी इतनी क्षमता होने जा रही है तो इस गैस का फौरी तौर से इस्तेमाल करने के लिये और बेहतरीन यूज करने के लिये फर्टिलाइज़र और पैट्रो-कैमिकल्ज़ के लिये इस्तेमाल होना चाहिये। जब हम 2, 3 बरस में इसकी क्षमता बढ़ाने जा रहे हैं तो हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिये। आज जहां इसकी डिमांड होती है, वहां नहीं देते हैं तो इससे क्या होने वाला है?

गुजरात की तरफ से बारहा कहा गया कि हमें दीजिये। लैंड फाल के सिलसिले में कई बार मांग की गई, यह कहा गया कि 1979 में होगा, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिलता है कि लैंड-फाल कहां नक्की किया जायेगा। यह गैस पाइप लाइन द्वारा शी-शोर तक कब लाई जायेगी और कब उसको इस्तेमाल करने दिया जायेगा। नये कारखानों की मांग आ रही है।

यही हालत चलती रही तो एसोसियेटेड गैस जो है 25 मिलियन क्यूबिक मीटर पर-डे 1980 में हो जायेगी। अगर यह सच है तो इसके इस्तेमाल के लिये कोई प्रोग्राम बनना चाहिये लेकिन वह अभी तक नहीं बन रहा हैं। इसलिये मैंने कहा कि जो देहरादून में आपके साहब लोग बैठे हुए हैं, उनसे यह पूरा काम, इतनी बड़ी सल्तनत संभल नहीं रही है। अगर वह नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से गैस चारों तरफ चल रही है, और काम में नहीं आ पा रही है तो क्या फायदा? अगर इसका इस्तेमाल हम फर्टिलाइज़र और पैट्रो-कैमिकल्स में करें तो फायदा होगा।

अगर यह कारखाने, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यू०पी० में बनायें, और आज की तमाम फर्टिलाइज़र कारखानों की जो शक्ति है, उसको डबल करें तो इस तमाम गैस को इस्तेमाल कर पायेंगे और वह डबल करने के लिये कम से कम 15 हजार करोड़ रुपये की जरूरत पड़ती है। अगर इतनी वड़ी रकम की जरूरत पड़ती है तो क्या हम अनकरीब में इसे कर लेंगे? कहा जाता है कि 15, 20 साल दरकार हैं तो मैं विनती करूंगा कि जो गैस ख्वामाख्वाह मुफत में जल रही है, इसको बन्द करें और आप इसका इस्तेमाल एज़ ए फ्यूल करें, इस पर हमें सोचना चाहिये और जो स्टेट इस काबिल हैं कि इसका इस्तेमाल कर सकें, उनको यह दी जाये। इस डिमांड में कुछ सचाई है और इस गैस का प्रापर इस्तेमाल हो सकता है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि वह गुजरात फ़र्टलाईज़र्ज़ कार्पोरेशन के विस्तार की योजना को मनजूर करें। इसी तरह वह गुजरात नर्मदा वैली फ़र्टलाइज़र्ज़ कार्पोरेशन को नेप्था के बजाये गैस को इस्तेमाल करने और गैस-बेस्ड एक्सपेंशन करने का मौका दें।

सरकार से बारहा बम्बई हाई के लैंड-फ़ाल को तय करने की बात कही गई है लेकिन अभी तक उसको तय नहीं किया गया है। मंत्री महोदय इस बारे में जल्दी फ़ैसला करें।

मैंने सुना है कि बम्बई में पाइपलाइन के ज़रिये तीन लाख गैस कनेक्शन्ज़ देने की बात चल रही है। अगर यह वात सही है, तो मैं सरकार को वाहवाही दूंगा। गैस को फालतू जलाने के

बजाये पाइपलाइन के ज़रिये सारे शहर को सप्लाई करना बेहतर है । लेकिन क्या यही इन्तज़ाम अहमदाबाद शहर के लिए नहीं किया जा सकता है ? बड़ौदा में ऐसा किया गया है । अहमदाबाद में कितने ही कुओं का गैस ऐसे ही जल रहा है । वहां पर कैलिको मिल की पाइपलाइन से गैस दी गई है । इसलिए अहमदाबाद शहर को भी पाइपलाइन से गैस मुहैया करने की बहुत ज़रूरत है ।

जो कारखाने नैप्था और फ्युअल आयल इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें गैस इस्तेमाल करने की परमिशन देनी चाहिए ।

इसके अलावा दूसरे मित्रों ने जो कुछ कहा है, मैं उसमें उनके साथ शामिल हूं ।

मंत्री महोदय को दवाओं के सिलसिले में खास ध्यान देना चाहिए । आज मल्टी-नैशनल्ज़ लोगों का शोषण कर रहे हैं और दवाओं की शार्टेज पैदा कर रहे हैं । मंत्री महोदय को उनकी तरफ़ ध्यान देना चाहिए ।

इन अलफ़ाज़ के साथ मैं इस मिनिस्ट्री की डिमांड्ज़ की ताईद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय इन बातों पर गौर करेंगे और गुजरात के लोगों की समस्याओं की तरफ़ ध्यान देकर उनके बारे में फ़ैसला करेंगे ।

श्री जर्नादन पुजारी (मंगलौर) : सभापति महोदया, यह मन्त्रालय तीन विषयों का काम देखता है, यथा पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक । मैं अपनी सीमाएं जानता हूं कि मुझे मिले थोड़े से समय में मैं तीनों क्षेत्रों के साथ न्याय नहीं कर सकता । इसलिये मैं अपने को कुछ ही मुद्दों तक सीमित रखूंगा ।

सभापति महोदया आप तो जानती ही हैं कि कूछ ही दिन पहले, मन्त्री महोदय ने इसी सदन में कहा था कि देश को उपलब्ध तेल के साथ ही गुजारा करना सीखना चाहिये । मैं मन्त्री महोदय की कठिनाई को तो समझता हूं, परन्तु उनके इस कथन के पीछे कौनसा दर्शन कार्य कर रहा था, क्या वह मैं न समझ सका । क्या लोगों को यह बताते रहना ही जनता सरकार की नीति है कि हमें देश में बिना कोई प्रगति किये ही जीवित रहना है ? लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन जुटाना, उन्हें शिक्षा प्रदान करना और उन्हें एक सम्भव सीमा तक हर वह वस्तु उपलब्ध कराना जिसकी उन्हें आवश्यकता हो, सरकार का कर्तव्य है ।

मेरा तो यह कहना है कि चूंकि पैट्रोल या डीजल को आयातित करने में कठिनाईयां हैं तो क्या सरकार को शान्त बैठकर मामले पर आंखे बन्द कर लेनी चाहिये ? सरकार को इस देशवासियों को पर्याप्त मात्रा में पैट्रोल और डीज़ल उपलब्ध कराना चाहिये । मैं इस देश के धनिकों की बात नहीं कर रहा, अपुति मैं तो ग्रामीणों तथा निर्धनों की वकालत कर रहा हूं । उन्हें तो मिट्टी का तेल चाहिये । मैं तो यह भी कहता हूं के डीजल के अभाव से मत्स्य उद्योग पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है । उचित दर पर मिट्टी के तेल को उपलब्ध कराने के प्रश्न को तो अलग रख छोड़िये, ग्रामीणों को तो मिट्टी का तेल मिलता ही नहीं है तथा कुछ स्थानों पर तो यह देखने भर को नहीं मिलता । आखिर जनता सरकार का क्या कर्तव्य बनता है ? गरीब लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल उपलब्ध कराना सरकार का ही कर्तव्य है ।

प्रतिवेदन में यह व्यक्त किया गया है :

"दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी का तेल बेचने के लिये आर्थिक-सहायता देने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है· · · ·"

निश्चितरूप से हम अनुसंशा तथा सराहना मरे शब्दों में कह सकते हैं कि सरकार एक निश्चित दिशा की ओर अग्रसर है। परन्तु इसी के साथ ही साथ यह भी देखना है कि यहां सरकार ने आखिर किया क्या है ?

इसमें आगे कहा गया है :

"इस योजना के अधीन, तेल कम्पनियां विभिन्न स्थानों पर, मिट्टी के तेल के 29 तालुका डिपो स्थापित करेंगी। इसमें से 14 डिपो उत्तर प्रदेश में, 6 हिमाचल प्रदेश में, 1 जम्मू और कश्मीर में तथा प्रत्येक 4 मध्य प्रदेश और उड़ीसा में होंगे · · · ·"

विरोध की भावना से नहीं, अपितु शोक और वेदना की भावना से मुझे यह कहते हुए खेद है कि अन्य राज्यों में, विशेषकर कर्नाटक में, चूंकि जनता दल की सरकार नहीं है तो आप सौतेली माता का सा व्यवहार उनके साथ कर रहे है। आखिर क्यों ? क्या यह भी आपका कोई तर्क है कि कर्नाटक में कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं है ? मैं मंगलौर चुनाव-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे चुनाव-क्षेत्र का एक भाग पहाड़ी क्षेत्र है। कर्नाटक में मलन्द क्षेत्र है। मलन्द में, शीमोगा, मर्करा तथा चिकमगलूर जैसे पहाड़ी क्षेत्र भी हैं। यदि एक बार फिर वहां कोई चुनाव होने लगे तो वे कहेंगे, "हम मिलन्द क्षेत्र में सुधार करने वाले हैं।" चिकमगलूर में चुनाव के समय, उद्योग मन्त्री जार्ज फर्नान्डीस ने वहां आकर कहा था, "हम मंगलौर में एक इस्पात संयन्त्र स्थापित करने जा रहे हैं।" जब मैंने यहां एक प्रश्न किया तो इस्पात और खान मन्त्री श्री बीजू पटनायक ने व्यक्त किया कि ऐसी कोई योजना उनके पास नहीं है।

क्या यह कोई राजनैतिक चाल है ? मैं यह पूछता हूं कि कर्नाटक के लोगों ने आपके साथ क्या बुराई की है ? क्या मेरा यह कहना ठीक नहीं है कि आप दक्षिण की जनता के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार कर रहे हैं और विशेषकर कर्नाटक के लोगों के साथ क्यों कि वहां जनता सरकार नहीं है ?

अगली बात मैं, कर्नाटक में एक पैट्रो-कैमिक्ल काम्पलैक्स की स्थापना के बारे में कहता हूं, जिसके लिए हमारे लिए हमारी कर्नाटक सरकार एक प्रस्ताव लेकर प्रस्तुत हुई है। मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय श्री बहुगुणा जी एक योग्य आदमी हैं और उनकी सामर्थ्य का मित्रवर प्रो० मालवंकर स्पष्टरूप में पहले ही वर्णन कर चुके हैं। मै भी उनके मत की पुष्टि करता हूं। परन्तु एक बात स्पष्ट है। जहां तक गुजरात के पैट्रो-कैमिक्ल काम्पलैक्स का सम्बन्ध हैं, वह अपना सहयोग देने के इच्छुक थे, परन्तु जब हमारे उद्योग मंत्री ने उनसे इस सदन में, पैट्रो-कैमिक्ल काम्पलैक्स स्थापित करने के लिए सहायता जुटाने को कहा तो उनका कहना था, "मैं ऐसा नहीं करूंगा।" क्यों ? क्या यह कर्नाटक के साथ सौतेला व्यवहार नहीं है ? जब गुजरात सरकार एक प्रस्ताव लेकर सामने आई तो वे अपना सहयोग देने के इच्छुक थे। वह तो सम्पूर्ण हो चुका है। गुजरात में, वे अब एक और 900 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू

करने जा रहे हैं और वह पहले ही कह चुके हैं वह अपना सहयोग दे रहे हैं। जहां तक कर्नाटक का मामला है वही सहयोग क्यों नहीं दिया जाता ? यही मैं कहना चाहता हूँ।

जहां तक हमारे कर्नाटक के लोगों का सम्बन्ध है, मेरे चुनाव-क्षेत्र में ऐसे लोग भी हैं जो, मंगलौर में एक पैट्रो-कैमिक्ल काम्पलैक्स की स्थापना के लिए चीख-पुकार मचा रहे हैं। वे तो मंगलौर में एक तेल परिष्करण-शाला भी चलवाना चाहते हैं। मुझे बताया गया है कि विगत में कुछ सर्वेक्षण कार्य भी किया गया। परन्तु हुआ कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप जानते ही हैं, मंगलौर प्रगति के पथ पर है। मंगलौर में बन्दगाह परियोजना, कुदरेमुख लोह-अयस्क परियोजना तथा मंगलौर रसायन उर्वरक कम्पनी वहां पर है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम बंगलौर में एक तेल परिष्करण-शाला के लिए हो-हल्ला मचाते रहे हैं, क्योंकि यह अरब देशों के अधिक निकट पड़ता है और कोचीन के भी अधिक निकट है। पश्चिमी-तट पर केसरगौड में कच्चा-माल पहले से ही उपलब्ध है। जहां तक केसरगौड में समुद्री किनारे से हटकर तेल के कुएं खोदने की बात है, यह कहा गया है कि इस वर्ष के अन्त में, तेल के लिए छिद्रन कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा। मंत्री महोदय से मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि छिद्रन का कार्य जहां तक संभव हो, तुरन्त आरंभ किया जाये और काम को सही दिशा प्रदान की जाये। जो माननीय सांसद हथी समिति के सदस्य थे तथा स्वयं श्री हथी महोदय ने, विदेशी औषध तैयार करने वाली कम्पनियों के अधिग्रहण की एकमत से सिफारिश की थी। परन्तु दुर्भाग्य से अधिकारी वर्ग अभी तक भी विदेशी प्रभाव-ग्रस्त से थे। भूतलिंगम और रंगानादन आदि जैसे भूतपूर्व सचिवों ने, जो अब विदेशी औषध कम्पनियों की सहायता कर रहे हैं, बिना किसी कारण के बताये हुए, असहमति का एक नोट चढ़ा दिया। वास्तव में, हमारे देश में विदेशी कम्पनियों द्वारा औषध उद्योग पर अस्वाथ्यकारी एकाधिकार जमाये जाने के बारे में, संसद् सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई कटु-भावनाओं के परिणामस्वरूप हथी समिति बनी थी। हमारे देश में लगभग 40 औषध तैयार करने वाली कम्पनियां कार्यरत हैं जिसमें से 19 अमरीका वालों की हैं, 10 ब्रिटिश वालों की हैं। 1973 में मंत्रालय द्वारा किए गये 450 करोड़ रुपए के उत्पादन में से, विदेशी कम्पनियां 261 करोड़ रुपए से अधिक पर अधिकार जमाये थीं। हथी समिति ने कभी भी विदेशी कम्पनियों के लिए 1:5 के अनुपात की सिफारिश नहीं की थी। व्यक्ति विशेष के रूप में और अधिकार शुल्क आदि के रूप में अपने मुख्याओं को विदेशी कम्पनियों द्वारा रुपया भेजने की धन राशि 20.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी जब कि कच्चे माल के आयात पर 15.12 करोड़ रुपये व्यय हुए। पूंजीगत सामान का आयात और हमारे देश में पैदा की गई अस्तियां भी इतनी ही राशि की थीं। जब हथी समिति ने विदेशी औषध कम्पनियों के अधिग्रहण की सिफारिश की तो विभिन्न दलों के संसद् सदस्यों की एक राय थी, परन्तु मंत्रालय का यह कहना था कि अधिग्रहण तो केवल उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के उपबन्धों की उनके द्वारा अवज्ञा किए जाने पर ही सम्भव हो सकता है। अब देखना यह है कि जहां तक किसी विनियम की अवज्ञा या उल्लंघन का सम्बन्ध है, क्या उसके लिए कारण नहीं है ? मैं जानता हूं कि आपके पास यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है, कारण हैं कि उनका उल्लंघन किया गया है, परन्तु फिर भो आप कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। यह विलम्ब किस लिए है ? आपको कार्यवाही करनी चाहिए। हथी समिति ने भी एक स्वर में यही

सिफारिश की थी कि परिशिष्ट-I से औषधियों और भेषजों को हटा दिया जाए। परन्तु, उच्च-प्रौद्योगिक और निम्न प्रौद्योगिकी के नाम पर नौकरशाह आगे भी बदमाशी का खेल खेलना चाहते हैं।

जिन उद्योगों को परिशिष्ट-I में सम्मिलित नहीं किया गया है, उन्हें अपने विदेशी शेयरों को 40% तक कम करना आवश्यक है ; परन्तु फिर भी, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के सामान्य उपबन्धों को उन पर लागू नहीं किया जाता है।

अतः मेरा निवेदन यह है कि विदेशी औषध कम्पनियों का अधिग्रहण करना ही अधिक अच्छा है।

अब मैं पैट्रोल विक्रेताओं को दिये जाने वाले कमीशन (दलाली) की बात पर आता हूं। आप पैट्रोल वितरकों को 1 पैसा प्रति लीटर कमीशन दे रहे हैं। जब पैट्रोल का मूल्य 56 पैसे प्रति लीटर था लाभ की गुंजाइश लगभग 7% थी, परन्तु पैट्रोल मूल्यों में वृद्धि के बाद वह सीमा घटकर 1.3% रह गई है। परन्तु आप फिर भी उनके कमीशन में वृद्धि से मना कर रहे हैं। ऐसी बात क्यों है ? कुछ भी हो, सभी वितरक तो धनी व्यक्ति नहीं हैं। उनमें से कुछ तो स्वयं-रोजगार योजनाओं के अधीन भी वितरक बने हैं। आपको तो इसमें वृद्धि करके उन्हें कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए था, परन्तु आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। अपने चुनाव भाषणों में तो आप यह कहा करते थे कि आपकी सरकार पैट्रोल के दाम घटाने जा रही है। परन्तु दुर्भाग्य से बजट के बाद आपने इसमें 52 पैसे और जोड़ दिए हैं। अतः मेरा आपसे यह निवेदन तथा अपील है कि पैट्रोल विक्रेताओं के कमीशन में कम से कम एक पैसे की बढ़ोतरी कर दी जाये।

श्री के० सूर्य नारायण (एलुरू) : सभापति महोदया, मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मंत्री महोदय, श्री बहुगुणा जी ने तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन द्वारा तेल की खोज के कार्य में, कुछ रुचि ली है, विशेषकर, आन्ध्र प्रदेश की समुद्र किनारे की पट्टी में, परन्तु अन्य विभागों की गतिविधियों से मैं खुश नहीं हूं। जैसा कि किसी अन्य माननीय सदस्य ने कहा था, उनके साम्राज्य में, उनकी पीठ पीछे, उनकी जानकारी के बिना बहुत कुछ घट रहा है। मैं आन्ध्र प्रदेश की कुछ बातों की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कुछ समय पूर्व मंत्री महोदय श्री बहुगुणा ने यह वायदा किया था और मुझे लिखितरूप में सूचित भी किया था कि आई० डी० पी०एल० से सम्बद्ध कोई भी परियोजना, कोई भी कार्यालय, हैदराबाद से स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा। परन्तु कल ही हैदराबाद में उन्होंने मुझ से शिकायत की है कि हैदराबाद के आई० डी० पी०एल० अभियान्त्रिक विभाग को जिसने भारत सरकार की लगभग सौ परियोजनाओं को मशीनें दी हैं, हैदराबाद से दिल्ली के निकट गुड़गांवा को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है। वे इसे गुड़गांवां में बनकर पूर्ण हो रहे भवन के द्वितीय खण्ड में, दूसरी मंजिल में इसे जगह देने की योजना बना रहे हैं। यह मंत्री महोदय की पीठ पीछे हो रहा है। अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक महोदय—यह मुझे पता नहीं कि क्या वे सरकारी–दीर्घा में उपस्थित हैं या नहीं––ही यह सब कुछ कर रहे हैं। इन महानुभाव के विरुद्ध कई शिकायतें मिली हैं। उन्होंने लोगों की भर्तो, चुनाव, नियुक्ति तो हैदराबाद से की, परन्तु अब वे सारे विभाग को गुड़गांवा में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। कहा यह जाता है कि सरकार हर वस्तु का विकेन्दीयकरण चाहती है। फिर भी

पहले से ही हैदराबाद में स्थित एक कार्यालय को गुड़गांव में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है। लोग इस बात से खुश नहीं हैं। माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये इस आश्वासन के बाद कि वे हैदराबाद से किसी कार्यालय को स्थानान्तरित नहीं करेंगे, ये तो उसके बाद की घटनाएं हैं। यद्यपि और अधिक कर्मचारीगण नियुक्त करने के लिए कई बार लिखा गया, परन्तु अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। इसके विपरीत उसने यह कहा बताते हैं कि जब तक आप हैदराबाद में बैठे हैं आप लोगों के नियुक्त किए जाने की कैसे आशा कर सकते हैं ? उन्होंने कहा है कि जब तक कार्यालय को हैदराबाद से गुड़गांव स्थानान्तरित नहीं कर दिया जाता तो, तब तक वे और आदमियों को भर्ती किए जाने की आशा नहीं कर सकते। वे सदैव लोगों को किसी स्थान विशेष से नियुक्त करते हैं और फिर उन्हें हैदराबाद से बाहर भेज देते हैं। अतः मेरा यही निवेदन है कि सारे अभियान्त्रिक विभाग को तुरन्त हैदराबाद स्थानान्तरित कर दिया जाए। सभी चीज़ें ठीक होंगी।

अपने जिले-विशेष पश्चिमी गोदावरी की बात पर आते हुए मैं कहूंगा कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को समस्त सागरीय तट का फायदा उठाना चाहिए, वहां से तेल निकालना चाहिए। अब ते० और प्रा० गै० आ० की गतिविधियां केवल नरसापुर में ही चल रही हैं। परन्तु अधिकारी-गण; सभी नरसापुर से 50 मील दूर राजमुन्दरी में रह रहे हैं। जब कि नरसापुर में उनके ठहरने की सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी वे वहां नहीं ठहर पा रहे हैं। यहां तक केन्द्र के मंत्री लोग भी, जब वे यहां आते हैं, राजमुन्दरी में ही प्रगति के अवलोकनार्थ उतर पड़ते हैं। और फिर वहां से नरसापुर जाते हैं। हर बार वे राजमुन्दरी से नरसापुर जाने के लिए पैट्रोल फूंकते हैं। पैट्रोल की बचत निमित्त, विशेषकर इन अभाव के दिनों में इन अधिकारियों से नरसापुर में ठहरने के लिए कहा जाये, जहां यदि कोई कठिनाई आती हो तो मैं निवास का प्रबन्ध कर सकता हूं।

एक और बात मैं डीजल के बारे में कहता हूं। चाहे यह ठीक है कि यह सब आपके हाथ की बात नहीं है। मंत्री महोदय, वित्त विभाग भी इसके बीच में आता है। केवल डीजल का ही मूल्य कम हुआ है। गत मास, मेरे अपने नगर में, दो-तीन दिन तक, ना ही तो पैट्रोल और ना ही डीजल उपलब्ध था और तमाम मोटर-गाड़ियां बन्द हो गईं। पैट्रोल और अन्य तेलों के वितरकों, विक्रेताओं की ओर से उनके कमीशन में वृद्धि किए जाने की मांग की गई है। यह मांग कई वर्षों से की जा रही है। यद्यपि सभी वस्तुओं के दाम बढ़ गये हैं।

हमारा निवेदन है कि इन छोटे व्यापारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये और उनकी कमीशन बढ़ाई जाये।

राज्य सभा के सदस्य श्री आनन्दम ने मंत्री महोदय का ध्यान उनके मंत्रालय में हो रहे गोल-मालों की ओर दिलाया है, कैलटेक्स के राष्ट्रीयकरण के बाद निजी कम्पनियों को लाखों रुपए की क्षतिपूर्ति दी जा रही है। जो कम्पनियां एल०पी०जी० की एजेंसी का कार्य करती थीं उन्होंने नाम बदलकर सरकार से लाखों रुपए ठग रही हैं। श्री आनन्दम ने इस बारे में मंत्री महोदय को एक पत्र लिखा है। मैं इस मामले पर विस्तार से नहीं जाना चाहता बेशक ब्यौरा मेरे पास है। राज्य सभा के सदस्य श्री आनन्दम स्वयं एक लेखा परीक्षक है तथा लेखा परीक्षण के सभी दाव-पेच जानते हैं। उन्होंने आपको लिखा है। वे क्षतिपूर्ति देना चाहते हैं। आपकी

कैलटेक्स के राष्ट्रीयकरण की नीति के घोषित किए जाने के बाद आपके अधिकारी कम्पनी के साथ मिलकर उसे क्षतिपूर्ति देना चाहते हैं जिसके लिए वे हकदार नहीं हैं।

उर्वरकों के बारे में मैं एक ही शब्द कहना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि क्या यह आपके नियंत्रण में है अथवा कृषि मंत्रालय के। मेरे जिले में आयातित उर्वरकों का स्टाक है। लगभग 2000 टन उर्वरक 5 वर्ष पूर्व आयातित किए गये थे। ये एक चावल मिल में स्टोर किए गये हैं तथा वे 6000 रुपए किराया दे रहे हैं। इस कारखाने का नाम राष्ट्रीय कैमिकल्स है। मैं समझता हूं यह आपके नियंत्रण में है। उनकी मांग है कि गोदाम को खाली कर दिया जाए तथा उर्वरकों को ऐसे स्थानों को भेज दिया जाये जहां पर उनकी आवश्यकता है। स्टाक में से 200 टन माल भी बेचा नहीं गया तथा आप 6000 रुपए किराया दे रहे हैं। इस ढंग से कार्य चल रहा है। वितरण कार्य चलाने के लिए उन्होंने अन्य लिमिटेड कम्पनियां स्थापित की हैं। आप भी कांग्रेस में रहे हैं। मैं भी कांग्रेस में हूँ। मैं चेतावनी देता हूं कि यह बाते दोहराई न जाये। अन्यथा न आप जहां रहेंगे और न मैं ही रहूँगा। कृपया अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले गोलमाल का ध्यान रखें।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : हमारे मंत्री महोदय श्री बहुगुणा जी की एक विशेषता यह है कि वह विपक्ष से प्रसंशा प्राप्त करें। मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता।

सभापति महोदया विविध गुणों वाला यह मंत्रालय विभिन्न परिमापों से व्यवहार कर रहा है। एक उर्वरक है, दूसरे पैट्रोलियम और तीसरे औषिधि है जिनका व्यापक महत्व तथा अपनी-अपनी वित्त व्यवस्था है। उर्वरक पर 1149.7 करोड़ रुपये लगे हैं तथा इसका स्थान सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में तीसरा है। भारतीय तेल पर 707 करोड़ रुपए लगे हैं तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग पर 526.7 करोड़ रुपए लगे हैं जिनका स्थान छटा तथा सातवां है। उनके अन्तर्गत बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं तथा कुछ सदस्यों ने इसे एक साम्राज्य बताया है। इस मंत्रालय का संबंध गैस से, पैट्रोलियम से है तथा उर्वरक से है।

मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि प्रथमतः मंत्रालय का नाम पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक के स्थान पर उर्वरक, पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय है। उर्वरकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह पूरी अर्थ-व्यवस्था का मूल है।

हमारे मंत्री महोदय को प्रगतिशील माना जाता है। उनके कार्य ने इस भ्रम को दूर कर दिया है। गुण परिमाप दोनों ही दृष्टियों से वह विफल रहे हैं। पूरा निदेशन गलत है।

सभापति महोदया अन्यत्र उन्होंने बताया है कि उर्वरक उत्पादन में 1.8 लाख टन की वृद्धि हुई है। परन्तु मैं देखता हूं कि वृद्धि की दर न्यूनतम है। हाल के वर्षों में 1975-76 में नाइट्रोजियस उर्वरक का उत्पादन 19 लाख टन था, 1976-77 में यह 19 लाख टन, 1977-78 में 21 लाख टन तथा 1978-79 में केवल 21.8 लाख टन है। इस प्रकार वृद्धि की दर में कमी आई है। जिन लोगों का संबंध उर्वरक उद्योग से है वे समझते हैं कि इसमें भारत आत्म-निर्भर है। इसी उद्योग में भारत आधुनिकतम संयंत्र तैयार कर सकता है। हमारे पास पूरा कच्चा माल है, पूरी तकनकी जानकारी है अतएव इस उद्योग में हम पीछे रहें इसका कोई कारण नहीं है। न केवल हम अपने तकनीक का निर्यात करने की स्थिति में नहीं है अपितु हमारी नीति आत्मघातक रही है। हम

दूसरों पर अधिकाधिक निर्भर रहने लगे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इसका क्या कारण है कि उन्होंने श्रेष्ठ उर्वरक संयंत्र के लिए विदेशी सहयोग मांगा। मैं अग्रह करता हूं कि यह तज्जापूर्ण बात है। उन्हें अपने इंजीनियरों और रसायनज्ञों में विश्वास नहीं है।

सभापति महोदय : आपको पर्याप्त समय दिया जा चुका है। समय का दुरुपयोग न करें। कृपया समाप्त करें।

श्री ए० के० राय : मैं समय का दुरुपयोग नहीं कर रहा। सिन्द्री के बारे में क्या स्थिति है। जब हम कोयला क्षेत्र में कोयले पर आधारित संयंत्रों के बारे में सोच रहे हैं, तब वे नेपथा पर आधारित संयंत्र लगा रहे हैं जो कि बिल्कुल विपरीत बात है। मैं जानना चाहता हूं कि सिन्द्री उर्वरक कारखाने का निर्माण कितना हो चुका है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह मंत्रालय कोक ओवन प्लांट बी० बी० सी० एल० के बेच रहा है। वह न केवल एक साम्राज्य का सभापतित्व कर रहे हैं अपितु उसका दिवाला निकालने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री ए० के० राय : मैं मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि कोक ओवन प्लांट अच्छी स्थिति में है मैं उसका रसायन संयंत्र के रूप में बदला जा सकता है। जब नेपथा संयंत्र कार्य करने लगेगा तब कोयले पर आधारित संयंत्र उपयोगी नहीं रहेगा।

श्री ए० सी० जार्ज (मुकन्दपुरम) : मैं अपने अन्य साथियों का ध्यान रखना चाहता हूं।

मुझे अत्यन्त खुशी है कि आपने मुझे कुछ सेकेंड दिये हैं

सभापति महोदय : समय नष्ट न करें। अपना भाषण दें।

श्री ए० सी० जार्ज : मैं समझता हूं यह मंत्रालय देश के महत्व पूर्ण आर्थिक मंत्रालयों में से है। अन्य दो मंत्रालय हैं : इस्पात और उद्योग। पिछले 2 वर्ष के जनता शासन में इसने कुप्रबन्ध का रूप धारण कर लिया है।

उद्यौगिक मंत्रालय दृढ़ मंत्रालय नहीं है। प्रधान मंत्री भी अनुभव करते हैं कि क्या उक्त मंत्रालय ठीक ढंग से चल रहा है अथवा नहीं। मैंने इस मंत्रालय पर बहुत उम्मीदें रखीं हैं। मेरी वाणिज्य मंत्रालय, पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय पर बड़ी-बड़ी उम्मीदें हैं। दो वर्ष पूर्व जब वाणिज्य मंत्रालय सौंपा गया था तब विकास की दर 27 प्रतिशत थी तथा 81 करोड़ रुपए फालतू थे। दो वर्ष में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि निर्यात में कमी आई है तथा हमारे व्यापार संतुलन में 1000 करोड़ रुपए की कमी आई है।

अब मैं पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय को लेता हूँ। फिर भी श्री बहुगुणा कांग्रेसी हैं अतएव स्वभातः उनमें सामान्य ज्ञान होगा। पिछले दो वर्ष से मैं उनपर उम्मीदें लगाए हुए हूँ। यह मंत्रालय सृष्टि, स्थिति और संहार का है। तीनों स्थितियां इस मंत्रालय में हैं। मुझे खेद है कि 5122 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा जमा होने के बावजूद हमारे पास डीजल, मिट्टी

के तेल तथा एल० पी० जी० की कमी है। मैं समझता हूं कि हमारे गतिशील मंत्री शीघ्र कार्यवाही करेंगे ताकि आने वाले दो सप्ताह में इन वस्तुओं की देश में कमी न रहे विशेष रूप से जबकि लाखों लोग विदेशों में कार्यरत हैं तथा वित्त, वाणिज्य, पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय विदेशी मुद्रा रिजर्व की दृष्टि से संतोषजनक स्थिति में हैं। कम से कम उस विदेशी मुद्रा का जोकि हमारे गरीब लोग अर्जन कर रहे हैं इन वस्तुओं की कमी को दूर करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं उर्वरकों का मामला लेता हूं। मैंने अपना जीवन उर्वरक फैक्टरी में कार्मिक के रूप में शुरू किया अर्थात् एफ०ए०सी०टी०लि० में। अपने अल्प ज्ञान के आधार पर मैं कह सकता हूं कि उर्वरक उद्योग में फीड स्टाक को बदला जाना चाहिए। हमें कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों के बारे में गलतफहमी, भय तथा सन्देह को दूर करना चाहिए। रामगोदाम को प्रारम्भिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं परन्तु अन्ततः कोयले पर आधारित उद्योग ही सफल होंगे। मुझे विश्वास है कि रामगोदाम, तालचर और कोरबा ही अन्ततः कोयले पर आधारित उद्योग के रूप में सफल होंगे क्योंकि इस देश का मुख्य कच्चा माल वहीं है। हमारे पास गैस के अच्छे स्टाक होने की उम्मीद है अतएव हमारा फीड स्टाक गैस पर आधारित होना चाहिए।

अब मैं उर्वरकों को लेता हूं। मंत्री महोदय बड़े बुद्धिमान तथा प्रगतिशील हैं। मेरा केवल यही सुझाव है कि एफ० ए० सी० टी० लि० के कार्य का अध्ययन किया जाना चाहिए। मैंने स्वयं वहां पर कार्य किया है। उसकी मशीनरी 30 वर्ष पुरानी है। पिछले 6-7 वर्ष से हम उत्पादनों का विविधीकरण कर रहे हैं, जोकि कैप्रोलेक्टम, मैथनोल, अमोनिया सेल्फेट और अमोनिया फोसफेट आदि हैं। मेरा सुझाव है कि मंत्रालय को पुरानी मशीनरी अवश्य बदलनी चाहिए अन्यथा वे लाभ नहीं कमा सकेंगे। हाल ही में प्रचार किया गया है कि यह कारखाना लाभ में चल रहा है तथा हानि में कमी आई है। परन्तु इस पर बहुत अधिक पर्दा पड़ा हुआ है। पूंजी निवेश के ढांचे में फेरबदल के कारण ही उद्योग में घाटा कम हो पाया है। मैं इस बात से सहमत हूँ।

उद्योगमण्डल के बारे में हमारा दृष्टिकोण और व्यावहारिक होना चाहिए। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस संयंत्र की लाइसेंसशुदा उत्पादन क्षमता के मुकाबले वस्तुतः कितना उत्पादन हुआ है ? हमें इसका हिसाब पिछले और उससे पहले वर्ष हुए उत्पादन की तुलना में लगाना है। इसी से संयंत्र की सफलता का सही अन्दाजा लगाया जा सकता है। कोचीन प्रभाग यह नहीं कह सकता कि उसकी मशीनें पुरानी हो गई हैं क्योंकि वहां मशीनें नई हैं। मैं कहूंगा कि इस प्रभाग का चरण-दो कार्यक्रम पूर्णतः असफल रहा है। उद्योगमण्डल और कोचीन प्रभाग के संयंत्र असफल रहे हैं। मैं विवरण में नहीं जाना चाहता। उसके लिए समय नहीं है। आशा है मंत्री जी इस संकेत से इस दिशा में गम्भीरता से विचार करेंगे। मैं चाहता हूं कि घाटे के कारण यह इकाई बन्द न होने पाये।

उपभोक्ता उद्योग के बिषय में मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि देश में उपलब्ध सभी गैसों का वाणिज्यिक स्तर पर दोहन किया जाए। नीति में वर्तमान परिवर्तन से जंगली लकड़ी भी जलाने के लिए लोगों को नहीं मिल पा रही है। मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। मध्य आय

वर्ग एल० पी० गैस की अधिकाधिक मांग कर रहा है पर इस बारे में अनेक कठिनाइयां है । गैस को भरने और उसके वितरण के बारे में कई प्रकार की बाधाएं हैं । कई मामलों में चोरियां होती हैं । इस प्रकार की चीजें खत्म को जानी चाहिए । उपभोक्ता के लिए मिट्टी का तेल, गैस और डीजल ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं । इस दिशा में अगर तुरन्त कदम नहीं उठाए गए तो हमारी अर्थ-व्यवस्था ही तहस-नहस हो जएगी । पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरकों के सम्बन्ध में पिछले दो वर्षों में स्थिति संतोषजनक रही है पर आज हमें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । अर्थ-व्यवस्था के लिए सभी उद्योगों को जारी रखने के लिए पैट्रोल चाहिए । आपका मंत्रालय ही देश की अर्थ-व्यवस्था पर नियंत्रण करता है । और अगर यह मंत्रालय असफल रहता है तो देश के लिए यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी । इस्पात के मूल्य पहले ही बहुत बढ़ चुके हैं । उद्योग मंत्रालय केवल गैस यानि मंत्री के भाषणों के बल पर ही खड़ा है । वाणिज्य मंत्रालय की ओर से प्रतिकूल व्यापार संतुलन रहा हो जिसका मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूं । मैं आशा करता हूं कि पैट्रोचियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय खूब फ़लेगा और फूलेगा और एक स्वस्थ मंत्रालय के रूप में विकसित होगा ।

मैं मंत्री जी से पुनः अनुरोध करता हूं कि एफ० ए० सी० टी० की समस्याओं का गहन अध्ययन किया जाए और उसके कैप्रोलेक्टम और मैथानल संयंत्र के आधुनिकीकरण की समस्या पर विचार किया जाए । इसकी पुरानी इकाइयों को खत्म करना होगा । कैप्रोलेक्टम और मैथानल के उत्पादन का विस्तार करना होगा । तभी इसमें सुधार लाया जा सकेगा । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : मेरे मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बहस में भाग लेकर अनेक मामलों में जो उपयोगी सलाह दी गई है उसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं ।

सरकार की भेषज नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में मैं सभा की चिन्ता को समझता हूं । औषधियों, पैट्रोलियम, उर्वरक तथा रसायनों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता के विषय में जो चिन्ता व्यक्त की गई है मैं उसकी भी सराहना करता हूं । मैं सभा की इस शंका को भी समझता हूं कि सरकार और उसके अधीन के निगम स्थिति पर पूर्णतः काबू नहीं पा सके हैं । पर इन मुद्दों का उत्तर देने से पूर्व मैं तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, तेल उद्योग, सरकारी और सहकारी क्षेत्रों के उर्वरक उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों, तथा मंत्रालय में काम करने वाले वैज्ञानिकों एवं तकनीशियनों का जिन्होंने अपना पूर्ण योगदान और सहयोग दिया है, अभार प्रकट करना चाहता हूं । अच्छे सम्बन्ध रखने के लिए मैं कामगारों और प्रबन्धकों को भी बधाई देता हूं । आई०डी०पी०एल० की हड़ताल को छोड़कर अन्यत्र सम्बन्ध बहुत अच्छे रहे हैं । मैं इस सभा को विश्वास में लेकर यह कहना चाहता हुं कि इस मंत्रालय का जो नाम है वह कभी-कभी गलतफहमी पैदा कर देता है । जब हम पैट्रोलियम मंत्रालय कहते हैं तो न केवल संसद् सदस्यों को अपितु सभी लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि यह मंत्रालय न केवल तेल की खोज, उसके विदोहन और कच्चे तेल की सफाई एंव पैट्रोलियम पदार्थों की सफाई का काम करता होगा अपितु प्रत्येक पैट्रोलियम उत्पाद का सारा विपणन भी यही करता होगा । पर यह सच नहीं है । चाहे उर्वरक का वितरण हो या पैट्रोलियम उत्पादों का, चाहे दवाओं की गुणवत्ता के नियत्रंण का प्रश्न हो, ये काम भारत सरकार के तथा राज्य सरकारों के कई विभागों को सौंप दिए हैं ।

मैं अब केरल सरकार ने मिट्टी के तेल के वितरण के लिए जो व्यवस्था की है उसकी सराहना करना चाहता हूं। मिट्टी का तेल एक ऐसी वस्तु है जिसकी लोगों में वितरण की व्यवस्था राज्य सरकारों के नियंत्रण में है। हमारे पास डिपो हैं और कुछ थोक वितरण केन्द्र हैं, जिन्हें हमने खोला है। किन्तु मिट्टी के तेल का सारा खुदरा वितरण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता हैं। वे अपने खुदरा वितरक नियुक्त करते हैं। वे उनकी देख-रेख करते रहते हैं और यह भी सही है। क्योंकि हमारे जैसे बड़े देश में बिना किसी क्षेत्रीय संगठन के राजधानी में बैठे किसी व्यक्ति के लिए तब तक यह सम्भव नहीं है कि वह वितरण पर नियंत्रण कर सके जब तक राज्य सरकारें अपनी भूमिका नहीं निभाती हैं। हमारे पास जो कमी है उसके बारे में मैं बाद में कहूंगा। किन्तु केरल सरकार की वितरण पद्धति ने दबाव एवं कठिनाइयों का एसा सामना किया है जैसा कि अन्यत्र कहीं सम्भव नहीं हुआ है। माननीय सदस्य राज्यों को उपयुक्त मात्रा में इन उत्पादों की सप्लाई के लिए कह रहे थे। आमतौर से यह धारणा रही है कि उचित सप्लाई नहीं की गई है अथवा गत वर्ष की अपेक्षा कम सप्लाई की गई है। अन्तर्राष्ट्रीत स्थिति के कारण, जो इस मंत्रालय के नियंत्रण से बाहर है, ईरान की घटनाओं, पैट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन के तेल को एक विशेष तरीके से बेचने के निर्णय के कारण तेल निर्यात करने वाले देशों के संगठन के उत्पादन को कम करने के निर्णय के कारण, जिससे बाजार में कुछ उपलब्धता कम हो गई, कच्चे तेल तथा अन्य पैट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धि में मूल कठिनाइयों के बावजूद हमने विभिन्न राज्यों के लिए तेज गति के डीजिल और मिट्टी के तेल दोनों की गत वर्ष की अपेक्षा अधिक मात्रा में व्यवस्था की है। मुझे सारी सूची पढ़ने में घंटों लग जायेंगे किन्तु जैसा कि पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्य श्री हाल्दर तथा कर्नाटक के श्री पुजारी और कुछ अन्य सदस्यों ने यह बात उठाई है, मैं कुछ छोटे से राज्यों से सम्बन्धित आंकड़ों को यह सिद्ध करने के लिए पढ़ूंगा कि किस प्रकार हमने राज्य सरकारों की उनकी वर्तमान कठिनाइयों का सामना करने में सहायता की है। पहले मैं पश्चिम बंगाल को ही लूंगा। मैं मोटर स्पिरिट के प्रश्न को छोड़कर देता हूं। यह वास्तव में गतवर्ष से अधिक दिया गया। उच्च गति के डीजिल का जहां तक संबंध है, पश्चिम बंगाल को 1977-78 में 3,81,028 मैट्रिक टन मिला, 1978-79 में उन्हें 4,36,871 मैट्रिक टन पहले ही मिल चुका है। यह उस कमी के बावजूद भी है जिसका हम सामना कर रहे हैं। किन्तु यदि तेज़ गति के डीजिल से कोयले के परिवहन करने के लिए, राज्य बिजली बोर्डों की बिजली उत्पादन करने की असफलता को पूरा करने के लिए कहा जाए तो मुझे भय है कि मुझे एक असम्भव बात करने के लिए कहा जा रहा है। और मैं इसके लिए कोई वचन भी नहीं दे सकता हूं क्योंकि इसका अर्थ होगा असम्भव बात के लिए वचन देना।

इन उत्पादों की कम सप्लाई की प्रतिशतता का अन्तर गतवर्ष की अपेक्षा 14.7 प्रतिशत अधिक रहा है किन्तु हमने यह सुनिश्चित किया है कि पश्चिम बंगाल को बाढ़ के कारण एक विशेष स्थिति के कारण क्षति न उठानी पड़े। यह इस कारण नहीं कि इसका केन्द्रीय सरकार के साथ अच्छा सम्बन्ध है या नहीं। मुझे यह कहते हुए खेद होता हैं कि कर्नाटक के माननीय सदस्य श्री पुजारी ने मित्र अथवा गैर-मित्र सरकार की बात कही है। किन्तु मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि यह मेरी और जनता सरकार की धारणा से बिल्कुल परे है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कर्नाटक सरकार और केन्द्र सरकार की गत 30 वर्षों की मित्रता के बावजूद जहां एक ही दल की सरकारें थीं और जिस दल का मुझे भी सदस्य होने का गर्व है, बंगलौर में उत्पाद डिपो नहीं था

और मैंने बंगलौर में एक उत्पाद डिपो देने का निश्चय किया है जो इस महीने के अन्तिम सप्ताह में खुलने वाला है।

सभापति महोदय : उन्होंने मंगलौर की बात कही है आप बंगलौर की बात कर रहे हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यदि राज्य की राजधानी में ही डिपो नहीं तो अन्य क्षेत्रों की क्या स्थिति हो सकती है।

श्री कृष्ण कान्त (चण्डीगढ़) : वह एम० में रुचि रखते हैं बी० में नहीं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं भी एम० में बहुत रुचि रखता हूं न कि बी० में यद्यपि मेरा नाम बी० से आरम्भ होता है। मैं मुसलमानों में रुचि रखता हूं, अल्पसंख्यकों में रुचि रखता हूं, मेरी ब्राह्मणों में कोई रुचि नहीं है। यह बात बहुत स्पष्ट है।

सभापति महोदय : एम० 'मैडम' के लिए भी होता है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : महोदया, मेरी हमेशा आप में गहरी रुचि रही है और चिन्ता रही है।

सभापति महोदय : धन्यवाद।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जहां तक मेरे राज्य उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, आबंटन गत वर्ष की अपेक्षा 7.8 प्रतिशत अधिक रहा है। मैं यह कहने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं कि मैंने पक्षपात नहीं किया है किन्तु मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि भारत इस प्रकार की अति राष्ट्रीयता के रुख से साथ नहीं चल सकता है। पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पादों को भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भेजा जाना है। यह एक क्षेत्र या दूसरे क्षेत्र का प्रश्न नहीं है। यह प्राकृतिक उत्पाद है। एक आवश्यक उत्पाद है और ऊर्जा है जो सही लोगों को सही तरीके से सही समय पर दिया जाना है। हमने इसी उदाहरण का अनुसरण करने का प्रयत्न किया है। मैंने किसी अन्य उदाहरण को नहीं अपनाया है। मैं आंकड़े भी यह सिद्ध करने के लिए दे सकता हूं कि हम प्रत्येक उत्पाद की कुल मात्रा को गत वर्ष के स्तर पर बनाये रखना चाहते हैं। किन्तु मैं एक कढ़ी चेतावनी भी देना चाहता हूं। इस देश को अपने संसाधनों के अन्तर्गत रहना चाहिए। माननीय सदस्य श्री पुजारी ने कहा है "इतना विदेशी मुद्रा के होते हुए आप अधिक खरीदने की चिन्ता क्यों करते हैं ?" माननीय सदस्य श्री दामाणी ने कहा है कि हतारा बिल लगभग 50 प्रतिशत का हो गया है। यह अभी 50 प्रतिशत नहीं है। फिर भी वह मुझे हमारे आयात की मात्रा के बारे में चेतावनी दे रहे थे।

हमारे अरब मित्रों ने काम चलाने के लिए हमारी सहायता की है। पैट्रोल निर्यात करने वाले देशों के संगठन के मूल्यों के बारे में काफी तर्क हुआ है। मैं जानता हूं कि हमें काफी हानि हुई है। किन्तु मैं आपको बता दूं कि हमें अपने को उन लोगों की स्थिति में रख कर यह मालूम करना चाहिए कि उनकी क्या स्थिति है। तेल उत्पादक देश कच्चा तेल केवल डालर में बेच रहे हैं। उनकी और कोई दूसरी मुद्रा नहीं है। 1973-74 में शायद श्री बरुआ पैट्रोलियम मंत्री थे। उसी समय पहली बार कीमतें बढ़ीं। मैंने सुस्ती के कारण आजतक उसकी प्रतिक्रिया नहीं की। श्री बरुआ चुस्त आदमी हैं। उन्होंने पैट्रोलियम मूल्यों में वृद्धि की तत्काल प्रतिक्रिया की थी। मैं उनसे अपने तथा सभा से आलस्य के लिए क्षमा मांगता हूं। मेरा

यह शीघ्र ही करने का विचार है । परन्तु डालर अपना मूल्य खो चुका है। जब मैं इराक में गया, अबूधाबी में गया और लीबिया में गया तो मेरे कुछ मित्रों ने मुझे वहां बताया कि डालर की कीमत में गिरावट आ रही है । और उन्होंने यह महसूस किया कि विकासशील देशों से आयात पर उन्हें बहुत खर्च करना पड़ता है । ये लोग अधिकतर तेल पर ही गुजारा करते हैं । उनकी अर्थ-व्यवस्था पूर्णतया तेल से जुड़ी हुई है । क्या विश्व ने इन लोगों के साथ अच्छा सलूक किया है ? क्या संसार ने उनका ध्यान रखा है ? क्या इन लोगों की कठिनाइयों को हल कर दिया गया है ? क्या किसी व्यक्ति को भी यह चिन्ता हुई है कि इन लोगों के पास तेल के सिवा कुछ नहीं है ? क्या किसी व्यक्ति ने इनके लिए आवाज उठाई है ? भारत ने यह सब किया । महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने आवाज उठाई । जब-जब अरबों के हितों की हानि हुई इस राष्ट्र ने आवाज उठाई । हम आज भी आवाज उठा रहे हैं परन्तु मुद्दा यह है कि यह भारत की असीमित क्षमता का प्रश्न नहीं है कि वह क्रूड और तेल या अन्य किसी की कितनी ही मात्रा खरीद ले या राष्ट्रों को आदेश दे कि वह एक विशेष स्तर अपनी कीमतें रखें । यह संभव नहीं है और भारत को इस विशेष परिस्थिति की कठिनाइयों को समझना चाहिए । अतः हम अधिक मात्रा में आयात नहीं कर सकते ।

मैं अरब राष्ट्रों का विशेषरूप से इराक, अबूधाबी और लीबिया का आभारी हूं जिन्होंने इस संकट को दूर करने में हमारी सहायता की है यह केवल धन का सवाल नहीं है । आप धन के बदले में तेल नहीं ले सकते । यूरोपियन देशों ने अपने ईंधन की खपत को कम कर दिया है । उनके पास और कोई विकल्प नहीं है । न ही मैं अरब देशों को उत्पादन एक ऐसे स्तर पर रखने का आदेश दे सकता हूं जिससे विश्व की आवश्यताएं पूरी हो सकें । वे कहते हैं "हम अपने तेल के साथ लम्बी उम्र जीयेंगे ।" अतः हमें कम उत्पादन करना चाहिए । इन सभी बातों के होते हुए भी हमने इतना कुछ कर दिया है । परन्तु मैं यह आपको अवश्य ही बताना चाहता हूं, और मैंने नागरिक पूर्ति के सचिवों को एक बैठक में बता दिया है तथा मेरी तथा प्रधान मंत्री की ओर से एक पत्र मुख्य मंत्रियों को भी चला गया है कि स्थिति बहुत ही कठिन है । अतः कुछ कार्य राज्य सरकारों को भी करने होंगे वो हैं पहला उन्हें किसी न किसी प्रकार का पर्यवेक्षण लागू करना होगा, यदि वे इसे अनौपचारिक रूप से राशनिंग कहना चाहें तो, कह सकते हैं । यदि वे इसे सामान्य देख-रेख या पर्यवेक्षण कहना चाहें तो भी उनका स्वागत है । प्राथमिकता निधारण का कार्य उनका है । आज जो कुछ हो रहा है, वह यह है कि जहां रेलवे वेगन उकलब्ध नहीं है वहां परिवहन गाड़ी उपलब्ध है । अतः यदि आप के पास रेलवे वेगन नहीं हैं तो कृपया परिवहन गाड़ी का इस्तेमाल करें । आप इसे कैसे करते हैं । कुछ लोग मुझ से यह कह रहे थे और कतिपय माननीय सदस्य भी यह कहते हैं कि यदि मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है, यदि कोयला उपलब्ध नहीं है तो एल० पी० जी० भी उपलब्ध क्यों नहीं हो सकता ? मेरा उत्तर यह है कि मुझे वह प्रसिद्ध फ्रांसिसी कहानी याद आ जाती है जब महारानी ने यह कहा था "यदि लोगों के पास रोटी नहीं है और वे गलियों में प्रदर्शन कर रहे हैं तो वे केक क्यों नहीं खाते ।" कोयला जो कि भारत में अत्याधिक मात्रा में मिलता है, उपलब्ध नहीं है तो हम ऐसी वस्तु की मांग कर रहे हैं जो उपलब्ध नहीं है ।

अतः प्रत्येक राज्य को पिछले वर्ष के स्तर पर रहना सीखना होगा । अधिक से अधिक मैं जो कर सकता हूं वह यह है मि मैं पिछले वर्ष से 5% अधिक दे सकता हूँ । मैं अधिक एच० एस०

डी० नहीं दे सकता । मैं इसका वितरण नहीं करता हूँ। राज्य सरकारें यह स्वयं निर्धारण करें कि पहले किसे दिया जाना है, क्या वे कृषकों को देना चाहते हैं, उन्हें प्राथमिकता क्रम बना लेना चाहिए कि क्या वे इसे लोगों के एक विशेष वर्ग को देना चाहते हैं या किसी विशेष उद्योग क्षेत्र को । परन्तु इसका निर्णय राज्य सरकारों ने नहीं करना है और हमने लिख कर उन्हें सूचित कर दिया है कि इसी प्रकार जहां तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है, ऐसा लगता है जैसे मैं मिट्टी के तेल का प्रभारी व्यक्ति हूं । मैं राज्य के मुख्य मंत्रियों को बताना चाहता हूं कि उन्हें अवश्य ही शासन करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जबकि इसके वितरण में वे अपने राज्यों पर कलंक लगवा रहे हैं । केन्द्र बड़ी मात्रा में तेल देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता । उनके द्वारा वितरण किया जाता है । यह उन्हें निश्चित करना है कि क्या वे सीधा ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाहते हैं और शहरी लोगों को नहीं देना चाहते हैं या वे इसे अंशतः ग्रामीण और अंशतः शहरी लोगों को दे सकते हैं, यह मेरा काम नहीं है, बिल्कुल मेरा नहीं है । मैं उनका साथ दूंगा । मैंने राज्य सरकारों को यह सब बता दिया है जब उन्होंने मुझसे इस विषय में पूछा था । कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने कुछ दिन पहले इस विषय में मेरे से पूछा था । ऐसे ही पश्चिम बंगाल सरकार और कुछ अन्य सरकारों ने पूछा था । उन्होंने पूछा "मान लो हम सभी फुटकर वस्तुओं को अपने हाथ में ले लेते हैं" मैंने कहा "बहुत अच्छा जो आप चाहे कीजिए । मैं आपके राह में नहीं आऊंगा ।" मैं राज्य सरकारों के रास्ते में यह देखने के लिए नहीं आऊंगा कि स्थिति का सामना कैसे कर रहे हैं, इसकी व्यवस्था करना उनका कार्य है और मुझे आशा है वे इसकी व्यवस्था कर लेंगे ।

सामान्य बातें कहने के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि सदस्यों द्वारा अनेक मुद्दे उठाए गए हैं। परन्तु एक और दुर्भाग्यपूर्ण विवाद ; आधारभूत विवाद है । अतः जाने से पूर्व मुझे उसकी चर्चा करनी चाहिए और उसकी चर्चा करनी चाहिए जो कुछ हमने किया है । माननीय सदस्य प्रो० मावलंकर और एक अन्य माननीय सदस्य जाफरी ने गुजरात के लोगों के दिमागों में उठ रहे विवाद की ओर संकेत किया ।

सभापति महोदय : आप अल्प संख्यकों में रुचि रखते हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : धन्यवाद । मैं नम्रतापूर्ण एक अनुरोध करना चाहता हूं । यह मेरा दुर्भाग्य है कि गुजरात मुझे गलत समझे । वे मुझ में उससे अधिक शक्ति देखना चाहते हैं जो जितनी मेरे पास है । पहली बात जो मैं उन्हें बताना चाहता हूं वह यह है कि यह गैस दुर्लभ प्राकृतिक स्रोत है और मंत्री के पास अभी ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वह यह निर्णय कर सके कि गैस के साथ क्या होने वाला है । 'नेचुअरल गैस या एसोसिएटिड गैस या फ्री गैस के विषय में जो निर्णय लिया जाना है, वह पूरे मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाना है । अतः गुजरात को इस सम्बन्ध में कोई शंका नहीं होनी चाहिए । मैं मंत्रिमण्डल की उपेक्षा नहीं कर सकता। उन्हें इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि मंत्रिमण्डल में ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने काम को भलीभांति जानते हैं और मुझे विश्वास है कि पक्षपात और भेदभाव नहीं करेंगे ।

इस संबंध में एक दूसरा मुद्दा उठाना चाहता हूं कि मैं यह घोषित करते हुए स्वयं को भाग्यशाली समझता हूं कि पिछले एक वर्ष की तुलना में गैस की उपलब्धता बढ़ गई है । क्षेत्र में किए गए कार्यों के आधार पर यह सोचा था कि गैस हमें प्रतिदिन 10 मिलियन क्यूबिक मीटर मिलेगी । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि वर्तमान ढांचे के अनुसार 17 मिलियन

क्यूबिक मीटर गैस और उपलब्ध है। इस प्रकार गैस की कुल उपलब्धता 27 मिलियन क्यूबिक प्रतिदिन हो गई है। अतः इस प्रकार गैस काफी है। कुछ माननीय सदस्यों के दिमाग में यह आशंका थी कि और प्रो० मावलंकर के दिल में भी जोकि मेरे विचार में बहुत ही विद्वान सदस्य हैं, यही शंका थी। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वह एक छोटी सी बात के बारे में सही स्थिति को जानें। बम्बई हाई क्षेत्र में दो तरह की गैसें उपलब्ध हैं। बसाइन गैस प्राकृतिक गैस है। यह नॉन-एसोसिएटिड है। यह फ्री गैस है। इसका अर्थ यह है कि न तो गैस जल रही है और न धधक रही है। इस गैस के बारे में कुछ नहीं हो रहा है। यह जमीन के अन्दर है और हम इसे अपनी इच्छानुसार किसी ढंग से और कितनी भी मात्रा में ले सकते हैं। यह हमारे हाथ में है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम एक दिन में 270 लाख क्यूबिक मीटर निकालना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं। यदि हम 200 लाख क्यूबिक मीटर लेना चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। परन्तु जहां तक एसोसिएटिड गैस का सम्बन्ध है, मान लीजिए आप एक बैरल तेल निकालते हैं तो 'एसोसिएटिड' गैस भी आएगी। बम्बई हाई से बम्बई तक जो गैस लाई गई है वह 'एसोसिएटिड' गैस है फ्री गैस नहीं है। वह या तो लाई जाती है या गहरे समुद्र में प्रज्वलित की जाती है। अतः हमने इसे लाने का निर्णय किया है। मुझे यह बात स्वीकार करनी होगी कि यदि 1974 में जब हमें इसकी प्राप्ति हुई थी हमने समुद्र तट पर इस गैस पर आधारित एक गैस संयंत्र, पैट्रो-रसायन सयंत्र या उर्वरक संयंत्र जैसी कुछ चीजों की व्यवस्था की होती जिससे इस गैस के हर हिस्से का उपयोग हो सकता तो यह एक अच्छी बात होती। कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि यह गैस 'एल०पी०जी०' के रूप में दी जानी चाहिच। यह खेद की बात है कि 'एल०पी०जी०' इस बड़ी गैस का एक छोटा हिस्सा मात्र है। इस बड़ी गैस के अनेक तत्व हैं। सबसे बड़ा तत्व 'मिथेन' है जिसे उर्वरक के रूप में बदला जा सकता है। दूसरे बड़े तत्व में अन्य भारी रसायन होते हैं जिन्हें पैट्रो-रसायन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सबसे छोटा तत्व एल०पी०जी० है। इन तेल क्षेत्रों से समूची बम्बई हाई गैस से प्रतिवर्ष 1,76,000 मीट्रिक टन एल० पी० जी० मिलेगी।

श्री ए० सी० जार्ज (मुकन्दपुरम) : एक अच्छी रसायन श्रेणी की।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं यह नहीं बता सकता। एक तकनीकी मंत्रालय का कार्य एक सामान्य व्यक्ति चला रहा है। और जो चीज मैं माननीय सदस्यों को बेचने की कोशिश कर रहा हूं वह मेरा विश्वास है कि स्वीकार की जाएगी।

श्री ए० सी० जार्ज : हमें खुशी है कि कम से कम आपका मंत्रालय उद्योग मंत्रालय की भांति नहीं है। यह गैस से परिपूर्ण है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इस मंत्रालय में प्रचुर मात्रा में गैस है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसका कुछ हिस्स 'फ्री' है और दूसरा हिस्सा 'एसोसिएटिड' है।

अतः मैं यह कह रहा था कि गुजरात को गैस की बरबादी के बारे में आशंका नहीं करनी चाहिए। माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह ने एक मामला गत वर्ष और इस वर्ष की चर्चा में भी उठाया था और श्री मावलंकर ने भी और यह पूछा था कि बम्बई हाई की 'एसोसिएटिड' गैस का जो हम समुद्र तट पर ला रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि बम्बई हाई से समूची गैस तो नहीं आ रही है क्योंकि हम सभी बम्बई हाई के तेल क्षेत्रों

में काम नहीं कर रहे हैं। यह केवल 95,000 बैरल प्रतिदिन है, क्योंकि वहां हमारे प्लेटफ़ार्म नहीं हैं। एक मित्र देश के जिनके नेता कुछ समय पहले भारत में थे हमारे कुछ मित्रों ने, जिनके नाम मैं नहीं बताऊंगा, मुझे बताया था कि आप अपना तेल सुरक्षित रख रहे हैं। और आप हमारे तेल क्षेत्रों से तेल चाहते हैं। आप बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं। बात यह है कि हम घोर परिश्रम कर रहे हैं। मैं एक बड़ी मूर्खता कर रहा हूं। मैं सभा के सामने यह स्वीकार करता हूं कि मैं अपने सभी संसाधनों को जुटा रहा हूं, क्योंकि केवल मैं जानता हूँ कि तेल विश्व में उपलब्ध नहीं है और जब तक हम अपने सभी प्रयासों से ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमें कठिनाई ही होती रहेगी। अतः हम इसे कर रहे हैं। बम्बई हाई से तेल निकालने वाले उपकरण इतनी मात्रा में हैं कि हम एक दिन में 95,000 बेरल से अधिक तेल नहीं निकाल सकते। अतः जब हम 120 लाख मीट्रिक टन तेल प्रतिवर्ष निकालते हैं तब भी पूरे 40 लाख क्यूबिक मीटर गैस नहीं होगी। यह इस स्तर तक है। यह 1981-82 में आएगा। अतः बम्बई हाई गैस भी पूरी तरह से नहीं आ रही है। यह आंशिक रूप से आ रही है। बहुत कम मात्रा आ रही है और हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। परन्तु क्या यह सत्य नहीं है कि भारत सरकार ने गुजरात को अधिक मात्रा में गैस दी है जो आज तक भी जलाई जा सकती है? टाटा के साथ अस्थाई व्यवस्था है। मैंने पहले भी बताया था। मैं इसे दोहरा रहा हूँ। टाटा के साथ व्यवस्था उस तारीख तक ही है जब तक मैं माल के रूप में बदलने के उद्देश्य से उस गैस का उपयोग कर सकता हूँ। चूंकि अवशिष्ट उत्पाद उपभोक्ता तैयार नहीं हैं इसलिए मैं टाटा पर निर्भर कर रहा हूँ। कोयले की जगह उन्हें कुछ गैस ले लेनी दी जाए और उस कोयले की कीमत उनसे ली जाए। मैं उनसे और कोई कीमत नहीं ले रहा हूँ और व्यवस्था यह है कि हम तुम्हें गैस तभी देंगे जबकि हमारे संयंत्र बन्द होंगे और जबकि उर्वरक संयंत्र सभी गैस लेने लगेंगे तो टाटा को गैस नहीं मिलेगी। यह कुछेक अन्य महीनों में मिल सकेगी।

ट्राम्बे समूह उर्वरक के उत्पादन के लिए गैस लेना शुरू करेगा परन्तु हम वहां गैस 'फ्रैक्शन' संयंत्र लगा रहे हैं और हमें एल० पी० जी० प्राप्त होगी। हमें भारी रसायन मिलेंगे। मिथेनल की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस समय हम समूचे गन्ने का प्रयोग चीनी के लिए कर रहे हैं। मैं सीरा, मद्यासार के लिए, कागज बनाने के लिए खोई का और मिठास के लिए चीनी बनाना चाहता हूं। ऐसा तभी होगा जबकि 1980-81 में गैस 'फ्रैक्शन' संयंत्र लग जाएगा। हम यह कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता की बात की जा रही थी। मैं यह कहता हूं कि आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इस मंत्रालय ने सबसे अधिक कार्य किया है। गैस 'फ्रैक्शन' संयंत्र किसी बहुराष्ट्रीय संस्था को देने का विचार किया गया था। मैंने इसे इंजीनियर्स इंडिया लि० को देने के लिए मंत्रालय में निर्णय लिया था। परन्तु वह भी बाहर से सहायता चाहते हैं। वे भी पूरी तरह इसे स्वयं नहीं चला सकते। उन्हें काफी सीखना होगा और हम वैसा करने की कोशिश करेंगे।

गुजरात की बारी कब आयेगी—हम क्यों न कहें कि 1979, 1980-81 में? हमने हाल ही में प्रधान मंत्री की उपस्थिति में गुजरात के मुख्य मंत्री के साथ लम्बी चर्चा की थी और हमने उनसे प्रत्येक बात स्पष्ट कर दी। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि संसद् का सत्र चल रहा है। परन्तु मैं संसद् के समक्ष सुझाव रखूंगा। हम उस स्थिति में हैं जबकि

हम कुछ बातें कह सकते हैं—पहली यह कि पाइप लाइन अभी बनाई जाये और उस थोड़ी सी गैस के लिए गैस क्षेत्र खोला जाये जिसका गुजरात में अभी से उपयोग है तो हम अन्याय ही करेंगे क्योंकि काफी पैसा लगेगा, क्योंकि पाइप लाइन ऐसी बनाई जानी होगी कि यह इस ओर 270 लाख क्यूबिक मीटर गैस लायेगी। यदि हम इस तरह की पाइप लाइन बिछायेंगे तो इसमें काफी लागत लगेगी और यदि हम काफी पैसा लगायें और यह चार वर्ष तक बेकार पड़ी रहे तो हम इसके बारे में क्या करेंगे।

आपने ऐसी कुछ चीजों के बारे में बात की है जिसमें आप इसका उपयोग करने को तैयार हैं। हम पहले ही गैस दे रहे हैं। क्या हम बड़ौदा नगर को गैस नहीं दे रहे हैं? देश में यही एक नगर है जो गैस प्राप्त कर रहा है।

किसी ने कहा कि आप बम्बई को देने जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार इसकी मांग कर रही है। हमने निर्णय नहीं लिया है। यह एल०पी०जी० हो सकती है। यह गैस भी नहीं हो सकती है। यह पूरी एल० पी० जी० भी नहीं हो सकती है, क्योंकि समूचे राष्ट्र और बम्बई का इसमें हिस्सा है।

हम गुजरात में दो उर्वरक संयंत्र लगाने का विचार कर रहे हैं। यह पहले का विचार था इस नई गैस के मिल जाने से मैंने अपने विभाग से कह दिया है कि हम वहां एक और संयंत्र खोलें। हमने ऐसा रेलवे की सलाह से किया है क्योंकि उस पर ही इसका बोझ पड़ेगा। रेलवे का कहना है कि तीसरे संयंत्र के लिए भी हमें उन्हें 25 से 40 करोड़ रुपये तक देने होंगे जिससे वह पश्चिमोत्तर क्षेत्र में उर्वरक ले जाने के लिये अपनी लाइनें मजबूत करें। गुजरात इसकी खपत नहीं कर पायेगा। गुजरात में जितना उत्पादन होता है वह पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जाता है। अतः ये उर्वरक संयंत्र पहले के दो और एक और—इस प्रकार बड़ी मात्रा में गैस मिलने पर गुजरात में हम तीन संयंत्र देंगे, रेलवे लाइन को मजबूत बनायेंगे और उर्वरक संयंत्र लगयेंगे। परन्तु गुजरात में पहुंचने के बाद और गुजरात की आवश्यकता पूरी होने के बाद गुजरात से पाइप लाइन भी बिछायेंगे। इसके बारे में हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

इस समय मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहा है जैसा कि श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय तथा मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ सदस्यों ने कहा है कि यदि अतिरिक्त गैस उपलब्ध है तो क्या हम उसे अन्य क्षेत्रों में भेज सकते हैं बर्शते परिवहन पर आने वाला व्यय अधिक न हो? गैस और तेल राष्ट्र की प्राकृतिक सम्पदा हैं राष्ट्र उनमें निवेश तभी करेगा जब निवेश के बदले अच्छा लाभ प्राप्त हो और आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हो। अतः यह प्रत्येक राज्य को प्रसन्न करने का प्रश्न नहीं कि प्रत्येक को कुछ न कुछ देना है। मेरे माननीय मित्र श्री पुजारी बड़े गुस्से में थे और उन्होंने कहा है कि कर्नाटक राज्य को भी कुछ मिलना चाहिए। मैं कर्नाटक के तट के साथ-साथ तेल और गैस प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं। यदि कुछ मिलता है तो निश्चय ही कर्नाटक को भी मिलेगा। हम सभी बेसिनों में तेल की खोज करेंगे।

गुजरात को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं महाराष्ट्र में पैट्रो-रसायन कम्पलेक्स स्थापित करना चाहता हूं। मैं दक्षिण भारत में भी सही समय पर ऐसा

ही कम्पलेक्स स्थापित करना चाहता हूं। मैं बारौनी में भी एक कम्पलेक्स स्थापित करना चाहता हूं। ···(**व्यवधान**)··· बंगाल में ऐसा एक कम्पलेक्स है—जनता सरकार जिस दिन सत्तारुढ़ हुई थी ··· बंगाल 10 वर्षों से प्रयास कर रहा था।

एक माननीय सदस्य : अब स्थिति क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आप अपनी सरकार से पूछिए कि स्थिति क्या है। उन्हें इस बारे में निर्णय लेना है। मैं इस सम्बन्ध में कैसे बता सकता हूं। मैंने लाइसेंस दे दिया है और पूरी सहायता देने का वचन दिया है। हल्दिया में भी एक कम्पलेक्स है—जब भी हम पैट्रो-कम्पलेक्स की बात करते हैं तो कृषि मंत्रालय चिन्तित हो उठता है। वह सोचते हैं शायद कपास के उत्पादन में कमी आ जाएगी। किन्तु देश में कपास उत्पादन की बहुत क्षमता है। हमारे यहां कपड़े की खपत कितनी है ? यदि शुल्क समाप्त कर दिये जाये तो मानव-निर्मित फाईबर सूती कपड़े से सस्ता पड़ेगा। यदि उत्पादन अधिक हो और उत्पाद शुल्क घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाये तो गरीब आदमी को मानव-निर्मित फाईबर अधिक उपलब्ध हो सकेगा। मैं इसे बेचने का प्रयास करूंगा और इस सदन से अनुरोध करूंगा कि वह योजना आयोग तथा अन्य सभी से सहयोग के लिये कहें। किन्तु मैं आर्थिक दृष्टि से लाभ देने वाला संयन्त्र लगाना चाहता हूँ। अतः मैं गुजरात सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इसे प्राथमिकता दे और वह हमें बताये कि वह बंगाल की भांति करना चाहते हैं अथवा किसी और तरह से। अब यह उनका वैकल्प है कि वह क्या करना चाहते हैं। मैं इस सम्बन्ध में ऊंचे बोल कर सोच रहा हूँ। बाद में मुझे यह कोई न कहे कि सरकार इसके लिए वचनबद्ध थी। मैं यह विचार सरकार को बता रहा हूँ। मेरा विचार है कि यह मन्त्रालय इस प्रस्ताव को स्वीकृत कराने में सफल हो जायेगा क्योंकि हमें इस कच्चे माल विशेष का यथासम्भव उपयोग करना चाहिये और इसके आधार पर अपना समूचा औद्योगिक कम्पलेक्स बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।

मैं इस अवसर पर अपने उन सभी इन्जीनियरों, तकनीशियनों और वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ जिन्होंने एक विलक्षण संस्थान आई० पी० सी० एल० की स्थापना की है। यह एशिया के प्रतिष्ठित उद्योगों में एक है और आत्म-निर्भरता के आधार पर इसे स्थापित किया गया है। किसी भी समय आप सभी काम स्वयं नहीं कर सकते, अनेक क्षेत्रों में कुछ कार्य ऐसे होंगे, जिनके लिए सहायता की आवश्यकता पड़ती ही है।

जब मैं उर्वरकों के बारे में बताऊंगा तो तब यह बताऊंगा कि चीन, रूस और पूर्वी जर्मनी को भी बाहर से कुछ न कुछ सहायता लेनी पड़ी और उन्हें उर्वरक क्षेत्र में अन्य देशों से टर्नकी परियोजनाओं की सहायता ली थी।

मूल्य निर्धारण का प्रश्न प्रो० मावलंकर ने उठाया है। सारे विश्व में तेल तथा तेल उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है। जब वह मूल्यों में कमी की बात कहते हैं तो मेरे से असम्भव की मांग करते हैं। यदि मूल्यों में आगे वृद्धि नहीं होती तो लोगों को शुक्र मनाना चाहिए। इस समय मूल्यों में कोई हेर-फेर नहीं किया जा सकता है। जहां तक रायलटी का सम्बन्ध है, असाम और गुजरात की एक जैसी समस्या है। भगवान का शुक्र है कि बम्बई हाई महाराष्ट्र से दूर है, नहीं तो मुझे वहां भी समस्या का सामना करना पड़ता। इस मामले पर समय-समय पर ऊंचे स्तर पर विचार किया जाता रहा है। प्रधान मंत्री ने गुजरात तथा असाम के मुख्य मंत्रियों को साफ-साफ

कह दिया है कि अब ऐसा नहीं किया जा सकता है। 80 में निर्णय होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उस समय असाम और गुजरात रायलटी के दावे का प्रश्न उठा सकेंगे।

इसके पश्चात मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि हम आत्मनिर्भरता अथवा देश में तेल के अधिक संसाधनों का पता लगाने के लिए क्या कर रहे हैं। 1977-78 में 18 ढांचों की तुलना में 1977-78 में हमने 26 ढांचों से तेल निकालने का प्रयास किया मुझे। यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इन दोनों वर्षों में किये गए प्रयत्न विफल नहीं गये। तेल समृद्ध देशों के मानक के अनुसार यहां की उपलब्धि बड़ी ही कम है। इन दो वर्षों में हम केवल प्रतिवर्ष 2 मिलियन टन तेल तथा 17 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस उपलब्ध कर सके हैं। हमने 13 स्ट्रैक्चरों पर कार्य किया है, हमने उत्तरी गुजरात तथा बम्बई हाई में भी तेल खोजने का प्रयास किया है। हम इससे भी अधिक दूर जाना चाहते हैं। हम सभी स्थानों पर तेल की खोज करने का प्रयास करेंगे। अभी तक किये गये अध्ययनों के अनुसार 2/3 भाग आफ-शोर पर तथा 1/3 भाग आन-शोर पर तेल निकाला गया है। अरूणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड, असाम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महानदी बेसिन, आन्ध्र, केरल के पश्चिम और पूर्वी तट, कर्नाटक के पश्चिम तट, उत्तरी और दक्षिणी तापती तथा नारसापुर तथा उत्तर प्रदेश में पी नीमीत क्षेत्र आन-शोर क्षेत्र हैं। वहां हम तेल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिये हम और अधिक जनशक्ति लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं समूचे प्रश्न पर अधिक नहीं बोल सकता। किन्तु जहां तक तेल और प्राकृतिक गैस का सम्बन्ध है, हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भर्ती किया है और अब उन्हें प्रशिक्षित किया गया है क्योंकि जब हम उन्हें भर्ती करते हैं तो स्तर में कमी करते हैं और उसके पश्चात उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। यही बात उर्वरक क्षेत्र के बारे में भी लागू होती है। मैं इस सम्बन्ध में आंकड़े भी दे सकता हूं। मैं संसद् के प्रत्येक सदस्य को इस बारे में पत्र लिखूंगा कि हमने अनुसूचित जाति के लोगों को कितनी एजेन्सियां दी हैं। किन्तु मैं व्यक्ति विशेष की रुचि के अनुसार एजेन्सियां नहीं दे सकता। जब श्री दलपत सिंह परस्ते ने यह कहा कि एजेन्सियां धनी लोगों को दी गई हैं तो यह बात सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और धक्का लगा। मेरे मन्त्रालय में यह नियम है कि यदि किसी व्यक्ति के पास मिट्टी के तेल की अथवा उर्वरकों की डीलरशिप है तो उसे हम अन्य कोई डीलरशिप नहीं देते। मैंने एल०पी०जी० की मात्रा को घटा दिया है जिसे कोई भी व्यक्ति बम्बई या कलकत्ता जैसे शहर के लिए चला सकता है। लोग मुझे बताते हैं कि वे इसे लाभप्रद ढंग से नहीं चला सकते। पहले 50,000 या 60,000 कनेक्शन्स थे। अब हमने इनकी संख्या अधिकतम 6,500 कनेक्शन्स कर दिया है। हमने यह स्तर निर्धारित किया है। हम यह नहीं चाहते कि सारा का सारा धन धनी लोगों के पास चला जाये। इसमें राज्यों के धन का भी निवेश किया जा रहा है और कुछ निवेश बैंकों द्वारा भी किया गया है। हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की सहायता करना चाहते हैं। हमने उन्हें कह दिया है कि "सहभागिता मत कीजिए।" हम बैंकों से आपको धन दिलाने में सहायता करेंगे। इस विशेष प्रकार के ऋण के अन्तर्गत तेल कम्पनियां आपको बैंकों से वित्तीय सहायता दिलायेंगी। इस विशेष मामले में 78 स्थानों में से 28 स्थान अनुसूचित जातियों तथा जनजाति के लोगों को मिले हैं। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं समझता कि यह पर्याप्त नहीं है। जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है, हमने इस दिशा में अवश्य कुछ किया है।

जहां तक रायल्टी का सम्बन्ध है, मैं इस बारे में कह चुका हूं। मैं इस बात को दबाना नहीं चाहता। मैं पढ़कर बता सकता हूं कि गुजरात को कितना मिल रहा है तथा आसाम को कितना मिल रहा है। हमारा विचार इसे जारी रखने का है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा की गई खोजों तथा उपलब्धताओं के क्षेत्र में उन्होंने जो नए कार्य किए हैं वे निम्न प्रकार हैं और उनके लिए मैं वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। अनुसंधान अध्ययन संस्थान ने वर्ष 1978-79 के दौरान सनन्द तेल क्षेत्र से तेल की खोज को बढ़ाने के लिए पाइलट फ्लड हेतु समुचित पोलीमर का पता लगाया है। तेल कूप उत्पादन दर में वृद्धि के लिए नवगाम तेल क्षेत्र में अम्लीकरण के लिए नया परिवर्तन। तेल क्षेत्र जल द्वारा सिंचित भूमि के प्रदूषण को रोकने के लिए नवगाम तेल क्षेत्र का विकास।

इस विस्तृत क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। यद्यपि हमारे पास आज भी बड़ी संख्या में परामर्शदाता हैं किन्तु वे केवल परामर्शदाता ही हैं। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की वर्तमान स्थिति का श्रेय लेने का दावा मैं नहीं करता। यह तो श्री जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता थी कि हमने कई विदेशी कम्पनियों की सलाह के विपरीत 1951-52 में देश में तेल की खोज के लिए इस तरह के संगठन की आवश्यकता को समझा और इस संगठन की स्थापना की। इसका परिणाम यह है कि 1950-51 में हमारा तेल उत्पादन पांच लाख टन था जो कि आज 11.5 मिलियन टन है। अतः यह अच्छी प्रगति है। किन्तु विश्व के देशों द्वारा इस दिशा में की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए, यह नगण्य है क्योंकि हमारे तेल क्षेत्र बहुत छोटे हैं। हमने इस सम्बन्ध में बहुत कम खोज की है।

यह कहते हुए मुझे हर्ष होता है कि हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों में आत्मनिर्भरता है इसीलिए उनकी अन्य देशों में भी मांग है। वे ठेके के आधार पर ईराक में खोज तथा विकास कार्य कर रहे हैं। उन्होंने यह काम ईरान में भी किया है और अब तजानियां में कर रहे हैं। तंजानिया ने इस तरह का एक और आदेश दिया है। मेरे मंत्रालय के सास धन की कमी है। यदि हमारे पास पर्याप्त धन होता तो हमने अरब देशों से भी लाइसेंस प्राप्त करके वहां तेल की खोज का काम आरम्भ कर देना था। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हमें आगे बढ़ना है तो भारत को यह कार्य करना ही होगा क्योंकि तेल की खोज तथा उसे निकालने के क्षेत्र में हमारी प्रौद्योगिकी ने बहुत विकास कर लिया है, जिसे हमें प्रयोग में लाना चाहिए और मित्र देशों के साथ यह काम करना चाहिए।

जैसा कि मैंने कहा है हम कैम्बी घाटी, आसाम-अराकन घाटी, राजस्थान घाटी, सौराष्ट्र घाटी, कावेरी घाटी, कच्छ घाटी, पुभाव घाटी, गंगा घाटी, पश्चिम बंगाल घाटी, महानदी घाटी, कृष्णा-गोदावरी घाटी, प्रशाहिता-गोदावरी घाटी, पालर घाटी तथा केरल घाटी जैसी तलहटी घाटियों में भूभौतिक सर्वेक्षण कर रहे हैं। मैं इन सब बातों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सदस्यागण पूछ रहे थे कि हमारे राज्यों में क्या कुछ किया गया है। इसलिए मैं बताना चाहता था कि हम कितने राज्यों में प्रयास कर रहे हैं। हम ज्वालामुखी क्षेत्र में गैस का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय बलबीर सिंह जी इस बात की सराहना करेंगे कि हम वहां पिछले 8 वर्षों से काम कर रहे हैं और वहां हम 10 करोड़ रुपये व्यय कर चुके हैं, किन्तु हमें वहां वाणिज्यिक गैस उपलब्ध नहीं हुई है। किन्तु हम इस कार्य को पुनः आरम्भ कर रहे हैं। चाहे वह

जैसलमेर हो अथवा ज्वालामुखी हम इस कार्य को त्याग नहीं रहे हैं, हम नए क्षेत्रों का पता लगा रहे है तथा इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि खुदाई कितनी गहराई तक की जाये । बंगाल के माननीय संसद् सदस्यों के मन में यह धारणा थी कि हम 5000 मीटर गहराई तक खुदाई नहीं करते और इसलिए हम तेल का पता नहीं लगा पाते हैं । मैं उनसे वादा करता हूं···

श्री बी० शंकरानन्द (चिकोडी) : तेल की खोज करने के लिए क्या मापदंड है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं कर्नाटक के पश्चिम तट के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं । तलहटी घाटियों का वायु-चुम्बकीय तथा सेसमिक सर्वेक्षण किया जाता है और फिर पता लगाया जाता है कि ये मौलिक ढांचे कितने-कितने पुराने हैं और इसलिए शायद उनमें किसी विशेष प्रकार की वस्तु हो । ये भौगोलिक अध्ययन भू-भौतिकविदों द्वारा किए जाते हैं और इस पर किसी प्रकार की राजनीतिक सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (शाहजहांपुर) : आपने हमारे यहां तो बन्द कर दिया है जो गैस निकल रही थी शाहजहांपुर में ।

सभापति महोदय : कृपया शांत रहिए । आप यह सब प्रश्न अन्त में पूछ सकते हैं । अब बीच में मत बोलिए ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जहां तक तट दूर का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में हमने भरसक प्रयास किया है । हमने इसके लिए देशी क्षमता का काफी विकास किया है । मुझे खुशी है कि मजगांव गोदी ने प्लेटफार्मों का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है । किन्तु श्रमजीवी वर्ग इस बात को अवश्य महसूस करेगी कि हड़ताल तथा कार्य धीमी गति से करने से हम उस कार्य को निर्धारित समय के अन्दर नहीं कर पायेंगे । मुझे आशा है कि इस दिशा में सब कुछ ठीक कर लिया जायेगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में · · ·

सभापति महोदय : नियोजक श्रमिकों की मांगों को समझ सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं उस पर भी आ रहा हूं । मैं औषधियों पर अंत में बोलूंगा । मुझे उस पर बहुत कुछ बोलना है । किन्तु पता नहीं कि मेरे पास इतना समय होगा भी या नहीं ।

सभापति महोदय : आपके पास समय है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : उर्वरक उद्योग के बारे में मैं दो बातें कहना चाहता हूं । माननीय श्री दामाणी तथा अन्य सदस्यों ने कहा कि क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है । श्री ए० के० राय इस सभा के बहुत ही विज्ञान सदस्य हैं और वह पहले सिन्द्री संगठन से सम्बद्ध थे ।···

सभापति महोदय : मुझे हर्ष है कि आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं । वह एक दयालू इंजीनियर हैं ·· **(व्यवधान)**

क्योंकि यदि उन्होंने इंजीनियरिंग का सारा ज्ञान मेरे सामने रख दिया होता तो मैं

कहीं का न रह जाता । इसलिए दो बातें कही गई हैं । पहली बात तो यह है कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए और देश में काफी आत्मनिर्भरता है । दूसरी बात यह है कि ये संयंत्र पूरी क्षमता से कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि फलां-फलां संयंत्र तो पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं जबकि अन्य ऐसा नहीं कर रहे हैं । कलोल तो पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है किन्तु नामरूप, बरौनी, दुर्गापुर, कोचीन आदि अपनी पूरी क्षमता का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं । इसके इलावा देश की सक्षमता के बारे में भी कुछ कहा गया है ।

इस पक्ष के एक सदस्य ने भी यह प्रश्न उठाया है कि क्या हम अपनी सक्षमता को नष्ट कर रहे हैं । इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं । माननीय श्री राय ने कहा है: "आपके संयंत्रों में ठीक ढंग से काम नहीं हुआ है । उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है जबकि इसमें वृद्धि होनी चाहिए थी ।" क्या संयंत्रों को मैं चलाता हूं जैसे कि इंजीनियर चलाते हैं ? क्या मैं अधिक उत्पादन करने के मामले में उनके मार्ग में बाधक बना हूं ? क्या मैंने मजूरी सहित सभी प्रश्नों को नहीं सुलझाया है ? क्या दुर्गापुर तथा बरौनी को छोड़ कर किसी और संयंत्र में कोई गड़बड़ी हुई है ? तो फिर वहां ऐसा क्यों हुआ है । इसलिए नहीं कि वहां श्रमिक नहीं हैं या इसलिए नहीं कि वहां वैज्ञानिक नहीं हैं बल्कि इसका कारण आत्म-संतोष होना है । जब इन संयंत्रों की स्थापना की गई थी तो हमें इसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं था । उन्होंने जरूरत से अधिक प्रयास किया । इसलिए प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों के कारण हमें गड़बड़ी का सामना करना पड़ा है । फिर भी हमने नाइट्रोजन की प्रगति दर में 8.5 प्रतिशत तथा फास्फेटिक उर्वरक की प्रगति दर में 15 प्रतिशत की वृद्धि की है ।

[श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए]

सरकारी क्षेत्र कुल क्षमता का 54.4 प्रतिशत, गैर-सरकारी क्षेत्र 39 प्रतिशत तथा सहकारी क्षेत्र 6.6 प्रतिशत का उत्पादन करता है । इनमें विभिन्न प्रकार के संयंत्र हैं । कुछ संयंत्र स्थिरीकृत हैं जबकि कुछ ऐसे नहीं हैं और इसलिए उनकी क्षमता दर भिन्न-भिन्न है । स्थिरीकृत संयंत्रों के वर्ग 1 में क्षमता उपयोग 83.4 प्रतिशत बढ़ गया है । जबकि गैर-स्थिरीकृत संयंत्रों में यह 48 प्रतिशत है । पुराने संयंत्रों में भी यह 57 प्रतिशत है तथा नए संयंत्रों में 38 प्रतशित है । 1978-79 में स्थिरीकृत तथा पुराने संयंत्रों में क्षमता उपयोग में सुधार हुआ और उत्पादन में हानि कई कारणों से हुई है । मैं वास्तविक स्थिति बताकर सभा को विश्वास में लेना चाहता हूं । मैं बताना चाहता हूं कि इन संयंत्रों में क्या हुआ और उत्पादन कम क्यों हुआ ।

1978-79 में मशीन सम्बन्धी खराबियों के कारण नाइट्रोजन का उत्पादन 230,000 टन हुआ जबकि 1976-77 में 296,000 टन हुआ था । मैं इसकी तुलना आपात स्थिति काल से कर रहा हूं । 1976-77 में बिजली के फेल हो जाने से 32,000 टन कम उत्पादन हुआ जबकि अब 36,000 टन कम उत्पादन हुआ । आप चाहते हैं कि उत्पादन पूरी क्षमता से हो किन्तु बिजली की सप्लाई पर मेरा नियंत्रण नहीं है । कोयले की कम सप्लाई से 1976-77 में 10,000 टन कम उत्पादन हुआ जबकि इस कारण 1978-79 में 30,000 टन कम उत्पादन हुआ । अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा नैप्था की कमी के कारण 22,000 टन का कम उत्पादन हुआ ।

जहां तक श्रमिकों का सम्बन्ध है, मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि 1977-78 में श्रमिक आन्दोलन के कारण 32,000 टन का घाटा हुआ जबकि अब केवल 6,000 टन का घाटा हुआ है और इसलिए मैं उन्हें उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। उनका बहुत ही अधिक सहयोग रहा है। अतः 1977-78 में कुल 370,000 टन का घाटा हुआ जोकि 1978-79 में 360,000 ही रह गया। अतः मैं केवल इतना कह सकता हूं कि 1976-77 की तुलना में अब कुछ सुधार हुआ है। वैसे इसमें और अधिक सुधार हो सकता था और कई अवांछनीय बातों को रोका भी जा सकता था।

एफ० ए० सी० टी० के बारे में माननीय सदस्यों के दिमाग में कई बातें हैं। कई बातें कही गई हैं कि पुराने संयंत्र 1976-77 की तुलना में और अधिक ढंग से कार्य कर रहे हैं। किन्तु मैं श्री ए० सी० जार्ज को आश्वासन दे दूं कि हम एफ० ए० सी० टी० को निष्फल नहीं होने देंगे। एफ० ए० सी० टी० तथा एफ० ई० डी० ओ० हमारे दो महत्वपूर्ण उर्वरक उद्योग हैं और हम इनमें विविधीकरण आदि सुनिश्चित करेंगे। जो सुझाव दिए गए हैं, उन्हें भी हम ध्यान में रखेंगे।

जहां तक देशी प्रौद्योगिकी के स्थान पर विदेशी प्रौद्योगिकी अपनाने तथा गैस पर आधारित संयंत्रों का सम्बन्ध है, मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि कोई भी संयंत्र पूरी तरह देशी प्रौद्योगिकी पर आधारित नहीं है। सिन्द्री, नांगल, राउरकेला, ट्राम्बे, बड़ौदा, कोटा, कानपुर, दुर्गापुर, कोचीन, बरौनी, नामरूप, तूतीकोरिन, विज़ग, नांगल विस्तार, भटिन्डा तथा पानीपत, इन सब संयंत्रों में थोड़ी बहुत विदेशी प्रौद्योगिकी लगी हुई है। कोई भी ऐसा संयंत्र नहीं है जोकि पूरी तरह देशी प्रौद्योगिकी पर आधारित हो। प्रत्येक संयंत्र के लिए प्रोसेस पैकेज का आयात किया गया है। ये सारे संयंत्र जनता सरकार के सत्ता में आने से पूर्व स्थापित हो चुके थे। प्रोसेस पैकेज का आयात करना पड़ा। रूस को भी ऐसा करना पड़ा था, चीन ने भी ऐसा ही किया था और पूर्वी जर्मनी ने भी ऐसा ही किया। इन देशों में कई संयंत्र हैं जो हमारी तुलना में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान के मामले में अधिक आत्मनिर्भर हैं और इसलिए ऐसी प्रौद्योगिकी का हमें आयात करना पड़ता है।

जनता सरकार पहली सरकार है जिसने एफ०पी०डी०आई०एल० को कहा है कि "नाम-रूप में 600 टन गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना अपने ज्ञान के आधार पर कीजिए"। वे ऐसा करेंगे। किन्तु उनकी क्या प्रतिक्रिया है? उन्हें हाल्डौर टोप्सो की जरूरत है। वे 600 टन का संयंत्र अपने आप स्थापित नहीं कर सकते। इस सरकार ने उनसे यह नहीं कहा कि "हम बाहर से प्रौद्योगिकी खरीखना चाहते हैं।" मैंने कई वैज्ञानिकों को बुलाया और इंजीनियरों तथा अन्य अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। उन्होंने हमें कहा "हम अपना डिजाइन तथा प्रोसेस तैयार करेंगे।" किन्तु हाल्डौर टोप्सो की आवश्यकता पड़ेगी जिनका कि हमें आयात करना पड़ेगा। उन्हें स्वयं पर 600 टन का संयंत्र स्थापित करने का विश्वास नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहना था किन्तु अनावश्यक रूप से कई संदेह पैदा किए गये हैं मानो कि 1350 संयंत्र कोई षड़यंत्र हो। सभूचे विश्व में 1350 संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं। यदि क्षमता ठीक हो तो 60 रुपये प्रति टन के हिसाब से बचत होती है। हमने पुराने संयंत्रों के लिये जो कुछ किया है, उसके अतिरिक्त हम और कुछ नहीं लेना चाहते चाहे यह 900 टन का ही संयंत्र क्यों न हो।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, एफ० पी० डी० आई० एल० की क्षमताओं को स्वयं डा० सेठना तथा श्री चक्रवर्ती ने देखा, इस बारे में सेठना समिति ने अध्ययन किया। मैं किसी की न तो प्रशंसा करता हूं और न ही निन्दा। डा० सेठना हमारे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। भूतपूर्व सरकार ने सेठना समिति की नियुक्ति की थी, इस सरकार ने नहीं ताकि श्री स्टीफन को इस समिति के सदस्यों के बारे में कोई संदेह न हो। सेठना समिति ने उर्वरक उद्योग के क्षेत्र में भारतीय क्षमताओं का अध्ययन किया।

मैं समिति के प्रतिवेदन से पढ़ कर सुनाऊंगा कि सेठना समिति ने क्या मूल्यांकन किया है और क्या कहा है :

> उर्वरक के क्षेत्र में प्रमुख विदेशी इंजीनियरी कम्पनियों का अध्ययन करने से पता चलेगा कि वे अनिवार्यतः प्रक्रिया, व्यवस्था और परियोजना प्रबन्ध के विशेषज्ञ होती हैं। इनमें रिएक्टर उत्प्रेरक का डिजाइन, गैस अवशोषण, उपस्कर, उर्वरक क्षेत्र में तरल पदार्थ के ऊष्मा विनिमापक, ऊर्जा का मितव्ययी उपयोग, माध्यम और नियंत्रण जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं।
>
> उन्होंने परियोजना विशिष्टता में अनुभव प्राप्त कर लिया है तथा डिजाइन व्यवस्था, तुरत और सहज मरम्मत और रख-रखाव के लिए सतत प्रयास किए हैं। व्यवस्था डिजाइन में अधिकतम ऊर्जा पैदा करने का भी प्रयास किया जाता है।

सेठना समिति ने स्वयं भी कहा है कि क्षेत्रीय परियोजना प्रबन्ध और निष्पादन में एफ०पी०डी० आई०एल० की पिछली निष्पत्ति परियोजना लागत नियत समय से सम्बद्ध है और उसकी निर्भरता ठीक नहीं रही है।

यह मेरा निर्णय नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि पी०एफ०डी०आई०एल० और एफ० आई० डी० ओ० का उर्वरक उद्योग का ज्ञान किसी भी एशिया के देश के ज्ञान से कहीं अधिक है। अतः हमने यह फैसला किया। इस पर मंत्रिमण्डल में विस्तारपूर्वक विचार किया जाएगा। मैं नहीं कहस कता कि मन्त्रिमण्डल क्या स्वीकार करेगा क्या अस्वीकार करेगा। पर मेरे विचार में हम किसी ऐसी प्रौद्योगिकी को स्वीकार नहीं करेंगे जिसे हम पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते और जो सिद्ध न हो चुकी हो। मैं नामरूप, बरौनी, दुर्गापुर और कोचीन का अनुसरण नहीं करूंगा जिनके मामले में प्रौद्योगिक उधार लेते समय उसकी प्रामाणिकता पर विचार नहीं किया गया। प्रामाणिक प्रौद्योगिकी का अर्थ है सयंत्र का उस प्रौद्योगिकी के आधार पर चलाना। फिर हम ऐसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना चाहेंगे जो विक्रेता की स्वदेशी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम हो। उपकरण भी इसी आधार पर खीदे जायेंगे। तो चाहे विश्व बैंक ऋण से चलाई जाने वाली परियोजाएं हों, हमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली देनी होगी। अतः हमने भारतीय विक्रेताओं जिस में मेरा मंत्रालय भी है, की एक समिति बनाई है जिसमें उन्हें लागत और कुशलता विषयक सहायता मिल सके। मेरे विचार से 900 और 1500 टन के उपकरणों में बहुत कम अन्तर होगा। 900 टन होने पर भी हमें उसी हद तर विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। पर यदि हम थोड़ी-बहुत सस्ती चीज पैदा कर सकते हैं .....

श्री ए० सी० जार्ज (मुकन्दपुरम) : अगर यह सिद्धान्त है तो रामगुण्डम, तलचर और कोरबा का क्या बनेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : रामगुण्डम, तलचर और कोरबा उसी प्रकार काम करते रहेंगे जैसे अब कर रहे हैं। हम ऊनमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। वस्तुतः श्री जार्ज ने ईंधन की बात कही। वह चाहते हैं कि हम फिर से कोयले का इस्तेमाल करें। मेरा विचार कोयला इस्तेमाल करने का नहीं है। मैं कुछ समय के लिए गैस का इस्तेमाल करना चाहता हूं। और इसका इस्तेमाल तब तक किया जाएगा जब तक गैस का भण्डार उपलब्ध है और कोयले का मितव्ययता के आधार पर उपयोग हो सके। इस समय सस्ता उर्वरक गैस पर आधारित संयंत्रों से ही तैयार किया जा सकता है। नेप्था भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ईंधन विषयक नीति की हम सभा में घोषणा कर चुके हैं। सरकार ने समग्र मामले पर विचार किया है। सबसे पहले गैस का इस्तेमाल होगा, फिर नेप्था का और फिर कोयले का। पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि मध्य प्रदेश का गैस-आधारित संयंत्र की मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा, रेलों से सारा माल ढोना संभव नहीं होगा चाहे कोई भी रेल मंत्री हो। अतः हम उर्वरक संयंत्रों को उपभोक्ता केन्द्रों में स्थापित करना चाहते हैं। इस विषय में राजस्थान के एक सदस्य ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि हम इस बात पर विचार करें कि क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित उर्वरक कारखाने लगाये जा सकते हैं। गुजरात में इस सम्बन्ध में बहुत कुछ किये जाने के बाद महाराष्ट्र का नम्बर आता है।

अतः प्रौद्योगिकी के प्रश्न को मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। जब समाचारपत्रों में यह मामला उठाया गया तो मैंने सभी नियमों को ताक पर रख कर एफ० पी० डी० आई० एल० के अधिकारियों की समाचारपत्रों के उन कुछ प्रतिनिधियों से बातचीत कराई जिन्होंने प्रौद्योगिकी के विषय में इस प्रकार की कहानियां लिखीं और मैंने उन्हें सारी चीज दिखाई। मैंने कहा, मैं भारी सहयोग दे रहा हूं। भारत में जो कुछ भी करना सम्भव होगा वह किसी दूसरे को करने के लिए नहीं दिया जायेगा। भारत जो कुछ भी कर सकता है उसे भारत सीखेगा और उसे किसी व्यक्ति को नहीं देगा। हम इन संयंत्रों को लगाना चाहते हैं अतः जिस हद तक किसी के एकस्व अधिकारों में बाधा नहीं पहुंचती है, हम स्ययं करेंगे। यह एक स्पष्ट बात है।

अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें वास्तव में किया जा सकता है ? कुछ ऐसी चीजें भी है जिन्हें 900 टन संयंत्र से भी नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए संनचन अनुभाग में ताप विनिमय यंत्र है। मैं इसे अपने इंजीनियर मित्र श्री ए० के० राय के काम के लिए कह रहा हूं। यह एफ० पी० डी आई० एल० से नहीं किया जा सकता है। यदि कोई गलती हो तो मैं उसे ठीक करने के लिए तैयार हूं क्यों कि यह रिकार्ड में है। वह इसे देख सकते हैं और मैं एफ० पी० डी०आई०एल० के लोगों की उपस्थिति में अथवा डा० सेठना या किसी भी विशेषज्ञ की उपस्थिति में जिसे वे चाहते हैं अपने कक्ष में उनके साथ सारी बात पर चर्चा करना चाहता हूं। साथ ही अन्य उपकरण हैं जैसे माध्यमिक रिफार्मर, प्रक्रिया गैस वायलर, सभी उच्च डाव वाहन, अमोनिया संश्लेषण परिवर्तक, उच्च दाव वायलर फीड पम्प और विलयन परिसंचरण पम्प। यदि ये उपकरण बाहर बन रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं ? हम उन्हें यहां नहीं बना सकते। यहां उसके लिए मूल इंजीनियरिंग का काम किया जायेगा परन्तु इसमें जानकारी का पूरा अंतरण होगा और एफ० पी० डी० आई० एल० इसका प्राप्तकर्ता होगा। एफ० पी० डी० आई०एल० आत्मविश्वास बनाये। मैं इस सभा के माध्यम से एफ० पी० डी० आई० एल० के इंजीनियरों से इस बारे में

अपील करना चाहता हूं। एफ० पी० डी० आई० एल० सिन्दरी में स्थित है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह सही निर्णय नहीं है। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जिससे बिहार के मेरे मित्र नाराज हों। किन्तु आप ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि कोई कम्पनी सिन्दरी से सारे विश्व में व्यापार करे। किन्तु मैं यह फिर कह रहा हूं कि इसे स्थानांतरित नहीं किया जायेगा। किन्तु उसके व्यापार प्रतिनिधि यहां दिल्ली से समस्त विश्व के साथ सम्पर्क बना सकते हैं। में चाहता हूं कि वे समस्त विश्व में जायें। किसी ने कहा कि वे विश्व भर में व्यापार कर रहे हैं। किस विश्व में एफ० पी० डी० आई० एल० गया है। एफ० पी० डी० आई० एल० ने देश से बाहर कोई भी संयंत्र नहीं लगाया है। मैं चाहता हूं कि वे देश से बाहर भी संयंत्र लगायें किन्तु पहले वे देश में तो करें। अब 6 या 7 टेंडर देने वाले हैं। मुझे नहीं मालूम कितने हैं। किन्तु जब मेरे पास बात आयेगी तो मेरी एक शर्त होगी—प्रौद्योगिकी का पूरा अंतरण। वे बुनियादी बाते करेंगे किन्तु सारा इंजीनियरिंग का काम यहां होगा। उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी और उन्हें ये सब शर्तें पूरी करनी होंगी। एफ० पी० डी० आई० एल०, एफ० ई० डी० ओ० और अन्य इन तीनों संगठनों के पास क्षमता है और उनका अभूतपूर्व गति से विकास होगा और वे विश्व भर में काम करेंगे।

जहां तक प्रौद्योगिकी के आयात का प्रश्न है, स्वीकृत समय सूची के अनुसार इंजीनियरिंग डिजाइन प्राथमिक रिफार्मर, माध्यमिक रिफार्मर, अमोनिया संश्लिष्ट परिवर्तक के लिए इंजीनियरी डिजाइन की सप्लाई की जायेगी। इस व्यवस्था के अनुसार एफ०पी०डी०आई०एल० अपनी मूल इंजीनियरी का प्रयोग करेगा·····मुझे खेद है कि यह लगभग 600 टन है·····

श्री ए० सी० जार्ज : इन तीनों संगठनों के बीच क्यों न काम का विभाजन हो।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : एफ०ई०डी०ओ० के पास कुछ शाखाओं में विशेषज्ञ जानकारी है और हम उन्हें बढ़ायेंगे। वे हमारी भी मदद करेंगे।

मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम बाहर से क्या लेने जा रहे हैं — जिसका चीन और सोवियत रूस ने भी आयात किया है — उनके अमोनिया और यूरिया संयंत्रों के लिए निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय फर्मों से पूरी प्रौद्योगिकी का आयात कर रहें हैं :

चीन	अमोनिया	—टोक्यो इंजीनियरिंग कारपोरेशन, जापान पी० केलौग एण्ड कम्पनी, संयुक्त राज्य अमेरिका से।
	यूरिया	— टोक्यो इंजीनियरिंग कारपोरेशन, जापान से स्टेमीकारबोरन, हालैंड। मारेडिटेन। स्नाम, इटली से।
सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ	अमोनिया	—टोक्यो इंजीनियरिंग कारपोरेशन, जापान से। पी० केलौग एण्ड कम्पनी, संयुक्त राज्य अमेरिका से।

	यूरिया	—टोक्यो इंजीनियरिंग कारपोरेशन, जापान से स्टेमीकारबन, हालैंड ।
जर्मन लोकतांत्रिक गणतंत्र	अमोनिया	—टोक्यो इंजीनियरिंग कारपोरेशन, जापान से कार्यपर्यन्त आधार पर ।
इटली	अमोनिया	—टोप सोई, डेनमार्क से ।

मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम एफ० पी० डी० आई० एल० के मार्फत विकसित प्रौद्योगिकी को अपनाने से अधिक कुछ नहीं कर रहे हैं और मैं एफ० पी० डी० आई० एल० के इंजीनियरों से यह अपील करना चाहता हूं कि सिन्दरी की प्रौद्योउिकी से आगे वढ़ें और एक औद्योगिक प्रौद्योगिकी का विकास करें । वह एक ग्रामीण क्षेत्र है और अभी भी हमारा कृषि-आधार है । मैं अपने बिहार के मित्रों से अपील करता हूं कि हमें उस आधार से निकल कर औद्योगिक आधार की ओर बढ़ने में सहायता करें जिसमें हमारे इंजीनियर अपना सर्वोत्तम योगदान करेंगे ।

अतः जहां तक उसका सम्बन्ध है मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । अब औषधि के बारे में कहूंगा । कई आशंकाएं व्यक्त की गई हैं । मेरी कठिनाई यह है कि एक ओर यह शिकायत है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां देश को लूट रही हैं और इसमें कहा गया है कि सरकार का बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रति नरम रवैया है । मैं नहीं जानता कि यह कैसे मालूम हुआ है कि हमारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रति नरम रवैया है ।

मैं आपको अपने रवैये के दो उदाहरण दूंगा । बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने कीमतों में कमी करने के विरुद्ध प्रतिवेदन दिये । यह कहा गया कि हमने कीमतों में कोई कमी कि नहीं की है । कीमतें बढ़ रही हैं । केवल यही विभाग है जहां कीमतें कम हुई हैं, उर्वरकों में कीमतें घटी हैं, औषधियों में कीमतें घटी हैं, कीटनाशी औषधियों में कीमतें घटी हैं । उत्पादन में काम आने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद भी कीमतें घटी हैं और हम यह मानते हैं । हमने औषधियों की कीमतें कम की हैं । यहां तक कि टेरामाइसीन केपसूल की चार-चार केपसूल के 25 के डिब्बे की कीमत जो 63 रुपये थी उसे घटाकर 51 रुपये किया गया अर्थात् पहले से 19.02 रु० प्रतिशत कम की गई, डाक्सी साइक्लीन केपसूल की चार-चार केपसूलों के एक डिब्बे की कीमत जो 10.17 रुपये थी संशोधित कर 8.06 रुपये की गई; बाइवो-साइक्लीन केपसूल की कीमत 4.94 रु० से घटा कर 4.03 रुपये की गई; 1.5 मिलीलिटर के जेन्टीसीन इन्जेक्शन की कीमत 21.30 रु० से घटाकर 7.70 रुपये की गई । मैंने यह किया है कि उत्पादन शुल्क अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इन दवाइयों की कीमतें उनके उत्पादन एकक से बाहर जाने से पहले उन पर छापी जायें । हमारे पास औषधि नियंत्रक और अन्य लोगों के पत्र आये हैं कि उन्होंने इस बात की जांच की है और यह पाया है कि ये कीमतें छपी हुई हैं ताकि प्रत्येक को यह मालूम हो जाये कि इसकी क्या कीमत है । बहुत से डिब्बों पर हमने कीमतें कम की हैं—ये बहुत अधिक हैं । प्रभाव किस पर पड़ा है ? अधिकांशतः फिजर, रोचे, बरो वेलकम, ग्लेक्सो, सिबा, फुलफोर्ड, पार्के डेविस, ज्योफरी मैनर्स जैसी बहुराष्ट्रीय

कम्पनियों पर प्रभाव पड़ा है। ये कम्पनियां हैं जिन पर कीमतों में कमी का असर पड़ा है। उन्होंने प्रतिवेदन दिये हैं। जीवन में पहली बार दिये हैं। किन्तु एक भी प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया गया। हर एक प्रतिवेदन नामंजूर किया गया। वे अदालतों में गये। एक मामले में अदालत ने कुछ कहा है, हमें वह मानना पड़ा। हमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है। लाइसेंस देने के बारे में यहां बहुत सी आशंकाएं व्यक्त की गईं। कुछ लोगों को भय था कि नया निवेश नहीं हो रहा है। जब हाथी समिति की सिफारिशें प्राप्त हुईं उसके आधार पर सरकार—जनता सरकार ने 29 मार्च, 1978 को अपना अन्तिम दृष्टिकोण बना लिया। देश भर में यह शंका भी व्यक्त की जा रही थी आजकल दुर्भाग्य के दिन हैं। परन्तु कोई दुर्भाग्य नहीं आया। सभी ने पहले से अधिक उत्पादन किया। और अधिक लाईसेंस मांगे गए और हमने लाईसेंस और आशय पत्र जारी किए। यह सब कैसे हुआ? विदेशी कम्पनियों से 29 मार्च, 78 तक प्राप्त कुल आवेदन पत्रों की संख्या 29 थी। यह तो तब था जब नीति की घोषणा की गई। बहुराष्ट्रीकों ने क्या किया? उन्होंने 17 आवेदन पत्र दिए। 17 आवेदनपत्रों में से हमने केवल 3 के आशय पत्र जारी किए क्योंकि उसमें अत्यधिक तकनीक शामिल थी। और हमें इस बात का विश्वास है कि इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिए। जहां तक भारतीय कम्पनियों से प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रश्न है, 124 आवेदन पत्र भारतीय कम्पनियों से प्राप्त हुए थे। 29 मार्च, 1978 को 39 आवेदन पत्र विचार के लिए पड़े थे। उसके पश्चात् 85 आवेदन पत्र और प्राप्त हुए। उसके अतिरिक्त, सरकार के पास केवल 50 आवेदन पत्र पड़े हैं। 74 आवेदन पत्रों पर निर्णय ले लिया गया है। 54 आश पत्र जारी किए गए हैं और 20 आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये गये हैं क्योंकि अस्वीकार करने के लिए कोई अन्य कारण भी थे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

जहां तक बिक्री का सम्बन्ध है यह बहु-राष्ट्रीय निगमों द्वारा की जायेगी अथवा भारतीय कम्पनियों द्वारा, मैं इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं केवल यह कह रहा हूं कि औषधि मूल्य नियन्त्रण आदेश आठ वर्षों बाद जारी किया गया है। 1970 में आदेश जारी किया गया था किन्तु उसमें कमियां थीं। 1979 में मैंने कमियों को दूर कर दिया है, मेरा कसूर यही है कि मैंने उन कमियों को दूर कर दिया है, और अगर यह मेरा कसूर है तो मैं दोषी हूं।

महोदय, मैं अब नई औषधि मूल्य नीति के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। 1970 में औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश से विधि सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न हो गईं थीं जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं कि प्रोटोनेक्स के बारे में भी ऐसी समस्या उत्पन्न हुई थी। आज एक वस्तु खाद्य है किन्तु कल वही औषधि हो जाती है। अब हमने कमियों को दूर कर दिया है और ऐसे उत्पाद मूल्य नियंत्रण के अधीन आयेंगे यदि उन्हें औषधि के रूप तैयार किया जाता है और बेचा जाता है। इसी प्रकार 1970 में लगभग 100 बल्क ड्रग्स के बारे में मूल्य आदेश जारी किया गया था, हमने अब प्रत्येक बल्क ड्रग के बारे में आदेश जारी किया है। इसके अतिरिक्त बल्क ड्रग्स के आयात कर्ताओं को मूल्य-निर्धारण के लिये सरकार की अनुमति लेनी होती है। पहले वह मूल्य निर्धारित कर सकते थे किन्तु अब वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। पहले लघु उद्योग क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र तथा विदेशी क्षेत्र—तीनों क्षेत्र भारत को लूट रहे थे (व्यवधान)

मैं यह साफ-साफ बता देना चाहता हुं कि औषधि निर्माताओं तथा अन्य किसी को भी हानि नहीं होगी। यदि किसी को हानि होने की सम्भावना होगी तो उस पर निश्चय ही विचार किया जायेगा। मैंने तीन अथवा चार रोज़ पहले श्री चावड़ा से अनुरोध किया था कि वह मुझे एक नोट भेजें और बतायें कि औषधि मूल्य नियन्त्रण आदेश से राष्ट्र को अथवा लघु उद्योग क्षेत्र को अथवा अन्य किसी क्षेत्र को बिना कारण हानि उठानी पड़ेगी। मैं उस पर विचार करूंगा। न मैं ही और न ही मेरे अधिकारी यह दावा करते हैं कि वह गलती नहीं कर सकते, किन्तु हम जानबूझ कर किसी दोष को बना नहीं रहने देंगे। कुष्ठ रोग की दवाई देपसन के बारे में मैं केवल यह कहूंगा कि उसका मूल्य-निर्धारण 330 प्रतिशत मार्क पर किया गया था। मैंने यह कहा है कि इसे कम किया जाए। मैंने यह भी कहा है कि आप आवश्यक दवाइयों के सम्बन्ध में 40 से 50 प्रतिशत का मार्जन नहीं रख सकते। तब किसी ने मेरे पर दोष लगाया और श्री चावड़ा ने इन औषधियों की उपलब्धता के बारे में कहा कि यदि इन दवाइयों पर लाभ नहीं मिलेगा तो उनका उत्पादन नहीं होगा। यह सच है कि कुष्ठ रोग के लिये आवश्यक औषधि का हमने 330 प्रतिशत का मार्जन कम कर दिया है। यह दर भूतपूर्व सरकार के कार्यकाल में थी। हमने अब उसमें कमी कर दी है। क्या यह हमारा अपराध है ? यदि इसे हमारा अपराध माना जायेगा तो मैं अपराध स्वीकार करता हुं। किन्तु मैं औषधि मूल्य निर्धारण आदेश में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करूंगा कि जिससे निर्धन और रोगी व्यक्तियों को अधिक दाम देने के लिये बाध्य होना पड़े। मैं न्यायसंगत मूल्य निर्धारण करूंगा। लाभ भी मिलेगा। यदि हम लाभ की एक दर विशेष निर्धारित करते हैं और उतना लाभ नहीं होता तो हम मामले पर पुनर्विचार कर सकते हैं किन्तु उसके लिये गहन अध्ययन की आवश्यकता होगी।

श्री के० एस० चावड़ा : मैंने यह बताया था कि लघु उद्योग क्षेत्र को 0.3 प्रतिशत से भी कम मिलता है जबकि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को अपनी बिक्री पर कराधान के पश्चात 15 प्रतिशत तथा कराधान से पहले 45 प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है। अतः मैंने यह बात इसलिये ही कही थी कि लघु उद्योगों को संरक्षण मिलना चाहिए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : वह सभी इकट्ठे हैं। जब श्री चावड़ा ने तार पढ़ा तो वह केवल लघु उद्योग के लोगों का नहीं था। वह बहु-राष्ट्रीय संगठनों की ओर से भी था। बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां, भारतीय कम्पनियां, लघु उद्योग क्षेत्र सभी ने इकट्ठे होकर मुझे बताया। किन्तु मुझे प्रसन्नता है कि मेरी तरह श्री चावड़ा भी कह रहे हैं कि मूल्यों में और कमी के सम्बन्ध में बहु-रास्ट्रीय संगठनों को विचार करना होगा। वह एक ऐसा सुझाव दे रहे हैं और मैं इस पर विचार करना पसन्द करूंगा। मैं हमेशा यह प्रयास करते रहेंगे कि दवाइयों के मूल्यों में और कितनी कमी की जा सकती है। कुछ माननीय सदस्य ने यह भय व्यक्त किया कि इन सभी बल्क ड्रग्स के लिये निवेश कहां से होगा ? आप इतने धन की व्यवस्था कहां से करेंगे। इस सम्बन्ध में हम अनेक कदम उठा रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में सदन को आश्वासन दे सकता हुं। यह बात सत्य है कि अधिकांश दवाइयों का निर्माण प्रमुख रूप से सरकारी क्षेत्र तथा भारतीय क्षेत्र में होगा। यद्यपि 40 प्रतिशत प्रत्यक्ष इक्विटी वाला भारतीय क्षेत्र होता है फिर भी मेरा यह प्रयास रहेगा कि भारतीय क्षेत्र का अर्थ भारतीय क्षेत्र ही रहे। हम भारतीय क्षेत्र में सहायता देना चाहेंगे।

श्री के० एस० चावड़ा : अप्रत्यक्ष इक्विटी का क्या होगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : श्री चावड़ा अप्रत्यक्ष इक्विटी का प्रश्न उठा रहे हैं। मैं इसे छुपाऊंगा नहीं। जनता दल की औद्योगिक नीति प्रस्ताव को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिये। मैंने इस प्रश्न को वित्त मन्त्री तथा उद्योग मन्त्री के सामने रखा था। मैंने उन्हें अप्रत्यक्ष इक्विटी के बारे में पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि तकनीकी दृष्टि से यह सम्भव नहीं हो सकेगा। अतः विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत केवल प्रत्यक्ष इक्विटी ही आती है, अप्रत्यक्ष इक्विटी नहीं आती। फिर भी मैं इस मामले पर गौर करूंगा। मैं नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में क्या होगा। किन्तु आज स्थिति यह है कि उद्योग विभाग के अन्तर्गत सभी को औद्योगिक नीति प्रस्ताव पर चलना होता है और प्रत्येक मन्त्रालय में इसी नीति के अनुसार ही कार्य होता होना है। अतः मैं अपना अलग से कोई कानून अथवा विचार नहीं बना सकता।

हाथी आयोग की सिफारिशों का सरकार ने कार्यान्वयन कर दिया है। मेरे विभाग में इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश भी इसी सिफारिश का एक अंग है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि हमने क्या किया है। पहली बात यह है कि 1978 में अनेक मामलों में मूल्यों में कमी की गई है। यह कुल 383 थे। इसका अर्थ यह है कि इस देश में लगभग 10,000 औषधि फारमुलेशनों और आधारभूत औषधियों में से 383 तथा अन्य 296 के बारे में मूल्यों में कटौती की गई है। हमने टेरामाइसिन केप्सूल, जेन्टसीन टीकों, कलोरोस्ट्रेप औषधियों के मूल्यों में कमी की है, इन सब औषधियों से बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां सम्बद्ध हैं। अन्य अनेक बातों का सम्बन्ध अनेक अन्य मन्त्रालयों से है। सोल सेलइंग एजेन्ट सम्बन्धी व्यवस्था को समाप्त करने के प्रश्न पर कम्पनी कार्य मन्त्रालय विचार करता है। इसे एक क्षेत्र में इस एजेन्ट व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो मूल्य निर्धारण में इस बात का ध्यान रखेगा। हमने एक अन्य कदम भी उठाया है। वह इन बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा कमाये जा रहे लाभ की भी जांच करेंगे। वह इस सम्बन्ध में अपने प्रतिवेदन हमें भेजेंगे। इस बात को केवल एक ही वर्ष हुआ है और मैं एक वर्ष बाद आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ।

हाथी समिति के प्रतिवेदन और नए औषध सूत्रों के बारे में मुझे यह देखकर खुशी होती है कि दूसरा पक्ष भी इसे तेजी से कार्यान्वित करने के लिए बातें कर रहा है। 1975 से 1977 तक यह प्रतिवेदन ऐसा ही पड़ा रहा। मैंने इसे निकाला और इस सरकार ने इसे कार्यान्वित किया और हम इस दिशा में निरन्तर कदम उठा रहे हैं। मैं यह कह सकता हूँ कि हाथी समिति की सिफारिशें अधिकांश रूप से कार्यान्वित की जा रही हैं। उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा और मैं समझता हूँ कि इस सिफारिश के प्रत्येक हिस्से को कार्यान्वित करने के लिए हमें 6 या 7 विधायी कदम उठाने होंगे।

जहां तक विदेशी ईक्विटी का संबंध है, विशुद्ध औषध निर्माणकर्त्ताओं को 40% का आदेश दिया गया है। और वित्त मंत्रालय तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम अनुभाग इस बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने उनके पास सभी ब्यौरे भेज दिये हैं और वे इसका अध्ययन कर रहे हैं तथा मुझे आशा है कि वे इसे उतनी ही जल्दी से निपटायेंगे जितनी कि सभा उनसे आशा रखती है।

'एनलजिन' के बारे में एक बात उठाई गई थी। यह कहा गया था कि यद्यपि देश में क्षमता उपलब्ध थी फिर भी हम अभी भी सैकड़ों मीट्रिक टन 'एनलजिन' का आयात कर रहे थे। 'एनलजिन' का उत्पादन लघु पैमाने के क्षेत्र के लोग और आई०डी०पी०एल० करता है मुझे याद है कि लगभग दस लघु पैमाने के क्षेत्र के लोग 'एनलजिन' का उत्पादन करते हैं। आई०डी०पी०एल० ने यह बताया कि इस वर्ष लगभग 135 मीट्रिक टन तक 'एनलजिन' की कमी होगी। उसने अपने और लघु पैमाने के क्षेत्र के उत्पाद पर विचार किया। हमने लघु पैमाने के क्षेत्र के उत्पादकों से परामर्श किया। हमने परियोजना अधिकारी (औषध) को उनके एककों में भेजा। वह इस बात का पता लगाने के लिए शायद तीन या चार एककों में गया कि वे इस बारे में और क्या कर सकते हैं। हमने लघु पैमाने के क्षेत्र के उत्पादकों को यह आश्वासन दिया है कि वे जितनी और मात्रा में 'एनलजिन' का उत्पादन करेंगे, उसे हम ले लेंगे। हमने ऐसा सुरक्षा के रूप में किया है परन्तु मैं देशी उत्पादकों को यह कह रहा हूं कि लघु पैमाने के क्षेत्र के लोग कितना ही उत्पादन करें हम उसे खरीद लेंगे। आई०डी०पी०एल० इसे खरीद लेगा। परन्तु हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते।

कुछ माननीय सदस्यों ने पैट्रोल की कमी को पूरा करने के लिए मद्यसार को प्रयोग किए जाने के बारे में उल्लेख किया है। इस मामले पर विचार करने के लिए एक दल का गठन किया गया है। हम वास्तव में इसी तरह कुछ करना चाहते है। हम गन्ने से 100% विशुद्ध मद्यसार का उत्पादन करना चाहते हैं, ताकि गन्ना उत्पादकों की भी मदद की जाए। वे पहले से ही कठिनाई में हैं। यह दल अन्तर-मंत्रालयों का दल है। वे प्रौद्योगिकी, विधि तन्त्र पर हल ढूंढ रहे हैं कि यह कैसे किया जाए। इस प्रयोजन के लिए मद्यसार 100% शुद्ध होना चाहिए। सभी मद्य निर्माणशालायें 98.05% की शुद्धता तक मद्यसार का उत्पादन करती हैं। हमें यह देखना है कि कितने समय के भीतर हम ऐसा कर सकते हैं और क्या इंजन और अन्य मशीनों में कुछ सुधार की आवश्यकता है। हम ज्ञान को भी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में यह पहले से ही उपलब्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने मद्यसार को पैट्रोल के साथ मिश्रित करने का काम किया था परन्तु उस समय मद्यनिर्माण-शालायें 100% विशुद्धता का मद्यसार तैयार कर रही थीं। आज कोई भी मद्यनिर्माणशाला ऐसा नहीं करती है। वास्तव में कुछ मद्यनिर्माणशालायें हमारे पास यह मालूम करने के लिए आयीं कि क्या वे ऐसा कर सकती हैं। हम डी०जी०टी०डी०, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय आदि से परामर्श करके इस मामले की जांच कर रहे हैं और ज्योंही मामले पर अन्तिम निर्णय हो जाएगा, त्योंही हम इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठायेंगे। इस मंत्रालय में हमने यही करने की कोशिश की है। बकाया काम निपटाया जा चुका है। नए क्षेत्र खोले गये हैं। नये तेल क्षेत्रों का पता लगाया गया है। तेल, गैस और औषध, और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की संभावनायें हैं। हैदराबाद से आने वाले मेरे कुछ मित्रों ने मुझे बताया है कि हैदराबाद से एक संस्था का स्थानान्तरण किया जा रहा है। हम किसी चीज के अति केन्द्रीकरण के विरुद्ध हैं। मैं निस्सन्देह इस मामले पर पुनः विचार करूंगा।

मुझसे यह कहा गया था कि क्या गरीब लोगों को अधिक संख्या में गैस दी जायेगी। मैं समझता हूं कि यह सभा को इस अर्थ में विशेषाधिकार प्राप्त है कि इस सभा के माननीय सदस्य केवल छोटे लोगों के बारे में सिफारिश करते हैं और आमतौर पर मैं उनकी सिफारिशों

का सम्मान केवल उस स्थिति को छोड़कर करता हूँ जबकि मैं देखता हूँ कि उस समय यह चीज उपलब्ध नहीं है । इसके बाद मैं इसे भारतीय तेल निगम के पास भेजता हूँ । परन्तु मैं यह कह सकता हूँ कि जहां तक इस नगर और शहरी क्षेत्रों के गरीब लोगों की बात है, भारत सरकार के बहुत से चपरासी, ड्राइवर और लिपकों को यह गैस पहले की अपेक्षा अधिक संख्या में दी गई है । परन्तु मैं यह नहीं कहना चाहता कि हम इसे प्रत्येक गांव में दे सकते हैं ।

एक सुझाव यह दिया गया था कि यदि एक ऐसे नगर में, जिसमें 100 लोग 100 मील दूरस्थ स्थान से चोरी छिपे गैस ले रहे हैं, उसमें मुझे वहां एक दुकान खोलनी चाहिए । 100 गैस कनेक्शनों से कोई आर्थिक गतिविधि नहीं बदलेगी । यह कम से कम 2500 होंगे क्योंकि भंडारण क्षमता और इसके सप्लाई करने पर धन के निवेश का प्रश्न पैदा होता है ।

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : होशियारपुर की क्या स्थिति है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : होशियारपुर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं श्री बलबीर सिंह के साथ हूँ ।

एक प्रश्न यह पूछा गया था कि गैस के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं ? गैस को पैट्रो-रसायन और उर्वरकों के रूप में बदला जाएगा । गैस को एल०पी०जी० के रूप में बदला जाएगा । एल०पी०जी० लोगों को दी जाएगी परन्तु इसका समान रूप से वितरण किया जाएगा । यह केवल एक क्षेत्र में ही वितरित नहीं की जाएगी । मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों को यह दी जा सकेगी ? परन्तु समूची समस्या तो संचार सम्बन्धी और इसे भेजने की है । कम्पनी महसूस करती है कि यह संभव नहीं होगा । परन्तु जहां तक डीजल का संबंध है, मुझे खुशी है कि पंजाब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पैट्रोल डीजल पम्पों को लगाने का कार्य स्वयं अपने हाथ में लिया है । मैं ऐसा प्रस्ताव प्रत्येक राज्य सरकार से करता हूं । हम कम खर्चों से पम्पों की व्यवस्था करेंगे । परन्तु यदि राज्य सरकारें इसे अपनी मंडियों या ऐसे स्थान के भीतर करना चाहते हैं, जहां किसान खण्ड मुख्यालयों में सभी कार्य के लिए आते हैं और यदि राज्य सरकारें इसे अपनी संस्थाओं या कुछ सहकारी समितियों के माध्यम से चलाना चाहते हैं, यदि वे मुझे घाटा या लाभ के मामले में सहायता करेंगो, क्योंकि मैं यह जिम्मेदारी नहीं ले सकता और भारत सरकार इससे संबद्ध होगी तो वे ऐसा कर सकते हैं । जहां तक कीमतों का सम्बन्ध है, मैं वित्त मंत्री से मिलने वाला हूं और पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों के बारे में सभा को अच्छी खबर दी जायेगी । परन्तु मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि वे यही नहीं रहेंगी । जब कच्चे तेल की कीमनें 100% या 50% बढ़ गई हैं तो ये वही नहीं रहेंगी । पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतें 100% बढ़ गई हैं ।

किसी ने कुछ देशों के बारे में मुझसे एक प्रश्न पूछा । मैं इस बात की चर्चा नहीं करूंगा कि अमुक व्यक्ति ने क्या किया है । मैं फिर एक बात कहूंगा अर्थात् हम यह आशा करते हैं कि प्रत्येक देश अपने वायदे को निभाये । हम लोगों से आशा करते हैं कि वे हमारे साथ किए गए करारों को पूरा करें और मुझे आशा है कि इन्हें पूरा किया जाएगा ।

जहां तक भविष्य का संबंध है, हम आत्मनिर्भर होने तक तेल की खोज करते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस माननीय सदन का सहयोग चाहता हूं और एक बार फिर इस मंत्रालय से संबंधित विभिन्न संगठनों में कार्य कर रहे कर्मचारियों और मजदूरों का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ-साथ मैं वैज्ञानिकों और तकनीशियनों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मंत्रालय को आज ऐसा बनाया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन के समक्ष मांगें स्वीकृति के लिए रखता हूं।

श्री ए० सी० जार्ज : मैंने एक विशिष्ट सुझाव दिया था और मंत्री महोदय ने यह सहमति व्यक्त की कि एफ० ए० सी० टी० और अलवाय अब वित्तीय आधार पर समृद्ध नहीं हैं। अतः इसमें विभिन्न उत्पादन करने होंगे। मैंने उनसे अनुरोध किया है कैप्रोलेक्टम और मेंथोल के विचाराधीन प्रस्तावों पर विचार किया जाए। उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। अन्यथा वह यूनिट नहीं चल पाएगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जो कुछ किया जाएगा उन सभी चीजों के नाम गिनाना संभव नहीं है। मैंने कहा है कि एफ० ए० सी० टी० में विविध प्रकार का उत्पादन किया जाना है और हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह संगठन काम करता रहे।

श्री के० टी० कौशलराम : आप देश से बाहर रेसिन का आयात कर रहे हैं परन्तु इसके साथ ही पिछले दो वर्षों से एक यूनिट बी० आर० सी० आरुगनेरी पूर्णतया बन्द कर दिया गया है। आप उस संबंध में क्या करने जा रहे हैं ? आप डीज़ल और मिट्टी के तेल को राशन पर देना आरम्भ कर देंगे। डीज़ल की तो बहुत कमी है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं तमिल नाडु के संबंध में भी बात करता हूं। जब मैं मिट्टी के तेल की बात कर रहा था वे सदन में उपस्थित नहीं थे। तमिल नाडु हमारे से इतनी अधिक मात्रा की आशा नहीं कर सकता जो कि हम दे नहीं सकते। जो कुछ राष्ट्रीय भण्डार में है उसमें से तमिल नाडु का भाग उसे दे दिया गया है। हमने 1977-78 में उन्हें हाई स्पीड डीज़ल आयल 5,88,047 टन दिया था। वर्ष 1978-79 में हमने 6,43,632 टन जो कि 1977-78 में दी गई मात्रा से अधिक है।

श्री के० टी० कौशलराम : तो यह कमी कैसे हो जाती है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैंने पहले ही कहा है कि यह मेरा काम नहीं है। मिट्टी के तेल और डीज़ल के संबंध में मैंने प्रत्येक मुख्य मंत्री को लिखा है। वितरण का कार्य राज्य सरकार का है। मैं राज्य सरकारों को तो चला नहीं सकता।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने मेरी गलती ठीक की उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मैंने उनसे कहा था कि वे पता लगाएं कि बड़ौदा जैसे स्थान पर जहां कि गैस उपलब्ध है, केवल परिवहन की असुविधा के कारण बड़ौदा से अहमदाबाद तक की ढुलाई के लिए ट्रकों का उचित लागत नहीं दी जाती है। इसका पता क्यों नहीं लगाया गया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : बड़ौदा में दो प्रणालियां प्रचलित हैं एल० पी० जी० और पाइप लाइन वाली। एल० पी० जी० अहमदाबाद में चिन्ता का कारण हो सकती है। जहां तक

अहमदाबाद में एल० पी० जी० का संबंध है, यदि मैं सही हूं तो, यह सच है कि परिवहन वाले कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे हैं। पहले वे एक दर के लिए निविदा भेजते हैं बाद में भारतीय तेल निगम पर दबाव डालना आरम्भ कर देते हैं। यदि हर बार मैं उनके दबाव में आता रहूं तो कठिनाई उठ खड़ी होगी। वे निविदा भेजते हैं। भारतीय तेल निगम और उनमें निविदा करार हो जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया ? जब उन्होंने ऐसी स्थिति में धमकी दी तो महाराष्ट्र सरकार ने कहा हम अध्यादेश जारी करेंगे और आपके परिवहन प्रणाली का अधिग्रहण कर लेंगे। राज्य सरकारों को ऐसे मामले में हमारी सहायता करनी चाहिए। एक निर्धारित दर पर एक निर्धारित तारीख को ढुलाई का करार करने के पश्चात् वे हर तीन महीनों के बाद संशोधन करने के लिए हमें नहीं कह सकते। जब कभी ऐसा होता है हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कुछ अनुचित न हो। मैंने एक घोषणा की: मैंने कहा एक तिथि विशेष से अपनी दरों में संशोधित कर लो परन्तु हड़ताल मत करो। उनमें कुछ ने हड़ताल कर दी। केरल ने कुशलता से निपटा, महाराष्ट्र ने कुशलता से निपटा और मुझे आशा है गुजरात ने भी कुशलता से निपटा।

श्री ए० के० राय : एफ० पी० डी० आई० एल० के संबंध में मैं दो प्रश्न करता हूं। एक तो है, नेतृत्व करने के लिए प्रबन्ध निदेशक की अनुपस्थिति दूसरा ; सुपर उर्वरक संयंत्र की क्षमता को 1350 से कम करके 900 कर दिया जाए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं माननीय सदस्य का इन दो प्रश्नों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। जब वे बोलने के लिये खड़े हुए तो मैंने समझा कि वे कई प्रश्न करेंगे। वह ठीक कहते है कि मैंने प्रबन्ध निदेशक से संबंधित प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं कोई शिकायत नहीं करना चाहता परन्तु प्रणाली में कुछ सुधार करना अत्यन्त आवश्यक है। हम सार्वजनिक सेवा उद्यम बोर्ड से चयन कर लेते हैं, वह मंत्रालय को भेजा जाता है, मंत्रालय इसकी जांच करता है और नियुक्तियों संबंधी मंत्रिमंडल समिति को भेज देता है। इन सब पर समय लगता है। मैं देर के लिए शर्मिन्दा हूँ और मैं इस संबंध में असफलता स्वीकार करता हूँ। यदि हम कई कारणों से इसे नहीं कर सके तो मैं इसे छुपाने की कोशिश नहीं करूंगा।

जहां तक आकार को कम करने का संबंध है नामरूप एफ०पी०डी०आई०एल० को एक चुनौती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1350 में भी एफ०पी०डी०आई०एल० को एक बड़ा भाग मिलेगा। उन्हें 900 से बढ़ा कर 1350 करने दो परन्तु इसका निर्धारण नामरूप III, 600 टन संयंत्र पर होगा।

श्री चन्दन सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानकरी चाहता हूं कि क्या वे डीजल का दाम 1.40 रुपये कर देंगे ? अगर वह यह कर दें तो बड़ी कृपा होगी। अध्यक्ष महोदय, आपसे भी हमारी प्रार्थना है कि आप भी उन्हें इसका दाम 1 रुपये 40 पैसे करने को कहें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं माननीय सदस्य की सिफारिश प्रधान मंत्री जी और उपप्रधान मंत्री जी तव पहुंचा दूंगा।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : मैं रसायन मंत्री जी की तर्क क्षमता का बहुत कायल हूं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि सोडा एश के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय का जो

दखल होना चाहिए वह नहीं है। मैंने पांच महीने पहले सोडा एश के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया था लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता गया, उसी प्रकार सोडा एश की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि सोडा एश की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए क्या वे इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेंगे। मंत्री जी जानते हैं कि सोडा एश चार बड़े घराने ही पैदा करते हैं। मैंने पहले भी प्रूफ के साथ आपको दिया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं इतना ही इसके सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इसके सम्बन्ध में कड़ी कार्यवाही करेंगे ताकि उसकी कीमतें कम हो सकें ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : कीमतें कम हुई हैं। लेकिन यह सही है कि जितनी कम होनी चाहिए थीं, उतनी कम नहीं हुई हैं। हमने कीमतें सस्ती की हैं। इसे हमने डिस्ट्रिब्युशन में डाला है, कुछ कोआप्रेटिव में डालने की कोशिश कर रहे हैं। चार घराने अगर इसको नहीं करते हैं तो हम भी कर रहे हैं। हमने दक्षिण में एक सोडा एश कारखाने का लायसेंस दे रखा हैं और हल्दिया में लगा रहे हैं। अगर इससे कुछ नहीं हुआ तो और उपाय सोचेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं मंत्री महोदय का बंगाल कैमिकल्स और बंगाल इम्यूनिटी के अधिग्रहण के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इनके राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव उनके पास है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : उनका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा।

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : बरौनी में लगातार गड़बड़ी की वजह से हमारी प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। क्या आप वहां पर कोई मुस्तकिल ऐसा अरेंजमेंट करेंगे जिससे कि वहां कोई गड़बड़ न हो और प्रोडक्शन में कमी न आये ? हमारी प्रोडक्शन में कमी का मेजर शेयर बरौनी का है। अगर वह गड़बड़ की जगह बन गयी है तो उसे किसी और जगह ले जाकर कोई मुस्तकिल अरेंजमेंट करें जिससे कि प्रोडक्शन में कमी न हो।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : 1 दिसम्बर, 1978 से अब तक बरौनी का कारखाना बहुत अच्छा चल रहा है, सौ फीसदी अच्छा चल रहा है। मै वहां के मजदूरों को धन्यवाद देता हुं कि उन्होंने हमारी बात समझ कर मामले को हल कर लिया है।

श्री मदन तिवारी (राजनंदगांव) : माननीय मंत्री महोदय ने कोरबा रासायनिक खाद्य के कारखाने के बारे में आश्वासन दिया था। वहां काफी खर्चा करके भी वह चालू नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं कहना चाहता हूं कि कोरबा का हमारे दिल पर बोझ है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि वह बोझ हमारे दिल पर से उतर सके।

श्री मीठालल पटेल (सवाई माधोपुर) : राजस्थान गवर्नमेंट की और वहां की पब्लिक की भी यह मांग रही है कि वहां पर प्राकृतिक गैस के आधार पर फर्टिलाइजर का कारखाना स्थापित हो। यह मांग वहां से सदा से आती रही है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : उसके बारे में तो बोल दिया है।

श्री मीठालाल पटेल : इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : मैं पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन अनुदान संबंधी मांगों पर पेश किए गए कटौती प्रस्ताओं को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई सदस्थ अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहता है ?

श्री कौसलराम—

कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 4, 8 और 9। क्या आप वापस ले रहे हैं ?

श्री के० टी कौसलराम : उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप अपने कटौती प्रस्तावों को वापस ले रहे हैं या नहीं ?

श्री के० टी० कौसलराम : मैं वापस लेता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : क्या कटौती प्रस्ताव वापस लेने के लिए उन्हें सदन की अनुमति प्राप्त है।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

अध्यक्ष महोदय : श्री ए० के० राय—

कटौती प्रस्ताव सं० 16 से 21, 68, 71 और 73 से 80। क्या आप अपने कटौती प्रस्तावों को वापस ले रहे हैं ?

श्री ए० के० राय : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : क्या कटौती प्रस्तावों को वापस लेने के लिए उन्हें सभा की अनुमति प्राप्त है ?

माननीय सदस्य : जी, हां।

कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री आर० पी० दास के कटौती प्रस्ताव संख्या 22 से 49, और 62 से 67 को मतदान के लिए रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मुकुन्द मण्डल के कटौती प्रस्ताव संख्या 50 से 61 मतदान के लिए रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अनुदानों की मांगें सभा में मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई पैट्रोयियम, रसायन और उर्वरक सम्बन्धी मांग संख्या 69 से 71 के संबंध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले

वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : मेरी एक छोटी सी सस्या है । मुखबन्द प्रस्ताव (गिलोटिन) 6 बजे रखा जा सकता है जबतक कि सभा अन्यथा अनुमति दे ।

श्री बी० शंकरानन्द : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं 6 बजे तक व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति देता हूं ।

श्री बी० शंकरानन्द : मेरा व्यवस्था का प्रश्न अनुदानों की मांगों के गिलोटिन किये जाने के बारे में नहीं है । मेरा व्ययस्था का प्रश्न अध्याय 19, नियम 206 और 209 के बारे में है जोकि प्रत्येक मंत्रालय की अनुदानों की मांगों से सम्बद्ध है । आज आप संचार, शिक्षा और समाज कल्याण, वित्त, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, सूचना और प्रसारण, श्रम, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य · · ·

प्रो० पी० जी० मावलंकर : ऐसा पहली बार नहीं हो रहा ।

श्री बी० शंकरानन्द : उन्हें मुझे पूरी तरह सुनने दें तथा बाद में टिप्पणी करें। नौवहन तथा परिवहन, पूर्ति तथा पुनर्वास तथा कई और । परन्तु इन मंत्रियों में से अधिकांश उपस्थित नहीं हैं । उन्हें सभा में उपस्थित रहना चाहिए । क्या वे सभा का इसी प्रकार सम्मान करते हैं ? क्या वह समझते हैं कि यह सभा उनकी अनुपस्थिति में ही उनकी अनुदानों की मांगें पारित कर देगी तो यह बात अनुचित है ? स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री और नौवहन तथा परिवहन मंत्री उपस्थित नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है कि उन्हें उपस्थित होना चाहिए था । परन्तु इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

श्री बी० शंकरानन्द : बेशक मांगों पर चर्चा नहीं होती परन्तु आज जब कि मांगों पर गिलोटिन हो रहा है उन्हें उपस्थित रहना चाहिए । उन्हें यह नहीं मान लेना चाहिए कि मांगें स्वीकार कर ली जायेंगी । हमें अच्छे मानदण्ड निर्धारित करने हैं ।

संचार, शिक्षा और सामाजिक कल्याण, वित्त आदि मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मंत्रालयों संबंधी मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति कोदी जायें ।"

(1) मांग संख्या 14 से 18 जिनके लिये संचार मंत्रालय उत्तरदायी है ;

(2) मांग संख्या 25 से 27 जिनके लिये शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय उत्तरदायी है ;

(3) मांग संख्या 32 से 43 जिनके लिये वित्त मंत्रालय उत्तरदायी है ;

(4) मांग संख्या 44 से 46 जिनके लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उत्तरदायी है ;

(5) मांग संख्या 62 से 64 जिनके लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय उत्तरदायी है ;

(6) मांग संख्या 65 और 66 जिनके लिये श्रम मंत्रालय उत्तरदायी है ;

(7) मांग संख्या 67 और 68 जिनके लिये विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय उत्तरदायी है ;

(8) मांग संख्या 75 से 78 जिनके लिये नौवहन और परिवहन मंत्रालय उत्तरदायी है ;

(9) मांग संख्या 79 से 81 जिनके लिये इस्पात और खान मंत्रालय उत्तरदायी है ;

(10) मांग संख्या 82 से 84 जिनके लिये पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय उत्तरदायी हैं ;

(11) मांग संख्या 85 से 88 जिनके लिये पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय उत्तरदायी है ;

(12) मांग संख्या 89 से 93 जिनके लिये निर्माण और आवास मंत्रालय उत्तरदायी है ;

(13) मांग संख्या 94 से 96 जिनके लिये परमाणु ऊर्जा विभाग उत्तरदायीं है ;

(14) मांग संख्या 97 और 98 जिनके लिये संस्कृति विभाग उत्तरदायी है ;

(15) मांग संख्या 99 जिसके लिये इलैक्ट्रानिक्स विभाग उत्तरदायी है ;

(16) मांग संख्या 100 से 102 जिनके लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उत्तरदायी है ;

(17) मांग संख्या 103 जिसके लिये अन्तरिक्ष विभाग उत्तरदायी है ;

(18) मांग संख्या 104 जिसके लिये लोक सभा उत्तरदायी है ;

(19) मांग संख्या 105 जिसके लिये राज्य सभा उत्तरदायी है ;

(20) मांग संख्या 106 जिसके लिये संसदीय कार्य विभाग उत्तरदायी है ; और

(21) मांग संख्या 107 जिसके लिये उपराष्ट्रपति का सचिवालय उत्तरदायी है ;

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

———

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए भारत की संचित निधि में कतिमय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए भारत की संचित निधि में कतिमय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

6-03 बजे म० प०

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार 24 अप्रैल, 1979/4 वैशाख, 1901 (शक) 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : सबिना प्रिंटिंग प्रेस, फरीदाबाद